SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-13

(अनुपालन लेखापरीक्षा - राजस्व एवं सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-13

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	--	v
विहंगावलोकन	--	vii-xvi
भाग-I: वित्त एवं राजस्व विभाग		
अध्याय-I		
सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रूझान	1.2	1-7
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.3	7-9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन-सारांशीकृत स्थिति	1.4	9-11
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.5	11-12
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.6	12-13
इस प्रतिवेदन के अध्याय-II का आच्छादन	1.7	13
अध्याय-II		
वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
वित्त विभाग		
'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' से सम्बन्धित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1	15-61
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग		
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	2.2	62-64
परिवहन विभाग		
वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराया जाना	2.3	64-66
पंजीकृत वाहनों के वैधता समाप्त परमिट पर कार्यवाही करने में विफलता	2.4	66-67
जेएनएनयूआरएम बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना	2.5	67-68

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	**पृष्ठ**
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाना	2.6	68-70
राज्य आबकारी विभाग		
क्यूआर कोड की धनराशि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपित न किया जाना	2.7	70-71
भाग-II: आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)		
अध्याय-III		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप		
प्रस्तावना	3.1	73
विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा	3.2	73-74
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.3	74
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	3.4	74-75
निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर)	3.4.1	75
अनुपालन लेखापरीक्षा	3.4.2	75
अप्राप्त उत्तर	3.5.1	75-76
लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	3.5.2	76-77
संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति	3.6	77
संस्थाओं के लेखाओं के प्रेक्षण एवं अन्तिमीकरण में बकाया	3.6.1	77-78
राज्य विधानमण्डल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को रखे जाने की स्थिति	3.6.2	78-79
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियां	3.7	80
अध्याय-IV		
विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
पर्यटन विभाग		
पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.1	81-116

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
लोक निर्माण विभाग		
त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात भार गणना के कारण अधिक क्रस्ट ओवरले के कारण से ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय	4.2	117-119
परिशिष्टियाँ		**121-191**
शब्द-संक्षेप सूची		**193-195**

प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं। भाग-I में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं राजस्व विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। राजस्व विभागों में राज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन, राज्य आबकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सम्मिलित हैं। भाग-II में दो अध्याय हैं, अध्याय-I में उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूझान का विहंगावलोकन, राजस्व के बकाया का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन, लेखापरीक्षा के प्रति राजस्व विभागों की प्रतिक्रिया आदि सम्मिलित हैं। अध्याय-II में वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित प्रेक्षण सम्मिलित हैं जिसमें 'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' से सम्बन्धित एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। भाग-II में उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण सम्मिलित हैं। भाग-II में दो अध्याय हैं, अध्याय-III में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन सरकारी विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के बारे में परिचय दिया गया है। अध्याय-IV में विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा 'पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन' भी सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं, जो वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आए, साथ ही वे भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। वर्ष 2022-23 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन निम्नलिखित अध्यायों के साथ दो भागों में है:

भाग-I: वित्त एवं राजस्व विभाग

अध्याय-I : सामान्य

अध्याय-II :
- 'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।
- वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण।

भाग-II: आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय-III : आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप।

अध्याय-IV :
- पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।
- विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण।

भाग-I वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सम्मिलित वित्तीय प्रभाव ₹ 26.90 करोड़ एवं भाग-II आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सम्मिलित वित्तीय प्रभाव ₹ 95.42 करोड़ है।

भाग-I: वित्त एवं राजस्व विभाग

अध्याय-I: सामान्य

वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 4,17,241.50 करोड़ थीं जिसमें से राज्य सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,87,576.61 करोड़ (44.96 प्रतिशत) थीं। भारत सरकार द्वारा ₹ 2,29,664.89 करोड़ (55.04 प्रतिशत) का योगदान किया गया जिसमें से विभाज्य संघीय करों और शुल्कों का राज्यांश ₹ 1,69,745.30 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 40.68 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान ₹ 59,919.59 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 14.36 प्रतिशत) सम्मिलित था। राज्य के अपने राजस्व में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2022-23 की अवधि में ₹ 28,772.90 करोड़ की वृद्धि हुई।

वर्ष 2022-23 की अवधि में राजस्व के विभिन्न लेखाशीर्ष (तालिका 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों

एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

31 मार्च 2023 को बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क एवं वाहनों पर कर से सम्बन्धित बकाया राजस्व की धनराशि ₹ 36,241.90 करोड़ थी जिसमें से ₹ 15,293.15 करोड़ की धनराशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। बारम्बार अनुस्मारक निर्गत करने के पश्चात भी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा बकाया राजस्व के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

(प्रस्तर 1.3)

अध्याय-II: वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर आईटी लेखापरीक्षा' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं:

सामान्य नियन्त्रण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण:

- वर्ष 2014-15 से प्रमुख शासकीय संरचना, आईटी संचालन समिति गठित नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

- आईएफएमएस के कार्यान्वयन (2014-15) के उपरान्त 10 से अधिक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी, औपचारिक और प्रलेखित आईटी नीति तैयार नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

- स्पष्ट रूप से परिभाषित पुर्नप्राप्ति प्वाइंट ऑब्जेक्टिव एवं पुर्नप्राप्ति टाइम ऑब्जेक्टिव सहित कोई औपचारिक, प्रलेखित कार्य निरन्तरता एवं आपदा पुर्नप्राप्ति योजना नहीं थी। डाटा सेंटर एवं डाटा बैकअप सेंटर एक ही भूकम्पीय क्षेत्र, लखनऊ में स्थापित किए गए थे तदन्तर, डाटा पुर्नप्राप्ति सेंटर एक पृथक भूकम्पीय क्षेत्र में स्थापित (जुलाई 2023) किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

- परियोजना के निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण ₹ 20.06 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की द्वितीय एवं तृतीय किश्त निर्गत नहीं (दिसम्बर 2024 तक) की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- अगस्त 2014 से मार्च 2016 एवं अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि में आईएफएमएस प्रणाली बिना किसी औपचारिक वार्षिक तकनीकी

सहायता के संचालित रही जिसमें प्रतिकूल घटनाओं का खतरा था, जिसे टाला जा सकता था।

(प्रस्तर 2.1.8.5)

- उत्तर प्रदेश में आईएफएमएस को, भुगतान किये जाने वाले लाभार्थियों की आधार संख्याओं की प्रविष्टि/सीडिंग किये जाने की कार्यप्रणाली के बिना विकसित किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.8.7)

- उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन में अनेक कमियाँ पायी गई जैसे- बहु-कारक प्रमाणीकरण का अभाव, स्थानान्तरित अथवा सेवानिवृत्त उपयोगकर्ताओं की आईडी को निष्क्रिय न किया जाना, विभिन्न प्रणालियों पर समान उपयोगकर्ता लाग-इन क्रेडेंशियल वाले कई सत्रों का संचालन।

(प्रस्तर 2.1.8.9)

सामान्य नियंत्रण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा संस्तुतियाँः

- ***अक्टूबर 2024 में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा आईएफएमएस के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने, अकार्यान्वित कार्यप्रणालियों के लिए समयसीमा नियत करने, संभावित जोखिमों का आकलन करने एवं उपयुक्त शमन उपायों की संस्तुति करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।***
- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कर्मियों की आवश्यकताओं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का क्रय, कार्य निरन्तरता एवं आपदा प्रबन्धन तथा उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन के लिए प्रमुख आईटी नीतियाँ बनायी एवं अपनायी जाएं।***
- ***कोषागार निदेशालय, आईटी सामान्य नियंत्रणों में कमियों को दूर करे- जिसमें आधार की सीडिंग की प्रमुख सुविधा का अभाव है एवं ऐसी कमियों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए।***

एप्लीकेशन नियन्त्रणों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण:

- बजट, आईएफएमएस के माध्यम से तैयार किये जाने के स्थान पर मैनुअल रूप से तैयार किया जा रहा था। 2022-23 में, राज्य विधानमण्डल द्वारा लेखानुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें निर्दिष्ट बजट लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बजट आवंटन किया जाना था। परन्तु, जब मुख्य बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी तब लेखानुदान में पूर्व निर्दिष्ट कुछ बजट शीर्षों के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन बजट शीर्षों के अन्तर्गत बजटीय प्रावधान एवं आवंटन के बिना

₹ 219.57 करोड़ का व्यय किया गया था। आईएफएमएस में प्रावधानित बजट के समर्पण हेतु कार्यप्रणाली लागू नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

- नई सेवाओं हेतु पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं है, परन्तु, नई सेवाओं पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि ₹ 5,120.88 करोड़ के व्यय के प्रकरण पाए गए।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

- संसाधन सम्बद्ध योजनाओं से अन्य योजनाओं के 151 प्रकरणों में अनियमित पुनर्विनियोजन किया गया था जिसमें ₹ 10,186.62 करोड़ की राशि सन्निहित थी।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

- 2020-23 की अवधि में, विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट वितरण के लिए प्रणाली में प्रदर्शित वित्तीय स्वीकृति[1] की राशि, कुल बजटीय प्रावधानों से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 2018-24 की अवधि में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटन, बजट वितरण के लिए सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक था।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

- आईएफएमएस में प्रत्येक बिल को वैध अन्तर्निहित स्वीकृति आदेश के साथ अनिवार्य रूप से संयोजन की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.9.5)

- विभिन्न मुख्य लेखाशीर्षों (मानक मद स्तर तक) में व्यय, सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत किए गए आवंटन से अधिक था।

(प्रस्तर 2.1.9.6)

- एक नया भुगतान लाभार्थी सृजित करते समय, आईएफएमएस में पैन और जीएसटीआईएन (जहाँ लागू हो), अंकित करने की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि निर्माण कार्यों के लिए जीएसटी की दर को 18 जुलाई 2022 से 12 से 18 प्रतिशत पुनरीक्षित किये जाने के पश्चात् भी, जीएसटी दर में परिवर्तन करने के लिए आईएफएमएस में कार्यप्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप बिलों को गलत दरों के साथ संसाधित किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.9.8 (iii))

[1] 'वित्तीय स्वीकृति' शब्द प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष को बजट के प्रेषण की प्रक्रिया को दर्शाता है।

- बकाया सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिलों को समायोजित करने के लिए आईएफएमएस में कार्यप्रणाली का अभाव था।

(प्रस्तर 2.1.9.8 (iv))

- लेखापरीक्षा में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना व्यय से सम्बन्धित आईएफएमएस आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि (i) 694 प्रकरणों (2022-23) एवं 393 प्रकरणों (2023-24) में व्यय, बजट आवंटन के आँकड़े से अधिक था एवं (ii) 67,302 प्रकरणों (2022-23 में 30,814 प्रकरण एवं 2023-24 में 36,488 प्रकरण) में, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यय उपशीर्ष 01, 02 एवं 89 के अतिरिक्त अन्य उप-शीर्षों में अंकित किये गये थे जिससे गलत वर्गीकरण का संकेत मिलता है।

(प्रस्तर 2.1.9.11)

- राजस्व एवं पूँजीगत खण्डों के अन्तर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण को रोकने हेतु आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव था। 9,134 प्रकरणों (₹ 751.88 करोड़ के व्यय सहित) में राजस्व व्यय की प्रविष्टि हेतु पूँजीगत खण्ड के मानक मदों का अनियमित उपयोग किया गया था एवं 172 प्रकरणों (₹ 99.54 करोड़ के व्यय सहित) में पूँजीगत व्यय की प्रविष्टि हेतु राजस्व खण्ड के मानक मदों का अनियमित उपयोग किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.9.12)

- भुगतान लाभार्थी प्रबन्धन में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव है। 'खाता बंद कर दिया गया/खाता मौजूद नहीं है/ऐसा कोई खाता प्रकार नहीं/गलत खाता/अमान्य खाता संख्या' आदि जैसी टिप्पणियों के साथ भुगतान विफल होने के उद्धरण पाये गए। अग्रेतर, इस प्रणाली में भुगतान लाभार्थी के सृजन में विशिष्टता का अभाव है एवं यह विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारी के साथ एक ही खाता संख्या से कई लाभार्थी आईडी बनाने की अनुमति देता है।

(प्रस्तर 2.1.9.14)

- कर्मचारी मास्टर डेटाबेस में आँकड़ों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव है। पायी गयी कमियों में मूल वेतन शून्य था, मकान किराया भत्ते को शहर के स्तर और श्रेणी के अनुसार मैप नहीं किया गया था, 'दिव्यांग' श्रेणी, नामिती ब्यौरे, आश्रित सदस्यों, इत्यादि को प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.9.16)

- सरकारी चिकित्सकों को गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते के अधिक भुगतान को रोकने के लिए वैलीडेशन नियन्त्रण का अभाव था।

(प्रस्तर 2.1.9.17)

एप्लीकेशन नियंत्रण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा संस्तुतियाँः

- ***बजट तैयार करने, माँग, पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के लिए पर्याप्त कार्यप्रणाली विकसित किया जाना चाहिए। बजट नियन्त्रण, आईएफएमएस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।***
- ***व्यय के बिलों का वैध स्वीकृति आदेश के साथ अनिवार्य रूप से संयोजन हेतु आवश्यक कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण विकसित किया जाना चाहिए। विद्यमान आईएफएमएस प्रणाली में लेखाशीर्षों के सम्पूर्ण वर्गीकरण की सम्यक मैपिंग अनिवार्यतः अपनायी जानी चाहिए।***
- ***निधियों के पुनर्विनियोजन, डीसी बिलों के साथ एसी बिलों का समयित संयोजन, सहायता अनुदान एवं कर्मचारियों को देय मूल वेतन एवं भत्तों के वेलिडेशन से सम्बन्धित नियमों की मैपिंग की जानी चाहिए।***
- ***आईटी प्रणाली में, पूँजीगत एवं राजस्व प्रकृति के मदों का वर्गीकरण परिभाषित एवं मैप किया जाना चाहिए।***
- ***लाभार्थी सृजन में उचित अन्तर्निहित इनपुट वेलिडेशन नियन्त्रण क्रियान्वित किया जाना चाहिए एवं बिल प्रारूप वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।***
- ***आईएफएमएस प्रणाली में, विभिन्न परिभाषित मानदण्डों के अनुसार कर्मचारियों को देय परिलब्धियों (यथा वेतन, मकान किराया भत्ता, एनपीए, बोनस, आदि) के सम्बन्ध में कार्यकारी नियमों की पर्याप्त मैपिंग की जानी चाहिए।***

अन्य मुद्दों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण:

- लेखापरीक्षा में एमआईएस प्रतिवेदनों (कोषवाणी) एवं आईएफएमएस डाटाबेस के अनुसार राशियों (बजट प्रावधान, स्वीकृति, आवंटन एवं व्यय) में अन्तर पाया गया।

(प्रस्तर 2.1.10.1)

- कोषागार स्तर पर लेखा शीर्ष के वर्गीकरण के संशोधन को रोकने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव था। ऐसे 1,52,116 प्रकरण संज्ञान में आए जहाँ सीटीएस पोर्टल पर लेखा शीर्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी पोर्टल में प्रदर्शित होने वाले लेखा शीर्ष से भिन्न था।

(प्रस्तर 2.1.10.3)

अन्य मुद्दों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा संस्तुतियाँः

- ***आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, हितधारकों हेतु प्रामाणिक विवरण सृजित करने के लिए आईएफएमएस पोर्टल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।***
- ***कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षों के वर्गीकरण के संशोधन को रोकने के लिए पर्याप्त कार्यप्रणाली विकसित किया जाना चाहिए।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सही विवरण की घोषणा नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.83 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 2.2)

परिवहन विभाग

2,010 परिवहन वाहनों एवं 1,537 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया जिन पर ₹ 37.18 लाख का फिटनेस शुल्क आरोपणीय था। सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा इन वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत करने एवं परिवहन वाहनों के प्रकरण में परमिट निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.3)

वाहनों के परमिट की वैधता की समाप्ति पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इन वाहन स्वामियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी अभ्यर्पित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 96.38 लाख का परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क छूट गया।

(प्रस्तर 2.4)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित 84 जेएनएनयूआरएम बसों पर ₹ 1.38 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.5)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर 6,907 प्रकरण में अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.6)

राज्य आबकारी विभाग

आठ आसवनियों/यवासवनियों द्वारा आबकारी राजस्व की विलम्बित जमा धनराशि पर ₹ 2.00 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.7)

भाग-II: आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय-III: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के चौदह विभाग एवं तेरह संस्थाएं आते हैं। वर्ष

2022-23 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के चौदह विभागों के अन्तर्गत कुल 658 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 133 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी। प्रतिवेदन के इस भाग में पर्यटन विभाग से सम्बन्धित पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान, दो विभागों के 21 प्रकरणों में ₹ 27.68 करोड़ की वसूलियाँ इंगित की गई थी, जिनमें से 13 प्रकरणों में ₹ 21.01 करोड़ की वसूलियाँ स्वीकार की गई थी। एक प्रकरण में ₹ 0.75 करोड़ की वसूली की गई थी।

अध्याय-IV: विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

पर्यटन निदेशालय, उ.प्र. सरकार (निदेशालय) ने वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत 12 परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ₹ 392.40 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य बजट से स्वीकृत चार योजनाओं के अंतर्गत 970 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया और ₹ 774.26 करोड़ का व्यय किया। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न संलग्न कार्यदायी संस्थायों के माध्यम से किया गया था।

उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में पर्यटक सुविधा/सूचना केंद्रों का निर्माण, पार्किंग, शौचालय, पेयजल सुविधा, परिक्रमा हेतु कवर्ड शेड, सीसीटीवी, सोलर एवं प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, फूड प्लाज़ा, साउण्ड एवं लाइट शो तथा डिजिटल गैलरी, आदि सम्मिलित थे। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित हैं:

- निदेशालय ने 82 नमूना परियोजनाओं में ₹ 397.50 करोड़ मूल्य की परिसम्पत्तियों/सुविधाओं को परियोजनाओं की पहचान से पूर्व सर्वेक्षण तथा अवसंरचना अंतराल का विश्लेषण किए बिना ही प्रस्तावित कर दिया।

(प्रस्तर 4.1.8.1)

- योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन मे केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत ₹ 44.53 लाख के कर को सम्मिलित करने, सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए उ.प्र. सरकार के स्वीकृति आदेशों के उल्लंघन मे बॉट आउट आइटम पर ₹ 29.73 लाख का सेंटेज जोड़ने तथा लागू अधिनियमों के अनुपालन में श्रम उपकर हेतु ₹ 7.73 लाख तथा सेंटेज एवं श्रम उपकर पर वस्तु एवं सेवा कर ₹ 1.15 करोड़ का प्रावधान न करने के कारण परियोजनाओं की डीपीआर/प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण तरीके से तैयार किए गए।

(प्रस्तर 4.1.8.4)

- रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट (दिसम्बर 2021) के अनुसार, कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने प्रावधानित दर पर कंटिनजेंसी के लिए ₹ 98.77 लाख प्रभारित किये, यद्यपि उसने कोई कंटिनजेंसी व्यय नहीं किया था।

(प्रस्तर 4.1.9.1)

- केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत निदेशालय द्वारा निष्पादित सभी 12 परियोजनाएँ छः माह से 44 माह तक के विलम्ब के साथ पूर्ण की गयी थीं/प्रगति पर थीं (मई 2024 तक)। राज्य योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित 77 नमूना परियोजनाओं में से 46 पूर्ण परियोजनाएँ एक माह से 22 माह की अवधि तक विलम्बित थी।

(प्रस्तर 4.1.9.3)

- केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में दो परियोजनाओं, यथा गोवर्धन, मथुरा का विकास तथा बौद्ध थीमैटिक सर्किट के अंतर्गत श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु का विकास, में योजना में निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमि/संपत्ति पर परिसम्पत्तियों के निर्माण पर ₹ 4.95 करोड़ का व्यय किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.9.4)

- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत दो पूर्ण परियोजनाओं के प्रकरण में, एक परिसम्पत्ति (₹ 4.14 करोड़) को 23 माह के विलम्ब के बाद परिचालन में लाया गया, तथा ₹ 59.53 करोड़ की अन्य परिसम्पत्तियाँ संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक, अपनी-अपनी पूर्णता तिथियों से 13 माह से 44 माह के विलम्ब के बावजूद संचालन में नहीं लायी गयी थीं।

(प्रस्तर 4.1.10.2)

- निदेशालय द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत चार परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोज़र रिपोर्ट में ₹ 6.68 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से प्रभारित किया गया, जबकि

योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी तथा संचालन एवं रखरखाव की लागत उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

(प्रस्तर 4.1.9.1 एवं 4.1.10.4)

- निदेशालय द्वारा उ.प्र. सरकार की राज्य योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि उसके द्वारा विभिन्न पर्यटन विकास स्थलों पर सृजित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में न तो परिसम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया गया और न ही ऐसे विवरण विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किये गये थे।

(प्रस्तर 4.1.10.6)

लेखापरीक्षा की संस्तुतियाँ:

- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं का नियोजन, सर्वेक्षण और अवसंरचना में कमी का विश्लेषण तथा दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू अधिनियमों/सरकारी आदेशों/योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप डीपीआर/प्राक्कलन तैयार किए जाएं।***
- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का उपयोग, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हो। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/ उ.प्र. सरकार को प्रस्तुत किया जाए।***
- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेतु वर्तमान दिशानिर्देशों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।***
- ***उ.प्र. सरकार को स्वीकृति आदेश में परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।***
- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं को पूर्ण होने के तुरंत बाद संचालन में लाया जाए।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

लोक निर्माण विभाग द्वारा चंदौली जिले में मार्ग के क्रस्ट ओवरले के डिजाइनिंग हेतु मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स (एमएसए) के रूप में डिजाइन ट्रैफिक की गणना में त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात को आधार बनाए जाने के कारण ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 4.2)

भाग-I

वित्त एवं राजस्व विभाग

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की राजस्व प्राप्तियों के रूझान, राजस्व बकाये का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रूझान

1.2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उदग्रहीत कर एवं करेत्तर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **तालिका-1.1** में दर्शाये गये हैं।

तालिका-1.1
राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	1,20,121.86	1,22,825.83	1,19,897.30	1,47,367.74	1,74,087.15
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**23.34**	**2.25**	**(-) 2.38**	**22.91**	**18.13**
	• करेत्तर राजस्व	30,100.71	81,705.08	11,846.15	11,435.97	13,489.46
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**52.06**	**171.44**	**(-) 85.50**	**(-) 3.46**	**17.96**
	योग	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**	**1,31,743.45**	**1,58,803.71**	**1,87,576.61**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	1,36,766.46	1,17,818.30	1,06,687.01	1,60,358.05	1,69,745.30[1]
	• सहायता अनुदान	42,988.48	44,043.97	57,745.87	51,849.68	59,919.59[2]
	योग	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**	**1,64,432.88**	**2,12,207.73**	**2,29,664.89**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**	**2,96,176.33**	**3,71,011.44**	**4,17,241.50**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**46**	**56**	**44**	**43**	**45**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण-14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'ए-कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 0005-केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर, 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, एवं लघुशीर्ष 901-राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़ों को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के अंश में सम्मिलित किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 11,290.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

उपर्युक्त तालिका यह इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये राजस्व में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 18.12 प्रतिशत की वृद्धि रही थी। राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये राजस्व का अंश वर्ष 2022-23 में 45 प्रतिशत था, जबकि विगत वर्ष के दौरान यह 43 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का घटकवार विवरण प्रतिशतता के रूप में **चार्ट-1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट-1.1

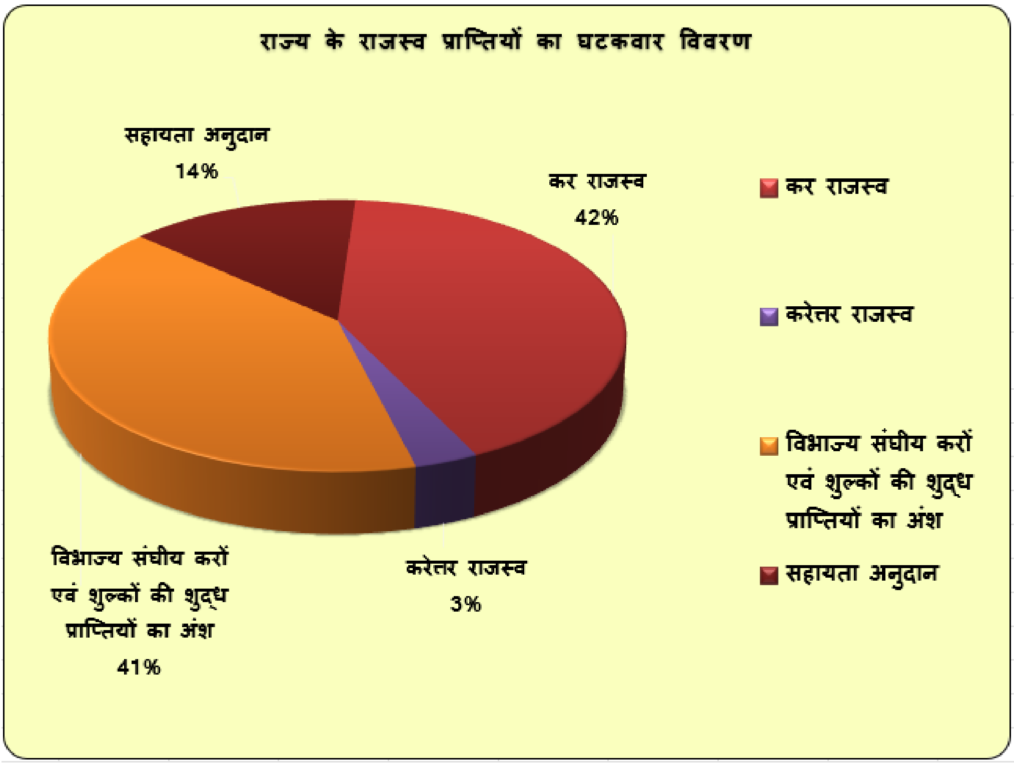

1.2.2 वर्ष 2018.19 से 2022.23 की अवधि में कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्ष 2022-23 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की सापेक्षिक प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2022-23 का बजट अनुमान	2021-22 का वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	28,287.00 22,127.06	31,100.00 27,058.17	36,212.74 31,979.17	(-)11.69	(+)18.19
	राज्य माल एवं सेवा कर	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	63,281.00 42,860.03	73,285.00 54,594.12	88,264.31 64,140.91	(-)27.33	(+)17.49

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्ष 2022-23 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की सापेक्षिक प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2022-23 का बजट अनुमान	2021-22 का वास्तविक
2	राज्य आबकारी	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	37,500.00 30,061.21	41,500.00 36,319.63	49,152.46 41,252.71	(-)16.07	(+)13.58
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	23,197.00 16,475.24	25,500.00 20,048.25	29,692.12 24,843.70	(-)16.33	(+)23.92
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	8,650.00 6,482.65	9,350.00 7,775.82	10,887.11 9,059.49	(-)16.79	(+)16.51
5	अन्य[3]	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	5,106.00 1,891.11	5,610.00 1,571.75	6,446.26 2,811.17	(-)56.39	(+)78.86
योग		**1,22,700.00 1,20,121.86**	**1,40,176.00 1,22,825.83**	**1,66,021.00 1,19,897.30**	**1,86,345.00 1,47,367.74**	**2,20,655.00 1,74,087.15**	**(-)21.10**	**(+)18.13**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे और उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान

वर्ष 2022-23 में कर राजस्व के घटकवार विवरण को **चार्ट-1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट-1.2

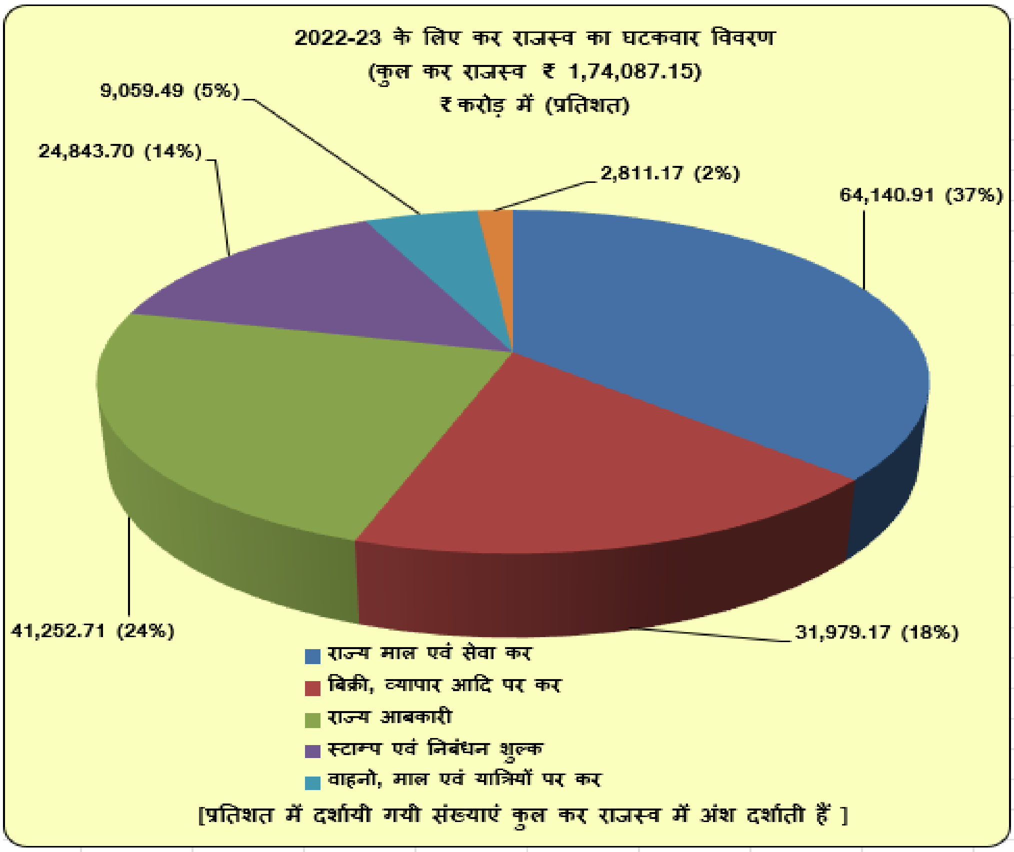

[3] इसमें निम्नलिखित प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) सम्मिलित हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू-राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2022-23 की अवधि में वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है**:**

- वर्ष 2022-23 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व में कुल 18.13 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर' (₹ 9,546.80 करोड़), 'राज्य आबकारी' (₹ 4,933.08 करोड़), 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर' (₹ 4,920.99 करोड़), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 4,795.45 करोड़) एवं 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 1,283.67 करोड़) की वृद्धि के कारण थी।

- विभाग द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि माल एवं सेवा कर एक उपभोग आधारित कर है, और यह तब बढ़ता है जब राज्य में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ता है। वर्ष 2021-22 के प्रथम दो महीनों में, कोविड-19 के प्रभाव के कारण माल एवं सेवा कर में संग्रह कम था। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 की अवधि में विभाग द्वारा किये गये सुधार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का उपयोग किये जाने के कारण इसमें वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में माल एवं सेवा कर राजस्व में वृद्धि के कारणों में से एक कारण, वर्ष 2022-23 में माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति योजना जून 2022 में समाप्त हो जाने के उपरान्त, केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद में माल एवं सेवा कर की देयता के सरलीकरण हेतु किये गये प्रयास हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में राजस्व का बकाया भी प्राप्त हुआ था।

- वर्ष 2022-23 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 4,920.99 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण क्रमशः राज्य बिक्री कर अधिनियम (₹ 2,780.62 करोड़) एवं मूल्य वर्धित कर (₹ 2,747.72 करोड) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।

- विभाग द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि राज्य आबकारी में वृद्धि विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप एवं प्रीमियम फुटकर विक्रेताओं पर न्यूनतम गारण्टीकृत राजस्व के निर्धारण के कारण हुई थी। इसके अतिरिक्त, आसवानियों में क्षमता विस्तार एवं नई आसवानियों/माइक्रो-ब्रेवरी की स्थापना के कारण, राज्य में एथेनाल एवं पेय मदिरा के उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई है।

- विभाग द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि राजस्व शीर्ष "स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क" के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वृहद मात्रा में भूमि अधिग्रहण के कारण अधिक संख्या में पंजीकरण का होना एवं 'दान विलेख योजना' के कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन दर-सूची में बढ़ोत्तरी के कारण हुई थी।

- विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021-22 में वाहन की बिक्री में कमी, परिवहन वाहनों के संचरण पर प्रतिबंध एवं फिटनेस प्रमाण पत्र,

वाहनों के परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता में विस्तार के कारण प्राप्तियाँ प्रभावित हुईं। तथापि, वर्ष 2022-23 में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसके फलस्वरूप परिवहन एवं गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि, फिटनेस प्रमाण-पत्र, वाहनों के परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण के कारण वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

1.2.3 वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में वसूले गये करेत्तर राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में प्रदर्शित है।

तालिका-1.3

करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्ष 2022-23 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की सापेक्षिक प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2022-23 का बजट अनुमान	2021-22 का वास्तविक
1	ब्याज प्राप्तियाँ	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	2,100.00 1,115.55	2,100.00 1,249.77	2,100.00 1,259.39	(-)40.03	(+)0.77
2	अ-लौह खनन तथा धातु-कर्म उद्योग	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	4,000.00 3,112.74	4,500.00 2,655.48	4,860.00 3,351.58	(-)31.04	(+)26.21
3	उर्जा	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	3,537.00 1,308.99	3,749.00 1,768.50	512.73 964.52	(+)88.11	(-)45.46
4	मध्यम सिंचाई	988.73 777.98	1,000.00 872.42	1,060.00 1,014.95	1,102.00 1,032.77	1,146.00 1,146.40	(+)0.03	(+)11.00
5	सड़क एवं सेतु	950.00 932.13	1,000.00 706.81	1,560.00 997.34	6,654.00 640.27	7,053.00 855.12	(-)87.88	(+)33.56
6	श्रम एवं रोजगार	75.00 75.28	79.50 67.53	85.00 54.15	90.10 95.29	95.51 820.59	(+)759.17	(+)761.15
7	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ[4]	16,264.33 17,702.04	18,778.46 75,363.81	18,836.93 4,242.43	7,226.57 3,993.89	7,639.24 5,091.86	(-)33.35	(+)27.49
योग		**28,821.66 30,100.71**	**30,632.96 81,705.08**	**31,178.93 11,846.15**	**25,421.67 11,435.97**	**23,406.48 13,489.46**	**(-)42.37**	(+)**17.96**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे और उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान

वर्ष 2022-23 में करेत्तर राजस्व का घटकवार विवरण **चार्ट-1.3** में प्रदर्शित है।

4 अन्य करेत्तर प्राप्तियों में निम्नलिखित प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व का पाँच प्रतिशत से कम) सम्मिलित हैंः
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पुलिस, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत योगदान एवं वसूली, विविध सामान्य सेवाएं, हाउसिंग, लोक निर्माण, स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, ग्राम एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य जीवन, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास आदि।

चार्ट-1.3

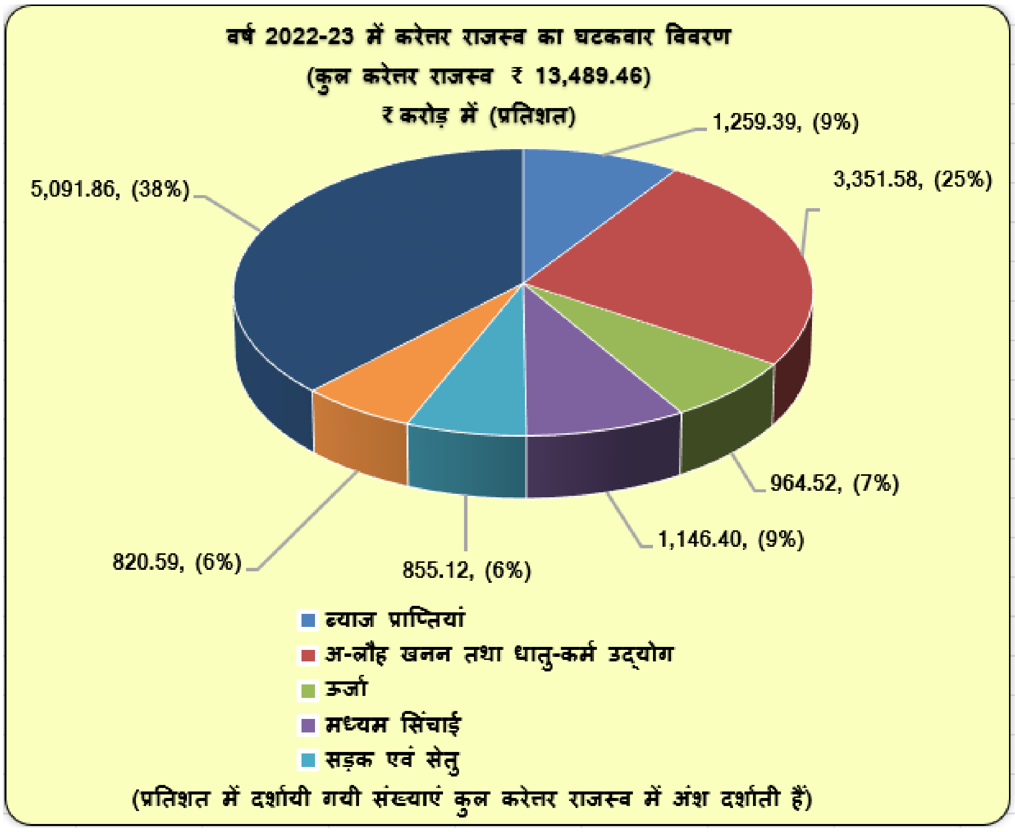

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में करेत्तर प्राप्तियों में सम्मिलित रूप में 17.96 प्रतिशत धनराशि ₹ 2,053.49 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से शीर्ष 'अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग' के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति (₹ 696.10 करोड़), 'सड़क एवं सेतु' शीर्ष के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति (₹ 214.85 करोड़), 'श्रम एवं रोजगार' शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 725.30 करोड़), एवं 'अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ' शीर्ष अन्तर्गत अधिक प्राप्ति (₹ 1,593.40 करोड़) के कारण थी। यद्यपि, 'उर्जा' शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 803.98 करोड़) कम प्राप्ति थी।
- 'अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लघु शीर्ष-102 'खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रायल्टी' (₹ 369.94 करोड़), लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत (₹ 345.19 करोड़) अधिक प्राप्ति एवं लघु शीर्ष-900 'प्रतिदाय' के अन्तर्गत (₹ 18.85 करोड़) अधिक प्रतिदाय के कारण हुई।
- 'सड़क एवं सेतु' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लघु शीर्ष-102 'सड़कों पर पथकर' (₹ 14.50 करोड़) एवं लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' (₹ 198.86 करोड़) के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

- 'श्रम एवं रोजगार' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत (₹ 716.15 करोड़) अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- वर्ष 2022-23 में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन), आईपीडीएस एवं सौभाग्य योजना (घरेलू एवं अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के कार्य) तथा पुर्नोत्थान योजना में भारत सरकार से प्राप्य/अनुमानित अनुदान की राशि से अधिक धनराशि निर्गत होने के कारण 'उर्जा' शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों के सापेक्ष 88.11 प्रतिशत बढ़ गईं, जो कि गत वर्ष एवं सम्बन्धित वर्ष का शेष था। यद्यपि, वर्ष 2022-23 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन), आईपीडीएस एवं सौभाग्य योजना (घरेलू एवं अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा कार्य) को समाप्त करने के कारण, गत वर्ष के वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष 45.46 प्रतिशत की कमी आई है।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में वर्ष 2022-23 की अवधि में राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व के मध्य व्यापक भिन्नता पायी गयी (सन्दर्भ तालिका 1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यर्थाथ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुति:

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यर्थाथवादी बनाने हेतु अपने बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिए।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का बकाया 31 मार्च 2023 तक ₹ 36,241.90 करोड़ था, जिसमें से ₹ 15,293.15 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक अवधि का था, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तालिका 1.4

राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2023 तक पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर (राज्य माल एवं सेवा कर के अतिरिक्त)	35,081.65	14,910.71	₹ 35,081.65 करोड़ में से, ₹ 9,041.99 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 3,672.98 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र अन्य राज्यों को भेजे गये थे; ₹ 6,845.23 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 2,602.61 करोड़

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2023 तक पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
				की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी; ₹ 8,438.38 करोड़ की वसूली की माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी; एवं ₹ 196.74 करोड़ ट्रान्सपोर्टरों पर बकाया था। शेष ₹ 4,283.72 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
2.	राज्य आबकारी	50.17	43.43	₹ 50.17 करोड़ में से, ₹ 16.24 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 12.52 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 7.96 करोड़ की वसूली की माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी। शेष ₹ 13.45 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	434.51	72.34	₹ 434.51 करोड़ में से, ₹ 129.47 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 87.17 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 16.25 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी। शेष ₹ 201.62 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
4.	वाहनों पर कर	675.57	266.67	₹ 675.57 करोड़ में से, ₹ 349.45 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 2.72 करोड़ की वसूली की माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी। शेष ₹ 323.40 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
5.	अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग	बारम्बर अनुरोध के पश्चात् भी विभाग द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गयी।		
योग		**36,241.90**	**15,293.15**	

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

31 मार्च 2023 तक के बकाया राजस्व का विवरण **चार्ट-1.4** में प्रदर्शित है।

चार्ट-1.4

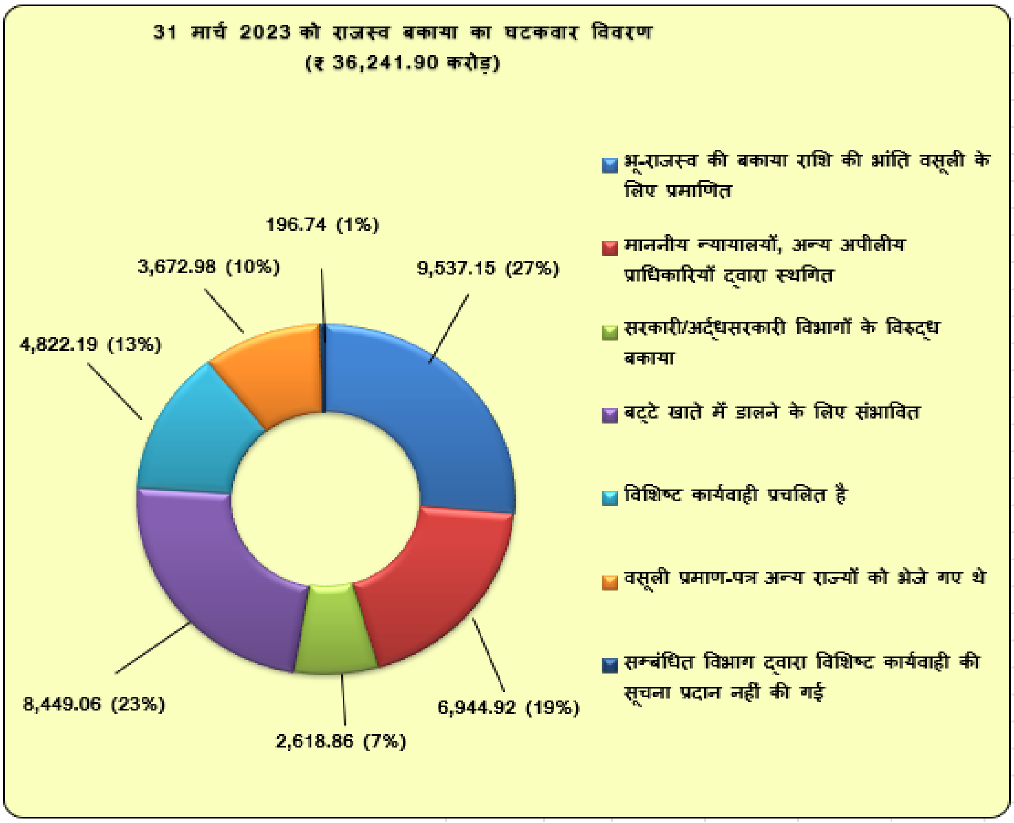

कुल बकाया ₹ 36,241.90 करोड़ की धनराशि में से, ₹ 9,537.15 करोड़ को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था, ₹ 6,944.92 करोड़ माननीय न्यायालयों/अन्य अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्थगित किया गया था, ₹ 2,618.86 करोड़ सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी, ₹ 8,449.06 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था, ₹ 4,822.19 करोड़ के लिए राज्य कर विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं परिवहन विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी तथा अन्य राज्यों को ₹ 3,672.98 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किये गये थे जबकि शेष ₹ 196.74 करोड़ (ट्रान्सपोर्टरों से देय राशि) के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही की सूचना राज्य कर विभाग द्वारा नहीं दी गयी।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन-सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेखित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि०ले०प०) पर, चाहे ऐसे प्रकरण लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण हेतु लिये गए हों अथवा न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग द्वारा जून 1987 में निर्देश निर्गत किये गए थे। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5

क्र. सं.	लेखापरीक्षाा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रतिवेदन में प्रस्तरों एवं नि॰ले॰प॰ की संख्या	प्रस्तरों एवं नि॰ले॰प॰ की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों एवं नि॰ले॰प॰ की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2016	18 मई 2017	25 + 1 नि॰ले॰प॰	00	25 + 1 नि॰ले॰प॰
2	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
3	31 मार्च 2018 (राज्य आबकारी पर पृथक नि॰ले॰प॰)	19 जुलाई 2019	08	08	00
4	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	03	14
5	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	12	11
6	31 मार्च 2020	17 दिसम्बर 2021	18	06	12
7	31 मार्च 2021 (परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)	22 फरवरी 2023	1 नि॰ले॰प॰	00	1 नि॰ले॰प॰
8	31 मार्च 2021	08 अगस्त 2023	14	02	12
9	31 मार्च 2022	01 अगस्त 2024	08	00	08
योग			**128 + 2 नि॰ले॰प॰**	**31**	**97[5]+ 2 नि॰ले॰प॰[6]**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16, 2016-17 के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं (फरवरी 2025 तक) हुई थी, जिन्हें राज्य विधानमण्डल के समक्ष क्रमशः मई 2017, जुलाई 2019, फरवरी 2023 एवं अगस्त 2024 में रखा गया था।

अग्रेतर, वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में, लोक लेखा समिति द्वारा 18 राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 473 प्रस्तरों में से 154 प्रस्तरों पर चर्चा की गयी। विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है।

[5] राज्य कर (24 प्रस्तर), राज्य आबकारी (10 प्रस्तर), परिवहन (19 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबन्धन (11 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (32 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (01 प्रस्तर)।

[6] परिवहन विभाग (02)।

तालिका-1.6

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदनों में प्रस्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रस्तरों की संख्या
1	2018-19	13	384	74
2	2019-20	09	273	33
3	2020-21	01	26	03
4	2021-22	03	118	26
5	2022-23	02	34	06
6	2023-24	05	83	26
योग		**18**[7]	**473**[8]	**154**[9]

वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा किया जाना शेष (फरवरी 2025 तक) है।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत की जाती है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं शासन के संज्ञान में लायी जाती हैं।

राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित सितम्बर 2023 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2024 के अन्त तक 13,461 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 50,202 प्रस्तर लम्बित थे। विभाग-वार विवरण **तालिका-1.7** में दिया गया है।

---

[7] एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पृथक-पृथक वर्षों में कई बार चर्चा की गयी थी, इसलिये इसे एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन माना गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 18 प्रतिवेदनों पर चर्चा की गयी है।

[8] इसी प्रकार, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 473 प्रस्तर थे, जिनमें से 154 प्रस्तरों पर वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में चर्चा की गयी है।

[9] इसी प्रकार, वर्ष 2000-01 (02), 2001-02 (23), 2002-03 (21), 2003-04 (03), 2004-05 (05), 2005-06 (02), 2006-07 (03), 2007-08 (04), 2008-09 (04), 2009-10 (01), 2010-11 (02), 2011-12 (29), 2012-13 (19), 2013-14 (17), 2018-19 (03), स्टैंड अलोन प्रतिवेदन (08), 2019-20 (06) एवं 2020-21 (02) से सम्बन्धित 154 प्रस्तरों पर चर्चा की गयी है।

तालिका-1.7

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि०प्रति० की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या
1	राज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,362	27,273
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,264	2,373
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,448	8,060
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	4,057	10,704
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग	330	1,792
	योग		**13,461**	**50,202**

निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2023-24 की अवधि में निर्गत किये गये कुल 211 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से, लेखापरीक्षा को (मई 2025 तक) 21 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से छः सप्ताह के बाद प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 में निर्गत शेष 190 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रकरण में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण प्रतिवेदनों का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख, प्रतिवेदित किये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संज्ञान लेने एवं इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमितताएं वर्ष-प्रति-वर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं, फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य ज़मीनी स्तर पर परिलक्षित नहीं हैं। इससे लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता प्रतिकूलतः प्रभावित हुई।

संस्तुति:

विभागीय अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदनों पर त्वरित प्रतिक्रिया दें एवं सुधारात्मक कार्यवाही करें, यह सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकार को एक तन्त्र विकसित करना चाहिए।

1.6 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष में सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2023-24 में लेखापरीक्षा द्वारा राज्य सरकार के पाँच विभागों[10] को समाविष्ट करते हुए माल एवं सेवा कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, खनन प्राप्तियाँ, राज्य आबकारी एवं वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर से सम्बन्धित 1,490 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 162 (10.87 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2022-23 में इन पाँच विभागों में, ₹ 1,71,275.98 करोड़ का राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 162

[10] राज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 46,153.44 करोड़ का राजस्व संग्रहीत किया गया। 162 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी, जिससे 1,40,892 मामलों (3,63,742 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल मिलाकर ₹ 1,906.75 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था। सम्बन्धित विभागों द्वारा (अप्रैल 2023 एवं नवम्बर 2024 के मध्य) 84 मामलों में (विगत वर्षों में इंगित किये गये प्रकरणों सहित) ₹ 1.49 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया एवं 84 मामलों में ₹ 1.49 की वसूली किये जाने की सूचना दी गयी।

संस्तुति:

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की विभागों द्वारा वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु, राज्य सरकार द्वारा एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

1.7 इस प्रतिवेदन के अध्याय-II का आच्छादन

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में 'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के छः प्रस्तर सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 26.90 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा ₹ 1.53 करोड़ की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया गया एवं ₹ 0.30 करोड़ की धनराशि की वसूली किये जाने की सूचना दी गयी। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (मई 2025)।

संस्तुति:

इंगित की गयी त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिये शासन/विभाग द्वारा सभी इकाईयों की गहन जाँच की जा सकती है कि क्या ऐसी त्रुटियाँ/चूकें अन्यत्र भी घटित हुई हैं, यदि हाँ, तो उन्हें सुधारा जाए एवं ऐसी त्रुटियों/चूकों से बचाव हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

अध्याय-II

वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-II

वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

वित्त विभाग

2.1 'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' से सम्बन्धित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है। यह एक व्यापक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली है जिसका उद्देश्य वित्तीय नियोजन एवं व्यय नियन्त्रण में दक्षता लाना है।

उत्तर प्रदेश में कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण 1994-95 में प्रारम्भ किया गया था एवं 2022 के अन्त तक सभी कोषागार कम्प्यूटरीकृत हो गए जिसमें डेटा व एप्लीकेशन सर्वर कोषागार स्तर पर स्थापित थे। वर्ष 2013-14 में, एनईजीपी की मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अन्तर्गत आईएफएमएस के साथ पुरानी प्रणाली का नवीनीकरण प्रारम्भ किया गया था, जिसमें सूचना के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच एक केन्द्रीय सर्वर स्थापित करने एवं कोषागार सेवाओं के एकीकरण की परिकल्पना की गई थी। इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की सहायता से ₹ 34.22 करोड़ की लागत से उच्चीकृत किया गया जबकि स्वीकृत लागत ₹ 44.56 करोड़ थी।

तालिका-2.1

2018-2024 की अवधि के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से किए गए संव्यवहारों का सारांश

वर्ष	संव्यवहारों की संख्या	संव्यवहारों का मूल्य (₹ करोड़ में)
2018-19	22,20,424	3,02,046.88
2019-20	22,57,365	3,74,096.90
2020-21	20,45,902	2,90,972.29
2021-22	21,96,161	3,43,419.58
2022-23	22,85,974	4,41,617.98
2023-24	23,19,845	5,06,088.84

स्रोतः आईएफएमएस डेटा

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) वित्त विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जबकि विभागीय स्तर पर, कोषागार निदेशक सीधे वित्त विभाग के नियन्त्रण में कार्य करते हैं तथा कोषागारों के कार्यों की निगरानी एवं उनके संचालन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं। निदेशक की सहायता 17 मण्डलीय कार्यालयों में संयुक्त निदेशकों/अपर निदेशकों द्वारा की जाती है। मुख्य कोषागार अधिकारी (सीटीओ) या वरिष्ठ कोषागार अधिकारी (एसटीओ) जिला स्तर पर

जिला कोषागार का प्रमुख होता है तथा उनके कर्तब्य निर्वहन में लेखाकारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जनपदों में, कोषागार जिलाधिकारी के सीधे नियन्त्रण में कार्य करते हैं।

राज्य में कुल 82 कोषागार हैं जिनमें से 75 कोषागार मण्डल/जिला स्तर पर एवं 7 शासन/मुख्यालय स्तर पर हैं[1]। कोषागारों को अपने मासिक खाते एवं अन्य निर्धारित विवरणियाँ, महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती हैं।

चार्ट-2.1

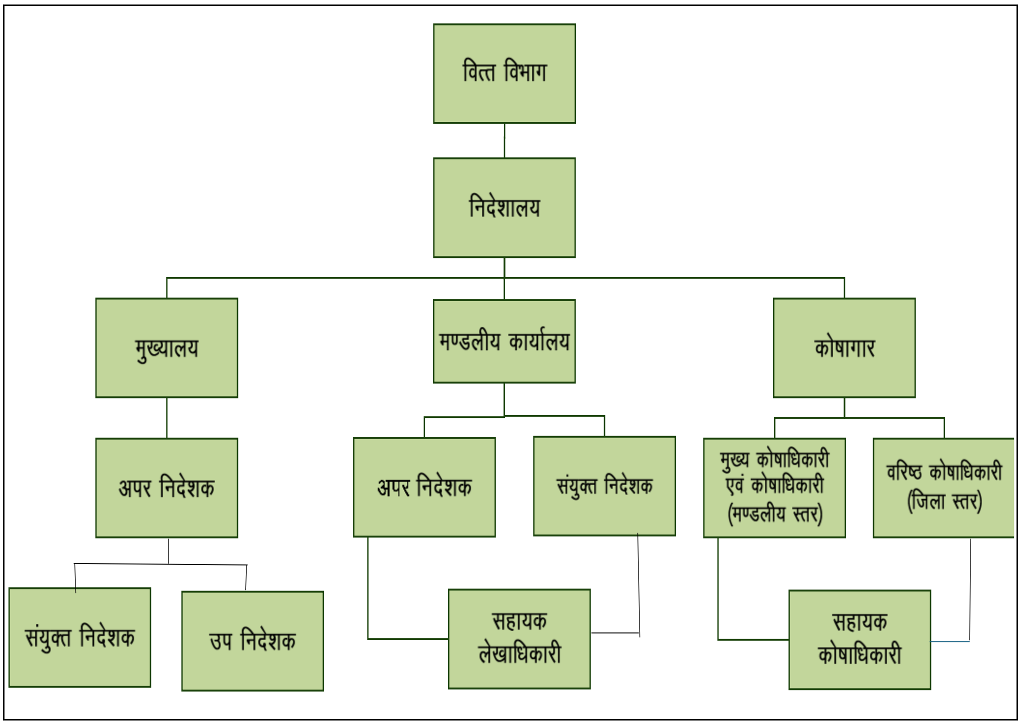

2.1.3 आईएफएमएस के अन्तर्गत एप्लीकेशन एवं मॉड्यूल

एप्लीकेशन्स एवं मॉड्यूल एनआईसी के परामर्श से विकसित किए गए थे एवं इसका दिन-प्रतिदिन का संचालन, रखरखाव एवं परिवर्तन प्रबन्धन एनआईसी के तकनीकी मार्गदर्शन में आउटसोर्स जनशक्ति की सहायता से कोषागार निदेशालय द्वारा किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफआरएस) के अनुसार, 08 एप्लीकेशन्स[2] हैं जिनके अन्तर्गत आईएफएमएस में 22 मॉड्यूल विकसित किए जाने थे। 22 मॉड्यूल में से, वर्तमान में (दिसम्बर 2024) 16 मॉड्यूल सक्रिय हैं। विवरण निम्नानुसार हैः

---

[1] विधान सभा, विधान परिषद, आईआरएलए चेक एवं राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यालय स्तर पर- लखनऊ में जवाहर भवन, कोषागार प्रयागराज में सिविल लाइंस कोषागार एवं नई दिल्ली में वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ)।

[2] डीडीओ पोर्टल, बजट मैनेजमेंट सिस्टम, राजकोष, ई-पेंशन सिस्टम, ई-कुबेर फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जीएसटी मॉनिटरिंग सिस्टम, कोष एमपीआर एवं कोषागार (सीटीएस)।

तालिका-2.2

क्र. सं.	मॉड्यूल	मॉड्यूल से सम्बन्धित एप्लीकेशन्स के नाम	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	सभी संव्यवहारों/तत्वों/संस्थाओं की लिस्टिंग एवं यूनिफॉर्म कोडिंग	बजट आवंटन	सक्रिय
2.	बजट मॉड्यूल	बजट आवंटन प्रणाली	सक्रिय
3.	स्वीकृति या आवंटन मॉड्यूल	बजट आवंटन प्रणाली	सक्रिय
4.	ई-बिलिंग मॉड्यूल	डीडीओ पोर्टल	सक्रिय
5.	ट्रेजरी बिल पासिंग मॉड्यूल	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
6.	ई-भुगतान मॉड्यूल	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
7.	ऑनलाइन रसीद मॉड्यूल	राजकोष	सक्रिय
8.	ट्रेजरी मॉड्यूल	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
9.	जीपीएफ एवं ऋण मॉड्यूल (जीपीएफ/ऋण की अनुसूचियां)	डीडीओ पोर्टल	सक्रिय
10.	कार्य एवं वन मॉड्यूल	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
11.	मासिक लेखा तैयार करने हेतु	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
12.	समाधान प्रक्रिया	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
13.	निक्षेप खाते	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
14.	ऋण प्रबंधन मॉड्यूल	-	अक्रियाशील
15.	लॉन्ग टर्म एडवांस मॉड्यूल	ट्रेजरी (सीटीएस)	अक्रियाशील
16.	अन्तर-राज्य संव्यवहार मॉड्यूल (खाता वर्तमान)	-	अक्रियाशील
17.	जीपीएफ मॉड्यूल	डीडीओ पोर्टल	अक्रियाशील
18.	महालेखाकार प्राधिकार मॉड्यूल	ट्रेजरी (सीटीएस)	अक्रियाशील
19.	लेखापरीक्षा मॉड्यूल	-	अक्रियाशील
20.	पेंशनरों का डेटाबेस	ट्रेजरी (सीटीएस)	सक्रिय
21.	एमआईएस रिपोर्ट	कोषवाणी	सक्रिय
22.	डेटा भण्डारण	सेंट्रल सर्वर	सक्रिय

उपर्युक्त 22 माडयूलों में से, पाँच मॉड्यूल क्रमशः बजट मॉड्यूल, ई-बिलिंग मॉड्यूल, कोषागार बिल पासिंग मॉड्यूल, कोषागार मॉड्यूल एवं ई-पेमेंट मॉड्यूल को इस सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में जाँच के लिए चयनित किया गया था। इन चयनित मॉड्यूल के कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) बजट मॉड्यूल

शासन द्वारा पारित मूल एवं अनुपूरक बजट तथा पुनर्विनियोजन आदेश इस मॉड्यूल में लोड किए जाते हैं। सरकारी स्तर पर प्रशासनिक विभागों से विभाग में बजट नियन्त्रण अधिकारियों (बीसीओ) को एवं फिर बीसीओ से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निधियों के आवंटन एवं स्वीकृति आदेश जारी करने की प्रक्रियाएं इस मॉड्यूल के माध्यम से की जाती हैं।

(ii) ई-बिलिंग मॉड्यूल

इस मॉड्यूल (डीडीओ पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है) का उपयोग लाभार्थी प्रबन्धन के लिए, बिल तैयार करने एवं टोकन नम्बर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस मॉड्यूल का उपयोग डीडीओ द्वारा भुगतान के लिए कोषागार को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों (कर्मचारियों एवं अन्य लाभार्थियों) को

तैयार करने, वैधता प्रमाणित करने तथा भुगतान हेतु कोषागारों को अग्रसारित किये जाने के लिये किया जाता है।

(iii) ट्रेजरी बिल पासिंग मॉड्यूल

इस मॉड्यूल (जिसे सीटीएस पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है) का उपयोग कोषागारों द्वारा बिलों को पारित करने, बजट नियन्त्रण एवं मानक मद स्तर तक खातों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इस मॉड्यूल के माध्यम से तैयार किए गए मासिक खाते महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाते हैं।

(iv) ट्रेजरी मॉड्यूल

यह मॉड्यूल कोषागार द्वारा अभिगम नियन्त्रण एवं उपयोगकर्ता प्रबन्धन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(v) ई-भुगतान मॉड्यूल

इस मॉड्यूल का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। विफल संव्यवहार, यदि कोई हो, भी इस मॉड्यूल के माध्यम से प्रबन्धित किए जाते हैं।

चार्ट-2.2

आईएफएमएस का प्रक्रिया प्रवाह

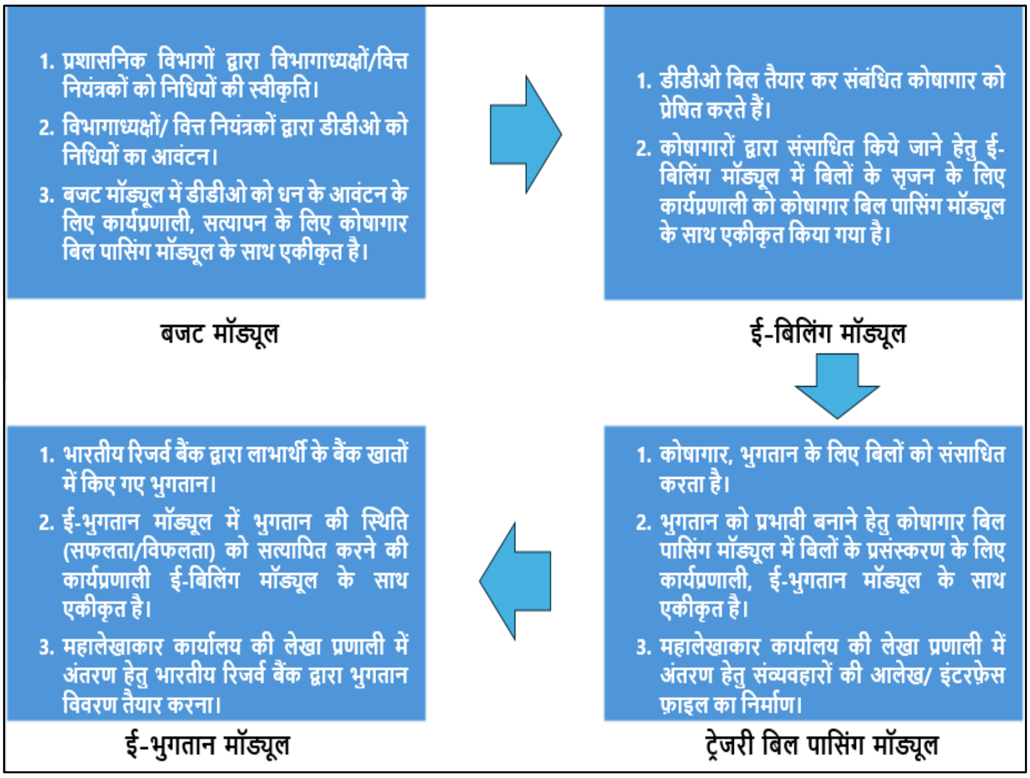

2.1.4. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा यह जाँचने के लिए आयोजित किया गया था कि क्याः

- आईएफएमएस के कार्यान्वयन के दौरान बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग की गई है;
- आईएफएमएस में आवश्यक कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण लागू किए गए हैं;
- आईएफएमएस के माड्यूल्स के मध्य आवश्यक एकीकरण लागू किया गया है; एवं
- आईएफएमएस के लिए सामान्य नियन्त्रण- संचालन प्रणाली, उपयोगकर्ता पहुँच प्रबन्धन, कार्य निरन्तरता प्रबन्धन एवं सूचना सुरक्षा प्रबन्धन लागू किए गए हैं।

2.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा हेतु 2018-19 से 2023-24 तक की अवधि एवं आईएफएमएस के 16 सक्रिय मॉड्यूल में से पाँच को चुना गया। 82 कोषागारों में से दस[3] कोषागार एवं एक शासन स्तर के कोषागार[4] का चयन किया गया था। चयनित कोषागार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत चार विभागों[5] के डीडीओ को अन्तर्निहित अभिलेखों की विस्तृत जाँच के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा ने कोषागार निदेशालय में आईएफएमएस के विकास एवं कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तावेजों की भी जाँच की।

2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए डेटा कोषागार निदेशालय से प्राप्त किया गया था एवं कम्प्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीकों (सीएएटी) का उपयोग करके इसका विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने हेतु 08 नवम्बर 2023 को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं कोषागार निदेशालय के साथ प्रारम्भिक बैठक आयोजित की गयी।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं उस पर शासन के विचारों पर चर्चा करने हेतु 31 दिसम्बर 2024 को उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के साथ समापन बैठक आयोजित की गयी। समापन बैठक में शासन से प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

2.1.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

इस सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा हेतु जिन मापदण्डों को आधार बनाया गया था, उनका विवरण निम्नवत् है-

---

[3] बलरामपुर, बदायूं, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, लखनऊ कलेक्ट्रेट, मीरजापुर, मुरादाबाद, सोनभद्र एवं वाराणसी।

[4] विधानसभा कोषागार।

[5] उत्तर प्रदेश का वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं परिवहन विभाग।

- उत्तर प्रदेश कोषागार नियमावली, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका।
- आईएफएमएस से सम्बन्धित अभिलेख।
- अधिनियमों एवं नियमावली के विद्यमान प्रावधान, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस नीति, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक एवं दिशानिर्देश तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कार्यकारी निर्देश।

2.1.7 लेखापरीक्षा की सीमाएं

लेखापरीक्षा द्वारा कोषागार निदेशालय से माँगे गए आँकड़ों एवं प्रणाली सम्बन्धी अभिलेख की पूर्ण सूची प्रस्तुत नहीं की गयी।

प्रस्तुत नहीं किए गए प्रमुख अभिलेखों में सिस्टम आवश्यकताएँ विशिष्टता (एसआरएस), उपयोगकर्ता आवश्यकताएँ विनिर्देश (यूआरएस), परिवर्तन नियन्त्रण नोट्स एवं सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं। इन परिस्थितियों के कारण, लेखापरीक्षा यह पुष्टि करने में असमर्थ था कि आईएफएमएस के कार्यान्वयन में इन पहलुओं से सम्बन्धित सामान्य नियन्त्रण अपनाए गए थे।

प्रस्तुत नहीं किए गए आँकड़ों में मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक एवं कोषागार के मध्य समाधान विवरण सम्मिलित थे। इन परिस्थितियों के कारण, लेखापरीक्षा यह पुष्टि करने में असमर्थ था कि इन कार्य-प्रक्रियाओं को आईएफएमएस में सही ढंग से मैप किया गया था एवं वे अपेक्षित रूप से कार्य कर रहे थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.8 सामान्य नियन्त्रण

किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से सक्षम सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए आईटी सामान्य नियन्त्रण को अपनाना महत्वपूर्ण है। आईएफएमएस जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की सूचना प्रणाली के लिए, यह आवश्यक है कि डोमेन से सम्बन्धित सामान्य नियन्त्रण जैसे कि संचालन प्रणाली, नीतियों का निर्माण, कार्य प्रक्रिया पुर्नरचना, कार्य निरन्तरता एवं आपदा रिकवरी प्रबन्धन, सूचना सुरक्षा प्रबन्धन, उपयोगकर्ता पहुँच प्रबन्धन एवं सॉफ्टवेयर विक्रेता के साथ अनुबन्ध प्रबन्धन लागू किया गया था। इन सामान्य नियन्त्रणों की आवश्यकता आईएफएमएस के विकास, संचालन, प्रबन्धन व रखरखाव के वातावरण को स्थापित करने के लिए थी।

सामान्य आईटी नियन्त्रणों को अपनाने एवं पर्याप्तता की जाँच के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं।

2.1.8.1 आईटी संचालन समिति का गठन न किया जाना

आईटी संचालन समिति एक शासी संरचना है जो एक संगठन में आईटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निरीक्षण एवं नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी

है। इसमें वरिष्ठ प्रबन्धन एवं अन्य हितधारकों के प्रमुख निर्णायक सम्मिलित हैं एवं इसका उद्देश्य जोखिम प्रबन्धन, निगरानी एवं आईटी गवर्नेंस के उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

आईएफएमएस परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए शासकीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-15 से उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2024) कि आईएफएमएस के कार्यान्वयन एवं आगे के विकास की देखरेख के लिए अब एक आईटी संचालन समिति का गठन (अक्टूबर 2024) किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि आईटी संचालन समिति का गठन 10 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त किया गया।

2.1.8.2 आईएफएमएस के लिए प्रमुख आईटी नीतियों का अभाव

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति एक संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग, प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए दिशानिर्देशों, नियमों एवं प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। यह स्थिरता सुनिश्चित करती है, एवं आईटी परियोजना के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य-व्यवहार का मार्गदर्शन करती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएफएमएस के कार्यान्वयन (2014-15) के 10 से अधिक वर्षों के उपरान्त भी, कर्मियों की आवश्यकताओं, डेटाबेस प्रशासन, प्रशिक्षण एवं सहायता सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर निर्णय लेने के मार्गदर्शन के लिए औपचारिक एवं प्रलेखित आईटी नीति तैयार नहीं की गई थी। चयनित कोषागारों के स्थलीय निरीक्षण में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई कि प्रमुख नीतियाँ अस्तित्व में नहीं थीं। चयनित स्थलीय निरीक्षण में यह भी पुष्ट हुआ कि कोषागार एवं डीडीओ स्तर पर आईएफएमएस के उपयोगकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण भी आयोजित नहीं किया गया था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2024) कि आईएफएमएस का विकास एनआईसी की राज्य इकाई के सक्रिय समर्थन से हुआ है एवं यह निष्कर्ष निकालना यथार्थवादी नहीं होगा कि आईटी वातावरण में काम करने की पूर्वा-पेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। निदेशालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सूचना सुरक्षा नीति को सभी कोषागारों को ईमेल द्वारा प्रेषित किया गया था। तथापि, निदेशालय द्वारा नीतियों के उचित प्रलेखन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

2.1.8.3 आपदा पुनर्प्राप्ति योजना का अभाव

आपदा पुनर्प्राप्ति योजना एक व्यापक अभिलेख है जो आपदा या बड़े व्यवधान की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य संचालन, प्रणालियों एवं डेटा को बहाल करने के लिए प्रक्रियाओं एवं प्रोटोकाल को रेखांकित करता है। यह कार्य निरन्तरता सुनिश्चित करता है, तथा डाउनटाइम एवं नुकसान को कम करता है।

आईएफएमएस मिशन मोड प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि आपदा पुनर्प्राप्ति एवं कार्य निरन्तरता योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे दीर्घ-अवधि विद्युत आउटेज, बाढ़, भूकम्प, वायरस के हमलों एवं विक्रेता द्वारा आईटी परियोजना को छोड़ने जैसी स्थितियों में भी प्रणाली 24x7x365 आधार पर संचालित रहे।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- स्पष्ट रूप से परिभाषित पुनर्प्राप्ति प्वाइंट ऑब्जेक्टिव एवं पुनर्प्राप्ति टाइम ऑब्जेक्टिव सहित कोई औपचारिक, प्रलेखित कार्य निरन्तरता एवं आपदा पुनर्प्राप्ति योजना नहीं थी।
- 2014-15 में डाटा सेन्टर, स्टेट डाटा सेन्टर, एनआईसी, लखनऊ में स्थापित किया गया था एवं वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, लखनऊ में एक डेटा बैकअप सेन्टर स्थापित किया गया था। इस प्रकार, दोनों, एक ही स्टेशन एवं एक ही भूकम्पीय क्षेत्र में स्थापित किये गए थे।
- कोषागार निदेशालय ने 2014-15 में आरम्भिक अनुमानों में आपदा पुनर्प्राप्ति केन्द्र के प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया था। निदेशालय द्वारा एक पृथक भूकम्पीय क्षेत्र में आपदा पुनर्प्राप्ति केन्द्र स्थापित करने का निर्णय (नवम्बर 2019) लिया गया। भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थापित आपदा पुनर्प्राप्ति केन्द्र जुलाई 2023 में क्रियाशील हुआ था। इस प्रकार, आईएफएमएस लगभग नौ वर्षों तक बिना आपदा पुनर्प्राप्ति केन्द्र के संचालित रहा।

औपचारिक, प्रलेखित कार्य निरन्तरता एवं आपदा पुनर्प्राप्ति योजना की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण नियन्त्रण विफलता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पुनर्प्राप्ति प्वाइन्ट ऑब्जेक्टिव, पुनर्प्राप्ति टाइम ऑब्जेक्टिव, आपदाओं की स्थिति में प्रमुख कर्मियों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की परिभाषा एवं आपदा पुनर्प्राप्ति ड्रिल के संचालन की आवृत्ति पर स्पष्टता की कमी के कारण प्रणाली में परिहार्य जोखिम थे।

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि लिखित कार्य निरन्तरता योजना नहीं बनाई गई है एवं शीघ्र ही बना ली जाएगी।

2.1.8.4 आईएफएमएस के कार्यान्वयन के लिए परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण ₹ 20.06 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की हानि

आईएफएमएस मिशन मोड प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार से परियोजना लागत के 75 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। केन्द्रांश, तीन किश्तों में

नामित राज्य एजेंसी को निर्गत किया जाना था-परियोजना की योजना के अनुमोदन पर 40 प्रतिशत, प्रथम लक्ष्य प्राप्त करने के बाद 30 प्रतिशत एवं द्वितीय[6] लक्ष्य प्राप्त करने के बाद शेष 30 प्रतिशत[7]।

आईएफएमएस परियोजना की अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 44.56 करोड़ थी एवं इस आधार पर राज्य नामित एजेंसी को निर्गत किया जाने वाला केन्द्रांश ₹ 33.42 करोड़ था। केन्द्र सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की पहली किश्त अर्थात ₹ 13.36 करोड़ (मार्च 2013 में ₹ 12.29 करोड़ एवं जून 2014 में ₹ 1.07 करोड़) निर्गत की गई थी। परन्तु, परियोजना के निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण ₹ 20.06 करोड़ की द्वितीय एवं तृतीय किश्त निर्गत नहीं (दिसम्बर 2024 तक) की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- मिशन मोड प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 82 में प्रावधान है कि 'निधियों को केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्गत किया जाएगा बशर्ते कि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संतोषजनक प्राप्ति हो'। केन्द्र सरकार से पहली किश्त के रूप में निर्गत राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
- आईएफएमएस परियोजना के सम्बन्ध में पहले एवं दूसरे चरण के निर्दिष्ट लक्ष्य की उपलब्धि के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत या उपलब्ध नहीं कराया गया।
- आईएफएमएस के कार्यान्वयन के दौरान केन्द्र सरकार की कार्यक्रम संचालन समिति से प्राप्त सलाह/सुझावों (दिसम्बर, 2012)[8] का अनुपालन नहीं किया गया था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि पहले एवं दूसरे चरण का निर्दिष्ट लक्ष्य वास्तव में प्राप्त कर लिया गया था एवं केन्द्रीय सहायता की दूसरी एवं तीसरी किश्त निर्गत करने के लिए एक पत्र वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निदेशालय ने केन्द्र सरकार से पहली किश्त के रूप में प्राप्त राशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, जो अनुवर्ती किश्तों को निर्गत करने के लिए एक पूर्वा-पेक्षा थी एवं अनुवर्ती लक्ष्यों की प्राप्ति के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

---

[6] पूर्व में निर्गत राशि का उपयोग, हार्डवेयर की खरीद/उन्नयन, सॉफ्टवेयर की खरीद/विकास, कार्य प्रक्रिया की पुर्नरचना अभ्यास की पूर्णता, जिला कोषागारों एवं राज्य वित्त विभाग के मध्य ई-कनेक्टिविटी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रारम्भ।

[7] पूर्व में निर्गत राशि का उपयोग, संहिता संशोधन प्रक्रिया को पूर्ण करना, भारतीय रिर्जव बैंक, महालेखाकार, लेखा महानियंत्रक एवं एजेंसी बैंकों के साथ प्रदर्शित सम्पर्क, आईएफएमएस के सभी माडयूलों का प्रचालन।

[8] कार्यक्रम संचालन समिति, विभिन्न राज्यों से कोषागार कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एक समिति थी।

2.1.8.5 आईएफएमएस सॉफ्टवेयर के लिए वार्षिक तकनीकी सहायता के प्रबन्धन में कमियाँ

आईएफएमएस मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर निदेशालय द्वारा क्रय किये जाने थे। ओरेकल साफ्टवेयर को लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित डेटा सेंटर तथा डेटा बैक-अप सेंटर में क्रय कर स्थापित किया गया। यह सॉफ्टवेयर जुलाई, 2013 में एक वर्ष (जुलाई, 2014) की समर्थन अवधि के साथ खरीदा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा आईएफएमएस सॉफ्टवेयर के लिए वार्षिक तकनीकी सहायता के प्रबन्धन के महत्वपूर्ण कार्य की समीक्षा की गयी एवं निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं-

- वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबंध की समाप्ति के तीन माह के पश्चात् नवम्बर 2014 में, मैसर्स टीसीएस ने एक वर्ष के लिए ₹ 1.21 करोड़ की लागत से ओरेकल सॉफ्टवेयर के वार्षिक तकनीकी सहायता के नवीनीकरण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव पर निदेशालय द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।
- निदेशालय द्वारा यूपीडेस्को लिमिटेड (राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) को 31.07.2014 से 30.07.2016 की अवधि के लिए ₹ 2.69 करोड़ की लागत पर वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबन्ध (मार्च 2016) किया गया। मैसर्स टीसीएस के साथ प्रारम्भिक वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबन्ध की समाप्ति (जुलाई 2014) के 19 माह पश्चात् वार्षिक तकनीकी सहायता का अनुबन्ध किया गया था। यूपीडेस्को ने मई 2016 में इस कार्य के लिए मेसर्स इम्पल्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹ 2.54 करोड़ की लागत का उप-अनुबन्ध किया।
- यूपीडेस्को के साथ दूसरे वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबन्ध की समाप्ति (जुलाई 2016) के सात महीने व्यतीय होने के पश्चात, निदेशालय द्वारा 31.07.2016 से 30.11.2018 की अवधि के लिए ₹ 3.30 करोड़ की लागत का वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबन्ध (मार्च 2017) यूपीडेस्को के साथ पुनः किया गया। इसके बाद यूपीडेस्को ने पुनः इस कार्य को ₹ 3.15 करोड़ में मैसर्स इम्पल्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड को उप-अनुबन्ध किया। इस प्रकार, निदेशालय ने 28 महीने के सहायता के लिए भुगतान किया लेकिन केवल 20 महीने की वास्तविक सहायता प्राप्त किया।
- उपरोक्त परिस्थितियों में अगस्त 2014 से मार्च 2016 एवं अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि में आईएफएमएस प्रणाली बिना किसी औपचारिक वार्षिक तकनीकी सहायता के संचालित रही जिसमें प्रतिकूल घटनाओं का खतरा था, जिसे टाला जा सकता था।

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि ओरेकल सॉफ्टवेयर लाइसेंस शर्तों के अनुसार, वार्षिक तकनीकी सहायता को बीच में बिना किसी

बाधा के निरन्तर आधार पर होना चाहिए एवं यदि वार्षिक तकनीकी सहायता का नवीनीकरण अन्तराल के साथ किया जाता है तो निदेशालय जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी था।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2024) कि ओरेकल द्वारा वार्षिक तकनीकी सहायता के समर्थन में ईमेल लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया था, लेकिन उक्त ईमेल अक्टूबर 2024 से सम्बन्धित है एवं इसके अतिरिक्त विलम्बित वार्षिक तकनीकी सहायता अवधि के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था/समझौता अभिलेखों में नहीं पाया गया।

निदेशालय का उत्तर स्वयं में वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबन्धों के समय पर नवीनीकरण के महत्व को दर्शाता है एवं इस तथ्य को दर्शाता है कि नवीनीकरण में विलम्ब से बचा जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स यूपीडेस्को अथवा मैसर्स इम्पल्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था कि वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबन्धों की अन्तराल अवधि के दौरान अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए वे वास्तव में उत्तरदायी थे, क्योंकि हस्ताक्षरित वार्षिक तकनीकी सहायता अनुबन्धों में पूर्वव्यापी आधार पर पिछली अवधियाँ सम्मिलित थीं।

2.1.8.6 आईएफएमएस के अक्रियाशील मॉड्यूल

आईएफएमएस परियोजना का कार्यान्वयन 2013-14 में प्रारम्भ हुआ था एवं इसे दो वर्ष के भीतर पूर्णरूपेण कार्यान्वित होना था।

परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2024 तक निम्नलिखित मॉड्यूल अभी तक क्रियाशील नहीं थेः

- ऋण प्रबन्धन मॉड्यूल,
- दीर्घ कालीन अग्रिम मॉड्यूल,
- अन्तर्राज्यीय संव्यवहार मॉड्यूल,
- सामान्य भविष्यि निधि मॉड्यूल,
- महालेखाकार प्राधिकार मॉड्यूल एवं
- लेखापरीक्षा मॉड्यूल।

मूल रूप से नियोजित सभी माड्यूलों के विकसित न होने/क्रियान्वित न होने के कारण, आईएफएमएस के अभीष्ट लाभ पूर्ण रूप से अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

अग्रेतर, निदेशालय द्वारा अक्रियाशील माड्यूलों हेतु 'गो-लाइव' के लिए संशोधित निर्धारित तिथियाँ नियत नहीं की गईं। यह, परियोजना प्रबन्धन एवं कार्यान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण में आन्तरिक नियन्त्रण की प्रमुख कमी को दर्शाता है।

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि शेष मॉड्यूल के कार्यान्वयन पर निर्णय महालेखाकार कार्यालय एवं शासन के परामर्श से लिया जाएगा।

2.1.8.7 लाभर्थियों के आधार सीडिंग के लिए आईएफएमएस में कार्यप्रणाली का अभाव

आधार समर्थित प्रमाणीकरण एवं भुगतान अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, द्वैधता से बचाव करते हैं एवं सरकारी योजनाओं के लिए ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान करते हैं। कोषागार कम्प्यूटरीकरण पर केन्द्र सरकार की कार्यक्रम संचालन समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी (दिसम्बर 2012) कि विभिन्न राज्यों में आईएफएमएस में लाभार्थियों की आधार सीडिंग की अनुवर्ती कार्यप्रणाली होनी चाहिए।

परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में आईएफएमएस को भुगतान किये जाने वाले लाभार्थियों की आधार संख्याओं की प्रविष्टि/सीडिंग किये जाने की कार्यप्रणाली के बिना विकसित किया गया था। यह आईएफएमएस में एक प्रमुख आन्तरिक नियन्त्रण विफलता को इंगित करता है। इस कार्यप्रणाली की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा द्वारा आईएफएमएस डेटाबेस में लाभार्थियों को द्वैध भुगतान के प्रकरण पाये गये (जैसा कि **प्रस्तर 2.1.9.16** में चर्चा की गई है)।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में अवगत कराया गया कि आईएफएमएस में आधार नम्बरों की फीडिंग की संरचना है एवं आधार नम्बर का अनिवार्य उपयोग शासन की पूर्व स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा।

2.1.8.8 लाभार्थियों के मोबाइल नम्बरों के पंजीकरण एवं मोबाइल नम्बरों के माध्यम से सेवा प्रदाय हेतु आईएफएमएस में कार्यप्रणाली का अभाव

सरकारी योजना के लाभार्थियों के मोबाइल नम्बरों के पंजीकरण एवं आईएफएमएस के माध्यम से मोबाइल नम्बर आधारित सेवा प्रदान करने (जैसे एसएमएस, यूएसएसडी, आईवीआरएस मोड) की योजना बनाई गई थी, ताकि लाभार्थियों के साथ त्वरित, व्यक्तिगत एवं सहभागितापूर्ण संचार को सक्षम बनाया जा सके। केन्द्र सरकार की कार्यक्रम संचालन समिति ने भी यही अनुशंसा की थी। राज्य सरकार को मोबाइल सेवा गेट-वे के कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय करने की आवश्यकता थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों के वैध एवं विशिष्ट मोबाइल नम्बरों के पंजीकरण एवं मोबाइल नम्बर आधारित सेवा प्रदान करने की कार्यप्रणालियों को आईएफएमएस में कार्यान्वित नहीं किया गया है। लाभार्थियों के मोबाइल नम्बरों को अंकित करने के लिए डेटा फील्ड को न तो अनिवार्य किया गया था एवं न ही अंकित किए गए मोबाइल नम्बरों की वैधता एवं विशिष्टता को लागू करने के लिए एप्लिकेशन नियन्त्रण लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा में, आईएफएमएस में लाभार्थी डेटाबेस में अमान्य मोबाइल नम्बरों के उद्धरण पाये गये।

उत्तर में शासन द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि लाभार्थी प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ मोबाइल नम्बर सहित सभी आवश्यक फील्ड के साथ लाभार्थी पंजीकरण किया जाएगा।

2.1.8.9 आईएफएमएस में उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन में कमियाँ

उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन में ऐसे नियंत्रण सम्मिलित होते हैं जो विभिन्न भूमिकाओं वाले उपयोगकर्ताओं को आँकड़ों तक पहुँच तथा संशोधन क्षमता को नियमित करते हैं। इन नियन्त्रणों को डिजाइन एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही डेटा को पढ़ एवं संशोधित कर सकें एवं प्रणाली द्वारा कर्तव्यों का पृथक्करण लागू किया जा सके।

(i) बहु-कारक प्रमाणीकरण का अभाव

बहु-कारक प्रमाणीकरण एक सुरक्षा तन्त्र है जिसके लिए उपयोगकर्ता को प्रणाली, नेटवर्क या एप्लिकेशन तक पहुँचने के लिए दो या अधिक प्रमाणीकरण कारक प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह पारम्परिक एकल कारक (उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड) प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जिसमें एक या अधिक स्वतन्त्र कारकों (जैसे मोबाइल/ईमेल आधारित वन टाइम पासवर्ड या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) को भी दर्ज करने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार अनाधिकृत पहुँच के कारण उजागर पासवर्ड के जोखिम को कम किया जाता है जिससे अनाधिकृत पहुँच रोकी जा सकती है।

भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) की सूचना सुरक्षा पद्धतियों सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सरकारी संगठन को अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की सूचना प्रणालियों के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण कार्यान्वित करना चाहिए। आईएफएमएस राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन परियोजना है क्योंकि आईटी में सार्वजनिक धन की वित्तीय मंजूरी, आवंटन एवं व्यय सम्मिलित है एवं इसलिए, अनाधिकृत पहुँच के जोखिम को कम करने के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण एक महत्वपूर्ण नियन्त्रण है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएफएमएस के लिए मोबाइल/ईमेल/ओटीपी या बायोमेट्रिक आधारित पहुँच के माध्यम से बहु-कारक प्रमाणीकरण कार्यान्वित नहीं किया गया था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि कोषागार मॉड्यूल के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है एवं इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

(ii) उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन के लिए नियन्त्रणों में कमियाँ

- डीडीओ उपयोगकर्ता के अन्तर्गत संव्यवहार ऑपरेटर, ऑपरेटर बिल प्रविष्टि एवं ऑपरेटर पेंशन की भूमिकाओं वाले अन्य उपयोगकर्ता बनाए जा सकते

हैं। संव्यवहार ऑपरेटर, लाभार्थी विवरण बनाने/अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है एवं ऑपरेटर बिल प्रविष्टि, बिल विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। कर्तव्यों के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए इन दो भूमिकाओं को एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जो एक महत्वपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण है। यद्यपि, एक ही उपयोगकर्ता को इन दोनों भूमिकाओं को सौंपने से रोकने के लिए आईएफएमएस में कोई एप्लीकेशन नियन्त्रण नहीं हैं, जिसमें वह उपयोगकर्ता भी सम्मिलित हो सकते हैं जो संविदाकर्मी हों।

- आईएफएमएस के पास मास्टर डेटा में स्थानांतरित या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपयोगकर्ता के रूप में निष्क्रिय करने के लिए कोई एप्लीकेशन नियन्त्रण नहीं है। इन एप्लिकेशन नियन्त्रणों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा एकल कारक लॉगिन क्रेडेंशियल के कारण प्रणाली में अनाधिकृत पहुँच का परिहार्य जोखिम हो सकता है।

दृष्टांत

डीडीओ कोड- 4257, गोरखपुर चिड़ियाघर, वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत एक ऑपरेटर (ऑपरेटर आईडी-32666) 31.07.2023 को सेवानिवृत्त हुए। किसी अन्य उपयोगकर्ता को इस ऑपरेटर आईडी को औपचारिक रूप से पुनः सौंपा नहीं गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2023 से मार्च 2024 की अवधि में उसी ऑपरेटर आईडी का उपयोग करके संव्यवहार (₹ 5,18,80,384 मूल्य वाली 333 प्रविष्टियाँ) उत्पन्न किए गए थे। यह दुरुपयोग के महत्वपूर्ण जोखिम एवं उत्तरदायित्व के स्पष्ट ट्रेल की कमी को इंगित करता है, यदि ये गैर-अनुपालन उपयोगकर्ता कार्यवाहियाँ, इस ऑपरेटर आईडी का प्रयोग कर, की गयी थीं।

- आईएफएमएस में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रथम लाग-इन के पश्चात् पासवर्ड परिवर्तन को बाध्य करने के लिए नियन्त्रण नहीं है।
- आईएफएमएस में संविदा कर्मियों के लिए आधार संख्या एवं सरकारी कर्मचारी के लिए कर्मचारी आईडी की प्रविष्टि को अनिवार्य नहीं किया है।
- आईएफएमएस के पास विभिन्न प्रणालियों पर एक ही समय में एक ही उपयोगकर्ता लाग-इन क्रेडेंशियल के कई सत्रों के संचालन को रोकने के लिए नियन्त्रण नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने लाग-इन क्रेडेंशियल साझा करने के परिहार्य जोखिम हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा जाँच के लिए उपयोगकर्ता आईडी के सिस्टम लाग प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि स्थानान्तरित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाग-इन को निष्क्रिय करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित डीडीओ का है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा केवल इस तथ्य को उजागर किया गया था कि अनुपालन का दायित्व उपयोगकर्ताओं से प्रणाली में स्थानांतरित नहीं हुआ था। इस प्रणाली में कर्मचारी मास्टर डाटा के सन्दर्भ में कर्तव्यों के पृथक्करण एवं सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित कर्मचारियों को निष्क्रिय करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण होना चाहिए था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि पहले लाग-इन के बाद पासवर्ड अनिवार्यतः बदलने, उपयोगकर्ताओं के लिए सरकारी आईडी/आधार रिकॉर्ड करने एवं एक ही लाग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके कई सत्रों को रोकने के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

2.1.8.10 नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा का अभाव

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार सुरक्षा लेखापरीक्षा, एक सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा प्रत्येक छः माह में एवं जब भी स्रोत कोड में परिवर्तन हो, किया जाना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- नियमित अन्तरालों पर सुरक्षा जाँच नहीं की गई थी। आईएफएमएस की सुरक्षा लेखापरीक्षा में 44 माह से 126 माह तक का अन्तराल था।
- आईएफएमएस के सुरक्षा लेखापरीक्षा का कार्य यूपीडेस्को (जनवरी 2020) को दिया गया था, किन्तु सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सुरक्षा लेखा परीक्षा सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा सम्पादित की गई थी एवं सुरक्षा लेखापरीक्षक के द्वारा अनुशंसित किसी भी कार्यवाही को निदेशालय द्वारा लागू किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, आईएफएमएस में किन्हीं परिवर्तनों/अद्यतनों के प्रकरण में सुरक्षा लेखापरीक्षा की व्यवस्था करने का अनुपालन नहीं किया गया था।

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि आईएफएमएस की नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा करने हेतु एक फर्म को तीन वर्ष के लिए अनुबंधित किया गया है।

अभिलेखों के अभाव यथा सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र तथा अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही के अभाव में लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ रहा कि किसी भी अभिज्ञात सूचना एवं साईबर सुरक्षा जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम किया गया था।

2.1.8.11 निष्कर्ष

आईएफएमएस के लिए अपनाए गए एवं कार्यान्वित आईटी सामान्य नियन्त्रणों में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। प्रबन्धन संरचना का अभाव, औपचारिक रूप से प्रलेखित सूचना प्रौद्योगिकी नीतियाँ, कार्य निरन्तरता एवं आपदा पुनर्प्राप्ति

प्रबन्धन के लिए प्रक्रियाओं पर स्पष्टता की कमी, उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन में कमियाँ, मूल रूप से परिकल्पित कार्यप्रणालियों की कमी एवं नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा के अभाव से पता चलता है कि सामान्य नियन्त्रणों के इन आयामों में सुधार की आवश्यकता है। आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण को कार्यान्वित करने के तरीके पर परिणामी प्रभाव इस अध्याय के अनुवर्ती खण्डों में वर्णित हैं।

2.1.8.12 संस्तुतियाँ

- *अक्टूबर 2024 में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा आईएफएमएस के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने, अकार्यान्वित कार्यप्रणालियों के लिए समयसीमा नियत करने, संभावित जोखिमों का आकलन करने एवं उपयुक्त शमन उपायों की संस्तुति करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।*
- *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कर्मियों की आवश्यकताओं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का क्रय, कार्य निरन्तरता एवं आपदा प्रबन्धन तथा उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन के लिए प्रमुख आईटी नीतियाँ बनायी एवं अपनायी जाएं।*
- *कोषागार निदेशालय, आईटी सामान्य नियंत्रणों में कमियों को दूर करे - जिसमें आधार की सीडिंग की प्रमुख सुविधा का अभाव है एवं ऐसी कमियों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए।*

समापन बैठक में शासन द्वारा लेखापरीक्षा की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

2.1.9 एप्लीकेशन नियन्त्रण

एप्लीकेशन नियन्त्रण, एप्लीकेशन हेतु विशिष्ट आईटी नियन्त्रण हैं जो संगठन के कार्यकारी नियमों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हैं। जब कार्य प्रक्रियाओं को आईटी एप्लीकेशन में मैप किया जाता है, तो एप्लीकेशन नियन्त्रण इनपुट, प्रोसेसिंग एवं आउटपुट नियन्त्रण होते हैं जो उन प्रक्रियाओं के लिए कार्यकारी नियमों को कार्यान्वित करते हैं। ये नियन्त्रण सुनिश्चित करते हैं कि इनपुट डेटा वैध एवं पूर्ण है, इनपुट डेटा का प्रसंस्करण सही ढंग से एवं अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया है एवं आउटपुट डेटा को समयबद्ध रीति से आवश्यक प्रारूपों एवं प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, एप्लिकेशन से पूरी प्रक्रिया अर्थात इनपुट से आउटपुट तक का सही एवं व्यापक अभिलेख संधारित किया जाना प्रत्याशित है।

आईएफएमएस में लागू एप्लीकेशन नियन्त्रणों की जाँच से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा परिणाम अधोलिखित हैं।

2.1.9.1 बजट मॉड्यूल में अपूर्ण कार्यप्रणाली एवं अनुपलब्ध एप्लीकेशन नियन्त्रण

आईएफएमएस मिशन मोड प्रोजेक्ट दिशानिर्देशों में बजट प्रबन्धन के लिए बजट तैयार करने, आवंटन करने एवं पुनरीक्षण सहित एक बजट मॉड्यूल निर्धारित किया गया है। मॉड्यूल से प्रशासनिक विभागों को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार की गई बजट माँगों की समीक्षा करने एवं समेकित करने तथा उनकी अग्रेतर समीक्षा एवं प्रसंस्करण हेतु वित्त विभाग को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जाना था। वित्त विभाग द्वारा विधानमण्डल के समक्ष राज्य सरकार के समग्र बजट को रखने एवं अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, बजट आवंटन की प्रक्रिया को मॉड्यूल के माध्यम से सक्षम किया जाना था। इसके अतिरिक्त, अनुपूरक बजट जारी करना, पुनर्विनियोजन एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट का समर्पण भी मॉड्यूल द्वारा किया जाना था।

तथापि, बजट मॉड्यूल के लिए उपर्युक्त परिकल्पित कार्यप्रणालियों के सापेक्ष लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि-

- बजट, आईएफएमएस के स्थान पर मैनुअल रूप से तैयार किया जा रहा था (जिसे वित्त विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया है)। परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गयी बजट माँगें, प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए संशोधन एवं वित्त विभाग द्वारा किए गए संशोधन, प्रणाली में उपलब्ध नहीं थे।

- विधानमण्डल द्वारा बजट के अनुमोदन के उपरान्त ही, बजट आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए बजट डेटा को आईएफएमएस के बजट मॉड्यूल में अपलोड किया जा रहा था। वर्ष 2022-23 में, बजट शीर्षों (15 अंकों के वर्गीकरण) के अन्तर्गत अपलोड किये जाने वाले बजट (अनुमोदित बजट के सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत एक्सएमएल फाइल के अनुसार) एवं उस वर्ष के लिए इन बजट शीर्षों में आईएफएमएस में अपलोड की गयी वास्तविक राशियों में 706 प्रकरण में अन्तर पाया गया। विवरण निम्नवत् है-

तालिका-2.3

वर्ष	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ 15 अंकों के बजट शीर्षों में अन्तर मौजूद है	विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित इन बजट शीर्षों के अन्तर्गत राशि (वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई एक्सएमएल फाइल) (₹ करोड़ में)	आईएफएमएस आंकड़ों के अनुसार इन बजट शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक राशि (₹ करोड़ में)	अन्तर (₹ करोड़ में)
2022-23	706	4,946.27	2,900.12	2,046.15

स्रोतः मूल बजट एवं अनुपूरक बजट फाइलों से प्राप्त आईएफएमएस डेटा

यदि बजट तैयार करने, अनुमोदन एवं आवंटन के लिए संपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को आईएफएमएस में मैप किया गया होता, तो इस प्रकार की विसंगति से बचा जा सकता था।

- 2022-23 में, राज्य विधानमण्डल द्वारा लेखानुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें निर्दिष्ट बजट शीर्षों के अन्तर्गत बजट आवंटन किया जाना था। परन्तु, जब मुख्य बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी तब लेखानुदान में पूर्व निर्दिष्ट कुछ बजट शीर्षों के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन बजट शीर्षों **(परिशिष्ट-2.1)** के अन्तर्गत बजटीय प्रावधान एवं आवंटन के बिना ₹ 219.57 करोड़ का व्यय किया गया था, जिसे अभी तक नियमित नहीं किया गया है। यह विसंगति इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई एप्लीकेशन नियन्त्रण नहीं था कि जिन प्रकरणों में लेखानुदान में विनिर्दिष्ट बजट शीर्षों के अन्तर्गत व्यय पहले ही किया जा चुका था, उन शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान मुख्य बजट के दौरान पहले से किए गए व्यय से कम नहीं हो सकता था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि लेखानुदान में पूर्व से किये गये व्यय के समायोजन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं नियन्त्रण अधिकारियों का था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि यह केवल एक संकेत था कि आईएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद भी, आवश्यक एप्लिकेशन नियन्त्रणों के कार्यान्वयन के माध्यम से अनुपालन का दायित्व व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से प्रणाली में स्थानान्तरित नहीं हुआ था।

- बजट प्रावधान के समर्पण के लिए कार्यप्रणाली आईएफएमएस में कार्यान्वित नहीं की गई थी, इसलिए, बजट समर्पण कार्य प्रक्रिया प्रणाली से बाहर ऑफलाइन मोड में मैनुअल रूप से की जा रही है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसी समर्पण योग्य राशियों के समय पर पुनर्विनियोजन के लाभ के साथ समर्पण योग्य राशियों के तत्समय वास्तविक लेखांकन का उद्देश्य, आईएफएमएस के कार्यान्वयन के उपरान्त अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि बजट प्रावधान के ऑनलाइन समर्पण के लिए कार्यप्रणाली का कार्यान्वयन एक नीतिगत निर्णय है एवं निदेशालय को इसके लिए शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि बजट के समर्पण के लिए कार्य प्रक्रिया आईएफएमएस मिशन मोड प्रोजेक्ट दिशानिर्देशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश शासन के बजट मैनुअल में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है एवं इसके लिए कार्यप्रणाली को क्रियान्वित किया जाना चाहिए था।

- बजट पुनर्विनियोजन, अनुमोदन के उपरान्त आफलाइन मोड में पत्रावलियों के माध्यम से संसाधित किया जा रहा था एवं आईएफएमएस में दर्ज किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ एवं संशोधित प्रयोजनों के लिए बजट राशि का उपयोग नहीं

किया गया। एक प्रकरण में, वित्तीय वर्ष (2018-19) की समाप्ति के पश्चात् ₹ 11.65 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोजन डेटा दर्ज किया गया एवं एक प्रकरण में डेटा प्रविष्टि की तिथि, ऑफलाइन पुनर्विनियोजन आदेश की तिथि से 147 दिन पूर्व की अंकित थी, जो प्रणाली में वैधता नियन्त्रण की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

तालिका-2.4

प्रकरण जहाँ आईएफएमएस में पुनर्विनियोजन डेटा दर्ज करने में विलम्ब, ऑफलाइन पुनर्विनियोजन आदेश के दिनाँक से 15 दिन से अधिक था

वित्तीय वर्ष	विलम्बित दिनों की सीमा	कुल राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या
2018-19	15 से 376 दिवस	1,640.01	271
2019-20	15 से 266 दिवस	299.05	215
2020-21	15 से 233 दिवस	660.89	210
2021-22	15 से 88 दिवस	3,048.28	232
2022-23	15 से 50 दिवस	171.58	29
2023-24	19 से 127 दिवस	9.47	16
योग		**5,829.28**	**973**

स्रोतः आईएफएमएस की पुनर्विनियोजन तालिका

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि पुनर्विनियोजन के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए कार्यप्रणाली वित्तीय वर्ष 2022-23 से क्रियान्वित की गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि 2022-23 में पुनर्विनियोजन का ऑनलाइन प्रसंस्करण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, जैसा कि ऑफलाइन पुनर्विनियोजन आदेशों के उपरान्त पुनर्विनियोजन डेटा दर्ज करने में हुए विलम्ब के प्रकरणों की संख्या से स्पष्ट है। गत वर्षों की तुलना में ऐसे प्रकरणों की संख्या में कमी आयी थी, परन्तु समस्त विभागों द्वारा अभी तक कार्यप्रणाली का उपयोग नहीं किया गया था।

2.1.9.2 नई सेवाओं में पुनर्विनियोजन को प्रतिबन्धित करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के नियम 151 (iv) में प्रावधान है कि नई सेवाओं में पुनर्विनियोजन प्रदान करने की अनुमति नहीं है, चाहे मद भारित हों अथवा दत्तमत।

लेखापरीक्षा में, उपरोक्त प्रावधान के विपरीत वर्ष 2018-24 की अवधि में नई सेवाओं पर व्यय के लिए प्रावधानित ₹ 5,120.88 करोड़ धनराशि के पुनर्विनियोजन के प्रकरण पाये गए। वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका-2.5

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	नई सेवाओं के प्रकरण	कुल राशि
2018-19	16	1,245.22
2019-20	16	62.64
2020-21	20	247.94
2021-22	24	80.03
2022-23	48	1,301.78
2023-24	61	2,183.27
योग	**185**	**5,120.88**

स्रोतः नई योजना विवरण डेटा

नोट- नए व्यय की योजना का निर्धारण कोषागार निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई नई योजनाओं के आँकड़ों के आधार पर किया गया है।

उपर्युक्त अनियमितता उत्तर प्रदेश बजट नियम द्वारा प्रदान की गयी नई सेवाओं पर व्यय के लिए ऐसे पुनर्विनियोजन को रोकने के लिए आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रणों के अभाव के कारण हुई थी।

शासन द्वारा आईएफएमएस में आवश्यक कार्यप्रणाली को विकसित किया जाना स्वीकार (फरवरी 2025) किया गया।

2.1.9.3 संसाधन सम्बद्ध योजनाओं से पुनर्विनियोजन को रोकने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रणों का अभाव

वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार[9], संसाधन सम्बद्ध योजनाओं (जैसे-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित योजनाएं, वाह्य सहायतित योजनाएं) में प्रावधानित बजट राशि को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

तथापि, लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-24 की अवधि में संसाधन सम्बद्ध योजनाओं से अन्य योजनाओं के 151 प्रकरणों में अनियमित पुनर्विनियोजन किया गया था जिसमें ₹ 10,186.62 करोड़ की राशि सन्निहित थी।

दृष्टान्त

यह पाया गया कि अनुदान संख्या 43 उत्तर प्रदेश कोर सड़क नेटवर्क विकास कार्यक्रम (लेखा शीर्ष- 5055-00-800-97-01) से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को भवन सम्बन्धी कार्य हेतु निर्धारित लेखा शीर्ष[10] को ₹ 2.04 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित (23.03.2023) की गयी थी।

उपर्युक्त अनियमितता, संसाधन सम्बद्ध योजनाओं से अन्य योजनाओं में ऐसे पुनर्विनियोजन को रोकने के लिए आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण के अभाव को दर्शाती है।

---

[9] क०अ० 13/2022 बी-1-454/दस-2022-231 /2022 दिनाँक 07 जून 2022।

[10] लेखा शीर्षः 4059-01-051-19 एवं 4059-01-051-19-20।

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि यह एप्लिकेशन नियन्त्रण क्रियान्वित नहीं किया गया था क्योंकि वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त बजट पत्रावली में संसाधन से जुड़ी योजनाओं के बजट शीर्ष की पहचान करने के लिए कोई डेटा फील्ड उपलब्ध नहीं है। प्रकरण नीतिगत निर्णय का होने के कारण इसे वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा बिन्दु को स्वीकार (फरवरी 2025) किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि प्रणाली में पर्याप्त नियन्त्रण किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन को प्राप्त करने हेतु संसाधन सम्बद्ध योजनाओं के लिए बजट शीर्षों की पहचान हेतु आवश्यक एप्लीकेशन नियन्त्रण को औपचारिक परिवर्तन प्रबन्धन प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना चाहिए था।

2.1.9.4 बजट आवंटन प्रणाली में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

आईएफएमएस प्रणाली के बजट मॉड्यूल के अन्तर्गत, प्रशासनिक विभागों द्वारा विभागाध्यक्षों/वित्त नियन्त्रकों एवं विभागाध्यक्षों/वित्त-नियन्त्रकों द्वारा डीडीओ (आवंटन) को बजट का प्रेषण/संचरण, बजट आवंटन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। प्रणाली के डेटा विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

(i) यह पाया गया कि 2020-23 की अवधि में तालिका में उल्लिखित तीन अनुदानों के सम्बन्ध में, प्रणाली में उत्पन्न बजट वितरण के लिए वित्तीय स्वीकृति[11] की राशि कुल बजटीय प्रावधानों से अधिक थी।

तालिका-2.6

बजटीय प्रावधान से अधिक वित्तीय स्वीकृति का अनुदानवार सारांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	कुल बजटीय प्रावधान	वित्तीय स्वीकृति	बजटीय प्रावधान से अधिक स्वीकृति {वित्तीय स्वीकृति (-) बजटीय प्रावधान}
2020-21	1	1,369.88	1,581.41	211.53
2021-22	1	1,505.88	1,585.44	79.56
2022-23	1	271.30	275.93	4.63
योग				**295.72**

(आईएफएमएस की मूल बजट, अनुपूरक बजट स्वीकृति तालिका से आँकड़े)

यह इस तथ्य का परिचायक है कि बजट आवंटन प्रणाली में बजट वितरण के लिए वित्तीय स्वीकृति की राशि को कुल बजटीय प्रावधान के भीतर सीमित करने की व्यवस्था नहीं थी।

[11] 'वित्तीय स्वीकृति' शब्द प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष को बजट के संचार की प्रक्रिया को दर्शाता है।

(ii) बजट वितरण के लिए वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बजट के आवंटन पर प्रणालीगत नियन्त्रण के विश्लेषण पर, यह पाया गया कि वर्ष 2018-24 की अवधि में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटन, बजट वितरण के लिए सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति में निर्दिष्ट राशि से अधिक था, जिसका विवरण निम्नानुसार तालिका में संक्षेपित है-

तालिका-2.7

वित्तीय स्वीकृति से अधिक आवंटन का अनुदानवार सार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	वित्तीय स्वीकृति	आवंटन	वित्तीय स्वीकृति से अतिरिक्त आवंटन की कुल राशि
2018-19	5	24,442.97	28,710.87	4,267.90
2019-20	5	37,131.28	39,415.07	2,283.79
2020-21	1	325.37	592.37	267.00
2021-22	1	106.53	107.03	0.50
2022-23	3	14,150.12	15,235.45	1,085.34
2023-24	3	19,679.61	31,105.46	11,427.00
योग	**18**			**19,331.53**

(डीडीओ आवंटन, डीडीओ समर्पण एवं आईएफएमएस के वित्तीय स्वीकृति तालिकाओं से प्राप्त डेटा)

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बजट वितरण के लिए वित्तीय स्वीकृति की राशि के आधार पर आवंटनों को नियन्त्रित करने के लिए बजट आवंटन प्रणाली को मैप नहीं किया गया था, जिससे वर्ष 2018-19 से 2023-24 के मध्य 18 अनुदानों में ₹ 19,331.53 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त आवंटन हुआ।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति के ऑनलाइन निर्गत करने का प्रावधान 2022-23 में किया गया था एवं प्रावधानों से अधिक वित्तीय स्वीकृति को अस्वीकार करने के लिए प्रणाली में उचित जाँच एवं सत्यापन निहित है। पुराने आँकड़ों में यह विसंगति थी क्योंकि वित्तीय वर्ष के मध्य में स्वीकृति के लिए ऑनलाइन जेनरेशन को सम्मिलित किया गया था। शासन द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी विसंगतियों के समाधान हेतु तकनीकी टीम को भेज दिया गया है।

2.1.9.5 व्यय बिलों को अनिवार्य रूप से वैध अंतर्निहित स्वीकृति आदेश से संयोजन हेतु कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बजटीय प्रावधान से किया जाने वाला प्रत्येक प्रस्तावित व्यय सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएफएमएस में प्रत्येक बिल को वैध अन्तर्निहित स्वीकृति आदेश के साथ अनिवार्य रूप से संयोजन की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी। यह एक महत्वपूर्ण नियन्त्रण विफलता थी, जिसके

परिणामस्वरूप, किसी विशेष स्वीकृति आदेश एवं व्यय के प्रत्येक बिल को मैप करना संभव नहीं था। भौतिक बिल फॉर्म में स्वीकृति आदेश संख्या को अभिलेखित करने के लिए एक विशिष्ट कॉलम होने के बावजूद, इस प्रमुख कार्यकारी नियम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण को आईएफएमएस में क्रियान्वित नहीं किया गया था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि पेपरलेस बिल जमा करने के लिए ई-स्वीकृति मॉड्यूल एवं उप-वाउचर स्तर के कम्प्यूटरीकरण के विकास के उपरान्त, बिलों के लिए स्वीकृति आदेशों की अनिवार्य ऑनलाइन मैपिंग लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि ई-स्वीकृति मॉड्यूल एक नीतिगत निर्णय है एवं शासन को निर्णय हेतु सन्दर्भित किया गया है।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आईएफएमएस में ई-स्वीकृति मॉड्यूल के विकास के उपरान्त व्यय के साथ वित्तीय स्वीकृति की मैपिंग की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि केवल इस तथ्य को उजागर किया गया था कि आईएफएमएस में ई-स्वीकृति मॉड्यूल के लिए कार्यप्रणाली लागू नहीं की गयी थी एवं इसकी अनुपस्थिति में, स्वीकृति आदेश संख्या (मैनुअल रूप से तैयार स्वीकृति आदेशों के लिए) को अनिवार्य रूप से अभिलेखित करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों द्वारा आवश्यकतानुसार लागू किया जाना चाहिए था।

2.1.9.6 आवंटन से अधिक व्यय

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए कार्यकारी निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार, किसी भी लेखाशीर्ष के अन्तर्गत व्यय उस शीर्ष के आवंटन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आईएफएमएस डेटा विश्लेषण से लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न मुख्य लेखाशीर्षों (मानक मद स्तर तक) में व्यय, सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत किए गए आवंटन से अधिक था। वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में प्रकरणों का सारांश निम्नानुसार था-

तालिका-2.8

वर्ष	प्रकरणों की संख्या जहाँ खाता शीर्ष पर व्यय आवंटन से अधिक था	आवंटन से अधिक व्यय की कुल राशि (₹ करोड़ में)
2018-19	931	4,087.47
2019-20	301	3,048.42
2020-21	283	3,256.65
2021-22	185	1,444.83
2022-23	96	1,042.17
2023-24	89	1,058.73
योग	**1,885**	**13,938.27**

स्रोतः वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए सीटीएस_बिल_एंट तालिका (व्यय के लिए) एवं सीटीएस_एएलटी_ऑर्ड तालिका (आवंटन के लिए)

इस अनियमितता से पता चलता है कि बजट आवंटन से अधिक व्यय को रोकने हेतु एप्लीकेशन नियन्त्रण आईएफएमएस में क्रियान्वित नहीं किया गया था। इस अनियमितता का एक प्रमुख कारण ई-स्वीकृति मॉड्यूल को क्रियान्वित नहीं किया जाना था क्योंकि प्रणाली में व्यय बिलों के आहरण की स्वीकृति के लिए बजट आवंटन में व्यय के नियंत्रण का अभाव था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि यदि बिल पारित होने के समय बजट आवंटन उपलब्ध नहीं है, तो प्रणाली इसकी अनुमति नहीं देता है एवं 'अपर्याप्त बजट' का एक त्रुटि संदेश उत्पन्न होता है। अग्रेतर यह भी कहा गया कि 2023-24 से पूर्व माइनस आवंटन, आवंटन डेटा से स्वतः ज्ञात होना था एवं आवंटन आदेश की मूल प्रति प्राप्त होने पर कोषागार द्वारा प्लस आवंटन स्वीकार किया जाना था।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मानक मदों के समूहीकरण के कारण विसंगति प्रदर्शित हो रही है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त इंगित प्रकरणों से स्पष्ट है कि सम्बन्धित वर्षों में व्यय, बजट आवंटन से अधिक हो गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 में भी इसी तरह के प्रकरण सामने आए थे जिससे स्पष्ट है कि प्रणाली में अभी भी पर्याप्त नियन्त्रण की कमी है।

2.1.9.7 अनुदान-61 (ऋण सेवा एवं अन्य व्यय) के मामले में बजट का आवंटन एवं स्वीकृति आदेशों का सृजन आईएफएमएस से अन्यत्र किया जाना

अनुदान संख्या 61 (ऋण सेवा एवं अन्य व्यय) वित्त विभाग से सम्बन्धित है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि के लिए अनुदान-61 में बजटीय प्रावधान, स्वीकृति, आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है:

तालिका-2.9

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान	स्वीकृति	आवंटन	व्यय	बजटीय प्रावधान के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता
2020-21	1,05,454.92	-	-	18,080.50	*17.15*
2021-22	94,601.99	-	-	21,716.52	*22.96*
2022-23	93,657.61	19,461.34	19,107.64	23,076.06	*24.64*
2023-24	1,03,030.04	26,483.45	9,053.93	29,927.51	*29.05*

(आँकड़े, मूल बजट, अनुपूरक बजट, स्वीकृत डीडीओ आवंटन एवं सीटीएस बिल इंट्री तालिका से लिए गये हैं)

उपरोक्त से इंगित है कि बजट का आवंटन एवं स्वीकृतियाँ निर्गत करने की प्रक्रियाएं आईएफएमएस के बाहर की गई थीं एवं अनुदान-61 के अन्तर्गत व्यय करने के लिए सन्दर्भात्मक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोई एप्लीकेशन नियन्त्रण कार्यान्वित नहीं किया गया था।

इस प्रकरण पर, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया (जून 2024) कि अनुदान-61 के अन्तर्गत कुछ व्ययों में, कटौती सीधे आरबीआई[12] द्वारा की गयी है जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अनुदान-61 के अन्तर्गत व्यय की शेष राशि (स्थापना व्यय, राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित व्यय, नाबार्ड का ऋण एवं ब्याज भुगतान आदि) कोषागारों के माध्यम से दी जाती है, जिसके लिए आईएफएमएस के माध्यम से आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागारों के माध्यम से किए गए व्यय के लिए भी आवंटन एवं स्वीकृति विवरण, आईएफएमएस (2020-21 एवं 2021-22) में दर्ज नहीं किए गए थे एवं वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दर्ज किया गया व्यय, आईएफएमएस के माध्यम से किए गए बजट आवंटन से अधिक था।

2.1.9.8 आईएफएमएस में निर्दिष्ट बिल प्रारूपों के कार्यान्वयन का अभाव

(i) कोषागार प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने के लिए, वित्तीय हस्तपुस्तिका में निम्नलिखित छः प्रकार के बिल प्रारूप निर्दिष्ट किए गए थे:

तालिका-2.10

बिल का प्रकार	अभिलेख कोड संख्या
वेतन भुगतान बिल	101
यात्रा भत्ता भुगतान बिल	102
आकस्मिकता बिल	103
विशेष, जमा वापसी, मुआवजा भुगतान बिल	104
सामान्य भुगतान बिल	105
सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान बिल	106

भुगतान हेतु संसाधित बिल के सम्बन्ध में प्रासंगिक जानकारी वाले उपरोक्त बिल प्रारूपों का उपयोग, भुगतान के विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाना था।

आईएफएमएस के वॉकथ्रू के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि समस्त छः बिल प्रारूपों को दर्ज करने के लिए कार्यप्रणाली लागू की गई थी। तथापि, वेतन भुगतान बिलों को छोड़कर, शेष सभी पाँच प्रकार के बिलों के लिए जिसमें मूल विवरण निहित थे, केवल एक सामान्य प्रारूप ही कार्यान्वित किया गया था। इन पाँच प्रकार के बिलों के लिए विनिर्दिष्ट बिल प्रारूपों के अभाव के परिणामस्वरूप स्वीकृति प्राधिकारी, व्यय का ब्यौरा, यात्रा भत्ता आदि महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ अंकित नहीं थीं। विनिर्दिष्ट बिल प्रारूप के अभाव में विस्तृत भौतिक बिल प्रारूप को संलग्न करना आवश्यक हो गया था जिससे कार्य की पुनरावृत्ति हुई।

[12] बाजार ऋणों के मूलधन एवं ब्याज का प्रतिदान, भारत सरकार से प्राप्त धनराशि, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों से प्राप्त निधियाँ, आदि।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि जब आईएफएमएस में पेपरलेस ई-बिल प्रस्तुति एवं उप-वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण लागू किया जायेगा, तो वेतन भुगतान बिलों के अतिरिक्त निर्दिष्ट बिल प्रारूप, महालेखाकार कार्यालय के परामर्श से लागू किए जाएंगे।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के परामर्श से आईएफएमएस प्रणाली में निर्दिष्ट बिल प्रारूप विकसित किए जाएंगे।

(ii) वित्तीय हस्तपुस्तिका में निर्दिष्ट कोड के अतिरिक्त बिल प्रारूप कोड के उपयोग को रोकने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

उपर्युक्त छः प्रकार के बिल प्रारूपों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए आईएफएमएस डेटा का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि:

- डीडीओ पोर्टल में 107, सी, डी, ई, एल एवं एन जैसे निर्दिष्ट बिल प्रारूप प्रकारों के अन्तर्गत संव्यवहार किये गये थे, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार छः निर्दिष्ट बिल प्रारूपों में से नहीं थे, जैसा कि निम्नवत् प्रदर्शित है-

तालिका-2.11

रिकार्ड संख्या	अभिलेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
107	71,406	3,223.97
सी	5,52,820	1,08,867.69
डी	2,83,140	45,134.07
ई	1,36,740	16,568.17
एल	91,467	11,364.33
एन	1,21,239	45,627.35

स्रोतः डीडीओ बिल प्रविष्टि तालिका से लिया गया डेटा

- सीटीएस पोर्टल में भी 107, 108, 109, 110 एवं पी जैसे निर्दिष्ट बिल प्रारूप प्रकारों के अन्तर्गत संव्यवहार किये गये थे, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार छः निर्दिष्ट बिल प्रारूपों में से नहीं थे, जैसा कि निम्नवत् प्रदर्शित है-

तालिका-2.12

रिकार्ड संख्या	अभिलेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
107	1,25,846	7,122.38
108	1,14,826	40,708.44
109	1,34,157	16,100.65
110	1,479	1,059.64
पी	22	0.23

स्रोतः सी टी एस बिल प्रविष्टि तालिका से लिया गया डेटा

ऐसे अनिर्दिष्ट बिल प्रारूप प्रकारों के अस्तित्व से स्पष्ट था कि मास्टर डेटा के रूप में बिल प्रारूप प्रकारों को निर्धारित प्रारूपों के अनुरूप लागू करने के लिए एप्लिकेशन नियन्त्रण आईएफएमएस में क्रियान्वित नहीं था।

उत्तर में, (अक्टूबर 2024) निदेशालय द्वारा डीडीओ पोर्टल में दिखाई देने वाले 107, सी, डी, ई, एल एवं एन जैसे बिल प्रारूप कोड का विवरण प्रदान किया गया, परन्तु सीटीएस पोर्टल में प्रदर्शित होने वाले बिल प्रारूप कोड का विवरण प्रदान नहीं किया गया। निदेशालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भौतिक बिलों की प्रति अभी भी डीडीओ द्वारा कोषागारों को प्रस्तुत की जा रही थी एवं केवल अनिवार्य डेटा फील्ड आईएफएमएस पर दर्ज किए जा रहे थे।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि अलग-अलग रिकार्ड संख्या का उपयोग विभिन्न बिल प्रकार जैसे सीसीएल, डीसीएल, पीएलए आदि को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यद्यपि, बिल निर्दिष्ट बिल प्रारूपों में तैयार किए जाते हैं एवं भौतिक प्रति केवल कोषागार में प्रस्तुत की जाती है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि इससे मात्र यह संकेत मिलता है कि आईएफएमएस में डेटा अभी तक विश्वसनीय एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुरूप नहीं था एवं इस बात की भी कोई आश्वस्ति नहीं थी कि ऐसे प्रकरण जिसमें आईएफएमएस पर बिल प्रारूप प्रकारों का उपयोग दर्ज किया जा रहा था जो वित्तीय हस्तपुस्तिका में निर्दिष्ट नहीं थे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् किया गया था।

(iii) आईएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद भी मैनुअल रूप से तैयार किए गए भौतिक बिलों का निरन्तर उपयोग एवं निर्भरता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक नया भुगतान लाभार्थी सृजित करते समय, आईएफएमएस में पैन एवं जीएसटी संख्या (जहाँ लागू हो) अंकित करने की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी।

चूँकि, आईएफएमएस में भुगतानों (जैसे जीएसटी) एवं कटौतियों (आयकर, रायल्टी आदि) के घटक-वार विवरण अंकित करने की कार्यप्रणाली लागू नहीं की गई थी, इसलिए आईएफएमएस पर सकल एवं निवल बिल के आँकड़े अंकित करने के लिए ऐसी कटौतियों के विक्रेता-वार विवरण तैयार किये जाने हेतु मैनुअल रूप से गणना की जा रही थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि निर्माण कार्यों के लिए जीएसटी की दर को 18 जुलाई 2022 से 12 से 18 प्रतिशत पुनरीक्षित किये जाने के पश्चात् भी, जीएसटी दर में परिवर्तन करने के लिए आईएफएमएस में कार्यप्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप बिलों को गलत दरों के साथ संसाधित किया गया था।

दृष्टान्त

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा दिनाँक 23.03.2023 को टोकन संख्या 6923093365 के माध्यम से ठेकेदार को ₹ 95,99,918 का भुगतान किया गया, जिसमें निर्धारित 18 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी सम्मिलित था। तथापि, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, फतेहपुर द्वारा एक ठेकेदार को टोकन संख्या 2123103070 दिनाँक 05.03.2023 के माध्यम से ₹ 17,56,740 का भुगतान किया गया, जिसमें 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी सम्मिलित था।

इस प्रकार, आईएफएमएस के कार्यान्वयन के पश्चात भी, मैनुअल रूप से तैयार किए गए भौतिक बिलों का निरन्तर उपयोग एवं इस पर निर्भरता थी, जो समय-साध्य एवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया थी। यह आईएफएमएस में बिल प्रोसेसिंग के दौरान घटक-वार भुगतान एवं कटौती दर्ज करने की कार्यप्रणाली की अनुपस्थिति के कारण था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि लागू जीएसटी की दर की जाँच का उत्तरदायित्व सम्बन्धित डीडीओ व बिल जमा करने वाली फर्म का है एवं स्रोत पर आयकर की सही कटौती का उत्तरदायित्व डीडीओ पर है। समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रेता प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि जीएसटी दरों की मैपिंग संभव नहीं है क्योंकि जीएसटी दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं एवं जीएसटी विभाग अन्य प्रणालियों के साथ सामंजस्य की अनुमति नहीं देता है।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि इससे स्पष्ट था कि आईएफएमएस के कार्यान्वयन के पश्चात् भी, अनुपालन का दायित्व व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से प्रणाली में स्थानांतरित नहीं हुआ था, अतः आईएफएमएस कार्यान्वयन का पूर्ण लाभ अभी तक नहीं प्राप्त हो सका था। बिल के विभिन्न घटकों जैसे जीएसटी, आयकर कटौती, जीएसटी कटौती, शास्ति, अन्य वसूली आदि को आईएफएमएस प्रणाली में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे एकीकृत आईटी प्रणाली के लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

(iv) बकाया सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिलों को समायोजित करने के लिए आईएफएमएस में कार्यप्रणाली का अभाव

आकस्मिक प्रभारों, जिनके लिए आहरण के समय अन्तिम वर्गीकरण एवं समर्थन वाउचर उपलब्ध नहीं होते हैं, का आहरण सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित अग्रिम होते हैं। इन अग्रिमों को निर्धारित समयावधि के भीतर विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों द्वारा (जिनमें किए गए व्यय के समर्थन में वाउचर दिए गए हैं) प्रस्तुत करके अथवा आहरित अग्रिमों के अप्रयुक्त भाग की वापसी के माध्यम से समायोजित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने डीडीओ पोर्टल पर एसी-डीसी बिल कार्यप्रणाली का वॉकथ्रू किया एवं निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए-

- बिल को एसी बिल के रूप में अभिलिखित करने की कार्यप्रणाली कार्यान्वित की गई थी। तथापि, बिल के भौतिक प्रिंटआउट में यह दर्शाने के लिए कोई अंकन नहीं था कि यह एसी बिल था।

दृष्टान्त

उदाहरण के लिए, लखनऊ कलेक्ट्रेट कोषागार में लोक निर्माण विभाग से संबंधित टोकन नम्बर 4324459826 को प्रणाली के माध्यम से एसी बिल के 'हाँ' विकल्प को चिन्हित करके संसाधित किया गया, परन्तु बिल के प्रिंट आउट में यह अंकन नहीं दिखता है।

- आहरित प्रत्येक एसी बिल के लिए प्रस्तुत डीसी बिलों की मैपिंग की कार्यप्रणाली आईएफएमएस में लागू नहीं थी।
- आहरित एसी बिलों एवं डीसी बिलों के माध्यम से असमायोजित एसी बिलों पर एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने की कार्यप्रणाली, आईएफएमएस में नहीं थी।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित पूर्व अग्रिमों का समायोजन/वापसी पूरा किए बिना, अतिरिक्त एसी बिल का आहरण करने से रोकने के लिए आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण लागू नहीं किए गए थे।

उपर्युक्त कार्यप्रणालियों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप असमायोजित एसी बिलों (अर्थात सरकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित अग्रिम का वास्तविक व्यय से समायोजन का प्रमाण न होना) का अनुश्रवण, प्रणाली द्वारा किया जाना संभव नहीं था।

शासन द्वारा इस लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (दिसम्बर 2024) किया गया एवं अवगत कराया गया कि तैयार किए गए एसी बिलों का ट्रैक रखने, एसी एवं डीसी बिलों की मैपिंग एवं डीडीओ पोर्टल के माध्यम से डीसी बिल जमा करने के लिए आवश्यक कार्यप्रणाली लागू की जाएगी।

2.1.9.9 आईएफएमएस में अमान्य एवं अपूर्ण लेखाशीर्षों के उपयोग को रोकने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

व्यय एवं लेखांकन की समस्त बजटीय प्रक्रिया, राज्य बजट अभिलेख विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षों के 15 अंकीय वर्गीकरण के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। अग्रेतर, लघु शीर्ष (प्रथम 9 अंक) स्तर तक के लेखा शीर्षों के इस वर्गीकरण को महालेखा-नियन्त्रक द्वारा निर्धारित वृहद एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुरूप होना अपेक्षित है।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018-24 की अवधि के लिए आईएफएमएस बिल डेटा का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि-

- 1,724 प्रकरणों में, बिलों में लेखाशीर्षों का वर्गीकरण लघु शीर्ष स्तर तक मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुरूप नहीं था।
- 9,836 प्रकरणों में, बिलों में लेखाशीर्षों का वर्गीकरण राज्य बजट शीर्षों के मास्टर डेटा के अनुरूप नहीं था।
- 4,59,281 प्रकरणों (₹ 12,705.21 करोड़ के व्यय सहित) में जिन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्गीकृत किया गया था, वे 7 से 14 अंकों के मध्य थे जो अमान्य लेखाशीर्षों के परिचायक थे।

इन उदाहरणों ने न केवल अमान्य या अपूर्ण लेखाशीर्षों के उपयोग को रोकने के लिए आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण के अभाव को प्रतिबिंबित किया, अपितु अनुमोदित बजट प्रावधान के लिए मास्टर डेटा एवं बजट आवंटन, वित्तीय स्वीकृति तथा बिल प्रसंस्करण की डाउनस्ट्रीम कार्य-प्रक्रियाओं के मध्य सन्दर्भात्मक शुद्धता की कमी को भी उजागर किया।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि इनमें से किसी भी प्रकरण में, गलत प्रविष्टियों की स्वीकृति नहीं दी जाती है या कोषागार को अग्रेषित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि सीटीएस स्तर पर भुगतान 15 अंकों के वर्गीकरण के बिना आईएफएमएस में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ पुराने डेटा या अन्य विषय हो सकते हैं, एवं तकनीकी टीम को इस तरह की विसंगति के कारणों की जाँच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.1.9.10 सहायता अनुदान बिलों के प्रसंस्करण हेतु कार्यकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 के अनुसार, विभिन्न सहायता अनुदानों का भुगतान शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन होता है। सहायता अनुदान दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् सशर्त एवं बिना शर्त। वर्ष 2023-24 में, सहायता अनुदान का प्रावधान कुल बजट का 25.56 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा में आवेदन के फ्रंट इंड पर आईएफएमएस कार्यप्रणाली एवं आवेदन के बैक इंड में अनुदान सहायता बिलों पर डेटा का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि-

- आईएफएमएस में सशर्त सहायता अनुदान के मामले में शर्तों का ब्यौरा दर्ज करने का कोई स्थान नहीं था। शर्तों को प्रणाली से बाहर अन्य माध्यमों से सूचित किया जाना था एवं पिछले सहायता अनुदान बिलों के लिए अनुदानकर्ताओं द्वारा शर्तों को पूर्ण किये जाने की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं था।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सहायता अनुदान के लेखांकन के लिए भारत सरकार लेखांकन मानक-2 में निर्दिष्ट है कि सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। परन्तु, आईएफएमएस में भारत

सरकार लेखांकन मानक-2 के अनुपालन को सुनिश्चित करने की कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण के अभाव में, सहायता अनुदान बिल पूँजीगत खण्ड हेतु निर्धारित मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों को निर्दिष्ट कर तैयार किए जा सकते हैं। इस कमी के परिणामस्वरूप, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का जोखिम था।

- वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 209 के अनुसार, सहायता अनुदान पंजिका के रखरखाव हेतु आवश्यक कार्यप्रणाली को आईएफएमएस में क्रियान्वित नहीं किया गया था।
- अनुदानग्राहियों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे दर्ज करने की कार्यप्रणाली (जहाँ अनुदान की शर्तों के लिए अपेक्षित हों) को आईएफएमएस में कार्यान्वित नहीं किया गया था। लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों (लेखापरीक्षा द्वारा मैनुअल रूप से संकलित) की वास्तविक स्थिति निम्नानुसार थीः

तालिका-2.13

बकाया उपभोग प्रमाण-पत्रों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	उपभोग प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2001-02 से 2011-12	19,468	5,055.74
2012-13	321	158.93
2013-14	1,187	600.36
2014-15	1,635	899.75
2015-16	718	518.56
2016-17	532	425.95
2017-18	399	554.82
2018-19	766	1,418.21
2019-20	2,121	1,121.35
2020-21	3,148	8,528.85
2021-22 (सिम्तबर 2021 तक)	611	698.72
योग	**30,906**	**19,981.24**

स्रोत: 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इसके अभाव में, लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों की निगरानी की कार्य प्रक्रिया आईएफएमएस से बाहर की जा रही थी एवं यह प्रणाली राज्य सरकार एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों की सुगमतापूर्वक निगरानी की स्थिति में नहीं थी।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा स्वीकार किया गया कि आईएफएमएस में पर्याप्त प्रणाली नियन्त्रण विकसित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाएगें।

2.1.9.11 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय का शुद्ध लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफएससी/2020 दिनाँक 23.03.2021 के अनुसार, सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को एकल नोडल खातों के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बजटीय अभिलेख में प्रावधान है कि प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत केन्द्रांश के व्यय को उपशीर्ष 01 एवं 02 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा एवं प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत संगत राज्यांश को उपशीर्ष 89 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना व्यय से सम्बन्धित आईएफएमएस डेटा का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि-

- परिशिष्ट-2.2 में प्रदर्शित 694 प्रकरणों (2022-23) एवं 393 प्रकरणों (2023-24) में व्यय, बजट आवंटन के आँकड़े से अधिक था।
- 67,302 प्रकरणों (2022-23 में 30,814 एवं 2023-24 में 36,488) में, केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत व्यय उपशीर्ष 01, 02 एवं 89 के अतिरिक्त अन्य उप-शीर्षों में अंकित किया गया था, जिससे गलत वर्गीकरण का संकेत मिलता है। इससे पता चलता है कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत व्यय का शुद्ध लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण लागू नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा इस तथ्य की पुष्टि करने में असमर्थ थी कि गैर-केन्द्र प्रायोजित योजना व्यय को केन्द्र प्रायोजित योजना के व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

तालिका-2.14

केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए निर्दिष्ट उप-शीर्षों के अतिरिक्त अन्य उप-शीर्षों पर व्यय का सारांश (2022-23 एवं 2023-24)

उप-शीर्ष	2022-23		2023-24	
	अभिलेखों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	अभिलेखों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
03	15,303	16,777.42	19,727	15,434.48
04	215	5,626.63	98	5,014.21
05	4,058	9,143.87	4,332	12,632.97
06	10,889	1,584.83	11,997	2,292.29
07	141	2,121.73	144	2,395.37
09	--	--	2	8.91
13	2	21.45	--	--
15	141	2,789.91	120	2,770.50
67	1	5.27	2	9.98
97	64	150.00	66	61.99
योग	**30,814**	**38,221.11**	**36,488**	**40,620.70**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों की 'सीपीएसएमएस व्यय' तालिका का सारांश

प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केन्द्रांश के साथ राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कोषागार प्रणाली के माध्यम से बिल तैयार करके एकल नोडल खातों में अन्तरित करना होता है। वित्त लेखा 2022-23 (पीएफएमएस भारत सरकार से प्राप्त आँकड़े) के अनुसार, वर्ष 2022-23 में ₹ 79,064.99 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 40,531.31 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 38,533.68 करोड़) एकल नोडल खातों को हस्तांतरित किए गए थे।

परन्तु, आईएफएमएस आँकड़ों के अनुसार, 2022-23 में एकल नोडल खातों को हस्तान्तरित धनराशि इससे अधिक अर्थात ₹ 1,09,887.61 करोड़ थी।

धनराशियों के इस अन्तर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था एवं न ही कोई मिलान विवरण तैयार किया गया था। धनराशि में अन्तर, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बिलों का प्रसंस्करण एवं व्यय पर निगरानी से सम्बन्धित आईएफएमएस के कार्यान्वयन में नियन्त्रणों में कमी का परिचायक था।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2022-23 में कुछ कठिनाईयाँ थीं जिनका निराकरण वर्ष 2023-24 में कर लिया गया है।

शासन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि एकल नोडल खाते को राज्य में जुलाई 2021 से प्रारम्भ किया गया था एवं एकीकरण के माध्यम से व्यय डेटा पीएफएमएस को साझा किया जाता है। पीएफएमएस के डेटा में पुराने डेटा भी सम्मिलित हैं जो विभागों द्वारा प्रविष्ट किया जाता है एवं इसमें एकल नोडल खाते से बाहर किये गए संव्यवहार या गलत खाता संख्या में किए गए संव्यवहार सम्मिलित हैं जो पीएफएमएस में मैप नहीं किए गए हैं।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि वर्ष 2023-24 के आँकड़ों में भी विसंगति विद्यमान थी। उत्तर से मात्र यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि वित्त लेखों में दिए गए आँकड़े (पीएफएमएस भारत सरकार से प्राप्त आँकड़े) सही थे परन्तु, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आईएफएमएस में दर्ज केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए व्यय राशि में अन्तर क्यों था। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सापेक्ष आईएफएमएस में व्यय डेटा, अन्तर के आधार पर विश्वसनीय नहीं था। यह कमी आईएफएमएस में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सापेक्ष व्यय का शुद्ध लेखाकरण सुनिश्चित करने हेतु, एप्लीकेशन नियन्त्रणों की कमी के कारण उत्पन्न हुई थी।

2.1.9.12 राजस्व एवं पूँजीगत खण्डों के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को रोकने के लिए आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, व्यय का वर्गीकरण पूँजीगत एवं राजस्व खण्डों के अन्तर्गत किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया गया है। कुछ मानक

मद केवल पूँजीगत व्यय से सम्बन्धित हैं एवं अन्य केवल राजस्व व्यय से सम्बन्धित हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए आईएफएमएस आँकड़ों का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि 9,134 प्रकरणों (₹ 751.88 करोड़ के व्यय सहित) में राजस्व व्यय की प्रविष्टि हेतु पूँजीगत खण्ड के मानक मदों का अनियमित उपयोग किया गया था एवं 172 प्रकरणों (₹ 99.54 करोड़ के व्यय सहित) में पूँजीगत व्यय की प्रविष्टि हेतु राजस्व खण्ड के मानक मदों का अनियमित उपयोग किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.3** में प्रदर्शित है।

आईएफएमएस में राजस्व एवं पूँजीगत खण्डों के अन्तर्गत मानक मदों की मैपिंग के अभाव में उपरोक्त वर्गीकरण गलत हुए।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आईएफएमएस, वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई बजट फाइल का उपयोग करता है।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि आईएफएमएस प्रणाली के माध्यम से बजट तैयार न किए जाने के कारण राजस्व एवं पूँजीगत शीर्षों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का समाधान नहीं किया जा सका।

2.1.9.13 डीडीओ पोर्टल पर बजट नियन्त्रण का अभाव

डीडीओ पोर्टल के वाकथ्रू के दौरान यह पाया गया कि प्रणाली में, बजट की उपलब्धता के बारे में कोई नियन्त्रण नहीं है एवं सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत बजट उपलब्ध न होने की दशा में भी ऑपरेटर को बिल तैयार करने की अनुमति देता है। प्रणाली में बजट की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदर्शित नहीं होती है एवं ऑपरेटर को बजट की उपलब्धता की जाँच स्वयं करनी पड़ती है।

इस प्रकार, कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त भी, ऑपरेटर को बजटीय नियन्त्रण की त्रुटि-प्रवण मैनुअल प्रक्रिया अपनानी होती है।

उत्तर में, निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि बिल पारित होने के पश्चात् कोषागार स्तर पर वाउचर जनरेशन के उपरान्त ही व्यय राशि कम की जाती है। अग्रेतर, यह भी अवगत कराया गया कि डीडीओ द्वारा बिल तैयार करने के पश्चात् बजट में कमी केवल तभी संभव है जब तैयार किए गए बिल की राशि को ब्लॉक कर दिया जाए, जो व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह प्रस्तुत न किए गए बिल में निहित पर्याप्त राशि को ब्लॉक कर देगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टोकन की वैधता बिल तैयार करने से 10 दिन है एवं डीडीओ द्वारा तैयार किए गए त्रुटिपूर्ण बिल के प्रकरण में, इसे रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रस्तुत न किए गए बिल में निहित धनराशि को अवरुद्ध करना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।

2.1.9.14 भुगतान लाभार्थी प्रबन्धन हेतु आईएफएमएस में नियन्त्रण का अभाव

विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों (वेतन भुगतान बिलों हेतु सरकारी कर्मचारी, माल एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ता अर्थात विक्रेता, कार्यों के ठेकेदार एवं सरकारी योजनाओं के लाभार्थी) को भुगतान करने हेतु, डीडीओ पोर्टल उपयोगकर्ता लाभार्थी बनाते हैं जिन्हें डीडीओ द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए आईएफएमएस में लाभार्थियों के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया एवं लागू किए गए एप्लीकेशन नियन्त्रणों में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयीं-

- डेटा प्रविष्टि के दौरान लाभार्थी बैंक खाता संख्या सत्यापित नहीं किये गये थे। वेलिडेशन नियन्त्रण के अभाव के कारण, विफल भुगतान के ऐसे दृष्टान्त यथा 'अकाउंट क्लोज़्ड/अकाउंट डज़ नॉट एक्ज़िस्ट/नो सच अकाउंट टाइप/रॉंग अकाउंट/इनवैलिड अकाउंट नम्बर' पाये गए, जिनका विवरण निम्नवत् हैं-

तालिका-2.15

गलत बैंक खाता संख्या के कारण विफल भुगतानों का कोषागार-वार सारांश

कोषागार कोड	कोषागार का नाम	विफल भुगतान के प्रकरण	धनराशि (₹ करोड़ में)
1300	बदायूं	12,480	29.88
1400	मुरादाबाद	25,696	38.82
2100	फतेहपुर	10,821	19.91
2700	वाराणसी	24,406	51.36
2800	मीरजापुर	19,921	23.60
3200	गोरखपुर	30,918	92.60
4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	27,667	121.68
6900	सोनभद्र	14,963	32.67
7600	गौतम बुद्ध नगर	6,428	86.84
7900	बलरामपुर	15,861	23.08
9600	विधान सभा	101	0.23
योग		**1,89,262**	**520.67**

स्रोतः वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए 'ई-कुबेर_जीएसटी_आरबीआई_नोटीफिकेशन' का आईएफएमएस डेटा

- पृथक-पृथक डीडीओ के अन्तर्गत पृथक-पृथक लाभार्थी आईडी के 48,545 उदाहरण थे, जिन्हें एक ही बैंक खाता संख्या से मैप किया गया था। पृथक-पृथक डीडीओ के अन्तर्गत एक ही बैंक खाता संख्या की एकाधिक लाभार्थी आईडी के लिए ऐसी अनियमित मैपिंग की सूची **(परिशिष्ट-2.4)** में प्रदर्शित है।

यह इंगित करता है कि लाभार्थियों के भुगतान के लिए मास्टर डेटा की शुचिता सुनिश्चित करने एवं एक ही बैंक खाता संख्या के कई लाभार्थी आईडी के लिए मैपिंग की द्वैधता को रोकने के लिए प्रमुख एप्लिकेशन नियन्त्रण आईएफएमएस में क्रियान्वित नहीं किए गए थे। यह नियन्त्रण की एक प्रमुख कमी थी, क्योंकि

इससे, आईएफएमएस में विभिन्न लाभार्थियों को भुगतान दर्ज करके बैंक खाताधारक को अनियमित भुगतान किये जाने का जोखिम बना रहता है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2024) कि प्रत्येक लाभार्थी आईडी के लिए यूनिक बैंक खाता संख्याओं की सही मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए, वेलिडेशन नियंत्रण को नेशनल पेमेन्टस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित 'लुक-अप कार्यप्रणाली' की सहायता से लागू किया जायेगा। अग्रेतर, यह भी अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि लाभार्थियों के बेहतर नियन्त्रण एवं प्रबन्धन के लिए वेंडर मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रस्तावित किया गया है।

2.1.9.15 आईएफएमएस में लाभार्थी प्रकारों एवं बिल प्रकारों की मैपिंग में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

आईएफएमएस में, निम्नलिखित प्रकार के लाभार्थी बनाए जा सकते हैं-

तालिका-2.16

डीडीओ पोर्टल में लाभार्थी का प्रकार	डीडीओ पोर्टल में लाभार्थी प्रकारों का विवरण
1	कर्मचारी (एनईएफटी)
2	गैर-कर्मचारी (एनईएफटी)
3	ड्राफ्ट भुगतान
4	सोसाइटी खाता
5	एलआईसी/आरडी
6	समूह-ए
7	समूह-बी
8	समूह-सी
9	समूह-डी
10	जीएसटी-टीडीएस
11	पीएफएमएस

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थी प्रकारों के साथ बिल प्रकारों की गलत मैपिंग को रोकने के लिए कोई एप्लीकेशन नियन्त्रण विद्यमान नहीं थे। उदाहरण के लिए, वेतन भुगतान बिल में उन लाभार्थियो के चयन की अनुमति नहीं होनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उसी प्रकार, सरकारी योजना व्यय बिल में सरकारी कर्मचारियों को भुगतान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आँकडों के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2023-24 के मध्य, 52,993 प्रकरणों (₹ 451.42 करोड़ के व्यय सहित) में लाभार्थी प्रकार 10 के अलावा अन्य लाभार्थी प्रकारों को जीएसटी टीडीएस का भुगतान किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में प्रदर्शित है।

यह नियन्त्रण की एक प्रमुख कमी थी, क्योंकि यह आईएफएमएस पर त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु पहल एवं पूर्ण किये जाने का जोखिम पैदा करता है, यह अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व एप्लिकेशन नियन्त्रण के माध्यम से प्रणाली द्वारा किये जाने के स्थान पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किये जाने के कारण है।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि आईएफएससी कोड 'RBIS0GSTPMT' वाले लाभार्थी केवल जीएसटी टीडीएस प्रकार के साथ बनाए जा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए वेलिडेशन लागू किया गया है। तथापि, उत्तर में लेखापरीक्षा प्रेक्षण में इंगित अन्य जोखिमों को संबोधित नहीं किया गया।

2.1.9.16 कर्मचारी मास्टर डेटाबेस में आँकड़ों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

लेखापरीक्षा में आईएफएमएस में कर्मचारी मास्टर डेटा का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि कर्मचारी प्रोफाइल से सम्बन्धित आवश्यक डेटा फील्ड की प्रविष्टि अनिवार्य नहीं बनाई गई थी। परिणामस्वरूप, निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं-

- कर्मचारियों को मासिक भुगतान की कुल 5.99 करोड़ प्रविष्टियों में से, 1.04 करोड़ प्रविष्टियाँ (17.38 प्रतिशत) में, मूल वेतन फील्ड 'खाली' था। इसके परिणामस्वरूप एप्लीकेशन नियन्त्रण के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि किया जाना संभव नहीं था कि क्या वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमान एवं वेतन मैट्रिक्स के अनुरूप किया जा रहा है।
- चयनित कोषागारो में कुल 11,706 कर्मचारियों के 86,416 भुगतान के प्रकरण पाये गये जहाँ इन कर्मचारियों से सम्बन्धित आँकड़ों की प्रविष्टि कर्मचारी मास्टर डेटा में उपलब्ध नहीं थी।
- आईएफएमएस के 8,42,714 प्रकरणों **(परिशिष्ट-2.6)** में मकान किराया भत्ता प्रचलित नियमों के अनुसार किसी वैध लागू दर के अनुरूप नहीं था। आईएफएमएस में मकान किराया भत्ता राशि ₹ 1 एवं ₹ 99,999 के मध्य पायी गयी।
- कर्मचारियों का वर्गीकरण (राजपत्रित/अराजपत्रित) आईएफएमएस में दर्ज नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, बोनस हेतु पात्रता जैसी वेलिडेशन जाँच प्रणाली द्वारा नहीं की जा सकी।
- बोनस का भुगतान मात्र समर्पित बोनस इंटरफेस के माध्यम से नहीं किया जा रहा था, अपितु अन्य इंटरफेस के माध्यम से भी किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एक ही कर्मचारी को वर्ष में एक से अधिक बार बोनस का भुगतान किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आए। डेटा विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2023-24 के मध्य 6,249 प्रकरण प्रकाश में आए **(परिशिष्ट-2.7)**।
- आईएफएमएस में दिव्यांग श्रेणी का प्रावधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उस श्रेणी पर लागू परिवहन भत्ते हेतु पात्रता जैसी वेलिडेशन जाँच प्रणाली द्वारा नहीं की जा सकी।

- लिंग के लिए ड्रॉपडाउन मैन्यू में, 'उभयलिंगी' का विकल्प लागू नहीं किया गया था, जैसा कि उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा आवश्यक था।
- कर्मचारी के नामिती ब्यौरे का प्रावधान, आईएफएमएस में नहीं किया गया था।
- कर्मचारियों पर आश्रित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा आईएफएमएस में दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, संतान शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति, अवकाश रियायत यात्रा भत्ता आदि से सम्बन्धित भुगतानों के लिए वेलिडेशन जाँच प्रणाली द्वारा नहीं की जा सकी।
- कर्मचारियों की तैनाती के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में आँकडे आईएफएमएस में नहीं रखे गए। परिणामस्वरूप, सही मकान किराया भत्ता के लिए वेलिडेशन जाँच प्रणाली द्वारा नहीं की जा सकी।
- कर्मचारी के 'गृह जनपद' की जानकारी दर्ज नहीं की जा रही थी। परिणामस्वरूप, एलटीसी/एचटीसी के लिए वेलिडेशन जाँच प्रणाली द्वारा नहीं की जा सकी।
- 12,36,080 प्रविष्टियों में से 6,87,956 (55.55 प्रतिशत) प्रविष्टियों में स्थायी खाता संख्या (पैन) खाली था। पैन का चौथा अक्षर निर्धारिती के प्रकार को दर्शाता है। कर्मचारियों के मामले में, यह "पी अक्षर" (व्यक्ति) होना चाहिए। परन्तु, 4,426 प्रविष्टियों में पैन का चौथा अक्षर 'पी' नहीं था। डेटाबेस में 5,685 पैन एक से अधिक बार दर्ज किए गए थे (11,801 प्रकरण), यह पुनरावृत्ति नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

परिणामस्वरूप एप्लीकेशन नियन्त्रण के अभाव में, डेटा प्रविष्टि को अनिवार्य करने तथा वैधता एवं विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बिलों के प्रसंस्करण में सभी आवश्यक जाँच डीडीओ/कोषागारों द्वारा आईएफएमएस के कार्यान्वयन के पश्चात् भी प्रणाली से बाहर मैनुअल रूप से किया जा रहा था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण लागू किए जाएंगे। यह भी अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि आँकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व डीडीओ का है।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में शासन द्वारा अवगत कराया गया कि जाँच एवं नियन्त्रण को यथासंभव सम्मिलित करने की संभावनाओं को ज्ञात कर लागू किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी आईटी प्रणाली की प्रभावकारिता, नियमों की मैपिंग एवं समस्त स्तरों पर पर्याप्त तन्त्र/वैधीकरण नियंत्रण लागू करने पर पूर्णरूपेण निर्भर होती है जिसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हों।

2.1.9.17 सरकारी चिकित्सकों को गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते के अधिक भुगतान को रोकने के लिए वेलिडेशन नियन्त्रण का अभाव

उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार[13], सरकारी चिकित्सक मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते (एनपीए) प्राप्त करने के हकदार हैं, परन्तु इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्राप्त मूल वेतन एवं एनपीए का योग ₹ 2,37,500 से अधिक नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए चयनित कोषागारों के डेटा विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः

- 571 प्रकरणों में मूल वेतन एवं एनपीए की धनराशि ₹ 2,37,500 की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक थी। डाटा विश्लेषण के अनुसार मूल वेतन एवं एनपीए के रूप में भुगतान की गई राशि ₹ 16,93,364 थी। कोषागार-वार प्रकरण **परिशिष्ट-2.8** में प्रदर्शित है।

दृष्टान्त

मुरादाबाद कोषागार में यह पाया गया कि जुलाई 2022 से जनवरी 2023 की अवधि के मध्य एक वरिष्ठ परामर्शदाता को मूल वेतन ₹ 2,04,200.00 एवं एनपीए ₹ 40,840.00 (कुल ₹ 2,45,040.00) प्रदान किया जा रहा था, जो ₹ 2,37,500.00 की अनुमन्य सीमा से अधिक था। इस प्रकार उनको एनपीए के रूप में ₹ 7,540.00 एवं इस पर समय-समय पर लागू महँगाई भत्ते का अधिक भुगतान किया गया।

- 1,660 प्रकरणों में, एनपीए का भुगतान निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक दर पर किया गया था। इन प्रकरणों में लागू दर 21 प्रतिशत से 167 प्रतिशत के मध्य थी। कोषागार-वार प्रकरणों की संख्या **परिशिष्ट-2.9** में प्रदर्शित है।
- 21 पदनाम वाले 106 कर्मचारियों जो सरकारी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं थे, को एनपीए का भुगतान किया गया था जो पदनाम के अनुसार, एनपीए के लिए पात्र नहीं थे **(परिशिष्ट-2.10)**।

उपरोक्त प्रकरणों से इंगित है कि एनपीए से सम्बन्धित कार्यकारी नियमों को मैप करने एवं लागू करने के लिए एप्लिकेशन नियन्त्रण आईएफएमएस में क्रियान्वित नहीं किए गए थे।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि एनपीए नियमों की मैपिंग आईएफएमएस में लागू की जाएगी।

[13] शासनादेश संख्या 2/2019/वे0आ0-2-08/दस-2019-01(एम)/2019 दिनाँक 09 मार्च 2019।

2.1.9.18 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कार्यकारी नियमों को लागू करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेश[14] (मार्च 2023) के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि अंशदान की सीमा को संशोधित किया गया है। सामान्य भविष्य निधि का न्यूनतम अंशदान परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा एवं वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक अंशदान ₹ 5 लाख से अधिक नहीं होगा।

वर्ष 2023-24 के आईएफएमएस के डेटा विश्लेषण में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों पायी गयीं:

- परिभाषित न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान से भिन्न ऐसे प्रकरण, जहाँ अंशदान 10 प्रतिशत से कम था, **परिशिष्ट-2.11** में प्रदर्शित हैं।
- 14 प्रकरणों **(परिशिष्ट-2.12)** में अभिदाता द्वारा किया गया जीपीएफ अंशदान वित्तीय वर्ष में ₹ 5 लाख की अधिकतम सीमा से अधिक था।

उपरोक्त प्रकरणों के अनुसार जीपीएफ से सम्बन्धित कार्यकारी नियमों को मैप करने एवं लागू करने के लिए एप्लिकेशन नियन्त्रण आईएफएमएस में क्रियान्वित नहीं किए गए थे।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि जीपीएफ नियमों की मैपिंग आईएफएमएस में क्रियान्वित की जाएगी।

2.1.9.19 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के भुगतान में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

उत्तर प्रदेश शासन के बजट अभिलेख के अनुसार कई संस्थाओं का उल्लेख सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के रूप में किया गया है जो बजटीय प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करती हैं। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी नियमित मासिक परिलब्धियाँ परिभाषित मानक मद 31 {अर्थात् सहायतानुदान, सामान्य (वेतन)} से प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2018-19 से 2023-24 के डेटा विश्लेषण एवं प्रणाली के वॉकथ्रू के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- मानक मद 31 के अन्तर्गत वर्ष-दर-वर्ष मूल बजटीय प्रावधान ₹ 66,962.64 करोड़ से ₹ 79,660.36 करोड़ तक था जो कुल बजट का 7.54 प्रतिशत था।
- आईएफएमएस प्रणाली में मानक मद 31 से वेतन प्राप्त करने के हकदार कर्मचारियों का कर्मचारी मास्टर डाटाबेस नहीं रखा जाता है। परिणामस्वरूप, आईएफएमएस प्रणाली यह जानकारी देने में सक्षम नहीं है कि किसी विशेष संस्थान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।

---

[14] शासनादेश संख्या 2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023 दिनाँक 21 मार्च 2023।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ संस्थान आईएफएमएस प्रणाली में लाभार्थी सृजित कर अपने कर्मचारियों को सीधे भुगतान कर रहे हैं जबकि कुछ संस्थान अपने खाते में वेतन की सकल राशि प्राप्त कर रहे हैं एवं तत्पश्चात् अपने कर्मचारियों को भुगतान कर रहे हैं।
- आईएफएमएस प्रणाली में सम्बन्धित संस्थानों द्वारा कर्मचारियों एवं नियोक्ता के द्वारा नई पेंशन योजना में किये गए अंशदान का ब्यौरा भी नहीं रखा जाता है।

इस प्रकार, कर्मचारी प्रोफाइलिंग के अभाव में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वेतन भुगतान में एकरूपता नहीं थी एवं आईएफएमएस प्रणाली के माध्यम से अभिदाता-वार एनपीएस अंशदान (कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा) को ज्ञात करना संभव नहीं था।

उत्तर में निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि सहायता प्राप्त संस्थानों का वेतन शासन द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से आहरित किया जाता है, सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का डेटा मानव संपदा पोर्टल पर संधारित है। वेतन बिलों को प्रेषित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को डीडीओ पोर्टल की वेब सेवा प्रदान किये जाने की कार्यवाही परीक्षणाधीन है एवं यह भी अवगत कराया गया कि इसी तरह का प्रावधान अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए भी किया जाएगा।

2.1.9.20 उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के चाणक्य/विश्वकर्मा पोर्टल का आईएफएमएस के साथ एकीकरण न होना

आईएफएमएस प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 'बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग' में प्रावधानित है कि 'विभिन्न हितधारकों के अनुप्रयोगों को भी एक दूसरे के साथ एकीकृत किया जाए ताकि एक पूर्ण नेटवर्क प्रणाली स्थापित हो'।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कार्य सम्पादन एवं ठेकेदारों के बिलों के भुगतान हेतु प्रसंस्करण के लिए चाणक्य एवं विश्वकर्मा एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों प्रणालियाँ (चाणक्य/विश्वकर्मा एवं आईएफएमएस) एक दूसरे के साथ एकीकृत नहीं हैं। दोनों प्रणालियों का एकीकरण न होने के कारण भुगतान करने के लिए प्रत्येक बार आईएफएमएस प्रणाली पर मैनुअल प्रविष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी कार्य विशेष/माप के लिए किए गए भुगतान को भी आसानी से एक दूसरे के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता है। साथ ही, आईएफएमएस प्रणाली में घटक-वार ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं है जिसके कारण प्रणाली में किसी कार्य विशेष के व्यय-ट्रेल का पता नहीं लगाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2024) करते हुए निदेशालय द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग से

चाणक्य/विश्वकर्मा पोर्टल को आईएफएमएस प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण विभागों के लिए 'वामिस' का विकास किया जा रहा है एवं इसे आईएफएमएस प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

2.1.9.21 निष्कर्ष

प्रणाली में, बजट तैयार करने, माँग, पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के लिए कार्यप्रणाली की कमी है। डेटा विश्लेषण में पाया गया कि अधिक वित्तीय स्वीकृति, आवंटन एवं व्यय अपर्याप्त आईटी नियन्त्रण का द्योतक थे। बिल प्रारूपों, सहायता अनुदान की मैपिंग, डीसी बिलों के साथ एसी बिलों का संयोजन, राजस्व एवं पूँजीगत मदों के वर्गीकरण एवं लाभार्थी सृजन में कमियाँ थीं। आईएफएमएस प्रणाली में व्यय बिलों एवं वैध अन्तर्निहित स्वीकृति आदेश के अनिवार्य रूप से संयोजन की कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव है। लाभार्थी सृजन में वेलिडेशन जाँच की कमी थी जिससे संव्यवहार विफल होता है। आईएफएमएस प्रणाली में, परिलब्धियों (यथा- वेतन, मकान किराया भत्ता, बोनस, एनपीए आदि) के सम्बन्ध में कार्यकारी नियमों की पर्याप्त मैपिंग का भी अभाव है।

2.1.9.22 *संस्तुतियाँ:*

- *बजट तैयार करने, माँग, पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के लिए पर्याप्त कार्यप्रणाली विकसित किया जाना चाहिए। बजट नियन्त्रण, आईएफएमएस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *व्यय के बिलों का वैध स्वीकृति आदेश के साथ अनिवार्य रूप से संयोजन हेतु आवश्यक कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण विकसित किया जाना चाहिए। विद्यमान आईएफएमएस प्रणाली में लेखाशीर्षों के सम्पूर्ण वर्गीकरण की सम्यक् मैपिंग अनिवार्यतः अपनायी जानी चाहिए।*
- *निधियों के पुनर्विनियोजन, डीसी बिलों के साथ एसी बिलों का समयित संयोजन, सहायता अनुदान एवं कर्मचारियों को देय मूल वेतन एवं भत्तों के वेलिडेशन से सम्बन्धित नियमों की मैपिंग की जानी चाहिए।*
- *आईटी प्रणाली में, पूँजीगत एवं राजस्व प्रकृति के मदों का वर्गीकरण परिभाषित एवं मैप किया जाना चाहिए।*
- *लाभार्थी सृजन में उचित अन्तर्निहित इनपुट वेलिडेशन नियन्त्रण क्रियान्वित किया जाना चाहिए एवं बिल प्रारूप वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।*
- *आईएफएमएस प्रणाली में, विभिन्न परिभाषित मानदण्डों के अनुसार कर्मचारियों को देय परिलब्धियों (यथा वेतन, मकान किराया भत्ता, एनपीए,*

बोनस, आदि) के सम्बन्ध में कार्यकारी नियमों की पर्याप्त मैपिंग की जानी चाहिए।

समापन बैठक में शासन द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

2.1.10 अन्य विषय

2.1.10.1 एमआईएस प्रतिवेदन एवं आईएफएमएस डेटाबेस में दर्शायी गयी राशियों में अन्तर

कोषवाणी (यूपीकोष.एनआईसी.इन) आईएफएमएस प्रणाली का रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त विभागों के बजटीय प्रावधान, आवंटन, स्वीकृतियाँ, व्यय, प्राप्तियाँ, विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदन आदि के सम्बन्ध में समस्त प्रासंगिक वित्तीय जानकारी/आँकड़े देखने एवं डाउनलोड करने के लिए किसी भी व्यक्ति, प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, डीडीओ, हितधारकों आदि द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

आईएफएमएस आँकड़े (निदेशालय द्वारा प्रदत्त) एवं कोषवाणी पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले आँकड़ों के मध्य की गयी तुलना में निम्नलिखित अन्तर पाये गए-

तालिका-2.17

बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अनुदानों की कुल संख्या जहाँ अन्तर पाया गया	कोषवाणी पोर्टल के अनुसार बजट प्रावधान का योग	आईएफएमएस आँकड़ों के अनुसार बजट प्रावधान का योग	अन्तर
2020-21	09	1,22,859.63	1,22,976.59	(-)116.96
2021-22	10	67,339.10	67,340.56	(-)1.46
2022-23	12	1,23,011.73	1,22,831.88	179.85
2023-24	02	27,385.08	27,370.08	(-)15.00

वित्तीय स्वीकृति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अनुदानों की कुल संख्या जहाँ अन्तर पाया गया	कोषवाणी पोर्टल के अनुसार वित्तीय स्वीकृति का योग	आईएफएमएस आँकड़ों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति का योग	अन्तर
2020-21	86	40,571.00	2,82,515.56	(-)2,41,944.56
2021-22	40	3,10,251.92	2,67,124.77	43,127.16
2022-23	55	4,04,643.44	3,52,884.34	51,759.10
2023-24	34	3,79,522.58	2,93,381.04	(-)86,141.43

बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अनुदानों की कुल संख्या जहाँ अन्तर पाया गया	कोषवाणी पोर्टल के अनुसार बजट आवंटन का योग	आईएफएमएस आँकड़ों के अनुसार बजट आवंटन का योग	अन्तर
2020-21	64	2,95,933.34	2,37,852.05	58,081.30
2021-22	70	3,37,022.60	2,73,673.34	63,349.26
2022-23	22	1,54,891.32	1,03,744.00	51,147.32
2023-24	89	5,18,783.83	1,96,137.95	3,22,645.88

व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अनुदानों की कुल संख्या जहाँ अन्तर पाया गया	कोषवाणी पोर्टल के अनुसार व्यय का योग	आईएफएमएस आँकड़ों के अनुसार व्यय का योग	अन्तर
2020-21	27	2,31,140.89	1,67,458.08	63,682.81
2021-22	31	2,52,712.06	1,96,340.00	56,372.06
2022-23	49	3,60,207.11	3,14,179.48	46,027.62
2023-24	47	3,93,653.72	3,44,731.01	48,922.70

इस प्रकार, कोषवाणी पोर्टल के आँकड़े, आईएफएमएस के वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष विश्वसनीय एवं संगत नहीं थे।

उत्तर में निदेशालय (सितम्बर 2024) द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ प्रकरणों में महालेखाकार कार्यालय की अनुमति से कोषागारों द्वारा खाते में सुधार किया गया था। यह आँकड़े कभी-कभी कोषवाणी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होते हैं। अग्रेतर, यह भी अवगत कराया गया कि इस विषय में एनआईसी की तकनीकी टीम के साथ चर्चा की गयी है एवं डेटा की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कोषवाणी पर डेटा अपलोड प्रक्रिया को शीघ्र ही परिवर्तित किया जायेगा।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि प्रकरण सुधारात्मक कार्यवाही हेतु एनआईसी तकनीकी टीम को प्रेषित किया गया है।

2.1.10.2 डिजिटल एमआईएस प्रतिवेदन में समय-मुद्रांकन की सुविधा का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषवाणी में विभिन्न प्रतिवेदनों को सृजित करने की सुविधा है, परन्तु सृजित प्रतिवेदनों में समय-मुद्रांकन की सुविधा नहीं है। इस प्रकार, सृजित प्रतिवेदन प्रमाणीकरण, अस्वीकरण एवं समय-मुद्रांकन वेलिडेशन की सुविधाओं से रहित हैं।

उत्तर में निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि सभी डीडीओ को सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उनकी प्राप्तियों एवं व्यय का समय-मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोषवाणी पोर्टल एक सार्वजनिक पोर्टल है जहाँ से कोई भी इच्छुक हितधारक विवरण को देख एवं डाउनलोड कर सकता है।

2.1.10.3 कोषागार स्तर पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण के संशोधन को रोकने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव

डीडीओ द्वारा डीडीओ पोर्टल पर बिल 15 अंकीय लेखाशीर्ष वर्गीकरण के साथ तैयार किया जाता है एवं भुगतान के लिए बिल कोषागार को प्रेषित (सीटीएस पोर्टल) किया जाता है। लेखापरीक्षा में दोनों पोर्टल के डेटा (वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि हेतु) की तुलना की गयी एवं पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में समान बिल संख्याओं के लिए डीडीओ पोर्टल एवं सीटीएस पोर्टल पर प्रदर्शित खाते के लेखाशीर्ष में अंतर था, जैसा कि नीचे वर्णित है-

तालिका-2.18

कोषागार स्तर पर परिवर्तित लेखाशीर्ष वर्गीकरण का सारांश

कोषागार कोड	कोषागार का नाम	प्रकरणों की संख्या जहाँ सीटीएस पोर्टल पर लेखाशीर्ष डीडीओ पोर्टल में प्रदर्शित लेखाशीर्ष से भिन्न थे	धनराशि (₹ करोड़ में)
1300	बदायूं	6,135	146.36
1400	मुरादाबाद	11,543	287.50
2100	फतेहपुर	6,638	227.69
2700	वाराणसी	20,763	788.53
2800	मीरजापुर	17,786	360.69
3200	गोरखपुर	19,968	641.46
4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	49,184	1,124.46
6900	सोनभद्र	6,858	212.31
7600	गौतम बुद्ध नगर	5,955	343.50
7900	बलरामपुर	7,142	194.18
9600	विधान सभा	144	6.21
योग		**1,52,116**	**4,332.89**

स्रोतः वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए सीटीएस_बिल_इंट, सीटीएस_बिल_रेक, का डीडीओ_बिल_इंट तालिकाओं के साथ मिलान किया गया

कोषागारों द्वारा लेखाशीर्ष में उपरोक्त संशोधन उन कार्यकारी निर्देशों के उल्लंघन में किए जा रहे थे जिनमें स्पष्ट निर्देश थे कि कोषागार वाउचर का 15 अंकीय वर्गीकरण वही होना चाहिए जो सम्बन्धित बिलों के लिए डीडीओ द्वारा भरा गया हो एवं भुगतान की मासिक अनुसूची में प्रतिबिंबित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीडीओ को कोषागार स्तर पर किए गए ऐसे परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप मिलान में समस्या हो सकती है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि बिलों के लिए स्वतः संचालित लेखाशीर्ष वर्गीकरण की सुविधा को लागू किया जाएगा।

समापन बैठक (दिसम्बर 2024) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि कोषागार स्तर पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण में संशोधन की रोकथाम बिलों की ऑटो पोस्टिंग के बाद संभव होगी जो महालेखाकार के उचित परामर्श के बाद की जाएगी।

2.1.10.4 आईएफएमएस में विफल भुगतानों के प्रबन्धन में कमियाँ

ई-बिलिंग एवं सीटीएस मॉड्यूल के माध्यम से बिलों के प्रसंस्करण के पश्चात्, लाभार्थी को भुगतान हेतु डेटा ई-पेमेंट मॉड्यूल पर प्रेषित किया जाता है। यदि किसी स्तर पर कोई त्रुटि हो तो भुगतान विफल हो जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि-

- वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में, विफल भुगतानों के पाए गए कुल 10,35,463 प्रकरण (कुल वापसी प्रकरणों का 56.17 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो गये जिनमें ₹ 1,546.22 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी।
- विफल भुगतानों के बारे में लाभार्थियों को सचेत करने के लिए आईएफएमएस में कोई एप्लीकेशन नियन्त्रण नहीं थे।
- उपयोगकर्ता विभागों में विफल भुगतानों के प्रतिवेदन सृजित करने की कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं थी एवं ऐसी सभी प्रक्रियाओं का प्रबन्धन आईएफएमएस से बाहर मैनुअल रूप से किया जा रहा था।
- महालेखाकार कार्यालय को विफल भुगतानों के आँकड़े प्रेषित किये जाने हेतु सिस्टम में कोई इंटरफेस नहीं था। इस तरह के सभी आँकड़ों को आईएफएमएस से बाहर ऑफलाइन मोड में साझा किया जा रहा था।

कोषागार निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2024) कि डीडीओ द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए उनके पास वापस किए गए/विफल संव्यवहार का विवरण देखने की सुविधा है। विफल संव्यवहारों के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित डीडीओ का है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह इंगित करता है कि आईएफएमएस के क्रियान्वयन के पश्चात् भी अनुपालन का दायित्व प्रयोक्ताओं से प्रणाली पर अंतरित नहीं हुआ था एवं अनुपालन के दायित्व के निवर्हन में प्रयोक्ताओं के सहायतार्थ कोई कार्यप्रणाली/एमआईएस विवरण की सुविधा नहीं थी। परिणामस्वरूप, आईएफएमएस को क्रियान्वित करने के पूर्ण लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

2.1.10.5 निष्कर्ष

आईएफएमएस में कई कमियाँ थीं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। प्रमुख बिन्दुओं में कोषवाणी पोर्टल में असंगत आँकडे, विफल संव्यवहारों के प्रबन्धन में कमी एवं डिजिटल रूप में समय-मुद्रांकित एमआईएस विवरण का अभाव सम्मिलित है। कोषागार स्तर पर लेखाशीर्ष के वर्गीकरण के संशोधन को रोकने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव है। आँकड़ों की शुद्धता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु, इन कमियों को दूर करने हेतु बेहतर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रेक्षणों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि क्रियान्वित आईएफएमएस की प्रणाली अनुपालन दायित्व को, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से आईएफएमएस एप्लीकेशन पर पूर्णरूपेण स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त सक्षम नहीं थी।

2.1.10.6 *संस्तुतियाँ:*

- *आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, हितधारकों हेतु प्रामाणिक विवरण सृजित करने के लिए आईएफएमएस पोर्टल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।*
- *कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षों के वर्गीकरण के संशोधन को रोकने के लिए पर्याप्त कार्यप्रणाली विकसित किया जाना चाहिए।*

समापन बैठक में शासन द्वारा लेखापरीक्षा संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

2.2 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सही विवरण की घोषणा नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.83 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 में विशिष्ट प्रावधान है कि "प्रतिफल (यदि हो) और अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता या उस प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, उसमें सम्पूर्णता और सत्यतापूर्वक व्यक्त किये जाएगें" जिसका अर्थ है कि सम्पत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले सभी तथ्य जैसे कि भूमि की प्रकृति (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक), निर्माण, सड़क से दूरी, इत्यादि का निष्पादनकर्ताओं द्वारा लेखपत्र में सत्यतापूर्वक उल्लेख किया जाए। हस्तान्तरण विलेख पर अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा दिनाँक 05 जून 2003 को निर्गत दिशानिर्देश में, एक ही गाटा[15] संख्या में अलग-अलग दर यानी आवासीय और कृषि दर पर स्टाम्प शुल्क लगाकर भूखण्डों के निबन्धन को गलत करार दिया गया। महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा निर्गत परिपत्र दिनाँक 27 नवम्बर 2018 के अनुसार, सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करने एवं कम स्टाम्प शुल्क को आरोपित करने का अधिकार कलेक्टर स्टाम्प के पास निहित है। बाजार मूल्य निर्धारित करते समय कलेक्टर स्टाम्प लेखपत्र निष्पादन की तिथि के सन्दर्भ में सम्पत्ति के बाजार मूल्य की जाँच करेंगे तथा लेखपत्र निष्पादन की तिथि को अन्तरित सम्पत्ति की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य विनिश्चय करेंगे।

---

[15] आराजी/खसरा/गाटा किसी क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व की संख्या को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा 36 उप निबन्धक कार्यालयों[16] की नमूना जाँच (जून 2022[17] और जून 2023[18] के मध्य) फरवरी 2016[19] से मई 2023[20] की अवधि के अभिलेखों[21] (इण्डेक्स-2) की जाँच की गयी। इन 36 उप निबन्धक कार्यालयों में यह पाया गया कि 119 विक्रय विलेखों (इण्डेक्स-2 रजिस्टर के 1,24,974 नमूना जाँच के सापेक्ष) में विक्रीत भूमि को मुख्य सड़क और आबादी से दूर, 200 मीटर की परिधि में कृषि गतिविधियों के होने एवं भूमि के क्रय करने का उद्देश्य, कृषि दर्शाया गया था। अग्रेतर, सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत अन्य विक्रय विलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि प्रश्नगत[22] विक्रय विलेखों में दर्शायी गयी आराजी संख्याओं में, आवासीय भूखण्डों को प्रश्नगत विक्रय विलेखों के निबन्धन से पूर्व एवं पश्चात में विक्रय किया गया था। कुछ प्रकरणों में, एक ही आराजी संख्या में मकान और भूखण्ड थे। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निष्पादकों ने जानबूझकर करापवंचन के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाया, जो कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 का उल्लंघन है।

यद्यपि, लेखपत्रों का पंजीकरण प्रेरणा साफ्टवेयर के माध्यम से आन-लाइन मोड में किया जा रहा है, निबन्धनकर्ता प्राधिकारी उसी आराजी में निष्पादित विक्रय विलेखों की तुलना में निबन्धन के लिए प्रस्तुत भूमि की महत्ता के निर्धारण में साफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप

[16] 1-उप निबन्धक, दादरी जीबी नगर, 2-उप निबन्धक, प्रथम जीबी नगर, 3-उप निबन्धक, महसी बहराइच, 4-उप निबन्धक, सदर द्वितीय सहारनपुर, 5-उप निबन्धक, चंदौसी संभल, 6-उप निबन्धक, सदर द्वितीय प्रयागराज, 7-उप निबन्धक, फूलपुर प्रयागराज, 8-उप निबन्धक, सदर प्रथम कानपुर नगर, 9-उप निबन्धक, सदर द्वितीय कानपुर नगर, 10-उप निबन्धक, सदर चतुर्थ कानपुर नगर, 11-उप निबन्धक, सदर उन्नाव, 12-उप निबन्धक, सदर प्रथम प्रयागराज, 13-उप निबन्धक, धौलाना हापुड, 14-उप निबन्धक, सदर द्वितीय लखनऊ, 15-उप निबन्धक, सदर तृतीय लखनऊ, 16-उप निबन्धक, सदर प्रथम मेरठ, 17-उप निबन्धक, सदर बाराबंकी, 18-उप निबन्धक, सदर तृतीय कानपुर नगर, 19-उप निबन्धक, मोहनलालगंज लखनऊ, 20-उप निबन्धक, सोरांव प्रयागराज, 21-उप निबन्धक, सदर उरई जालौन, 22-उप निबन्धक, सदर प्रथम मथुरा, 23-उप निबन्धक, सदर द्वितीय आगरा, 24-उप निबन्धक, सदर प्रथम बरेली, 25-उप निबन्धक, सदर प्रथम गोरखपुर, 26-उप निबन्धक, सदर प्रथम झांसी, 27-उप निबन्धक, सदर प्रथम मुरादाबाद, 28-उप निबन्धक, सदर प्रथम वाराणसी, 29-उप निबन्धक, एत्मादपुर आगरा, 30-उप निबन्धक, सदर फतेहपुर, 31-उप निबन्धक, सदर प्रथम फिरोजाबाद, 32-उप निबन्धक, सदर गाजीपुर, 33-उप निबन्धक, अकबरपुर कानपुर देहात, 34-उप निबन्धक, छाता मथुरा, 35-उप निबन्धक, सदर रायबरेली और 36-उप निबन्धक, सदर रामपुर।

[17] उप निबन्धक, सोरांव, प्रयागराज की लेखापरीक्षा माह जून 2022 में की गयी।

[18] उप निबन्धक, सदर, रायबरेली की लेखापरीक्षा माह जून 2023 में की गयी।

[19] उप निबन्धक, रामपुर की लेखापरीक्षा अवधि फरवरी 2016 से मार्च 2023 थी।

[20] उप निबन्धक, सदर, रायबरेली की लेखापरीक्षा अवधि सितम्बर 2017 से मई 2023 थी।

[21] बिक्री विलेख, संबंधित उप निबन्धक, की दर सूची और सूचकांक-2।

[22] प्रश्नांकित विलेख ऐसे कार्य हैं जिन पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली को इंगित किया गया है। इन विलेखों का उल्लेख परिशिष्ट में मोटे अक्षरों में किया गया है।

स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस के रूप में ₹ 6.83 करोड़ की धनराशि का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.13** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2024 एवं अगस्त 2024) किया गया। शासन द्वारा अपने उत्तर (मार्च 2025) में 32 प्रकरणों को स्वीकार किया गया, जिसमें से 10 प्रकरणों में ₹ 30.43 लाख जमा किये गए हैं और 22 प्रकरणों में विभाग द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र (मूल्य ₹ 1.22 करोड़) निर्गत किये गए हैं/निर्गत किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 78 प्रकरणों में स्टाम्प वाद दायर किया गया है, जिन पर अभी निर्णय होना शेष है। विभाग द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि 09 प्रकरणों में पर्याप्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था जिनका स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से निर्णय किया गया था, परन्तु उत्तर अभिलेखीय साक्ष्य समर्थित नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर को स्वीकार नहीं किया गया।

परिवहन विभाग

2.3 वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराया जाना

2,010 परिवहन वाहनों एवं 1,537 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया जिन पर ₹ 37.18 लाख का फिटनेस शुल्क आरोपणीय था। सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा इन वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत करने एवं परिवहन वाहनों के प्रकरण में परमिट निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 में प्रावधान है कि कोई परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक उसके पास फिटनेस प्रमाणपत्र न हो एवं केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 62 में यह प्रावधान है कि नये पंजीकृत परिवहन वाहन के सम्बन्ध में आठ वर्ष की अवधि तक, प्रदान किया गया फिटनेस प्रमाणपत्र प्रत्येक दो वर्षों के लिए वैध है एवं उसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त के कार्यालय आदेश दिनाँक 12 दिसम्बर 2005 के अनुसार ओमनी बसों (ऐसा वाहन जिसमें छः सीटों से अधिक किन्तु चालक को छोड़कर नौ सीटें हों) के लिये फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य है, भले ही वे गैर-परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत हों। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 एवं 86 के अन्तर्गत परिवहन प्राधिकारी फिटनेस के वैध प्रमाणपत्र के बिना ऐसी अवधि के लिये वाहनों के परमिट को निरस्त या निलम्बित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 81 में तिपहिया/हल्के वाहनों एवं मध्यम/भारी वाहनों के लिए क्रमशः ₹ 400 एवं ₹ 600 का जाँच शुल्क निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणी के वाहनों के प्रकरण में ₹ 200 का फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। फिटनेस जाँच के

लिये निरीक्षण हेतु समय पर वाहन प्रस्तुत करने में चूक वाले प्रकरण में, निर्धारित जाँच शुल्क के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है।

- लेखापरीक्षा द्वारा 12[23] सम्भागीय परिवहन कार्यालयों/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों से सम्बन्धित 8,861 परिवहन वाहनों के अभिलेखों[24] की नमूना जाँच की गयी और पाया (अगस्त 2022 एवं अक्टूबर 2023 के मध्य) कि इनमें से 2,010 परिवहन वाहनों[25] के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त (02 से 72 महीने तक) होने के उपरान्त भी नवीनीकृत नहीं किये गये थे। वाहनों का उपयोग न किये जाने की स्थिति में इन वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के बाद, 2,010 वाहनों में से 894 वाहनों के देय कर का भुगतान किया गया था एवं प्रवर्तन दल ने 2,010 वाहनों में से 934 वाहनों का सड़क पर चालान किया था, जो इंगित करता है कि ये वाहन, फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के बाद भी सड़क पर संचालित थे। ऐसे वाहन मालिकों को उन प्रकरणों में जहाँ वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो गयी थी, कर का भुगतान करने से रोकने हेतु, वाहन साफ्टवेयर में आवश्यक अनुप्रयोग नियंत्रण नहीं बनाया गया था। वाहन डेटाबेस में फिटनेस की वैधता की समाप्ति के दिनाँक से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी, तथापि सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों ने इन वाहन मालिको को नोटिस निर्गत करने एवं उनके परमिट निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। परिणामस्वरूप, शासन ₹ 21.78 लाख के फिटनेस शुल्क से वंचित रहा **(परिशिष्ट-2.14)**।

- इसी प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा 13[26] सम्भागीय परिवहन कार्यालयों/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों से सम्बन्धित 7,831 गैर-परिवहन वाहनों के अभिलेखों[27] की नमूना जाँच की गयी और पाया गया (अगस्त 2022 एवं अक्टूबर 2023 के मध्य) कि इनमें से 1,537 गैर-परिवहन वाहनों[28] के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त (02 से 72 महीने तक) होने के उपरान्त भी नवीनीकृत नहीं किये गये थे। इन वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित/निरस्त नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया कि फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता

---

[23] सम्भागीय परिवहन अधिकारी-आगरा, बरेली, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी-बहराईच, बुलन्दशहर एवं हापुड़।

[24] वाहन डेटाबेस, कर की स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, प्राप्ति पुस्तिका आदि।

[25] आगरा-15, बहराईच-1,144, बरेली-111, बुलन्दशहर-178, हापुड़-62, झाँसी-29, कानपुर नगर-93, लखनऊ-41, मथुरा-8, मेरठ-147, सहारनपुर-44, एवं वाराणसी-138।

[26] सम्भागीय परिवहन अधिकारी- आगरा, बाँदा, बरेली, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी-बहराईच, बुलन्दशहर एवं हापुड़।

[27] वाहन डेटाबेस, कर पंजिका/स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि।

[28] आगरा-93, बहराईच-302, बाँदा-176, बरेली-92, बुलन्दशहर-85, हापुड़-66, झाँसी-29, कानपुर नगर-74, लखनऊ-31, मथुरा-230, मेरठ-101, सहारनपुर-111, एवं वाराणसी-147।

समाप्ति के बाद भी, सड़क पर प्रवर्तन दल द्वारा 520 वाहनों का चालान किया गया था, जिससे यह स्थापित होता है कि वाहन सड़क पर संचालित थे। वाहन डेटाबेस में फिटनेस की वैधता की समाप्ति के दिनाँक से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी, तथापि सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों ने इन वाहन मालिको को नोटिस निर्गत करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण न कराये जाने के परिणामस्वरूप, फिटनेस शुल्क ₹ 15.37 लाख वसूल नहीं किया गया **(परिशिष्ट-2.15)**। इसके अतिरिक्त, बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित वाहन सड़क सुरक्षा के लिये खतरा एवं दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024, सितम्बर 2024 एवं नवम्बर 2024) तथापि, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2025)।

2.4 पंजीकृत वाहनों के वैधता समाप्त परमिट पर कार्यवाही करने में विफलता

वाहनों के परमिट की वैधता की समाप्ति पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इन वाहन स्वामियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी अभ्यर्पित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 96.38 लाख का परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क छूट गया।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 एवं 81 के अन्तर्गत, अस्थायी परमिट के अतिरिक्त कोई भी परमिट पाँच वर्षों की अवधि के लिये प्रभावी होगा एवं मोटर वाहन स्वामी बिना परमिट के किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में न वाहन का उपयोग करेगा, न करने की अनुमति देगा। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1989 (फरवरी 2019 में संशोधित) के नियम 125 में नये परमिट निर्गत करने और उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क को निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा छः सम्भागीय परिवहन अधिकारियों[29] के अभिलेखों[30] (दिसम्बर 2019 से अगस्त 2023 की अवधि में) की नमूना जाँच की गयी और पाया गया (सितम्बर 2022 एवं सितम्बर 2023 के मध्य) कि 10,816 परिवहन वाहनों (माल वाहन, मैक्सी कैब, स्कूल बस, स्टेज कैरिज, टैंकर एवं तिपहिया वाहन) में से 2,208 के परमिट जनवरी 2021 एवं अगस्त 2023 के मध्य समाप्त हो गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक दो से 30 माह की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी इन वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि इन वाहन मालिकों ने उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियम, 1998 के नियम 22 के अन्तर्गत वाहनों का उपयोग न होने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित नहीं किया था, न ही विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त किया था। 2,208

[29] सम्भागीय परिवहन अधिकारी-आगरा, बरेली, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी।

[30] वाहन डेटाबेस, परमिट पंजिका, प्राप्ति पुस्तिका आदि।

वाहनों में से 666 वाहनों के प्रकरण में परमिट समाप्ति के पश्चात टैक्स भी जमा किया था। अग्रेतर, 2,208 वाहनों में से 950 वाहनों का परमिट समाप्ति के पश्चात प्रवर्तन दल द्वारा सड़क पर चालान किया गया था जो यह स्थापित करता है कि ये वाहन परमिट के नवीनीकरण के बिना सड़क पर संचालित थे।

वाहन डेटाबेस में परमिट वैधता समाप्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी, फिर भी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा इन परमिट धारकों को नोटिस निर्गत करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, ₹ 96.38 लाख के परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क वसूल नहीं किया गया **(परिशिष्ट-2.16)**।

प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2023, जनवरी 2024, अगस्त 2024, सितम्बर 2024 एवं नवम्बर 2024) यद्यपि, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2025)।

2.5 जेएनएनयूआरएम बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित 84 जेएनएनयूआरएम बसों पर ₹ 1.38 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम के किसी परिवहन यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान, अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1) (28 अक्टूबर 2009 को यथासंशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। यद्यपि, नगर निगम या नगर पालिका की सीमान्तर्गत संचालित राज्य परिवहन उपक्रम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2022-23 में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर नगर के अभिलेखों[31] की नमूना जाँच की गयी। कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले मार्गों के साथ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन बसों की सूची को क्रास-चेक करने से ज्ञात हुआ (अक्टूबर 2022) कि एक राज्य परिवहन उपक्रम अर्थात कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड की 84 जेएनएनयूआरएम बसें दिसम्बर 2019 से सितम्बर 2022 की अवधि के मध्य कानपुर नगर निगम के निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर संचालित थीं, जिसके लिये ₹ 1.38 करोड़ के अतिरिक्त कर[32] के भुगतान का उत्तरदायित्व कानुपर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का था। इन बसों के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा नियमित रूप से रोड टैक्स का भुगतान किया जा रहा था यद्यपि

[31] वाहन डेटाबेस, नगर निगम क्षेत्रों (अंदर/बाहर) के रूट पत्रावलियों के अभिलेख, अतिरिक्त कर जमा के अभिलेख, नगर निगम रूट सूची आदि।

[32] राज्य परिवहन उपक्रम की बसों पर उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की दर दी गयी है, छः वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के प्रकरण में प्रति सीट अतिरिक्त कर की न्यूनतम मासिक दर (₹ 150) पर विचार किया गया है।

राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा इन 84 बसों के सापेक्ष ₹ 1.38 करोड़ के अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं किया गया।

सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इन बसों के रूट चार्ट की जाँच नहीं की गयी और इसलिये यह ज्ञात करने में विफल रहे कि ये जेएनएनयूआरएम बसें नगर निगम के निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर संचालित थीं। इसके फलस्वरूप, ₹ 1.38 करोड़ का अतिरिक्त कर को आरोपित एवं संग्रहीत नहीं किया गया।

उत्तर में, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2024) कि वर्तमान में कानपुर नगर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से अतिरिक्त कर लगाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त कर का प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024, मार्च 2024, सितम्बर 2024 एवं नवम्बर 2024)। विभागीय उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2025)।

2.6 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर 6,907 प्रकरण में अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियम[33], 1998 के नियम 24 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6, 9 (1) एवं 9 (3) के अनुसार, जहाँकि कर या अतिरिक्त कर भुगतान निर्दिष्ट अवधि (प्रत्येक कैलेण्डर माह की 15 तारीख) के भीतर नहीं किया जाता है, वहाँ प्रति माह या उसके भाग के लिये देय कर/अतिरिक्त कर का पाँच प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड (देय राशि से अधिक नहीं) देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा नवम्बर 2017 से नवम्बर 2023 तक की अवधि के लिये 11[34] सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों[35] की नमूना जाँच की गयी एवं पाया गया (सितम्बर 2022 से जनवरी 2024) कि 7,261 प्रकरण में से 6,907 प्रकरण में, उत्तर प्रदेश राज्य

---

[33] उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1998 के नियम 24 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम की धारा 6(1)।

[34] सम्भागीय परिवहन अधिकारी-बहराइच, बरेली, झाँसी, कन्नौज, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी-बुलन्दशहर, हापुड़ एवं सहारनपुर।

[35] वाहन डेटाबेस, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों के मासिक जमा स्क्राल, जमा चालान, अतिरिक्त कर के आनलाइन/आफलाइन भुगतान के अभिलेख आदि।

सड़क परिवहन निगम द्वारा 01 से 124 माह के विलम्ब[36] के साथ अतिरिक्त कर (जून 2010 से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिये) का भुगतान किया था। परन्तु, विभाग ने परिवहन निगम की बसों के सापेक्ष किये गये अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड आरोपित एवं वसूल नहीं किया। अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड ₹ 15.36 करोड़ की गणना प्रतिमाह देय अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत की दर से की गयी है **(परिशिष्ट-2.17)**।

प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2024 एवं नवम्बर 2024 के मध्य)। उत्तर में, विभाग द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2024 एवं नवम्बर 2024) कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों के अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड देय नहीं है क्योंकि धारा 6 के अन्तर्गत देय अतिरिक्त कर के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 24 में यह प्रावधान है कि जहाँ मोटर वाहन के सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहाँ देय कर या अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड प्रतिमाह या उसके भाग के लिये, देय होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के 2009 में संशोधन से पूर्व, धारा 9(1) के खण्ड (iv) के उपखण्ड (ए) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि धारा 6 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर प्रत्येक कैलेण्डर माह के 15वें दिवस या उससे पूर्व अग्रिम रूप से देय होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6, जैसा कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमण्डल द्वारा हिन्दी में पारित) द्वारा संशोधित किया गया है, में प्रावधानित है कि 'धारा 4 के अन्तर्गत देय कर के साथ अतिरिक्त कर देय होगा' जबकि धारा 6 के अंग्रेजी अनुवाद में यह प्रावधान किया गया था कि 'धारा 4 के अन्तर्गत देय कर के अलावा अतिरिक्त कर देय होगा'। इस प्रकार, धारा 6 के हिन्दी और अग्रेजी संस्सकरणों के मध्य अन्तर है एवं जैसा कि हिन्दी संस्करण राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किया गया था, प्रभावी होना चाहिए। धारा 9 (1) वाहनों द्वारा कर जमा करने की समय सीमा निर्धारित करती है, जबकि धारा 6 (हिन्दी संस्करण) निर्धारित करती है कि कर के साथ अतिरिक्त कर देय होगा। इस प्रकार, धारा 6 के साथ पठित धारा 9 (1) अतिरिक्त कर जमा करने के लिये समय सीमा निर्धारित करती है एवं इसलिये अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड आरोपणीय है।

[36] एक माह से तीन माह तक-5184 प्रकरण, तीन माह से अधिक से 12 माह तक-798 प्रकरण, 12 माह से अधिक 36 माह तक-869 प्रकरण एवं 36 माह से अधिक-56 प्रकरण।

संस्तुति:

सरकार को अतिरिक्त कर जमा करने की समय सीमा के स्पष्ट उल्लेख हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 9 (1) में संशोधन करना चाहिए।

राज्य आबकारी विभाग

2.7 क्यूआर कोड की धनराशि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपित न किया जाना

आठ आसवनियों/यवासवनियों द्वारा आबकारी राजस्व की विलम्बित जमा धनराशि पर ₹ 2.00 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38(ए) के अन्तर्गत, जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय तिथि से तीन माह के भीतर जमा नहीं किया गया है, वहाँ ऐसे आबकारी राजस्व के देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के लिए लागू आबकारी नीति में मदिरा और उसके विभिन्न घटकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की गणना करने की विधि निर्धारित की गई है। इनमें से एक घटक ट्रैक एंड ट्रेस एप्लीकेशन (क्यूआर कोड) है। यदि इस तरह से गणना की गई एमआरपी ₹ 5 (देशी मदिरा के मामले में) या ₹ 10 (भारत में बनी विदेशी मदिरा/बीयर के मामले में) के गुणक में नहीं है, तो इसे क्रमशः ₹ 5 या ₹ 10 के अगले गुणक में तय किया जाएगा। अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा (सितम्बर 2022 से मार्च 2023 के मध्य) आठ सहायक आबकारी आयुक्त, के कार्यालयों, आसवनियों एवं यवासवनियों[37] के आँकड़ों/अभिलेखों (जनवरी 2019 से फरवरी 2023 तक की अवधि के) की जाँच की गयी और पाया गया कि आसवनियों/यवासवनियों ने ट्रैक एंड ट्रेस एप्लिकेशन (क्यूआर कोड) का उपयोग किए बिना मदिरा निर्गत की थी। चूँकि, इस अवधि में क्यूआर कोड के बिना निर्गत की गयी मदिरा की बोतलों की कीमत में क्यूआर

[37] सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी अलीगढ़, सहायक आबकारी आयुक्त, उन्नाव आसवनी एवं यवासवनी उन्नाव, सहायक आबकारी आयुक्त, मोहन मेकिंस लिमिटेड मोहन नगर गाजियाबाद, सहायक आबकारी आयुक्त, मैसर्स मिलर इंडिया लिमिटेड यूनिट सेंट्रल आसवनी एवं यवासवनी मेरठ, सहायक आबकारी आयुक्त, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड मेरठ कैंट मेरठ, सहायक आबकारी आयुक्त, रोजा डिस्टलरी शाहजहाँपुर, सहायक आबकारी आयुक्त, डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट-दौराला शुगर वर्क्स आसवनी दौराला मेरठ, सहायक आबकारी आयुक्त, नेशनल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड राजा का सहसपुर, मुरादाबाद।

कोड (₹ 0.15 प्रति बोतल) की लागत सम्मिलित थी, इसलिए आसवनियों/ यवासवनियों ने विभाग द्वारा माँगे जाने पर ₹ 3.06 करोड़ की राशि कोषागार में जमा कर दी थी। यद्यपि, क्यूआर कोड राशि जमा करने में 33 से 56 महीने तक विलम्ब हुआ था किन्तु आसवनियों/यवासवनियों द्वारा आबकारी राजस्व के विलम्बित जमा हेतु 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गयी ₹ 2.00 करोड़ की देय ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया **(परिशिष्ट-2.18)**। विभाग ने देय ब्याज को आरोपित एवं वसूल भी नहीं किया।

प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2023 और मार्च 2023)। विभाग द्वारा अपने उत्तर (अक्टूबर 2023) में अवगत कराया गया कि आसवनियों से वसूल की गयी क्यूआर कोड व्यय की धनराशि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 3 के अन्तर्गत परिभाषित "आबकारी राजस्व" की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38ए के तहत क्यूआर कोड व्यय के विलम्ब से जमा करने की धनराशि पर ब्याज की धनराशि वसूल करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आसवनियों/यवासवनियों द्वारा जमा की गयी क्यूआर कोड राशि, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का भाग थी, इसलिए यह आबकारी राजस्व का भाग है, जो संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38ए के अनुसार ₹ 2.00 करोड़ का ब्याज आकर्षित करती है।

भाग-II

आर्थिक क्षेत्र

(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय-III

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

अध्याय-III

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

प्रस्तावना

3.1 यह अध्याय लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्तियाँ, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई, राज्य विधानसभा में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाने की स्थिति तथा उनके लेखाओं के बकाया की स्थिति को दर्शाता है।

विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा

3.2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के चौदह विभाग और तेरह संस्थाएं आती हैं। इन विभागों का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव करते है, जिनकी सहायता सचिव/अपर सचिव/आयुक्त/निदेशक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियों का विवरण **चार्ट 3.1** में दिया गया हैं।

चार्ट 3.1: 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार का बजट अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

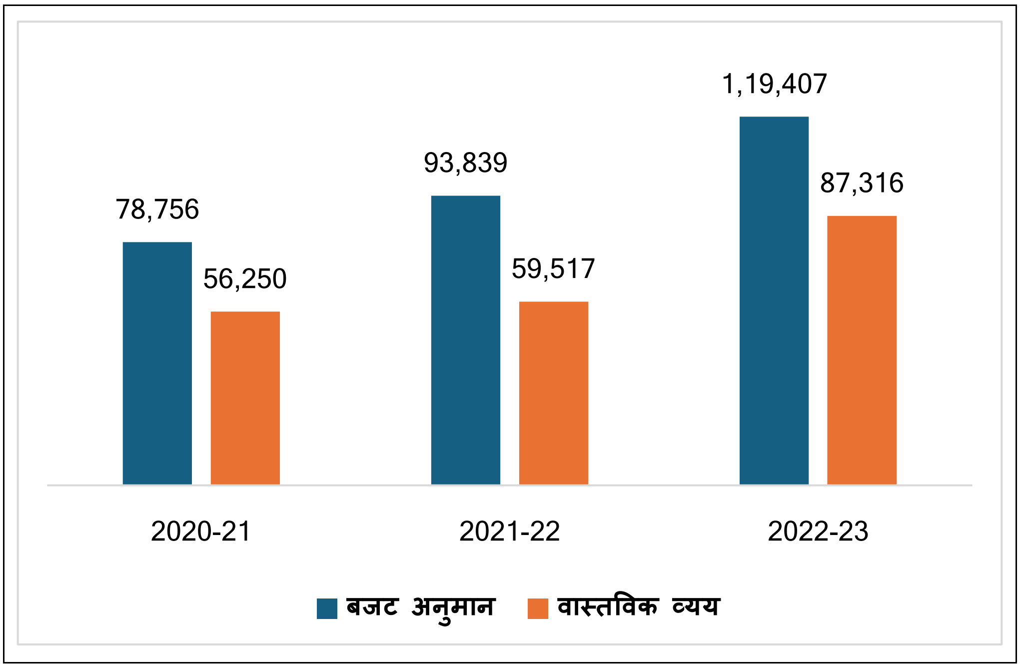

स्रोत: कोषवाणी वेब- उ.प्र. राज्य में वित्त गतिविधियों के लिए प्रवेश द्वार

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अतिरिक्त पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2020-21	2021-22	2022-23
ऊर्जा विभाग	22,663.87	33,697.32	42,021.55
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	6,002.30	8,746.20	16,087.64
लोक निर्माण विभाग	22,632.57	12,934.83	20,975.75
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	1,243.86	1,512.19	1,853.21
नागरिक उड्डयन विभाग	1,816.88	181.00	2,089.93

स्रोत: कोषवाणी वेब- उत्तर प्रदेश में वित्त गतिविधियों के लिए प्रवेश द्वार

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

3.3 वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने राजस्व विभाग के परिचयात्मक अध्याय के अन्तर्गत आने वाले विभागों को को छोड़कर 14 विभागों के अन्तर्गत विभागों और स्वायत निकायों से सम्बन्धित कुल 658 लेखापरीक्षणीय इकाइयों में से 133 की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

3.4 लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए चार स्तरों पर अवसर प्रदान करती है, अर्थात्

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन**: फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किये जाते हैं जिनका उत्तर लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर):** लेखापरीक्षा संपन्न होने के एक माह के अंदर जारी किये जाते है, जिसका उत्तर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अंदर देना होता है।
- **ड्राफ्ट प्रस्तर:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयाँ कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अंदर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/सरकार के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रमुख एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागाध्यक्ष/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की

जाती है। तथापि, अधिकांश प्रकरणों में, लेखापरीक्षित इकाइयाँ/विभाग समय पर और संतोषजनक उत्तर प्रेषित नहीं करते हैं जैसा कि नीचे इंगित गया है:

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर)

3.4.1 मार्च 2023 तक 14 विभागों से सम्बन्धित 648 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2023 तक विश्वसनीय उत्तर की प्रत्याशा में 2,960 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 14,152 प्रस्तर निपटान हेतु लम्बित थे। इनमें से, डीडीओ ने 400 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 2,326 प्रस्तर के सम्बन्ध में प्रारम्भिक उत्तर प्रस्तुत किए, जबकि 2,560 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 11,826 प्रस्तर के सम्बन्ध में, डीडीओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: 31 मार्च 2023 को लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों की स्थिति

क्र. सं.	अवधि	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लम्बित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2022-23	116 (4)	1073 (8)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	161 (5)	1520 (11)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	282 (10)	2025 (14)
4	5 वर्षों से अधिक	2401 (81)	9534 (67)
योग		**2960**	**14152**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी।

अनुपालन लेखापरीक्षा

3.4.2 वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2022-23 के लिए, पर्यटन विभाग के प्रशासनिक सचिव को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अक्टूबर 2024) निर्गत किया गया है। उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रस्तर भी लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव को अग्रेषित किया गया था और इसके उत्तर को ड्राफ्ट प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिया गया है।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

अप्राप्त उत्तर

3.5.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस पर कार्यपालिका से उपयुक्त और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए थे (जून 1987) कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा

प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जाने के दो से तीन माह के अन्दर प्रेषित करें। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 3.3** में दी गई है।

तालिका 3.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 जून 2024 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (आर्थिक क्षेत्र/गैर-पीएसयू)	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुए[1]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	-
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	1
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	2
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
2016-17	19 जुलाई 2019	-	4	-	1
2017-18	21 अगस्त 2020	-	10	-	9
2018-19	19 अगस्त 2021	-	9	-	6
2019-20	17 दिसम्बर 2021	1[2]	-	-	-
	21 सितम्बर 2022	-	3	-	2
2020-21	22 फरवरी 2023	-	10	-	8
योग		**11**	**55**	**7**	**332**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

3.5.2 वर्ष 2012-13 से 2020-21 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 11 निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 55 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रतिवेदित किए गए। इनमें से लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए 23 प्रस्तर (पीए/सीए) लिए गए थे। 30 जून 2024 को पीएसी चर्चा की स्थिति **तालिका 3.4** में वर्णित है।

तालिका 3.4: पीएसी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	66 (11 पीए[3] + 55 सीए)
लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिए पीएसी द्वारा लिया गया	23 (7 पीए + 16 सीए)
पीएसी द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य

---

[1] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; लोक निर्माण विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग; ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से संबंधित।

[2] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[3] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
प्राप्त हुआ एटीएन	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

3.6 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गये राज्य सरकार की संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासकीय आदेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन संस्थाओं के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं और सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल में रखे जाने हैं।

संस्थाओं के लेखाओं के प्रेक्षण एवं अन्तिमीकरण में बकाया

3.6.1 31 मार्च 2023 को, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 11 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी। इन 11 संस्थाओं में से 01 संस्था यथा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखाओं का बकाया शून्य[4] है। शेष 10 संस्थाओं के सितम्बर 2023 तक 90 लेखे बकाया हैं। इन 10 संस्थाओं में से, 03 संस्थाओं के लेखे 18 वर्षों से बकाया थे, 01 संस्था के लेखे 16 वर्षों से बकाया थे और 5 संस्थाओं के लेखे 02 से 06 वर्षों से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है।

तालिका 3.5: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं के लेखाओं का बकाया

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2020-21 से 2022-23	03
2	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	2022-23	01
3	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	शून्य	0
4	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2022-23	05
5	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
6	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2021-22 से 2022-23	02
7	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
8	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18
9	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18
10	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18

[4] उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2018-19 तक के सौंपे गये अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा के अनुरूप 2018-19 तक के अपने लेखाओं को प्रेषित किया। इसलिए, उनके लेखाओं की बकाया स्थिति शून्य है।

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
11	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण[5]	2005-06 से 2020-21	16
योग			90

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य विधानमण्डल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को रखे जाने की स्थिति

3.6.2 30 सितम्बर 2023 तक सात संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं का विवरण, जिन्हें राज्य विधानमण्डल में रखा जाना बाकी है को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 3.6: राज्य विधानमण्डल में अभी तक न रखे जाने वाले पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	संस्थाओं का नाम	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को राज्य विधानमण्डल में रखा गया	राज्य विधानमण्डल में नहीं रखी गई एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं की स्थिति	
			एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष	सरकार को प्रतिवेदन निर्गत करने की तिथि
1	यूपीईआरसी	**शून्य**	2003-04	19 अक्टूबर 2006
			2004-05	5 अक्टूबर 2007
			2005-06	5 अक्टूबर 2007
			2006-07	3 अक्टूबर 2008
			2007-08	17 अगस्त 2009
			2008-09	15 अगस्त 2010
			2009-10	26 मई 2011
			2010-11	8 जून 2012
			2011-12	24 सितम्बर 2014
			2012-13	20 फरवरी 2015
			2013-14	22 जून 2015
			2014-15	28 दिसम्बर 2015
			2015-16	18 मई 2017
			2016-17	8 मार्च 2019
			2017-18	15 मई 2020
			2018-19	18 दिसंबर 2020
			2019-20	20 अप्रैल 2023
2	कैम्पा	शून्य	2010-11	2 मई 2019
			2011-12	1 अक्टूबर 2019
			2012-13	1 अक्टूबर 2019
			2013-14	6 अप्रैल 2022
			2014-15	18 मई 2023

[5] लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 04 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है।

क्र. सं.	संस्थाओं का नाम	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को राज्य विधानमण्डल में रखा गया	राज्य विधानमण्डल में नहीं रखी गई एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं की स्थिति	
			एसएआर सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष	सरकार को प्रतिवेदन निर्गत करने की तिथि
			2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20	20 जून 2023 4 जुलाई 2023 21 जुलाई 2023 4 अगस्त 2023 31 अगस्त 2023
3	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	3 जुलाई 2019 10 जून 2020 18 दिसम्बर 2020 10 अगस्त 2021 29 मार्च 2022 12 अप्रैल 2022 27 अप्रैल 2022 26 मई 2022 20 जून 2022 10 अगस्त 2022
4	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	शून्य	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	9 सितम्बर 2022 9 सितम्बर 2022 12 दिसम्बर 2022 27 जनवरी 2023 27 जनवरी 2023
5	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	24 जनवरी 2023 24 जनवरी 2023 17 अप्रैल 2023 10 मई 2023 1 जून 2023 16 जून 2023 14 अगस्त 2023 14 अगस्त 2023 14 अगस्त 2023 12 सितम्बर 2023
6	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	3 मार्च 2023 3 मार्च 2023 21 अप्रैल 2023 28 जून 2023 1 अगस्त 2023 28 अगस्त 2023
7	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06 2006-07	4 जुलाई 2023 4 जुलाई 2023

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियां

3.7 लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न विभागों/संस्थाओं में 21 प्रकरणों में ₹ 27.68 करोड़ की वसूलियां इंगित की गई थी। इसके विरुद्ध, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान 13 प्रकरणों में ₹ 21.01 करोड़ की वसूलियां स्वीकार की गई, किन्तु मात्र एक प्रकरण में ₹ 0.75 करोड़ की वसूली की गई, जैसा कि **तालिका 3.7** में वर्णित है।

तालिका 3.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकृत/संपन्न की गई वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	वसूलियों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूलियां		वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां		वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान की गई वसूलियां	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
लोक निर्माण विभाग	ठेकेदारों को वस्तु एवं सेवा कर का अधिक भुगतान	7[6]	8.25	5	6.32	1	0.75
	दो ठेकेदारों को श्रम उपकर का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान	2	3.21	2	3.21	-	-
	मूल्य वृद्धि में दो ठेकेदारों को अधिक भुगतान	2	1.25	0	0	-	-
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली न होना	1	1.37	0	0	-	-
	अस्थायी अग्रिम की वसूली न होना	1	0.98	0	0	-	-
	अनियमित अग्रिम अवमुक्त करने के कारण सरकार को ब्याज की हानि	1	0.17	1	0.17	-	-
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	सेंटेज प्रभार की वसूली न होना	2	2.29	1	2.23	-	-
	आईओसी मथुरा से लीज प्रीमियम और लीज रेंट की वसूली न होना	2	9.06	2	9.06	-	-
	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा धनराशि जमा न करना/कम जमा करना	2	0.02	2	0.02	-	-
	निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की कम वसूली	1	1.08	0	0	-	-
योग		**21**	**27.68**	**13**	**21.01**	**01**	**0.75**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

6 सात प्रकरणों में से ₹ 1.06 करोड़ का एक प्रकरण वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित था, जिसके विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 0.75 करोड़ की वसूली की गई।

अध्याय-IV

विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-IV

विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किए गए संव्यवहारों की नमूना जांचोपरान्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं।

पर्यटन विभाग

4.1 पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

4.1.1 उत्तर प्रदेश राज्य के पास पर्यटन के विविध अवसर हैं। पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) समय-समय पर विभिन्न पर्यटन विकास गतिविधियां निष्पादित करती रही है और विभिन्न विकासात्मक एवं उन्नयन कार्य करती रही है; कुछ परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जबकि अन्य को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उ.प्र. सरकार ने वर्तमान अवसंरचना को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विकास, आय और रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2018 और 2022 में पर्यटन नीति भी तैयार की है।

राज्य में पर्यटन विकास गतिविधियों को लागू करने का उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय (निदेशालय), उ.प्र. सरकार का है। वर्तमान में, जून 2024 तक निदेशालय का नेतृत्व महानिदेशक (डीजी) द्वारा एक वित्त नियंत्रक, एक निदेशक, सात उप निदेशक और नौ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों की सहायता से किया जाता है। निदेशालय, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। वर्तमान में प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ही महानिदेशक पर्यटन भी हैं।

निदेशालय ने 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान तीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं यथा; स्वदेश दर्शन, तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) और संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत 12 परियोजनाओं[1] को निष्पादित किया। भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 466.98 करोड़ स्वीकृत किए और निदेशालय को ₹ 395.82 करोड़ की धनराशि जारी की। इसके विरूद्ध अब तक (मई 2024) ₹ 392.40 करोड़ व्यय किए गए। इनमें से ग्यारह परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं

[1] पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजना के अन्तर्गत क्रमशः पाँच एवं छः परियोजनाएं तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत एक परियोजना स्वीकृत की गई।

और शेष एक परियोजना[2] की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत (मई 2024) थी, जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में वर्णित है। उपर्युक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित पर्यटक स्थलों को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: 12 परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले पर्यटक स्थलों को दर्शाने वाला चार्ट

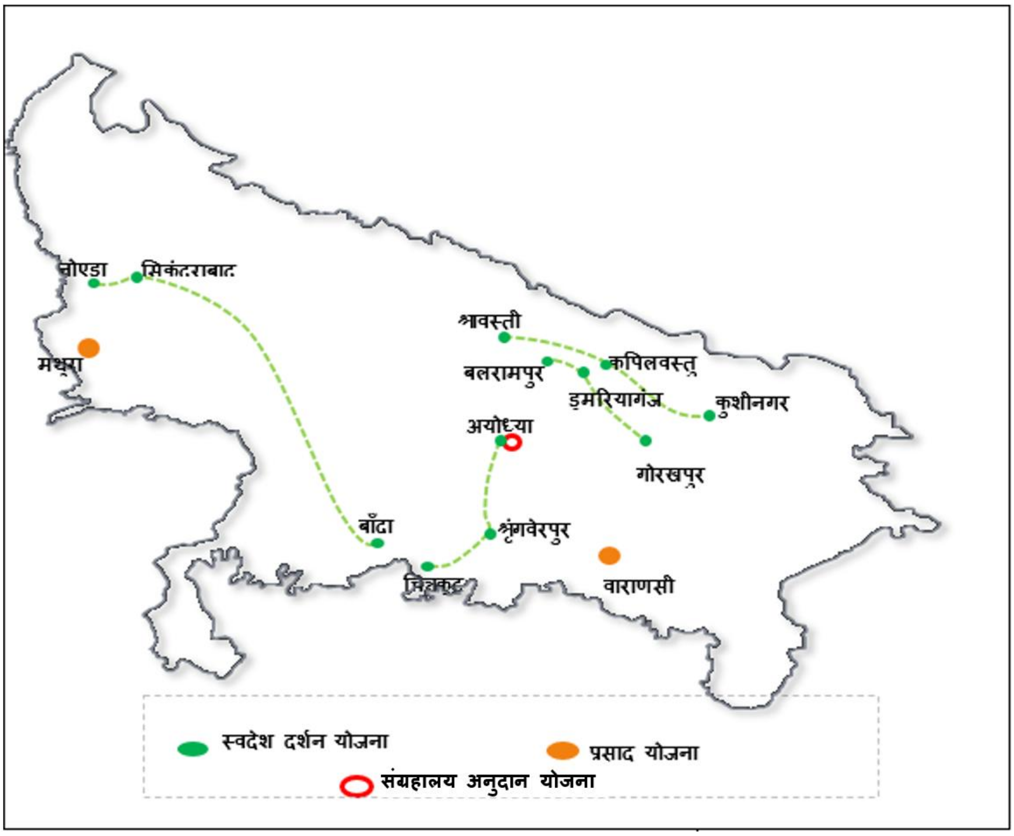

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा पर्यटक स्थलों का चित्रण

उपर्युक्त के अलावा, निदेशालय ने 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान राज्य बजट से चार योजनाओं यथा राज्य योजना, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद (यूपीबीटीवीपी) द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना और जिला योजना के अन्तर्गत 970 परियोजनाएं स्वीकृत कीं। दिसम्बर 2023 तक इन परियोजनाओं पर किए गए व्यय और इनके पूर्ण होने की स्थिति, जैसा कि निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है, को **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या			व्यय की गई धनराशि
		पूर्ण	प्रगति में	कुल योग	
1	राज्य योजना	139	328	467	534.98
2	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित परियोजनाएँ	18	7	25	70.95

[2] संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में डिजिटल रामायण गैलरी एवं आर्ट गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन), अयोध्या, फैजाबाद का विकास।

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या			व्यय की गई धनराशि
		पूर्ण	प्रगति में	कुल योग	
3	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	361	21	382	161.27
4	जिला योजना	73	23	96	7.06
महायोग (1 से 4 तक)		**591**	**379**	**970**	**774.26**

स्रोत: पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

निदेशालय ने केन्द्रीय योजनाओं और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन), यू.पी. प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए), उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ (सी एण्ड डी एस) विंग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसटीडीसी) आदि के माध्यम से किया।

उपरोक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों में पर्यटक सुविधा/ सूचना केन्द्र, पार्किंग, शौचालय, पेयजल सुविधा, परिक्रमा के लिए छादित शेड, सीसीटीवी, सोलर एवं प्रकाश, साइनेज, फूड प्लाजा, साउण्ड एण्ड लाइट शो तथा डिजिटल गैलरी आदि का निर्माण सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

4.1.2 वर्तमान विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आँकलन करना था कि क्या:

- परियोजनाओं की पहचान, प्राथमिकीकरण एवं नियोजन उचित तरीके से किया गया ताकि स्थलों पर पर्यटक संभावनाओं को बढ़ाया जा सके;
- गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का एकीकृत विकास करने के लिए चयनित परियोजनाओं को कुशल, प्रभावी और समन्वित तरीके से क्रियान्वित किया गया; और
- निर्मित सुविधाओं के संचालन एवं रख-रखाव की निगरानी के लिए उचित निगरानी प्रणाली स्थापित किए गए।

लेखापरीक्षा के मानदण्ड

4.1.3 लेखापरीक्षण के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाए गए जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- भारत सरकार द्वारा निर्गत योजना सम्बन्धी दिशानिर्देश/निर्देश/परिपत्र;
- उ.प्र. सरकार एवं कार्यदायी संस्था द्वारा निर्गत निर्देश/परिपत्र;
- परियोजनाओं को दी गई संस्वीकृति में निहित नियम एवं शर्तें;
- भारत सरकार द्वारा निर्गत सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधान एवं उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका;
- योजनाओं की क्लोज़र रिपोर्ट;

- कार्यदायी संस्थाओं एवं वास्तुकारों के साथ निष्पादित समझौतों के प्रावधान; और
- सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/मॉर्थ कार्य मैनुअल।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

4.1.4 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (आर्थिक क्षेत्र) की 2017 के प्रतिवेदन संख्या 1 में उत्तर प्रदेश सरकार के 'राज्य पर्यटन सर्किटों में सुविधाओं के उन्नयन एवं विस्तार' पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की गई थी, जिसमें 2011-12 से 2015-16 की अवधि आच्छादित थी।

अग्रेतर, स्वदेश दर्शन योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय के 2023 के प्रतिवेदन संख्या 17 में सम्मिलित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2014-15 से 2021-22 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कार्यान्वित परियोजना के निष्कर्ष सम्मिलित थे।

वर्तमान विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं यथा स्वदेश दर्शन, प्रसाद एवं संग्रहालय अनुदान योजना में वर्ष 2014-15 से 2022-23 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में निदेशालय द्वारा निष्पादित किये गए कार्यों की जाँच आच्छादित है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की सामान्य जाँच के अतिरिक्त जैसा कि क्रमशः **परिशिष्ट-4.1** और **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है, केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित 12 परियोजनाओं में से छः (परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में 50 प्रतिशत और किए गए व्यय के संदर्भ में 53 प्रतिशत) और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित 970 परियोजनाओं में से 77 परियोजनाओं (परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में 7.94 प्रतिशत एवं किए गए व्यय के संदर्भ में 28.20 प्रतिशत) का एक नमूना विस्तृत जाँच के लिए चुना गया था।

जबकि केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के नमूने का चयन **(परिशिष्ट-4.1)** उनकी स्वीकृत लागत, किए गए व्यय और पूर्णता की अवधि के व्यापक मानदण्डों के आधार पर किया गया था, राज्य योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का चयन (**परिशिष्ट-4.2**) राज्य योजना और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के सम्बन्ध में इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैकशन एण्ड एनालिसिस (आईडिया) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया था तथा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना और जिला योजना के अन्तर्गत 478 परियोजनाओं को

उनकी बड़ी संख्या और किए गए निरर्थक व्यय के कारण आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर आठ जिलों का चयन किया गया था।

निदेशालय ने राज्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए और इन्हें निर्गत करने के लिए पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार को संस्तुति की (दिसम्बर 2021)। पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने फरवरी 2022 में दिशानिर्देश निर्गत किए। इन दिशानिर्देशों का उपयोग लेखापरीक्षा के इस कार्यभार के अन्तर्गत 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में राज्य की सभी चार योजनाओं में किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड के रूप में किया गया है। प्रबंधन ने पुष्टि की (जनवरी 2025) कि राज्य योजना के दिशानिर्देश राज्य की अन्य तीन योजनाओं की सभी परियोजनाओं में भी लागू किए गए थे।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्न सम्मिलित हैं:

- विभाग के प्रमुख सचिव और महानिदेशक, पर्यटन और कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुखों/प्रतिनिधियों को 27 जून 2023 को आयोजित एंट्री कांफ्रेंस (केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के सम्बन्ध में) और उसके बाद 29 फरवरी 2024 को आयोजित बैठक (राज्य योजनाओं के सम्बन्ध में) में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या करना;
- निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं के निष्पादन का आँकलन करने के लिए अभिलेखों की संवीक्षा, आँकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा द्वारा प्रश्न उठाना और उनके अधिकारियों के साथ बातचीत करना;
- निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ 60 परियोजनाओं (केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत छः परियोजनाएं और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित 54 परियोजनाएं) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण;
- उत्तर प्रदेश सरकार और निदेशालय को उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर मसौदा प्रतिवेदन जारी करना; और
- उ.प्र. सरकार और निदेशालय के उत्तरों/टिप्पणियों पर एग्जिट कॉन्फ्रेंस (30 दिसम्बर 2024) में चर्चा एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए उनके विचारों/टिप्पणियों को सम्मिलित करना।

लेखापरीक्षा में बाधाएँ

4.1.5 निदेशालय ने परियोजनाओं की पहचान के लिए विभिन्न हितधारकों से परामर्श, भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए परियोजनाओं के चयन, विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजना (डीपीपी), संकल्पनात्मक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजनाओं के पूर्ण होने से पहले और बाद में रोज़गार सृजन के सम्बन्ध में आँकड़े, प्रत्येक परियोजना का फंड-फ्लो विवरण, निगरानी समिति के बैठक

कार्यवृत्त, भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदि से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना प्रस्तुत[3] नहीं कीं जिससे लेखापरीक्षा को बाधाओं का सामना करना पड़ा। सीपीडब्ल्यूडी एवं सरयू नहर प्रभाग, सिंचाई विभाग ने भी क्रमशः वाराणसी (चरण II)[4] के विकास तथा रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत अयोध्या के विकास के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

अभिस्वीकृति

4.1.6 लेखापरीक्षा विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, उ.प्र. सरकार, निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता को अभिस्वीकृति प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

4.1.7 अभिलेखों की जाँच के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत संरचित हैं:

- परियोजनाओं का नियोजन;
- परियोजनाओं का निष्पादन; एवं
- अनुश्रवण तंत्र तथा परियोजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव।

परियोजनाओं का नियोजन

4.1.8 परियोजनाओं के नियोजन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

सर्वेक्षण एवं अवसंरचना अंतराल का विश्लेषण किये बिना परियोजनाओं की पहचान

4.1.8.1 स्वदेश दर्शन योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पर्यटन मंत्रालय के टूलकिट के अनुसार तैयार किया जाएगा। टूलकिट में वर्तमान पर्यटक स्थल सम्बन्धी भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के संदर्भ में कमी और अनुमानों की पहचान करने और डीपीआर में इसकी प्रस्तुति के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आंतरिक भागों तक पहुँच, पर्यटक सूचना केन्द्र, स्वागत केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट फर्नीचर, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय और प्रकाश व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और तरल), सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और साइनेज

[3] जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 के दौरान लेखापरीक्षा टीम द्वारा अनुरोध और अनुस्मारक जारी किए गए थे। अभिलेख प्रस्तुत न करने से सम्बन्धित मामले को इस कार्यालय के वरिष्ठ उपमहालेखाकार/एएमजी-III द्वारा 6 दिसम्बर 2023 को निदेशक, पर्यटन, उ.प्र. सरकार को एक अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से उठाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद 7 दिसम्बर 2023 को प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार सह महानिदेशक, पर्यटन, उ.प्र. सरकार के साथ बैठक हुई। महालेखाकार ने भी 15 दिसम्बर 2023 को अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से महानिदेशक, पर्यटन उ.प्र. सरकार के समक्ष इस विषय को उठाया।

[4] फसाड लाइटिंग के पैकेज 2 के लिए दर विश्लेषण।

सम्मिलित होंगे। प्रसाद योजना में भी अवसंरचनात्मक सुविधाएँ और सम्बन्धित कौशल में कमी की पहचान करने का भी प्रावधान किया गया था।

उ.प्र. सरकार ने परियोजनाओं के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रेषित करने हेतु 21 बिंदुओं (मई 2021 में निदेशालय द्वारा 26 बिंदुओं तक बढ़ा दिया गया) पर सूचना हेतु प्रोफार्मा निर्धारित किया (दिसम्बर 2020)। तथापि, इस प्रोफार्मा में स्थल पर वर्तमान अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा उसके विरुद्ध पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विद्यमान अवसंरचना एवं सुविधाओं से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं माँगी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक परियोजना, यथा प्रसाद, एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत 'गोवर्धन, मथुरा का विकास', जहाँ डीपीआर में अवसंरचना में कमी का विश्लेषण सम्मिलित था, के अलावा निदेशालय ने परियोजनाओं के चयन से पहले, कोई सर्वेक्षण नहीं किया और न ही अवसंरचना में कमी का विश्लेषण किया।

इस प्रकार, सर्वेक्षण एवं अवसंरचना में कमी का विश्लेषण किए बिना उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत 82 नमूना परियोजनाओं[5] में ₹ 397.50 करोड़ (केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ: ₹ 179.15 करोड़ और राज्य योजनाएं: ₹ 218.35 करोड़) मूल्य की परिसम्पत्तियों/सुविधाओं को प्रस्तावित किया।

निदेशालय ने बाद में (फरवरी 2024), 12 चिह्नित सर्किटों के विभिन्न स्थानों पर अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिए ई-निविदाएँ आमंत्रित की थीं। हालांकि, निविदा को रद्द कर दिया गया (मार्च 2024) और प्रतिष्ठित निविदादाताओं को आमंत्रित करने के लिए पात्रता मानदण्ड एवं स्कोर मार्किंग के लिए सख्त शर्तों के साथ पुनः निविदाएँ आमंत्रित की गयी (मार्च 2024)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि सर्वे कराने में उच्च लागत[6] के कारण निविदाएं, रद्द कर दी गयी है और अब केवल तीन सर्किट- रामायण, कृष्ण व बौद्ध सर्किट पर अंतराल विश्लेषण के लिए निविदाएं निर्गत की जाएंगी।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि सर्वेक्षण एवं अंतराल विश्लेषण सहित प्रारंभिक अध्ययन कार्यदायी संस्था द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परामर्शदाताओं द्वारा तैयार उपरोक्त परियोजनाओं का डीपीआर/प्राक्कलनों में एक परियोजना को छोड़कर, सर्वेक्षण एवं अंतराल विश्लेषण का कोई उल्लेख नहीं था, जैसा कि पहले ही वर्णित है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

---

[5] केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत पाँच नमूना परियोजनाओं और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 77 नमूना परियोजनाओं के सम्बन्ध में वास्तविक निष्पादित मूल्य के अनुसार।

[6] प्रति सर्किट ₹ 2.5 करोड़ से ₹ 3 करोड़ तक।

परियोजनाओं के नियोजन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना प्राप्त नहीं की गई

4.1.8.2 उ.प्र. सरकार ने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए प्रेषित परियोजनाओं के प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रोफार्मा (दिसम्बर 2020 जिसे मई 2021 में संशोधित किया गया) को निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 27 परियोजनाओं में, सम्बन्धित आरटीओ/कार्यदायी संस्थाओं से निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना प्राप्त नहीं की गई। जिससे, निदेशालय/उ.प्र. सरकार ₹ 212.18 करोड़ मूल्य की इन परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले प्रोफार्मा में अपेक्षित सूचना के आधार पर मूल्यांकन करने में विफल रहा।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 27 परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर सूचना प्राप्त करने से इन परियोजनाओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित कोई लाभ नहीं मिलेगा।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं के नियोजन में विफलता

4.1.8.3 स्वदेश दर्शन योजना के लिए योजना दिशानिर्देशों में विषय आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास का प्रावधान किया गया था। सर्किट में कम से कम तीन प्रमुख पर्यटक स्थल शामिल होने चाहिए जो पृथक हों और जिनमें प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित हों। पर्यटक सर्किट के विकास का यह उद्देश्य किसी पर्यटक को पर्यटक सर्किट में चिह्नित अधिकांश स्थलों पर जाने हेतु प्रेरित करना था।

पर्यटकों को सर्किट के अधिकांश स्थलों पर जाने हेतु प्रेरित करने के लिए, गंतव्यों के बीच बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी मूल दिशानिर्देशों (2015) में भी यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था।

लेखापरीक्षा ने स्वदेश दर्शन के अन्तर्गत परियोजनाओं के नियोजन में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- 'आध्यात्मिक थीम के अन्तर्गत जेवर-दादरी-सिकंदराबाद-नोएडा-खुर्जा-बांदा के पर्यटन विकास' परियोजना में जेवर और बांदा के बीच की दूरी[7] 501 किलोमीटर थी जैसा कि **चित्र 4.1** में दर्शाया गया है जो ऊपर दिये गये चार्ट 4.1 में हरे रंग में दिखाए गए अन्य तीन सर्किटों की तुलना में बहुत अधिक लंबी थी:

[7] गूगल मैप के अनुसार, मथुरा, आगरा, इटावा होते हुए।

चित्र 4.1: आध्यात्मिक थीम के अन्तर्गत जेवर-दादरी-सिकंदराबाद-नोएडा-खुर्जा-बांदा के पर्यटन विकास की परियोजना में जेवर से बांदा की दूरी

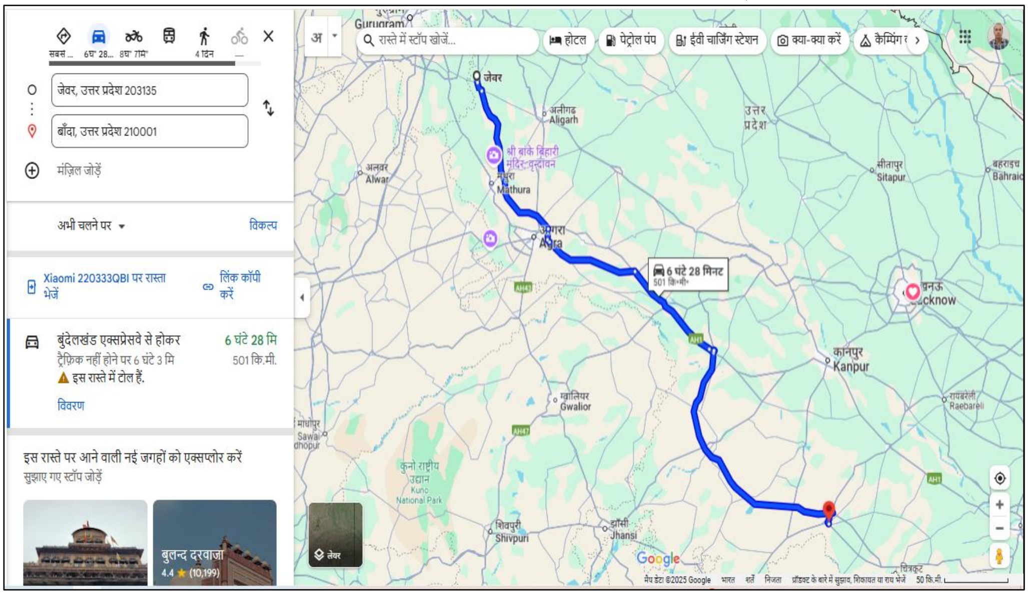

स्रोत: गूगल मैप

- निदेशालय ने एक ही पर्यटक द्वारा किसी सर्किट में शामिल स्थलों के भ्रमण के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। इस प्रकार, यह आँकलन नहीं किया जा सका कि किसी पर्यटक ने पर्यटन सर्किट में अधिकांश स्थानों का दौरा किया था अथवा नहीं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना स्थलों का चयन मंत्रालय के परामर्श से किया गया था।

तथ्य फिर भी रहता है कि निदेशालय द्वारा परियोजना का नियोजन और संस्तुति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं की गयी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

डीपीआर/प्राक्कलनों की त्रुटिपूर्ण तैयारी

4.1.8.4 लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजनाओं के डीपीआर/प्राक्कलनों त्रुटिपूर्ण तरीके से बनाए गए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- ***कर का त्रुटिपूर्ण प्रावधान***

स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाओं के दिशानिर्देश परियोजना की लागत का 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान करते थे, कार्यदायी संस्था को दिए जाने वाले सेंटेज, जीएसटी और श्रम उपकर को छोड़कर जिन्हें उ.प्र. सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रसाद योजना के अन्तर्गत वाराणसी में रिवर क्रूज के विकास की स्वीकृति के लिए जून 2017 में भारत सरकार को प्रस्तुत डीपीआर में त्रुटिपूर्ण तरीके से ₹ 44.53 लाख का कर घटक भी सम्मिलित था, जिसके परिणामस्वरुप भारत सरकार द्वारा ₹ 2.23 लाख की धनराशि परामर्श शुल्क

एवं कंटिनजेंसी के लिए अधिक स्वीकृति दी गई। इसके कारण, भारत सरकार को ₹ 46.76 लाख की अतिरिक्त परियोजना लागत स्वीकृत करनी पड़ी और उ.प्र. सरकार को सेंटेज, श्रम उपकर और ऐसे अतिरिक्त जीएसटी पर जीएसटी हेतु ₹ 11.48 लाख की लागत स्वीकृत करनी पड़ी, जिससे अधिक धन की प्रतिबद्धता करनी पड़ी।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने त्रुटिपूर्ण तरीके से परियोजना लागत में कर घटक जोड़ दिया है और वे ₹ 46.76 लाख एवं ₹ 11.48 लाख की अतिरिक्त स्वीकृतियाँ, क्रमशः पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार को वापस कर देंगे।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***बॉट आउट आइटम पर प्रदान किया गया सेंटेज***

परियोजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते समय उ.प्र. सरकार ने बॉट आउट आइटम पर सेंटेज अनुमन्य नहीं किया था। राज्य योजना के अन्तर्गत लखनऊ में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर एवं स्वदेश दर्शन के अन्तर्गत चित्रकूट की डीपीआर के प्राक्कलन के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चिह्नित एवं उ.प्र. सरकार द्वारा अनुमोदित बॉट आउट आइटम में गैलवानाईज्ड आयरन (जीआई टीन) शेड, डस्टबिन, सीसीटीवी, एलईडी, फव्वारा, दृश्य/प्रकाश उपकरण, ऑडियो फिक्स्चर सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सात परियोजनाओं के प्राक्कलनों में ₹ 2.68 करोड़ मूल्य के बॉट आउट आइटम के घटकों पर ₹ 29.73 लाख का सेंटेज सम्मिलित था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वदेश दर्शन एवं संग्रहालय अनुदान की केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं ने ₹ 24.51 करोड़ के बॉट आउट आइटम पर ₹ 2.70 करोड़ का सेंटेज प्रभारित किया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को वसूली हेतु पत्र निर्गत कर दिए गए हैं तथा बॉट आउट आइटम पर सेंटेज न लेने के निर्देश देते हुए परिपत्र भी निर्गत कर दिए गए हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹ 2.70 करोड़ में से ₹ 0.06 करोड़ वापस करेगी तथा शेष ₹ 2.64 करोड़ पर इस आधार पर प्रतिवाद किया है कि यह बॉट आउट आइटम नहीं है। राज्य योजनाओं के सम्बन्ध में, सात परियोजनाओं में सम्मिलित चार कार्यदायी संस्थाओं में से एक कार्यदायी संस्था (यूपीसिडको) ने बताया कि बॉट आउट आइटम पर सेंटेज की धनराशि कोषागार में जमा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। अन्य कार्यदायी संस्था (यूपीपीसीएल) ने तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में बताया है कि परियोजना के अन्तर्गत सोलर

लाईट तथा हाईमास्ट की स्थापना की गयी थी, जो कि समग्र कार्य की प्रकृति के हैं तथा इन्हें आरसीसी से फिक्स करने की आवश्यकता होती है, अतः ये बॉट आउट आइटम नहीं हैं। राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अन्य तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में, कार्यदायी संस्थाओं (यूपीआरएनएन तथा यूपीएसटीडीसी) ने अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किये।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत परियोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित वस्तुएं बॉट आउट आइटम हैं जैसा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अन्य समान प्रकृति के कार्यों के प्राक्कलनों में भी मान्य है एवं निदेशालय द्वारा स्वीकार भी किया गया है। इसके कारण, निदेशालय ने कार्यदायी संस्था को शेष सेंटेज राशि (₹ 2.64 करोड़) वापस करने का निर्देश दिया (जनवरी 2025)। कार्यदायी संस्था (यूपीपीसीएल) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीपीसीएल द्वारा निष्पादित परियोजनाओं में सीमेंट कंक्रीट/पत्थर की बेंच, आरओ वाटर कूलर एवं डस्टबिन भी शामिल थे। इसके अलावा, सोलर लाइट एवं हाई मास्ट भी दृश्य और प्रकाश उपकरणों के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत चित्रकूट की पूर्व की परियोजना में उसी संस्था द्वारा सेंटेज के लिए छोड़ दिया गया था। निदेशालय ने एक अन्य संस्था (यूपीआरएनएन) को बॉट आउट आइटम पर अमान्य सेंटेज वापस करने हेतु निर्देशित किया। निदेशालय ने यह भी आदेश निर्गत किया है (सितम्बर 2024) कि फसाड लाइटिंग, साउण्ड एण्ड लाइट शो, भवन संरक्षण, आंतरिक कार्य, भित्ति चित्र, लैंड स्केप आदि पर सेंटेज देय नहीं है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***श्रम उपकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया***

'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' (अधिनियम) की धारा 3 में नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर कम से कम एक प्रतिशत की दर से उपकर प्रभारित और संग्रह करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार द्वारा स्वीकृत (मार्च 2021) ₹ 8.60 करोड़ (जीएसटी सहित) की एक परियोजना[8] के सम्बन्ध में, कार्यदायी संस्था[9] ने ₹ 7.73 करोड़ के कार्यों की लागत पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 7.73 लाख की राशि के श्रम उपकर का प्रावधान नहीं किया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि प्राक्कलन में श्रम उपकर का प्रावधान नहीं किया गया था तथा कार्यदायी संस्था (एमवीडीए) ने ठेकेदार के बिलों से श्रम उपकर की धनराशि काट ली है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

[8] मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद भवन का निर्माण/विकास कार्य।

[9] एमवीडीए।

- ***सेंटेज और श्रम उपकर की धनराशि पर जीएसटी का प्रावधान नहीं किया गया***

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम (उ.प्र. जीएसटी), 2017 की धारा 2 (31) के अन्तर्गत, प्रतिफल में प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान सम्मिलित है। उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 (2) में आगे प्रावधान है कि माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य में इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के भिन्न किसी तत्समय प्रवृत विधि के अधीन उदग्रहित कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक रूप से प्रभारित किया गया हो, सम्मिलित होंगे।

उपर्युक्त के आलोक में, प्रतिफल में कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त संपूर्ण भुगतान सम्मिलित होंगे जिसमें सेंटेज और श्रम उपकर भी सम्मिलित हैं। तदनुसार, सेंटेज और श्रम उपकर पर जीएसटी देय होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 26 परियोजनाओं के लागत प्राक्कलनों में सेंटेज (₹ 8.84 करोड़) एवं श्रम उपकर (₹ 0.71 करोड़) की धनराशि पर जीएसटी सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलनों में जीएसटी के लिए ₹ 1.15 करोड़ का कम प्रावधान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-4.3** में दर्शाया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस ((दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने बताया कि जीएसटी विभाग से निर्देश मांगे गए हैं। अपने उत्तर में, निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग (पीएफएडी), वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार सेंटेज पर जीएसटी को स्वीकृत नहीं करता है। प्रकरण आयुक्त, जीएसटी, उ.प्र. सरकार को भेजा गया है (दिसम्बर 2024)। हालांकि, श्रम उपकर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उ.प्र. स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में एडवांस रूलिंग के लिए प्राधिकरण ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 98 (4) और यूपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 98 (4) के अधीन अपने आदेश द्वारा (मई 2021) स्पष्ट किया है कि सेंटेज और श्रम उपकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कर योग्य है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***साइनेज का प्रावधान नहीं किया गया***

पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने इस बात पर जोर दिया (दिसम्बर 2020) कि साइनेज के अभाव में पर्यटन विभाग की ब्रांडिंग सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 38 नमूना परियोजनाओं के प्राक्कलनों में साइनेज की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि साइनेज के लिए एक अलग शीर्ष बनाया गया है। अपने उत्तर (जनवरी 2025) में निदेशालय ने बताया कि एक अलग शीर्ष यथा 'साइनेज की व्यवस्था' बनाया गया है और आवश्यकतानुसार साइनेज लगाए गए हैं। इसलिए, साइनेज के घटक को परियोजना के प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान उपरोक्त 38 परियोजनाओं में साइनेज पर कोई व्यय नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, साइनेज के अभाव में, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की पर्यटक सुविधा एवं ब्रांडिंग अपेक्षित सीमा तक प्राप्त नहीं की जा सकी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं का नियोजन, सर्वेक्षण और अवसंरचना में कमी का विश्लेषण तथा दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू अधिनियमों/सरकारी आदेशों/योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप डीपीआर/प्राक्कलन तैयार किए जाएं।

परियोजनाओं का निष्पादन

4.1.9 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

अनुचित निधि प्रबंधन

4.1.9.1 लेखापरीक्षा ने निधियों के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

क. केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में निधि प्रबंधन की कमियाँ

- ***कंटिनजेंसी के लिए अधिक मांग***

स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं में कंटिनजेंसी के लिए तीन प्रतिशत का प्रावधान सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट (दिसम्बर 2021) के अनुसार, कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने प्रावधानित दर पर कंटिनजेंसी के लिए ₹ 98.77 लाख प्रभारित किये, यद्यपि इसने कोई कंटिनजेंसी व्यय नहीं किया।

अपने उत्तर (जनवरी 2025) में निदेशालय ने बताया कि कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने ₹ 86.73 लाख की धनराशि वापस करने की सहमति दे दी है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

- ***जीएसटी के लिए भारत सरकार की निधियों का अनियमित उपभोग***

स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर जीएसटी का वहन उ.प्र. सरकार द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं में, कार्यदायी संस्थाओं ने परामर्शदाताओं और ठेकेदारों को किए गए भुगतान पर जीएसटी के रूप में ₹ 2.91 करोड़ का भुगतान किया (**परिशिष्ट-4.4**)। यद्यपि, यह व्यय उ.प्र. सरकार की निधि से किया जाना था, लेकिन निदेशालय ने भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्टों में अनियमित रूप से इसे भारत सरकार की निधि पर प्रभारित किया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) में उ.प्र. सरकार ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में दिया गया उत्तर इस विषय से सम्बन्धित नहीं है। कार्यदायी संस्था द्वारा जीएसटी का भुगतान और उसकी मांग की जानी थी। निदेशालय को यह सुनिश्चित करना था कि इस धनराशि का दावा भारत सरकार के बजाय उ.प्र. सरकार से किया जाए।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***उ.प्र. सरकार द्वारा सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी हेतु निधि अधिक संस्वीकृत करना।***

केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी के लिए व्यय उ.प्र. सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर के विकास परियोजना के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर के कार्य के प्रकरण में, कार्य की वास्तविक लागत (जनवरी 2020) ₹ 21.14 करोड़ के आधार पर ₹ 5.40 करोड़ की गणना के बजाय, कार्य की स्वीकृत लागत ₹ 23.02 करोड़ के आधार पर गणना की गई सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी के लिए ₹ 5.93 करोड़ की धनराशि का निदेशालय ने प्रस्ताव (फरवरी 2020) दिया और उ.प्र. सरकार ने धनराशि स्वीकृत (फरवरी 2021) की।

वाराणसी में रिवर क्रूज़ बोट के विकास की एक अन्य परियोजना में निदेशालय ने आवंटित लागत (फरवरी 2019) ₹ 9.81 करोड़ के आधार पर ₹ 2.11 करोड़ की गणना के स्थान पर ₹ 10.21 करोड़, जो प्रस्ताव के समय कार्यशील परियोजना की कार्य की स्वीकृत लागत थी, के आधार पर ₹ 2.63 करोड़ की

धनराशि के सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी का प्रस्ताव दिया (मार्च 2020) और उ.प्र. सरकार ने स्वीकृति (फरवरी 2021) दी।

इस प्रकार, उ.प्र. सरकार ने कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यकता से अधिक ₹ 1.05 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार को सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी की अधिक धनराशि को वापस कर दिया जाएगा और यह प्रक्रियाधीन है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

ख. राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन में निधि प्रबंधन की कमियाँ

- ***उ.प्र. सरकार के वित्तीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन***

वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में प्रावधान किया गया था कि वित्तीय वर्ष की अवधि में अनुमानित खर्च को जहाँ तक संभव हो, इसे चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक माह में समान व्यय किया जाये। यह निर्दिष्ट था कि कोषागार से एकमुश्त आहरण राज्य की नकदी प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उ.प्र. सरकार ने अग्रेतर निर्दिष्ट किया है कि अंतिम तिमाही और अंतिम माह में कुल बजट प्रावधान की क्रमशः 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि में मासिक पूँजीगत व्यय वार्षिक बजट के शून्य प्रतिशत से लेकर 36.76 प्रतिशत तक था। वर्ष 2020-21, 2022-23 और 2023-24 की अवधि में अंतिम माह का व्यय, वार्षिक बजट का क्रमशः 35.06 प्रतिशत, 36.76 प्रतिशत और 30.62 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21, 2022-23 और 2023-24 की अंतिम तिमाही की अवधि में त्रैमासिक व्यय, वार्षिक बजट का क्रमशः 38.50 प्रतिशत, 51.29 प्रतिशत और 50.57 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार के वित्तीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

अपने उत्तर में निदेशालय ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय होता है। विभाग परियोजनाओं के सम्बन्ध में आगामी वित्तीय वर्ष में सक्रिय कार्रवाई कर रहा है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

- ***कार्यदायी संस्थाओं को निधि प्रेषित करने में अनियमितताएं***

लेखापरीक्षा ने कार्यदायी संस्थाओं को निधि प्रेषित करने में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

(i) निविदाएं आवंटित किये जाने से पूर्व किश्तों का जारी करना: पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देशों

(फरवरी 2022) में यह निर्दिष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबंध समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, निदेशालय, कार्यदायी संस्था को कुल निविदा मूल्य का 40 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में निर्गत करेगा। पहली किश्त के कम से कम 75 प्रतिशत के उपयोग के बाद 40 प्रतिशत की दूसरी किश्त निर्गत की जाएगी। तदनुसार, 15 प्रतिशत की तीसरी किश्त निर्गत की जाएगी। शेष 5 प्रतिशत को कार्य पूर्ण/हस्तांतरण होने से एक वर्ष के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के बाद निर्गत किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच परियोजनाओं में निदेशालय ने मार्च 2022 से मार्च 2023 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों को सम्बन्धित निविदाएं आवंटित किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 58.50 लाख की किश्तें निर्गत कीं, जैसा कि **परिशिष्ट-4.5** में वर्णित है। अग्रेतर, एक परियोजना[10] के प्रकरण में, निदेशालय ने ₹ 36.93 लाख की कुल परियोजना लागत (जीएसटी को छोड़कर) और ₹ 34.20 लाख की निविदा लागत के विरुद्ध पहली किश्त में ही ₹ 32 लाख की धनराशि निर्गत की। निर्गत की गई धनराशि निविदा लागत के निर्धारित प्रतिशत (40 प्रतिशत) से अधिक थी और पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार के दिशानिर्देशों (फरवरी 2022) के विपरीत थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि सामान्य प्रक्रिया में संस्थाओं को निविदा जारी करने और कार्य प्रारम्भ करने हेतु धनराशि निर्गत की जाती है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना में कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण कार्यदायी संस्थाओं ने निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसे देखते हुए अग्रिम धनराशि के रूप में एक किश्त निर्गत की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत थी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

(ii) डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड हेतु धनराशि को रोके बिना अंतिम किश्त निर्गत करना: निदेशालय ने अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 की अवधि में पाँच परियोजनाओं में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए निविदा राशि का पाँच प्रतिशत जैसा कि उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत (फरवरी 2022) राज्य योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित था से कम धनराशि रोकते हुए जो कुल ₹ 1.11 करोड़ थी जैसा कि **परिशिष्ट-4.6** में वर्णित है, आखिरी और अंतिम किश्त निर्गत की।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उपरोक्त पाँच परियोजनाओं में से तीन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जून 2024 से

[10] समय माता स्थल, शक्ति धाम आश्रम, हैसर बाजार, संत कबीर नगर का विकास कार्य।

फरवरी 2025 की अवधि में पूरी हो गई है। अन्य दो परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, यद्यपि उल्लिखित तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में डी एल पी की अवधि समाप्त हो चुकी है, परन्तु निदेशालय द्वारा अपने दिशानिर्देशों में उल्लिखित डीएलपी के लिए धनराशि को रोककर रखने में प्रणालीगत विफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निदेशालय ने अपनी प्रणाली में सुधार के विषय पर कुछ नहीं कहा है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

(iii) सहायक दस्तावेजों को सुनिश्चित किए बिना जीएसटी के लिए राशि का प्रेषण और जीएसटी कम जमा किया जाना: उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 में प्रावधान है कि सेवाओं पर कर का भुगतान करने की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होगी, जो कि (ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान निर्गत करने की तारीख, यदि चालान धारा 31 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर निर्गत किया जाता है या भुगतान की प्राप्ति की तारीख, जो भी पहले हो; या (बी) सेवा के प्रावधान की तारीख, यदि चालान धारा 31 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अंदर निर्गत नहीं किया जाता है या भुगतान की प्राप्ति की तारीख, जो भी पहले हो।

निदेशालय कार्य निष्पादन के लिए कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अग्रिम में निर्गत करता है। तदनुसार, उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, कार्यदायी संस्थायें अग्रिम धनराशि प्राप्त होने पर जीएसटी जमा करने हेतु उत्तरदायी है।

अग्रेतर, उ.प्र. सरकार द्वारा सम्बन्धित परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों में प्रावधान किया गया था कि कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर जीएसटी अनुमन्य किया जायेगा, जिसके लिए कार्यदायी संस्थाओं को निदेशालय के माध्यम से जीएसटी भुगतान का तिथिवार विवरण और जीएसटी चालान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय ने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सात परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फरवरी 2021 से मार्च 2024 की अवधि में कार्यदायी संस्था यथा उ.प्र. जल निगम के कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ (सी एण्ड डी एस) विंग को किश्तों में ₹ 75.24 करोड़ की धनराशि निर्गत की। उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अनुसार, कार्यदायी संस्था को सम्बन्धित प्राप्तियों के समय कर प्राधिकारी को ₹ 9.91 करोड़ की जीएसटी राशि जमा करनी थी। यद्यपि, कार्यदायी संस्था ने कर प्राधिकारी को जीएसटी जमा नहीं किया, बल्कि पाँच परियोजनाओं में गणना के आधार पर (₹ 2.98 करोड़) और दो परियोजनाओं यथा 'महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौर झील, बहराइच का विकास' तथा 'हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर

में ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर में पर्यटन विकास कार्य' में ठेकेदार को किए गए भुगतान के आधार पर (₹ 4.89 करोड़) निदेशालय से ₹ 7.87 करोड़ के जीएसटी की मांग की गयी, जो कि निदेशालय द्वारा जारी कर दिया गया। इस प्रकार, कार्यदायी संस्था ने ₹ 2.4 करोड़ **(परिशिष्ट-4.7)** के बराबर सरकारी राजस्व के रूप में जीएसटी कम जमा किया (अधिकांशतः सेंटेज और श्रम उपकर पर जीएसटी का भुगतान न करने के कारण)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उपरोक्त सात परियोजनाओं में से पाँच परियोजनाओं ('महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण और चित्तौर झील, बहराइच का विकास' और 'हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम पंचायत पूंठ और आलमनगर में पर्यटन विकास कार्य' की दो परियोजनाओं को छोड़कर) में निदेशालय ने कार्यदायी संस्था से भुगतान के सहायक दस्तावेज प्राप्त किए बिना, गणना के आधार पर जीएसटी के लिए ₹ 2.98 करोड़ की धनराशि सी एण्ड डीएस को अवमुक्त की।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि पूर्व में वे वाउचर और भुगतान की प्रतियाँ प्राप्त करके व्यापक जाँच कर रहे थे, किन्तु बाद में कार्यदायी संस्थाओं के इस आग्रह पर इसे समाप्त कर दिया गया कि उ.प्र. सरकार के आदेश के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को सभी कोडल प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। अतः सम्बन्धित भुगतान अवमुक्त करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से इस आशय का एक शपथ पत्र ले लिया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा जीएसटी के कम जमा के मुद्दे पर, उ.प्र. सरकार ने बताया कि उन्हें अभी तक सी एण्ड डी एस से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि एक कार्यदायी संस्था (यूपीपीसीएल) द्वारा जीएसटी जमा करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी एण्ड डी एस द्वारा जीएसटी कम जमा करने के मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

यूपीपीसीएल द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार किया गया और इससे यह तथ्य और अधिक पुष्ट होता है कि भुगतान अवमुक्त करने से पहले सी एण्ड डी एस से भी इसी प्रकार के अभिलेख प्राप्त किए जाने चाहिए थे।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

ग. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निधि प्रबंधन में कमियाँ

- ***गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना***

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत नौ परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं ने सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उनके द्वारा किए गए ₹ 68.28 करोड़ के वास्तविक व्यय के सापेक्ष ₹ 85.46 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, इन संस्थाओं ने उपरोक्त नौ परियोजनाओं **(परिशिष्ट-4.8)** के सम्बन्ध

में नवम्बर 2021 से मार्च 2024 की अवधि में ₹ 17.18 करोड़ अधिक की गलत उपयोगिता प्रस्तुत की।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि प्रकरण की जाँच चल रही है और कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि एक परियोजना[11] के सम्बन्ध में, कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने बताया कि परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर लिया गया है। अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रबंधन ने कोई टिप्पणी नहीं की।

निदेशालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था ने नवम्बर 2022 में प्रस्तुत ₹ 7.50 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सापेक्ष परियोजना पर ₹ 5.74 करोड़ का व्यय किया था।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का उपयोग, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हो। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/उ.प्र. सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

ई-टेंडरिंग के बिना कार्य का क्रियान्वयन

4.1.9.2 स्वदेश दर्शन के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को सभी निविदाओं के लिए अनिवार्य ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट सहित सभी अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक था।

अग्रेतर, निर्माण कार्यों/जॉब वर्क्स तथा सामग्री क्रय में पारदर्शिता, स्वच्छ प्रशासन एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उ.प्र. सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों एवं स्वायत्त निकायों में ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने के लिए निर्देशित (मई 2017) किया गया था। उ.प्र. सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते समय भी इस बात को दोहराया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए छः कार्यदायी संस्थाओं ने केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 17.29 करोड़ की लागत की तीन परियोजनाओं (**परिशिष्ट-4.9)** में बिना ई-टेंडरिंग के परामर्शदाता नियुक्त किये/कार्य सम्पादित कराये। ये कार्य क्वोटेशन प्राप्ति/नामांकन के आधार पर क्रियान्वित किये गये।

[11] अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन) का विकास।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि प्रकरण की जाँच की जा रही है और कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि ई-टेंडरिंग के बिना कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेतु वर्तमान दिशानिर्देशों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

4.1.9.3 स्वदेश दर्शन, प्रसाद और संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के स्वीकृति पत्रों में दस से 36 माह की पूर्णता अवधि प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय द्वारा कार्यान्वित सभी 12 परियोजनाएँ छः माह से लेकर 44 माह के विलम्ब से पूर्ण/प्रगति में थी (मई 2024 तक), जैसा कि **परिशिष्ट-4.10** में वर्णित है।

राज्य क्षेत्र योजना हेतु उ. प्र. सरकार के दिशानिर्देशों (फरवरी 2022) में प्रावधान किया गया है कि परियोजना की पूर्णता अवधि सम्बन्धित परियोजना के स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी। निदेशालय ने परियोजनाओं के विभिन्न लागत श्रेणियों के लिए नौ माह से लेकर 24 माह तक की निर्धारित कार्य पूर्ण करने की तिथि (जनवरी 2024) की थी।

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 77 नमूना परियोजनाओं के विश्लेषण से विदित हुआ कि उपरोक्त समय-सीमा के आधार पर 46 पूर्ण परियोजनाएं एक माह से लेकर 22 माह तक की अवधि के लिए विलंबित थीं, जिसका विवरण **परिशिष्ट-4.11** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने निष्पादन में विलम्ब के निम्नलिखित कारणों का विश्लेषण किया:

- ***कार्यदायी संस्था के चयन में विलम्ब***

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः नमूना परियोजनाओं में से चार[12] में, भारत सरकार ने प्रारंभ में यूपीएसटीडीसी को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया था। बाद में, उ.प्र. सरकार ने परियोजनाओं की स्वीकृति की तिथि से एक से नौ माह की अवधि बीत जाने के बाद इन चार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अन्य संस्थाओं[13] को नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन)

[12] एक परियोजना यथा वाराणसी का विकास (चरण II) को छोड़कर जिसके लिए यूपीआरएनएन को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया था। एक अन्य परियोजना यथा अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी, अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन) का विकास, परियोजना की स्वीकृति के समय कोई कार्यदायी संस्था नियुक्त नहीं की गई थी।

[13] यूपीआरएनएन, यूपीपीसीएल एवं एमवीडीए।

के विकास के मामले में, उ.प्र. सरकार ने मार्च 2022 में कार्यदायी संस्था का चयन किया, जो परियोजना की स्वीकृति (फरवरी 2019) के 36 माह बाद था और कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार को कार्य दिए जाने (जुलाई 2020) के 20 माह बाद था।

- ***ठेकेदारों को कार्य दिए जाने में कार्यदायी संस्था द्वारा लिया गया समय***

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत छः परियोजनाओं तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 49 परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं ने उनके नामित होने की तिथि से तीन माह से 42 माह तक का समय ठेकेदारों को कार्य दिए जाने में लिया।

- ***ठेकेदारों द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब***

कार्यदायी संस्थाओं ने केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं/ परियोजनाओं के घटकों के लिए निविदाओं में ठेकेदारों को दो माह से 24 माह तक की पूर्णता अवधि निर्धारित की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पाँच परियोजनाओं तथा राज्य योजना के अन्तर्गत 47 परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा कार्य को उनकी निर्धारित कार्य पूर्ण होने की तिथि से दो माह से 43 माह तक के विलम्ब से निष्पादित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स ((दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि कार्यदायी संस्था को माननीय मंत्री द्वारा नामित किया जाता है। निविदा में विलम्ब के सम्बन्ध में, कभी-कभी निविदाएं प्राप्त नहीं होती हैं और उन्हें फिर से निविदा करनी पड़ती है। जहाँ तक निष्पादन का प्रश्न है, कार्यदायी संस्थाएं अति विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण पीईआरटी चार्ट का पालन नहीं कर पा रहीं हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया जाता है। कार्यों में विलम्ब का कारण, राज्य की अति विषम जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए सीमित निष्पादन समय, कुछ स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) समय पर न मिल पाना, प्रशासनिक और संविदात्मक मुद्दे, विचलन की स्वीकृति मिलने में विलम्ब और कोविड महामारी थे। कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना स्वीकृति के पश्चात निविदा प्रक्रिया को निर्धारित समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण के लिए पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जहाँ सभी परियोजनाओं की प्रगति की सूचना कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से जियोटैग्ड छायाचित्र के साथ अद्यतन की जा रही है।

निदेशालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि तय करते समय अति विषम मौसम की स्थिति के कारक पर विचार किया जाना चाहिए था। विभिन्न हितधारकों जैसे एएसआई, राजस्व विभाग, वन विभाग आदि को परियोजनाओं के चयन में सम्मिलित किया जाना चाहिए था जिससे एनओसी प्राप्त करने में विलम्ब/अस्वीकृति और वांछित स्थल की अनुपलब्धता के कारण परियोजना में विचलन से बचा जा सके। उ.प्र. सरकार को भी कार्यदायी संस्था के चयन में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिए था। निदेशालय ने अनुश्रवण के लिए पोर्टल के कार्यान्वयन की तिथि/ माह प्रस्तुत नहीं किया।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

संस्तुति:

उ.प्र. सरकार को स्वीकृति आदेश में परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।

निजी ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि पर कार्यों का कार्यान्वयन

4.1.9.4 स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के योजना दिशानिर्देश और स्वीकृति पत्रों में निजी व्यक्ति या ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि/संपत्ति पर परियोजना के किसी भी हिस्से को निष्पादित करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमि/संपत्ति पर निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए गए:

- प्रसाद योजना के अन्तर्गत गोवर्धन, मथुरा के विकास के परियोजना में, सूर श्याम सेवा संस्थान, सूरकुटी, परसौली, गोवर्धन, एक निजी संस्था के स्वामित्व वाली भूमि पर पुस्तकालय, एवं व्याख्या केन्द्र के निर्माण, पुस्तकालय एवं व्याख्या केन्द्र की छत पर सोलर संयंत्र तथा द्वार एवं संबद्ध कार्यों के कार्यान्वयन में ₹ 4.89 करोड़ व्यय किया गया।

- स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट-श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु के विकास की परियोजना में, ₹ 5.66 लाख की लागत से तीन सोलर हाई मास्ट प्रकाश व्यवस्था (चार भुजा वाली सोलर लाइट) का निर्माण, शिव मंदिर और बिड़ला धर्मशाला में किया गया, जो कि बिड़ला मंदिर ट्रस्ट, एक निजी ट्रस्ट के स्वामित्व में है और कुशीनगर में शिव मंदिर और बिड़ला धर्मशाला तथा श्रीलंका मंदिर ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि पर अंतिम छोर संयोजकता के लिए सड़क का निर्माण किया गया है, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी देखा गया और **छायाचित्र 4.1** में दर्शाया गया है।

छायाचित्र 4.1

बिड़ला मंदिर, कुशीनगर में अंतिम छोर संयोजकता और सोलर लाइट का निर्माण	**श्रीलंका मंदिर, कुशीनगर में अंतिम छोर संयोजकता का निर्माण**

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संगठनों के मामलों में, पर्यटक सुविधा के लिए कार्य करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ये संगठन एनओसी देते हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि कुशीनगर में सोलर प्रकाश और अंतिम छोर संयोजकता का कार्य यूपीआरएनएन ने जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार और पर्यटकों की सुविधा के लिए किया है। यह भी बताया कि ये सार्वजनिक ट्रस्ट हैं। दूसरी कार्यदायी संस्था (एमवीडीए) का उत्तर प्रतीक्षित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये संस्थान निजी निकायों के स्वामित्व में हैं और निदेशालय को योजनाओं के नियम व शर्तों के अनुसार स्थलों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

पंजीकृत समितियों की भूमि पर निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जाना

4.1.9.5 उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्गत (फरवरी 2022) दिशानिर्देशों में परियोजना का प्रस्ताव भेजने से पहले सरकार या पंजीकृत समिति/ट्रस्ट के स्वामित्व वाली बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें निजी भूमि पर कोई भी व्यय करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उ.प्र. सरकार ने परियोजना प्रस्ताव के साथ भेजी जाने वाली सूचना हेतु 20-बिन्दु प्रोफार्मा (मई 2021 में निदेशालय द्वारा बढ़ाकर 26 बिन्दु कर दिया गया) निर्धारित किया (दिसम्बर 2020) था, जिसमें स्थल के स्वामी की सूचना के साथ-साथ समिति/ट्रस्ट पंजीकृत या परम्परागत है, का भी उल्लेख करना आवश्यक था।

इसमें परियोजना में स्वामी से उनके भूमि पर प्रस्तावित निर्माण के लिए सहमति प्राप्त करने का भी प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी 2021 से मार्च 2023 के दौरान राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित ₹ 29.81 करोड़ की स्वीकृत लागत वाली 23 परियोजनाओं के प्रकरण में, निदेशालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि पंजीकृत समितियों के स्वामित्व में थी क्योंकि दो प्रकरणों में प्रस्तुत प्रोफार्मा में यह उल्लिखित था कि भूमि का स्वामित्व रखने वाली समिति परम्परागत थी जबकि अन्य 21 प्रकरणों में निजी भू-स्वामियों द्वारा पत्र शीर्ष/सादे कागज पर प्रस्तुत सहमति पत्रों में समिति की पंजीकरण संख्या का कोई उल्लेख नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट-4.12** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

उपरोक्त 23 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मार्च 2024 से जून 2024), जहाँ निदेशालय द्वारा समिति का पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा परिसम्पत्तियों को नवम्बर 2021 से जून 2022 की अवधि के दौरान संचालन एवं रख-रखाव के लिए सम्बन्धित भू-स्वामियों को सौंप दिया गया था, में परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों पर ताले लगे पाए गए। दो अन्य प्रकरणों में, परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित धर्मशालाओं का उपयोग अनाज या सीमेंट की बोरियों के भण्डारण के लिए किया जा रहा था।

उपरोक्त प्रकरण इस बात के संकेत हैं कि ये परिसम्पत्तियाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थीं। ऐसी ही कुछ परियोजनाओं के छायाचित्र नीचे दिए गए हैं:

छायाचित्र 4.2

ऐतिहासिक तालाब, विश्याहन्नु/विशरापार, संत कबीर नगर में बंद शौचालय

पांडेय पोखरा, मरवटिया बालाजी महाराज में बंद शौचालय

बस्ती के सेवई डीह शिव स्थल में निर्मित धर्मशाला में रखी सीमेंट की बोरियाँ	**बनवासी आश्रम और हनुमान स्थल, खजनी, गोरखपुर में निर्मित धर्मशाला में अनाज का भण्डारण**

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि वह भू-स्वामी का पंजीकृत समिति होना सुनिश्चित करने में विफलता के प्रकरण की जाँच करेगी। उ.प्र. सरकार ने आदेश निर्गत किया है कि समिति, कार्यदायी संस्था और निदेशालय के मध्य त्रिपक्षीय समझौते के तहत परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। निदेशालय ने बताया कि जहाँ समितियाँ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि भविष्य में, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन उ.प्र. सरकार के आदेश (सितम्बर 2024) के माध्यम से समिति/ट्रस्ट/ग्राम सभा द्वारा संचालन और रख-रखाव के लिए त्रिपक्षीय समझौता करके सुनिश्चित किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता भी समिति के पंजीकरण को सुनिश्चित नहीं करता है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संचालन और रख-रखाव की अस्वीकार्य लागत

4.1.9.6 राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्गत दिशानिर्देश (फरवरी 2022) यह प्रावधानित करते थे कि विभाग परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव पर आवर्ती व्यय नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार द्वारा एक परियोजना[14] के लिए ₹ 7.67 करोड़ की स्वीकृति दी गयी (फरवरी 2023), जिसमें 2022-23 से 2028-29 तक सात वर्षों की अवधि के दौरान रख-रखाव के लिए ₹ 1.48 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने बताया कि अस्वीकृत कार्य के विषय पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा।

[14] राज्य योजना के तहत सौभरी सिटी फॉरेस्ट, मथुरा (फेज-II) की स्थापना।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का उत्तर प्रतीक्षित है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर भी प्रतीक्षित है (मई 2025)।

नियोजित विशिष्टियों से कम स्तर वाले उपकरणों की स्थापना

4.1.9.7 लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत सिंगल आर्म और फोर आर्म वाली सोलर लाइट्स (हाई मास्ट) में 50 वाट के लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) के प्रावधान के विरुद्ध 'रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर के विकास' में श्रृंगवेरपुर में तथा 'बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अन्तर्गत श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु के विकास' में कुशीनगर और श्रावस्ती में 197 सिंगल/फोर आर्म सोलर लाइटों में से 52 सिंगल/फोर आर्म सोलर लाइटों में 12 से 40 वाट की एलईडी स्थापित की गई, जैसा कि नीचे **तालिका 4.2** में संक्षेप में बताया गया है:

तालिका 4.2: कम वाट क्षमता के साथ स्थापित एलईडी का विवरण

परियोजना स्थल	विवरण	कुल स्थापित एलईडी की संख्या	कम वाट क्षमता की स्थापित की गयी एलईडी	
			संख्या	वाटेज
कुशीनगर	सिंगल आर्म	71	-	-
	फोर आर्म/हाई मास्ट	15	15	40
श्रावस्ती	सिंगल आर्म	74	-	-
	फोर आर्म/ हाई मास्ट	9	9	40
श्रृंगवेरपुर	सिंगल आर्म	10	10	12
	सिंगल आर्म	6	6	40
	फोर आर्म/ हाई मास्ट	3	3	24
	फोर आर्म/ हाई मास्ट	9	9	40
योग		**197**	**52**	

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने बताया कि वे कार्यदायी संस्थाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने जा रहे हैं एवं आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) को सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारी तय करने और आगामी परियोजनाओं में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया (दिसम्बर 2024) गया है। यूपीपीसीएल द्वारा किये गये कार्यों के लिए उत्तर लम्बित था।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ

4.1.9.8 लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं के निष्पादन में ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ के निम्नलिखित प्रकरण देखे:

- ***ठेकेदारों को जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान***

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में यूपीएसटीडीसी द्वारा ठेकेदारों को दिए गए चार अनुबंधों की शर्तों में प्रावधान था कि दरें जीएसटी और उपकर सहित थीं। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसटीडीसी ने, स्वीकृति पत्र जारी करते समय निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों पर अनियमित रूप से जीएसटी का अलग से प्रावधान किया।

इस प्रकार, यूपीएसटीडीसी ने चार ठेकेदारों को ₹ 19.08 करोड़ के स्वीकृत मूल्य पर ₹ 3.44 करोड़ मूल्य के जीएसटी के अतिरिक्त भुगतान की प्रतिबद्धता करके अनुचित लाभ पहुंचाया। ये कार्य प्रगति पर हैं। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उपरोक्त प्रतिबद्धताओं में से, यूपीएसटीडीसी ने अब तक (अप्रैल 2024) ठेकेदारों को ₹ 1.20 करोड़ मूल्य के जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान (₹ 6.64 करोड़ के भुगतान पर) किया है।

निदेशालय एवं उ.प्र. सरकार के उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2025)।

- ***अनुबंध के दोषपूर्ण नियम व शर्तों के कारण सहायता शुल्क का अग्रिम भुगतान***

पंचकोसी परिक्रमा यात्रा मार्ग, वाराणसी में समग्र पर्यटन विकास कार्यों के लिए पाँच परियोजनाओं[15] के सम्बन्ध में स्थलों एवं इनकी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में दिशात्मक सूचना प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और क्यूआर कोड के विकास हेतु कुल ₹ 2.39 करोड़ के मूल्य पर क्रय आदेश निर्गत किया गया था जिसमें ₹ 0.42 करोड़ की लागत एप्लीकेशन सॉफ्टवेर के लिए सहायता शुल्क के रूप में इसके गो-लाइव होने के बाद पाँच वर्ष के लिए सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भुगतान माइलस्टोन ठेकेदार के पक्ष में इस प्रकार संरचित किए गए थे कि कुल अनुबंध मूल्य का 15 प्रतिशत की चौथी और अंतिम किश्त जो कि ₹ 0.36 करोड़ थी 'सफल गो-लाइव पर' देय थी, यद्यपि इसके गो-लाइव होने के बाद पाँच वर्ष का रख-रखाव, अभी निष्पादित होना था। परियोजना जून 2023 में 'गो-लाइव' हो गई एवं कार्यदायी संस्था ने अक्टूबर 2023 में ठेकेदार को ₹ 0.36 करोड़ की चौथी एवं अंतिम किस्त का भुगतान किया। इस प्रकार, जून 2023 से पाँच वर्ष के लिए ₹ 0.42 करोड़ के सहायता शुल्क का भुगतान भी अग्रिम किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने प्रकरण को यूपीपीसीएल (कार्यदायी संस्था) को भेजा, तथापि वह इस प्रकरण पर कोई और तथ्य नहीं जोड़ सका।

[15] उ.प्र. सरकार द्वारा जनवरी 2022 में प्रत्येक पाँच पड़ाव यथा कंडवा, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर, कपिलधारा के लिए अलग परियोजना स्वीकृत।

अपने उत्तर में निदेशालय ने कार्यदायी संस्था के उत्तर का सन्दर्भ दिया (जनवरी 2025)। कार्यदायी संस्था ने बताया कि परियोजना में एप्लिकेशन सहायता के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं था। अग्रेतर, ठेकेदार द्वारा रख-रखाव करने में विफल होने की स्थिति में, अनुबंध मूल्य का तीन प्रतिशत, ₹ 7.18 लाख की धनराशि निष्पादन गारण्टी के रूप में रखी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय आदेश में पाँच वर्ष के सहायता के लिए धनराशि निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 7.18 लाख की निष्पादन गारण्टी धनराशि पाँच वर्ष के लिए सहायता लागत की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***लिक्विडेटेड डैमेजेज आरोपित करने में विफलता***

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न घटकों के लिए नियुक्त ठेकेदारों पर उनके सम्बन्धित अनुबन्धों के अनुसार लागू दरों पर लिक्विडेटेड डैमेजेज (एलडी) के आरोपण के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 12 परियोजनाओं के सम्बन्ध में 15 कार्यों/घटकों में इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदारों ने कार्य पूर्ण करने में विलम्ब किया एवं कोई समय विस्तार नहीं दिया गया, कार्यदायी संस्थाएँ चार करोड़ की एलडी धनराशि का आरोपण तथा उसको वसूलने में विफल रहीं जैसा कि **परिशिष्ट-4.13** में वर्णित है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) को जुर्माना/एलडी आरोपित करने और उ.प्र. सरकार को धनराशि वापस करने का निर्देश दिया गया है (दिसम्बर 2024)। कार्यदायी संस्था का उत्तर प्रतीक्षित है।

अग्रेतर, निदेशालय द्वारा तीन अन्य कार्यदायी संस्थाओं (यूपीपीसीएल, सी एण्ड डी एस और यूपीसिडको) द्वारा निष्पादित परियोजनाओं पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

जीएसटी का अधिक भुगतान

4.1.9.9 भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना[16] (अक्टूबर 2017) के माध्यम से वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय या पेशे के अलावा मुख्य रूप से अन्य उपयोग के लिए सरकारी निकाय को प्रदान की जाने वाली कार्य संविदा सेवाओं के सम्बन्ध में जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया, बशर्ते कि ऐसी सेवाएँ उक्त निकाय द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य

[16] 39/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017 और 31/2017- केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017।

सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए कार्य के सम्बन्ध में प्राप्त की जाती हैं। तथापि उपरोक्त सेवाओं के सम्बन्ध में 12 प्रतिशत की दर को वापस ले लिया गया और 18 प्रतिशत से बदल[17] दिया गया (दिसम्बर 2021)।

कार्यदायी संस्थाएं, यथा यूपीआरएनएन और यूपीपीसीएल, उपरोक्त आदेश (अक्टूबर 2017) के अन्तर्गत सरकारी संस्थायें निर्धारित थीं। इस प्रकार, यूपीआरएनएन और यूपीपीसीएल को प्रदान की गई कार्य अनुबंध सेवाओं के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी की घटी हुई दर 13 अक्टूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2021 तक लागू थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीआरएनएन और यूपीपीसीएल ने फरवरी 2019 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत क्रमशः 'वाराणसी में रिवर क्रूज के विकास' की परियोजना में मॉड्यूलर सिस्टम जेटी एवं संबद्ध सेवाओं की आपूर्ति और स्थापना का कार्य तथा 'रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर के विकास' की परियोजना में सोलर लाइट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य किया और 12 प्रतिशत की दर से लागू जीएसटी ₹ 46.30 लाख के सापेक्ष 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी के लिए ₹ 69.46 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार, कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों को ₹ 23.16 लाख के जीएसटी का अधिक भुगतान किया।

निदेशालय ने उत्तर दिया कि कार्यदायी संस्थाओं (यूपीआरएनएन एवं यूपीपीसीएल) को अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2025)।

उ.प्र. सरकार का उत्तर भी प्रतीक्षित है (मई 2025)।

अनुश्रवण तंत्र तथा परियोजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव

4.1.10 अनुश्रवण तंत्र तथा परियोजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

अनुश्रवण समिति के गठन तथा भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब

4.1.10.1 स्वदेश दर्शन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य प्रशासन, परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (एसएलएमसी) नियुक्त करेगा। प्रसाद योजना के स्वीकृति आदेशों के अनुसार राज्य सरकार को स्वीकृत परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का फीडबैक प्रदान करने तथा पर्यटन मंत्रालय को मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक अनुश्रवण समिति का गठन करना था। स्वदेश

[17] 22/2021 - एकीकृत कर (दर) दिनांक 31 दिसम्बर 2021 और 22/2021 - केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 31 दिसम्बर 2021।

दर्शन एवं प्रसाद के अन्तर्गत परियोजनाएँ वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि महानिदेशक, पर्यटन, उ.प्र. सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रथम परियोजना की स्वीकृति से चार वर्ष से अधिक विलम्ब से एसएलएमसी का गठन किया (अगस्त 2019)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अन्तर्गत श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु के विकास तथा रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर के विकास की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्टें दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति की तिथि (सितम्बर 2016) से चार वर्ष और चार माह की अवधि के बाद फरवरी 2021 से प्रस्तुत की गई थीं।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान निदेशालय ने तथ्यों को स्वीकार किया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि एसएलएमसी का गठन पहले नहीं किया गया था क्योंकि प्रमुख सचिव और महानिदेशक, पर्यटन ने केन्द्रीय, राज्य और जिला क्षेत्र के अन्तर्गत सभी पर्यटन विकास परियोजनाओं का नियमित आधार पर अनुश्रवण और समीक्षा की थी। बाद में मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में एसएलएमसी का गठन किया गया है। वर्तमान में, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण के लिए पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जहाँ सभी परियोजनाओं की प्रगति को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जियोटैग्ड छायाचित्रों के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया गया है।

निदेशालय का उत्तर लेखापरीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि एसएलएमसी का गठन चार वर्ष से अधिक के विलम्ब से किया गया था।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

परिसम्पत्तियों को संचालन में नहीं लाया गया

4.1.10.2 केन्द्रीय योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित सार्वजनिक सुविधाओं के लिए एक प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव योजना होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत दो पूर्ण परियोजनाओं के प्रकरण में, एक परिसम्पत्ति (₹ 4.14 करोड़) को 23 माह के विलम्ब के बाद संचालन में लाया गया तथा ₹ 59.53 करोड़ की अन्य परिसम्पत्तियों को उनके पूर्ण होने की सम्बन्धित तिथि से संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक 13 माह से 44 माह के विलम्ब के बाद भी संचालन में नहीं लाया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-4.14** में वर्णित है।

उपरोक्त दो पूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह प्रकट हुआ कि कपिलवस्तु में सोलर पैनलों की बैटरियाँ तथा

साउण्ड एण्ड लाइट (एसईएल) शो के स्पीकर अवस्थापित नहीं किए गए थे तथा उन्हें एक अलग स्थान पर रखा गया था तथा श्रृंगवेरपुर में शौचालयों में ताले लगे पाए गए, जैसा कि नीचे दिए गए छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

छायाचित्र: 4.3

कपिलवस्तु में बिना बैटरी के सोलर पैनल	**कपिलवस्तु में भण्डारण कक्ष में पड़ी सोलर बैटरियाँ**
थीम पार्क/साउण्ड एण्ड लाइट शो, कपिलवस्तु में बिना स्पीकर के पोल	**श्रृंगवेरपुर में बंद शौचालय**

अग्रेतर, झाड़ियाँ ऊगी हुई हैं, सोलर पैनल टूटे हुए हैं और बैटरियाँ गायब हैं, सिविल निर्माण में रिसाव है, आदि, जैसा कि नीचे दिये गये छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

छायाचित्र: 4.4

टीएफसी और बुद्ध थीम पार्क, श्रावस्ती में उगने वाली अवांछित झाड़ियाँ और घास	

टीएफसी एवं बुद्ध थीम पार्क, श्रावस्ती में टूटे हुए सोलर पैनल और गायब बैटरियाँ

टीएफसी, कपिलवस्तु में दीवार पर रिसाव

पार्किंग में शौचालय, श्रावस्ती

संचालन में विफलता/विलम्ब के फलस्वरूप पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने का योजना उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया/विलम्ब से पूर्ण हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि तीन वर्ष से अधिक के प्रयासों के बाद बौद्ध सर्किट परियोजना के संचालन के लिए आरएफपी में दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं और इसे शीघ्र ही संचालन में लाया जाएगा।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए उ.प्र. सरकार ने परियोजना को स्वीकृति देने से पहले इसके संचालन और रख-रखाव के लिए त्रिपक्षीय समझौता करने का निर्देश दिया है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं को पूर्ण होने के तुरंत बाद संचालन में लाया जाए।

वाराणसी में रिवर क्रूज बोट का संचालन

4.1.10.3 निदेशालय[18] ने क्रूज बोट संचालन का कार्य अलकनंदा क्रूज लाइन प्राइवेट लिमिटेड को, पाँच वर्ष की अवधि के लिए, प्रथम वर्ष वार्षिक शुल्क

[18] संयुक्त निदेशक पर्यटन सह सचिव, 'महोत्सव समिति', वाराणसी।

₹ 25.51 लाख, जिसमें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी, पर दिया (जुलाई 2021)।

अनुबंध में कहा गया था कि निविदा के दौरान न्यूनतम निविदा धनराशि कम रखते हुए ₹ 10 लाख रखी गई थी और भविष्य में यदि व्यवसाय में उच्च वृद्धि होती है, तो निदेशालय वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध की शर्तों में ठेकेदार के व्यवसाय में प्रतिशत वृद्धि के अनुरूप वार्षिक शुल्क में ऐसी वृद्धि की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। अग्रेतर, निदेशालय ने शुल्क में संशोधन के लिए ठेकेदार के व्यवसाय में वास्तविक वृद्धि का कोई मूल्यांकन नहीं किया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी को इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जो कि प्रतीक्षित है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर भी प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संचालन एवं रख-रखाव के लिए भारत सरकार की निधियों का अनियमित उपयोग

4.1.10.4 स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव योजना होनी चाहिए। इन योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया था कि उ.प्र. सरकार/कार्यदायी संस्था सुविधाओं के रख-रखाव एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व लेगी। अत: संचालन एवं रख-रखाव की लागत उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत साउण्ड एण्ड लाइट (एसईएल) शो, लेजर शो, डिजिटल इंटरवेंशन सेंटर और सीसीटीवी/वाई-फाई जैसे कार्यों के कई घटकों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया था, जिसमें परिसम्पत्तियों के पूर्ण होने और हस्तांतरण के पश्चात एक निश्चित निर्धारित अवधि के लिए संचालन एवं अनुरक्षण के लिए ₹ 3.77 करोड़ **(परिशिष्ट-4.15)** की लागत सम्मिलित थी। यद्यपि यह लागत उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी, परन्तु क्लोज़र रिपोर्ट में अनियमित रूप से भारत सरकार की निधि से इसकी मांग की गयी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उक्त कार्य के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में ही संचालन एवं रख-रखाव का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार ने भी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के

दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

निदेशालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिस पूर्ववर्ती स्वदेश दर्शन योजना, जिसके अन्तर्गत उक्त परियोजनाओं का निर्माण किया गया था, में भारत सरकार द्वारा संचालन एवं रख-रखाव का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इसकी लागत भारत सरकार द्वारा वहन न करते हुए उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

विभिन्न आईटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य के निष्पादन में कमियाँ

4.1.10.5 निदेशालय ने विभिन्न आईटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म स्थापना से सम्बन्धित कार्य के लिए अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (यूपीएल) को ₹ 14.86 लाख मासिक किराये पर नियुक्त किया (3 जनवरी 2022)। कार्य प्रदान करने के लिए पत्र निर्गत होने से लेकर, यूपीएल को कार्य के लिए निर्धारित गतिविधियों के लिए मॉड्यूलवार समयसीमा, बायो डाटा के साथ प्रस्तावित जनशक्ति और कार्य पूर्ति के लिए नियोजित मासिक गतिविधि समय सारिणी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएल ने कार्य के लिए पत्र निर्गत होने से लेकर अब तक उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसने निदेशालय से पूर्व अनुमति लिए बिना अपनी ओर से कार्य करने के लिए मैसर्स इंद्रधनुष को नियुक्त किया (15 जनवरी 2022)। यूपीएल कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करने और अगस्त 2022 तक निदेशालय द्वारा वांछित डैशबोर्ड का डिज़ाइन देने में विफल रहा। निदेशालय ने कार्य निष्पादन न करने के लिए फर्म को भुगतान रोक दिया (12 सितम्बर 2022)। यद्यपि, मार्च 2022 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान तीन माह (फरवरी 2022 से अप्रैल 2022) के लिए कुल ₹ 44.58 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका था।

इस प्रकार, बिना किसी प्रतिपादन के ₹ 44.58 लाख का भुगतान किया गया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यूपीएल विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सका।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अभिलेख रख-रखाव में विफलता

4.1.10.6 उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत राज्य योजना के दिशानिर्देश (फरवरी 2022) में प्रावधान किया गया था कि पर्यटन विकास स्थलों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण परिसम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाएगा तथा विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय द्वारा न तो विभिन्न पर्यटन विकास स्थलों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण दर्शाने के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर का रख-रखाव किया गया था और न ही ऐसे विवरण को विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के स्तर पर परिसम्पत्ति रजिस्टर के रख-रखाव का प्रयास किया जाएगा तथा इसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

निष्कर्ष

निदेशालय ने 82 नमूना परियोजनाओं में सर्वेक्षण और अवसंरचना में कमी का विश्लेषण किए बिना तथा 27 परियोजनाओं के नियोजन के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त किए बिना ही परियोजनाओं का नियोजन किया। डीपीआर/प्राक्कलनों को त्रुटिपूर्ण तरीके से बनाया गया, जिसमें पात्र मदों को छोड़ा गया अथवा व्यय की अपात्र मदों जैसे जीएसटी, सेन्टेज, श्रम उपकर आदि को सम्मिलित किया गया।

कंटिनजेन्सी मद में अधिक दावे, जीएसटी के लिए निधियों का अनियमित उपयोग, सेन्टेज, श्रम उपकर और जीएसटी के लिए अधिक धनराशि स्वीकृत करना, उ.प्र. सरकार के वित्तीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन तथा कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि प्रेषण में अनियमितताओं के कारण केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य योजनाओं हेतु निधियों के प्रबंधन में कमियाँ पाई गईं। कार्यदायी संस्था के नामांकन में विलम्ब, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों को कार्य देने में लगने वाले समय तथा ठेकेदारों द्वारा निष्पादन में विलम्ब के कारण नमूना परियोजनाएं 44 माह तक विलंबित रहीं। केन्द्रीय योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निजी ट्रस्टों के स्वामित्व वाली भूमि पर परियोजनाओं का निर्माण किया गया। राज्य योजनाओं के मामले में दिशानिर्देशों के अनुरूप

पंजीकृत समितियों की भूमि पर निर्माण सुनिश्चित नहीं किया गया। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान, सेवा के लिए अग्रिम भुगतान तथा लिक्विडेटेड डैमेजेज वसूल न करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। कार्यदायी संस्थाओं ने गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।

कुछ नमूना प्रकरणों में, परियोजनाओं के अन्तर्गत बनाई गई परिसम्पत्तियाँ निजी भूमि पर निर्मित की गईं तथा कुछ में उन्हें परिचालन में नहीं लाया गया। परियोजना अनुश्रवण समिति के गठन तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। निदेशालय द्वारा विभिन्न पर्यटन विकास स्थलों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण प्रदर्शित करने के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया। ऐसे विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

लोक निर्माण विभाग

4.2 त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात भार गणना के कारण अधिक क्रस्ट ओवरले के कारण से ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा चंदौली जिले में चहनिया धानापुर महुजी जमानिया मार्ग के क्रस्ट ओवरले के डिजाइनिंग हेतु मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स (एमएसए) के रूप में डिजाइन ट्रैफिक की गणना में त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात को आधार बनाए जाने के कारण ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

सड़क के डिजाइन लाइफ के दौरान ले जाये जाने वाले मानक एक्सलों की संचयी संख्या के रूप में डिजाइन ट्रैफिक की गणना, निर्माण के बाद प्रारंभिक यातायात {वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी) के संदर्भ में}, यातायात वृद्धि दर, डिजाइन लाइफ, वाहन क्षति कारक और कैरिजवे पर वाणिज्यिक यातायात के वितरण का उपयोग करके की जाती है।

इण्डियन रोड कांग्रेस (आईआरसी:37-2012) के प्रस्तर 4.4.2 में यह प्रावधान है कि वाहन क्षति कारक (वीडीएफ) विभिन्न एक्सेल लोड और एक्सेल विन्यासों वाले वाणिज्यिक वाहनों की संख्या को 80 केएन महत्ता के मानक एक्सेल लोड की पुनरावृत्तियों की संख्या में परिवर्तित करने का एक गुणांक है। यह प्रति वाणिज्यिक वाहन मानक एक्सेल के समतुल्य संख्या के रूप में परिभाषित है। प्रस्तर 4.4.3 में विभिन्न एक्सेल लोड पुनरावृत्तियों को समतुल्य मानक एक्सेल लोड पुनरावृत्तियों में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त तुल्यता कारकों की गणना करने का प्रावधान है और तत्पश्चात् इन मूल्यों के आधार पर वीडीएफ के मूल्य की गणना की जाती है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ एक्सेल लोड की पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है, प्रस्तर 4.4.6 में प्राविधानित सांकेतिक वीडीएफ मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिये।

विभाग ने चंदौली जिले में चहनिया धानापुर महुजी जमानिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 76.59 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2016) की थी। मुख्य अभियंता (सीई), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), वाराणसी परिक्षेत्र ने कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2016) की थी। अधीक्षण अभियंता (एसई), पीडब्ल्यूडी, वाराणसी वृत्त

ने विभागीय दर से 4.25 प्रतिशत अधिक पर कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदार के साथ एक अनुबंध[19] पर हस्ताक्षर किया। कार्य सितम्बर 2016 में प्रारम्भ हुआ और जून 2018 में पूर्ण हुआ। कार्य के अंतिम देयक का भुगतान मार्च 2019 में किया गया।

खण्ड ने एक यातायात गणना रिपोर्ट प्रदान की थी जिसमें 330 वाहनों की प्रारंभिक यातायात गणना (औसत) प्रस्तुत की गयी थी। तथापि, उसने 330 के आंकड़े को 614 में परिवर्तित किया, जो आईआरसी के प्रावधान के अनुसार संगणित नहीं किया गया था, और इसे अग्रेतर मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) की गणना में सीवीपीडी के रूप में उपयोग किया।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2022) कि खण्ड ने न तो कोई एक्सल लोड सर्वे किया था और न ही आईआरसी:37-2012 के प्रस्तर 4.4.2 तथा 4.4.3 के प्रावधान के अनुसार समतुल्यता कारकों/वीडीएफ की गणना की थी तथा एमएसए की गणना करते समय सीवीपीडी के संदर्भ में 330 के स्थान पर प्रारंभिक यातायात के त्रुटिपूर्ण मूल्य 614 को ध्यान में रखा था। चूँकि खण्ड द्वारा कोई एक्सल लोड सर्वे नहीं किया गया था इसलिए गणना में प्रस्तर 4.4.6 में प्राविधानित 330 की प्रारंभिक यातायात गणना और वीडीएफ के सांकेतिक मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए था। एमएसए की गणना में सीवीपीडी के त्रुटिपूर्ण मूल्य पर विचार करने के कारण बिटुमिनस कंक्रीट की क्रस्ट 5 मिमी अधिक मोटी डाली गयी थी और परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ **(परिशिष्ट-4.16)** का परिहार्य व्यय हुआ था।

शासन ने उत्तर में बताया (मई 2024) कि बसों की संख्या 84, ट्रकों की संख्या 268, ट्रैक्टरों की संख्या 235 (सर्वे किये गये 1,567 में से 235 ट्रकों का वजन 3 मीट्रिक टन से अधिक था) और पशु द्वारा खींची जाने वाली बैलगाड़ियों की संख्या 27 (सर्वे की गई 248 में से 27 बैलगाड़ियों का वजन 3 मीट्रिक टन से अधिक था) को लेकर सीवीपीडी 614 निकाली गयी थी, जैसा कि कार्य की प्राविधिक स्वीकृति में वर्णित था। इस प्रकार, इस कार्य के लिए सीवीपीडी 614 थी तथा तदनुसार एमएसए की गणना की गयी थी और क्रस्ट डाली गयी थी। इस प्रकार कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया था।

---

[19] 51/एसईवी/2016-17 दिनांक 06.09.2016 मेसर्स ए.के.कंस्ट्रक्शन के साथ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा संदर्भित गणना केवल पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से सम्बन्धित है और इसको सीवीपीडी नहीं माना जा सकता है। अग्रेतर, डिजाईन यातायात गणना के लिए, खण्ड द्वारा बिना किसी समतुल्यता कारक/परिवर्तन के केवल प्रारम्भिक यातायात गणना पर सांकेतिक वीडीएफ लिया जाना चाहिये था। साथ ही, 3 मीट्रिक टन से अधिक भार वाले वाहन का लोड सर्वे न तो उत्तर के साथ उपलब्ध कराया गया था और न ही यह विस्तृत प्राक्कलन में पाया गया था।

लखनऊ **(राजीव कुमार पाण्डेय)**

दिनांक 2 फरवरी 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),**

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक 05 FEB 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-2.1
(प्रस्तर 2.1.9.1 में संदर्भित)
बजट मॉड्यूल/बजट आवंटन मॉड्यूल की अपूर्ण कार्यप्रणाली
(लेखानुदान में प्रावधान के विरुद्ध व्यय यद्यपि वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया था)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	लेखा शीर्ष	मानक मद	विवरण	लेखानुदान राशि	व्यय
1	042	2014001058902	01	वेतन	4,45,79,000	1,55,33,415
2	042	2014001058902	08	कार्यालय व्यय	13,00,000	1,7335
3	042	2014001058902	09	विद्युत देय	8,50,000	5,000
4	042	2014001058902	13	टेलीफोन पर व्यय	13,50,000	53,548
5	042	2014001058903	01	वेतन	32,78,000	5,33,395
6	042	2014001058903	13	टेलीफोन पर व्यय	35,000	1,315
7	049	2235021028902	01	वेतन	2,26,16,90,000	26,60,40,784
8	049	2235021028902	07	मानदेय	6,00,00,00,000	1,50,00,00,000
9	049	2235021028902	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,70,36,000	2,18,00,000
10	049	2235021028902	17	किराया,उप शुल्क और कर स्वामित्व	23,37,50,000	5,84,00,000
11	049	2235021028902	29	अनुरक्षण	60,00,000	15,00,000
12	049	2235021028902	42	अन्य व्यय	80,55,40,000	20,14,00,000
13	049	2235021028902	43	सामाग्री एवं सम्पूर्ति	40,000	10,000
14	049	2235021028902	51	वर्दी व्यय	9,72,00,000	2,43,00,000
15	049	2235021028904	01	वेतन	6,39,00,000	90,08,779
16	049	2235021028904	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	65,88,000	16,00,000
17	049	2235021028914	08	कार्यालय व्यय	20,00,000	5,00,000
18	049	2235021028914	09	विद्युत देय	2,47,20,000	61,80,000
19	049	2235021028914	10	जलकर	8,24,000	2,06,000
20	049	2235021028914	13	टेलीफोन पर व्यय	4,12,000	1,03,000
21	049	2235021028914	16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	80,00,000	20,00,000
22	049	2235021028914	17	किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	44,28,000	11,07,000
23	049	2235021028914	29	अनुरक्षण	4,00,00,000	1,00,00,000
24	049	2235021028914	41	भोजन व्यय	6,00,00,000	1,50,00,000
25	049	2235021028914	42	अन्य व्यय	5,76,00,000	1,44,00,000
26	049	2235021028914	43	समाग्री एवं सम्पूर्ति	7,44,00,000	1,86,00,000
27	049	2235021028914	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	8,00,000	2,00,000
28	049	2235021028914	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	24,00,000	6,00,000
29	049	2235021028914	58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,60,00,000	40,00,000
30	049	2235021028922	07	मानदेय	4,68,00,000	1,17,00,000
31	049	2235021028922	08	कार्यालय व्यय	19,50,000	4,88,000
32	049	2235021028922	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	71,50,000	17,88,000
33	049	2235021028922	17	किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	39,00,000	9,75,000
34	049	2235021028922	29	अनुरक्षण	6,50,000	1,63,000
35	049	2235021028922	42	अन्य व्यय	32,50,000	8,13,000
36	049	2235021028922	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	19,50,000	4,88,000
37	049	2235021028922	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	26,00,000	6,50,000
38	049	2235021028922	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	26,00,000	6,50,000
39	049	2235021028922	58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,95,00,000	48,75,000
योग						**2,19,56,73,971**

स्रोतः 2022-23 के लेखानुदान एक्सएमएल फ़ाइल की 'बजट ओआरजी' एवं 'सीटीएस बिल इंट' से व्यय के साथ तुलना

परिशिष्ट-2.2
(प्रस्तर 2.1.9.11 में संदर्भित)
एकल नोडल खाते/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय के सम्बन्ध में आईएफएमएस एवं पीएफएमएस में आँकड़ों के एकीकरण में विसंगति/भिन्नता

2022-23

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	विभाग कोड	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	आवंटित बजट	सकल व्यय	आधिक्य
1	0041	निदेशक, पशुपालन विभाग	15	-	9,11,521	9,11,521
2	0080	पंचायती राज निदेशालय	2	-	20,08,48,000	20,08,48,000
3	0086	शारदा क्षेत्रीय क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना	40	5,99,55,475	7,27,57,334	1,28,01,859
4	0101	मुख्य निर्वाचन विभाग	74	27,83,61,215	37,63,86,416	9,80,25,201
5	0107	समाज कल्याण निदेशालय	11	1,37,84,200	1,86,34,626	48,50,426
6	0116	महिला कल्याण निदेशालय	64	3,81,55,906	4,56,30,907	74,75,001
7	0117	बाल विकास सेवांए एवं पोषण	159	19,89,90,260	23,65,00,320	3,75,10,060
8	0149	नियन्त्रक कानूनी माप	46	32,59,57,195	44,64,38,995	12,04,81,800
9	0207	राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	70	7,93,65,000	21,08,60,976	13,14,95,976
10	0212	रजिस्ट्रार (बजट), उच्च न्यायालय।	213	39,67,80,408	67,49,82,135	27,82,01,727
योग			**694**	**1,39,13,49,659**	**2,28,39,51,230**	**89,26,01,571**

2023-24

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	विभाग कोड	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	आवंटित बजट	सकल व्यय	आधिक्य
1	0101	मुख्य चुनाव विभाग	73	27,73,96,164	37,96,75,508	10,22,79,344
2	0107	समाज कल्याण निदेशालय	15	1,59,57,900	2,11,21,355	51,63,455
3	0110	लघु सिंचाई विभाग	1	7,18,000	10,11,318	2,93,318
4	0112	राज्य निषेध विभाग	1	86,28,000	95,16,748	8,88,748
5	0117	बाल विकास सेवाएँ और पोषण	76	1,97,04,39,704	2,84,80,10,015	87,75,70,311
6	0149	नियन्त्रक कानूनी माप	43	33,22,91,920	46,95,69,533	13,72,77,613
7	0201	जिला प्रशिक्षण केन्द्र	1	5,40,00,000	6,00,82,200	60,82,200
8	0207	राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	6	8,40,87,000	11,07,43,811	2,66,56,811
9	0212	रजिस्ट्रार (बजट), उच्च न्यायालय	176	60,20,26,068	1,52,28,73,005	92,08,46,937
10	0238	व्यापार कर विभाग	1	0	4,09,09,000	4,09,09,000
योग			**393**	**3,34,55,44,756**	**5,46,35,12,493**	**2,11,79,67,737**

परिशिष्ट-2.3
(प्रस्तर 2.1.9.12 में संदर्भित)
आईएफएमएस में पूँजीगत एवं राजस्व व्ययों में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

मानक मद (राजस्व प्रकृति)	मानक मद विवरण	मुख्य शीर्ष (पूँजीगत प्रकृति)	प्रकरणों की संख्या	सकल व्यय
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4070,4700, 4701 एवं 4702	1,101	24.70
15	गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4406	59	0.55
16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4059 एवं 5054	25	26.53
25	लघु निर्माण कार्य	4055, 4058, 4059, 4070, 4202, 4210, 4216, 4225, 4235, 4250, 4406, 4415, 4702, 4851, 4853 एवं 5054	7,849	594.67
29	अनुरक्षण	4215 एवं 4406	29	100.47
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण	4202 एवं 5054	55	2.18
58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4070	16	2.78
योग			**9,134**	**751.88**

पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

मानक मद (राजस्व प्रकृति)	मानक मद विवरण	मुख्य शीर्ष (पूँजीगत प्रकृति)	प्रकरणों की संख्या	सकल व्यय
14	मोटर गाड़ियों का क्रय	2012, 2013, 2014, 2039, 2040, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2059, 2070, 2203, 2210, 2217, 2225, 2235, 2251, 2401, 2403, 2406, 2425, 2515, 2701, 2702, 2851, 2852, 2853, 3055 एवं 3475	172	99.54
योग			**172**	**99.54**

स्रोतः वर्ष 2018-19 से 2023-24 की "सीटीएस बिल एंट्री" से राजस्व प्रकृति के मानक मद (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एवं 59) एवं पूँजीगत प्रकृति के मानक मद (14, 24, 30 एवं 60) के भिन्न प्रकृति के मुख्य शीर्ष में इंगित किया जाना

परिशिष्ट-2.4
(प्रस्तर 2.1.9.14 में संदर्भित)
लाभार्थी के सृजन में वैलीडेशन नियन्त्रण का अभाव

क्र. सं.	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एक ही बैंक खाता संख्या को कई लाभार्थी आईडी के साथ मैप किया गया है
1	1300	बदांयू	1,999
2	1400	मुरादाबाद	4,127
3	2100	फतेहपुर	2,394
4	2700	वाराणसी	6,917
5	2800	मीरजापुर	9,397
6	3200	गोरखपुर	4,713
7	4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	6,573
8	6900	सोनभद्र	7,748
9	7600	गौतम बुद्ध नगर	2,353
10	7900	बलरामपुर	2,022
11	9600	विधानसभा	302
योग			**48,545**

परिशिष्ट-2.5
(प्रस्तर 2.1.9.15 में संदर्भित)
लाभार्थी प्रकार-10 जीएसटीटीडीएस का अन्य लाभार्थी प्रकारों में पाया जाना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	लाभार्थी का प्रकार	प्रकरणों की संख्या	क्रेडिट धनराशि
1	कर्मचारी (एनईएफटी)	1	22
2	गैर-कर्मचारी (एनईएफटी)	48,110	4,43,51,33,168
3	सोसायटी खाता	159	11,31,590
4	समूह-ए	64	36,94,519
5	समूह-बी	6	1,07,750
6	समूह-सी	3	4,052
7	समूह-डी	4,650	7,41,51,584
योग		**52,993**	**4,51,42,22,685**

स्रोतः वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक के लिए नमूना कोषागारों की ट्रांजेक्शन डेटा तालिका

परिशिष्ट-2.6
(प्रस्तर 2.1.9.16 में संदर्भित)
मकान किराया भत्ता से सम्बन्धित नियमों को मैप न किया जाना
(ऐसे प्रकरण जहाँ मकान किराया भत्ता निर्धारित मकान किराया भत्ता दर के अनुरूप नहीं थे)

क्र. सं.	कोषागार का नाम	कोषागार कोड	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ कर्मचारियों ने निर्धारित मकान किराया भत्ता दर के अनुरूप मकान किराया भत्ता नहीं लिया था
1	बदांयू	1300	46,125
2	मुरादाबाद	1400	1,73,315
3	फतेहपुर	2100	50,548
4	वाराणसी	2700	1,05,459
5	मीरजापुर	2800	48,989
6	गोरखपुर	3200	90,081
7	लखनऊ कलेक्ट्रेट	4300	1,43,980
8	सोनभद्र	6900	30,936
9	गौतम बुद्ध नगर	7600	91,108
10	बलरामपुर	7900	62,130
11	विधानसभा	9600	43
योग			**8,42,714**

स्रोतः 'मॉन पे' फाइल से लिया गया

परिशिष्ट-2.7
(प्रस्तर 2.1.9.16 में संदर्भित)
बोनस का भुगतान समर्पित बोनस इन्टरफेस के माध्यम से न किया जाना
(गत वित्तीय वर्षों में छः बार से अधिक बोनस का भुगतान किए जाने के प्रकरणों की संख्या दर्शाने वाला विवरण)

क्र. सं.	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें 6 बार से अधिक बोनस का भुगतान किया गया
1	1300	बदांयू	78
2	1400	मुरादाबाद	106
3	2100	फतेहपुर	3,782
4	2700	वाराणसी	251
5	2800	मीरजापुर	981
6	3200	गोरखपुर	218
7	4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	369
8	6900	सोनभद्र	371
9	7600	गौतम बुद्ध नगर	56
10	7900	बलरामपुर	37
योग			**6,249**

स्रोतः 'डीडीओ ट्रांजेक्शन' वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक के लिए नमूना कोषागारों की तालिका

परिशिष्ट-2.8

(प्रस्तर 2.1.9.17 में संदर्भित)

गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते के भुगतान पर नियन्त्रण का अभाव

(2018-19 से 2023-24 की अवधि में कोषागार-वार ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एनपीए का भुगतान ₹ 2,37.500.00 की अधिकतम सीमा से अधिक पाया गया)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	प्रकरणों की संख्या	अतिरिक्त एनपीए	अतिरिक्त डीए
1	1300	बदांयू	43	1,85,365	37,516
2	1400	मुरादाबाद	65	1,76,820	53,361
3	2100	फतेहपुर	57	3,30,919	56,243
4	2700	वाराणसी	164	4,13,280	1,29,129
5	2800	मीरजापुर	14	40,100	6,816
6	3200	गोरखपुर	14	15,080	4,265
7	4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	124	2,07,810	57,719
8	6900	सोनभद्र	6	2,760	468
9	7600	गौतम बुद्ध नगर	72	3,02,590	58,611
10	7900	बलरामपुर	12	18,640	3,167
योग			**571**	**16,93,364**	**4,07,295**

स्रोतः निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 'मॉन एसीटी' फाइल्स

परिशिष्ट-2.9

(प्रस्तर 2.1.9.17 में संदर्भित)

गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते के भुगतान पर नियन्त्रण का अभाव

(2018-19 से 2023-24 की अवधि में कोषागार-वार प्रकरणों की संख्या जहाँ एनपीए, मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के 20 प्रतिशत से अधिक दर से किया गया था)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	प्रकरणों की संख्या	अतिरिक्त एनपीए	अतिरिक्त डीए
1	1300	बदांयू	275	3,08,178	3,31,356
2	1400	मुरादाबाद	18	2,713	1,037
3	2100	फतेहपुर	124	73,316	1,16,407
4	2700	वाराणसी	12	4,724	1,636
5	2800	मीरजापुर	78	67,828	1,38,233
6	3200	गोरखपुर	794	8,37,661	14,08,706
7	4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	242	1,71,196	2,34,382
8	6900	सोनभद्र	36	6,998	1,713
9	7600	गौतम बुद्ध नगर	36	14,650	3,660
10	7900	बलरामपुर	45	94,805	27,674
योग			**1,660**	**15,82,069**	**22,64,804**

स्रोतः निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 'मॉन एसीटी' फाइल्स

परिशिष्ट-2.10
(प्रस्तर 2.19.17 में संदर्भित)
गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते के भुगतान पर नियन्त्रण का अभाव
(गैर-चिकित्सकीय पदधारकों को गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते का भुगतान)

क्र. सं.	पदनाम	प्रकरणों की संख्या
1	अपर आयुक्त	5
2	संग्रह अमीन	10
3	कॉन्स्ट	19
4	कांस्टेबल	4
5	वन रेंज अधिकारी	1
6	रक्षक	1
7	एचसी	1
8	एचसी	2
9	एचसी एपी	1
10	हेड कॉन्स्ट	10
11	हेड कांस्टेबल	1
12	जे.सी.	3
13	जीप चालक	1
14	फोटो लैब सहायक	5
15	सींच पर्यवेक्षक	1
16	सींच पाल	3
17	वरिष्ठ सहायक	1
18	एसआई	5
19	एसआई एपी	2
20	सीनियर डीएओ	20
21	वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी	10
योग		**106**

परिशिष्ट-2.11
(प्रस्तर 2.1.9.18 में संदर्भित)
सामान्य भविष्य निधि अंशदान की सीमा पर वैलीडेशन नियन्त्रण का अभाव
(10 प्रतिशत से कम सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती किया जाना)

क्र. सं.	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	प्रकरणों की संख्या
1	0200	सहारनपुर	3
2	0300	मुजफ्फरनगर	1
3	0400	मेरठ	3
4	0500	बुलंदशहर	3
5	0600	अलीगढ़	7
6	0700	मथुरा	5
7	0800	आगरा	9
8	0900	मैनपुरी	2
9	1100	बरेली	38
10	1200	बिजनौर	16
11	1300	बदांयू	49
12	1400	मुरादाबाद	29
13	1500	शाहजहांपुर	37
14	1700	रामपुर	2
15	1800	फतेहगढ़	1
16	1900	इटावा	23
17	2000	कानपुर नगर	34
18	2100	फतेहपुर	3
19	2200	प्रयागराज कलेक्ट्रेट	22
20	2300	झांसी	40
21	2500	हमीरपुर	1
22	2600	बाँदा	9
23	2700	वाराणसी	3
24	2800	मीरजापुर	26
25	2900	जौनपुर	19
26	3000	गाजीपुर	2
27	3100	बलिया	1
28	3200	गोरखपुर	17
29	3300	बस्ती	39
30	3400	आजमगढ़	3
31	3500	देवरिया	2
32	4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	112
33	4400	उन्नाव	2
34	4500	राय बरेली	2
35	4600	सीतापुर	29
36	4700	हरदोई	27
37	4800	लखीमपुर खीरी	1
38	4900	फैजाबाद	25

क्र. सं.	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	प्रकरणों की संख्या
39	5000	गोंडा	10
40	5100	बहराइच	13
41	5200	सुल्तानपुर	13
42	5300	प्रतापगढ़	7
43	5400	बाराबंकी	2
44	5800	ललितपुर	14
45	5900	गाजियाबाद	29
46	6000	लखनऊ जवाहर भवन	732
47	6200	कानपुर देहात	4
48	6300	पीएओ नई दिल्ली	44
49	6400	प्रयागराज सिविल लाइंस	28
50	6600	मऊ	1
51	6800	फिरोजाबाद	1
52	6900	सोनभद्र	3
53	7000	महाराजगंज	13
54	7300	पडरौना	1
55	7600	गौतम बुद्ध नगर	9
56	7700	चंदौली	1
57	7800	हाथरस	1
58	7900	बलरामपुर	2
59	8000	संत कबीर नगर	1
60	8100	औरैया	3
61	8200	कौशाम्बी	19
62	8300	बागपत	5
63	8400	कन्नौज	1
64	8500	श्रावस्ती	2
65	8600	ज्योतिबा फुले नगर	1
66	8900	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	1
67	9000	हापुड़	2
68	9100	शामली	1
69	9700	लखनऊ इरला चेक	844
योग			**2,455**

परिशिष्ट-2.12
(प्रस्तर 2.1.9.18 में संदर्भित)
सामान्य भविष्य निधि अंशदान की सीमा पर वैलीडेशन नियन्त्रण का अभाव
(₹ 5.00 की सीमा से अधिक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान किया जाना)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	कर्मचारी कोड	2023-24 में जीपीएफ अंशदान प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान जीपीएफ अंशदान की कुल राशि
1	0200	सहारनपुर	02002118576	11	5,50,000
2	0800	आगरा	0800295117940	13	5,15,000
3	2800	मीरजापुर	271788423167	12	5,40,000
4	2800	मीरजापुर	280029423119	12	5,04,000
5	0600	अलीगढ़	सीपीयू-59597	13	5,10,000
6	4300	लखनऊ कलेक्ट्रेट	एलजेयू-22699	11	6,00,000
7	0400	मेरठ	एलजेयू-25709	12	6,00,000
8	3500	देवरिया	एलजेयू-26396	08	5,78,288
9	6400	प्रयागराज सिविल लाइन्स	एमइडीयू-39572	04	5,20,000
10	0200	सहारनपुर	एमइडीयू-69047	11	5,24,963
11	3200	गोरखपुर	पीयू-144981	10	8,00,000
12	0800	आगरा	पीयू-145854	13	5,20,000
13	5400	बाराबंकी	पीयू-159614	12	5,21,883
14	1900	इटावा	आरजीयू-3690	11	6,20,000
योग					**79,04,134**

स्रोतः निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध कराई गई 'मॉन एसीटी' फाइल

परिशिष्ट.2.13

(प्रस्तर 2.2 में संदर्भित)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
1	उप निबंधक दादरी गौतमबुद्ध नगर	**19941**	**3507**	**29-01-2022**	**ए**	**बी**	**224 मि0**	**0.1814 हेक्टे0**	**चौहद्दी का उल्लेख नहीं**	**₹ 170 लाख प्रति हेक्टे0**	**3084000**	**5%**	**154500**	**30840**	**8500**	**15419000**	**770950**	**154190**	**7,39,800**
		19527	40496	09-12-2021	सी	डी	224 मि0	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8500 प्रति व0मी0	711000	4%	28500	7110					
		19952	3694	31-01-2022	बी	ई	224 मि0	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 17 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8500 प्रति व0मी0	747000	4%	30000	7470					
2		**19795**	**1119**	**12-01-2022**	**ए**	**बी**	**324 मि0**	**0.1686 हेक्टे0**	**चौहद्दी का उल्लेख नहीं**	**₹ 170 लाख प्रति हेक्टे0**	**2867000**	**5%**	**143500**	**28670**	**8500**	**14331000**	**716550**	**143310**	**6,87,690**
		19408	38742	26-11-2021	सी	डी	**324 मि0**	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 17 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8500 प्रति व0मी0	711000	5%	35600	7110					
		20203	7636	03-03-2022	बी	ई	**324 मि0**	50.16 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8500 प्रति व0मी0	427000	5%	21400	4270					
3		**20822**	**17305**	**13-05-2022**	**ए**	**बी**	**241 व 242**	**0.2530 हेक्टे0**	**चौहद्दी का उल्लेख नहीं**	**₹ 200 लाख प्रति हेक्टे0**	**5060000**	**5%**	**253000**	**50600**	**6000**	**15180000**	**759000**	**151800**	**6,07,200**
		19547	40813	10-12-2021	सी	डी	241	104.51 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	628000	5%	31400	6280					
		19547	40812	10-12-2021	सी	ई	242	66.88 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	960000	4%	38400	9600					
		21629	30003	26-08-2022	बी	एफ	241 व 242	41.80 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	251000	5%	12600	2510					
4		**18920**	**31342**	**24-09-2021**	**ए**	**बी**	**554**	**0.1686 हेक्टे0**	**चौहद्दी का उल्लेख नहीं**	**₹ 170 लाख प्रति हेक्टे0**	**2868000**	**5%**	**143500**	**28680**	**6000**	**10116000**	**505800**	**101160**	**4,34,780**
		12942	1358	19-01-2019	सी	डी	554	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 12 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	502000	4%	21100	10040					
		19982	32272	10-07-2021	ई	एफ	554	167.22 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 12 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	1004000	4%	40200	10040					
5	उप निबंधक नोएडा-I	**10998**	**7093**	**14-12-2021**	**ए**	**बी**	**879/2 मि0**	**0.1686 हेक्टे0**	**चौहद्दी का उल्लेख नहीं**	**₹ 2640 प्रति व0मी0**	**4451040**	**5%**	**222552**	**44520**	**13000**	**21918000**	**1095900**	**219180**	**10,48,008**
		10069	2848	24-07-2020	सी	डी	879/2 मि0	50.16 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 13000 प्रति व0मी0	653000	4%	26150	6530					
		11023	7406	28-12-2021	ई	एफ	879/2 मि0	41.80 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 13000 प्रति व0मी0	544000	5%	27200	5440					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
6	उप निबंधक महसी बहराइच	6325	4652	06-02-2021	ए	बी	38 मि0	0.0810 हेक्टे0	मार्ग और आबादी से 200 मीटर दूर	₹ 19 लाख प्रति हेक्टे0	185000	4 व 5%	7400	1850	5500	4455000	212750	44550	2,48,050
		6143	1189	30-06-2021	सी	डी	38 मि0	81.04 व0मी0	घर और 15 फीट से कम चौड़ा मार्ग	₹ 5500 प्रति व0मी0	446000	4%	17840	4460					
		6345	4998	01-12-2020	ई	एफ	38 मि0	186.39 व0मी0	घर और आवासीय भूमि और सम्पर्क मार्ग	₹ 6300 प्रति व0मी0	1453000	5%	72650	14530					
7		6024	7963	19-10-2019	ए	बी	818	0.0440 हेक्टे0	मार्ग और आबादी से दूर	₹ 48 लाख प्रति हेक्टे0 +10% व +20%	279000	6 व 7%	16740	2790	7500	3300000	221000	33000	2,34,470
		5422	6547	11-07-2022	ए	सी	818	120.00 व0मी0	आवासीय भूखंड और 14 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7500 प्रति व0मी0	900000	7%	63000	9000					
8	उप निबंधक सदर-II सहारनपुर	8927	6237	16-07-2022	ए	बी	77	0.2377 हेक्टे0	कृषि भूमि,उसी आराजी में गैर कृषि गतिविधियों से दूर	₹ 1,60,00,000 प्रति हेक्टे0	3806000 (नलकूप-2000)	6 व 7%	2,56,600	38,060	5,000	1,18,87,000	8,22,090	1,18,870	6,46,300
9		8940	6461	24-09-2021	ए	बी	77	0.2377 हेक्टे0	कृषि भूमि,उसी आराजी में गैर कृषि गतिविधियों से दूर	₹ 1,60,00,000 प्रति हेक्टे0	3806000 (नलकूप& 2000)	6 व 7%	2,56,600	38,060	5,000	1,18,87,000	8,22,090	1,18,870	6,46,300
		8385	7131	24-09-2021	सी	ए	76 व 77	260.57 व0मी0	आवासीय भूखण्डों का आदान प्रदान	₹ 5200 प्रति व0मी0	1390000	7%	97,300	13,900					
		8385	7125	25-03-2022	ए	डी	77 व 78	263.37 व0मी0	आवासीय भूखण्डों का उपहार और 5 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	1186000	6 व 7%	73,100	11,860					
		8707	2549	13-09-2022	सी	ई	76 व 77	32.51 व0मी0	व्यवसायिक भूखण्ड और सेगमेंट मार्ग	₹ 8800 प्रति व0मी0	287000	6%	17,250	2,870					
		9064	8584	23-11-2021	सी	एफ	76 व 77	32.51 व0मी0	व्यवसायिक भूखण्ड और सेगमेंट मार्ग	₹ 13000 प्रति व0मी0	423000	6%	25,400	4,230					
10		8479	8743	17-11-2021	ए	बी	23	0.1366 हेक्टे0	कृषि भूमि,निकट मार्ग एवं गैर कृषि गतिविधियों के निकट	₹ 2,40,00,000 प्रति हेक्टे0*	32,81,000 (नलकूप& 2000)	7%	2,29,700	32,810	4,600	62,85,600	4,40,020	62,860	2,40,370
		8470	8583	15-12-2021	बी	सी	23	177.11 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और तीन ओर 20 फीट चौड़ा मार्ग	समझौता	500000/ 250000	2%	10,100	2,500					
		8521	9467	14-12-2021	बी	डी	23	106.60 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग और 25 मीटर त्रिज्या में घर	₹ 4800 प्रति व0मी0	512000	6%	30,750	5,120					
		*यदि कृषि भूमि गैर कृषि गतिविधियों के 100 मीटर के दायरे में स्थित है और क्षेत्रफल 0.100 हेक्टेयर से अधिक है तो तिथि 18.08.2021 के सामान्य अनुदेश संख्या 15बी के अनुसार सर्किल रेट प्रभावीकृषि दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।																	
11		9107	9355	03-10-2022/ 11-08-2022	ए	बी	265/2	0.102 हेक्टे0	कृषि भूमि,चक मार्ग और गैर व कृषि गतिविधियों के पास	₹ 1,57,50,000 प्रति हेक्टे0*	16,07,000	7%	1,12,500	16,070	4,500	45,92,000	3,21,440	45,920	2,38,790
		9057	8481	07-09-2022	ब का परिवार	सी	265/2	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7 प्रति व0मी0	377000	6%	22,650	3,770					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		9161	10269	01-11-2022	बी	ई	265/2	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5900 प्रति व0मी0	494000	7%	34,600	4,940					
12	उप निबंधक चंदौसी सम्भल	**11427**	**26954**	**02-12-2021**	**ए**	**बी**	**171**	**0.1355 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और आबादी के पास**	**₹ 1,60,00,000 प्रति हेक्टे0**	**2168000**	**5%**	**1,08,400**	**21,680**	**7,000**	**94,85,000**	**4,74,250**	**94,850**	**4,39,020**
		11148	17543	10-08-2021	सी	डी	171	92.80 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7000 प्रति व0मी0	650000	4%	26,000	6,500					
		11608	3724	03-03-2022	ई	एफ	171	119.00 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7000 प्रति व0मी0	834000	4 व 5%	37,600	8,340					
13		**11848**	**11779**	**07-07-2022**	**ए**	**बी**	**420**	**0.522 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी से दूर और जिला मार्ग के पास**	**₹ 50,00,000 प्रति हेक्टे0**	**2612000**	**4 व 5%**	**1,17,600**	**26,120**	**2,500**	**1,30,50,000**	**6,32,500**	**1,30,500**	**6,19,280**
		9505	12041	21-08-2019	सी	डी	420	474.72 व0मी0	आवासीय घर और सरकारी मार्ग	₹ 1900 प्रति व0मी0	902000	5%	45,100	18,040					
		11865	12347	15-07-2022	डी	ई	420	474.72 व0मी0	आवासीय घर,आराजी और सरकारी मार्ग	₹ 2500 प्रति व0मी0	1187000	5%	59,350	11,870					
14		**10596**	**17832**	**24-12-2020**	**ए**	**बी**	**135**	**0.141 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी से दूर और राज्य मार्ग के पास**	**₹ 95,00,000 प्रति हेक्टे0**	**1340000**	**4 व 5%**	**60,340**	**13,400**	**4,000**	**56,40,000**	**2,62,000**	**56,400**	**2,44,660**
		10587	17597	22-12-2020	ए	सी	135	220.55 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 09 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 4000 प्रति व0मी0	883000	5%	44,150	8,830					
		10723	3568	17-02-2021	ए	डी	135	191.21 व0मी0	आराजी और 12 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2200 प्रति व0मी0	421000	4 व 5%	16,840	4,210					
15		**9332**	**7955**	**30-05-2019**	**ए**	**बी**	**1189**	**0.2465 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी के पास और मार्ग के दूर**	**₹ 1,40,00,000 प्रति हेक्टे0**	**34,51,000**	**6 व 7%**	**2,24,500**	**20,000**	**4,500**	**1,10,94,500**	**7,56,650**	**1,10,950**	**6,23,100**
		9317	7589	23-05-2019	ए	सी	1189	142.13 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 19 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	640000	6 व 7%	38,400	12,800					
		9386	9238	25-06-2019	ए	डी	1189	142.13 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 19 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	640000	6 व 7%	38,400	12,800					
16	उप निबंधक-II सदर, प्रयागराज	**7039**	**9958**	**13-12-2021**	**ए**	**बी**	**244**	**0.1810 हेक्टे0**	**मार्ग और आबादी से 500 मीटर दूर कृषि भूमि**	**₹ 5100 प्रति व0मी0***	**5222400**	**7%**	**365800**	**52230**	**5100**	**9231000**	**646170**	**92310**	**3,20,450**
		7012	9353	26-11-2021	बी	सी	244	164.64 व0मी0	भूखण्ड और 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8800 प्रति व0मी0	1449000	7%	101500	14490					
		7131	1337	11-02-2022	बी	डी	244	117.60 व0मी0	भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8800 प्रति व0मी0	1035000	6 व 7%	62600	10350					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12 सी के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य तथा अगले 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 40 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 20 प्रतिशत देय होगा।																	
17		**7336**	**5872**	**12-07-2022**	**ए**	**बी**	**241**	**0.109116 हेक्टे0**	**कृषि भूमि और खडंजा मार्ग कृषि प्रयोजन के लिए खरीद**	**₹ 3000 प्रति व0मी0***	**1406000**	**7%**	**98500**	**14060**	**3000**	**3273480**	**229180**	**32740**	**1,49,360**
		7315	5403	28-06-2022	ए	बी	235 व 241	280.00 व0मी0	आराजी नं0 और 15 फीट खडंजा मार्ग	₹ 3000 प्रति व0मी0	1200000	7%	84000	12000					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12ए के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अगले 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 20 प्रतिशत देय होगा।																	

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
18		7360	6387	28-07-2022	ए	बी	1798/2	0.2284 हेक्टे0	अराजी सं0 और चक मार्ग कृषि प्रयोजन का लिए खरीद	₹ 6000 प्रति व0मी0*	6950000	7%	487000	69500	6000	13704000	959280	137040	5,39,820
		7299	5034	17-06-2022	सी	डी	1798/2	167.22 व0मी0	एक ओर 15 फीट मार्ग और आराजी और आवासीय भूमि का हिस्सा	₹ 6000 प्रति व0मी0	1004000	7%	70400	10040					
		7102	677	24-01-2022	ई	एफ	1798/2	168.00 व0मी0	एक ओर 16 फीट नरग आयर आवासीय भूमि	₹ 6000 प्रति व0मी0	1009000	6 व 7%	60700	10090					
		* तिथि 16.092019 सामान्य अनुदेश संख्या 12ए के क्रमांक 18 अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अगले 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 20 प्रतिशत देय होगा शेष क्षेत्रफल कृषि दर देय होगा।																	
19		7230	3479	21-04-2022	ए	बी	911/3	0.1140 हेक्टे0	मार्ग और आबादी से 200 मीटर दूर	₹ 3800 प्रति व0मी0*	1315000	7%	92100	13150	3800	4332000	303240	43320	2,41,310
20		7231	3507	22-04-2022	ए	सी	911/3	0.1140 हेक्टे0	मार्ग और आबादी से 200 मीटर दूर	₹ 3800 प्रति व0मी0*	1315000	7%	92100	13150	3800	4332000	303240	43320	2,41,310
21		7231	3508	22-04-2022	ए	डी	911/3	0.1140 हेक्टे0	मार्ग और आबादी से 200 मीटर दूर	₹ 3800 प्रति व0मी0*	1315000	7%	92100	13150	3800	4332000	303240	43320	2,41,310
		7178	2341	15-03-2022	ई	एफ	911/3	92.90 व0मी0	एक ओर 24 फीट मार्ग और भूखण्ड	₹ 4200 प्रति व0मी0	391000	6%	23500	3910					
		7233	3547	25-04-2022	सी	जी	911/3	92.33 व0मी0	एक ओर 24 फीट मार्ग और भूखण्ड	₹ 4200 प्रति व0मी0	392000	7%	27500	3920					
		7236	3621	27-04-2022	सी	एच	911/3	92.33 व0मी0	एक ओर 24 फीट मार्ग और भूखण्ड	₹ 4200 प्रति व0मी0	392000	6%	23600	3920					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12बी के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य का 40 प्रतिशत तथा अगले 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 20 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 15 प्रतिशत देय होगा।																	
22		7064	10526	27-12-2021	ए	बी	98/3	0.0855 हेक्टे0	मार्ग और आबादी से 500 मीटर दूर	₹ 7000 प्रति व0मी0*	2022000	7%	142000	20220	7000	5985000	418950	59850	3,16,580
		7027	9699	06-12-2021	बी	सी	98/3	168.00 व0मी0	दो ओर 22 फीट मार्ग और भूखण्ड	₹ 11100 प्रति व0मी0+ 10%	2052000	6 व 7%	133650	20520					
		7068	10614	30-12-2021	बी	डी	98/3	232.25 व0मी0	दो ओर 22 फीट मार्ग और भूखण्ड	₹ 11100 प्रति व0मी0 +10%	2836000	6 व 7%	188600	28360					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या12 बी के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य का 40 प्रतिशत तथा अगले 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 25 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 15 प्रतिशत देय होगा।																	
23	उप निबंधक, फूलपुर, प्रयागराज	8965	1113	02-02-2022	ए	बी	20	0.1482 हेक्टे0	कृषि भूमि,मार्ग और आबादी से 200 मीटर दूर	₹ 7400 प्रति व0मी0*	4044000	7%	283100	40440	7400	10966800	767690	109670	5,53,820
		8943	594	02-01-2022	ए का भाई	सी	20	102.66 व0मी0	भूमि का हिस्सा और 23 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7800 प्रति व0मी0	801000	6%	48100	8010					
		8995	1823	21-02-2022	डी	ई	20	126.00 व0मी0	भूमि का हिस्सा और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7800 प्रति व0मी0	1082000	7%	75800	10820					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12ए के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अगले 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 20 प्रतिशत देय होगा।																	
24		9315	9616	31-08-2022	ए	बी	197 ख	0.2280 हेक्टे0	कृषि भूमि मार्ग के पास और आबादी	₹ 5520000 प्रति हेक्टे0	1450000	7%	101500	14500	5200	11856000	829920	118560	8,32,480

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		9271	8536	05-08-2022	बी का भाई	सी	197 ख	168.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5200 प्रति व0मी0+ 10% अतिरिक्त	962000	7%	67400	9620					
		9277	8684	10-08-2022	बी का भाई	डी	197 ख	168.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5200 प्रति व0मी0+ 10% अतिरिक्त	962000	6%	57800	9620					
		9403	11797	20-10-2022	बी का भाई	एच	197 ख	117.60 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5200 प्रति व0मी0	612000	6%	36750	6120					
25		**8879**	**10797**	**11-11-2021**	**ए**	**बी**	**782 मि0**	**0.2280 हेक्टे0**	**कृषि भूमि मार्ग और आबादी से 200 मीटर दूर**	**₹ 15200000 प्रति हेक्टे0**	**4300000**	**7%**	**301000**	**43000**	**10000**	**22800000**	**1596000**	**228000**	**14,80,000**
		8706	7916	27-08-2021	बी	सी	782 मि0	140.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0	1470000	6 व 7%	93000	14700					
		8902	12536	22-12-2021	बी	डी	782 मि0	168.00 व0मी0	भूमि का हिस्सा और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0	1764000	6 व 7%	113500	17640					
26		**9113**	**4678**	**07-05-2022**	**ए**	**बी**	**178 जी**	**0.1511 हेक्टे0**	**कृषि भूमि मार्ग के पास और आबादी**	**₹ 4800 प्रति व0मी0***	**3182000**	**7%**	**222750**	**31820**	**4800**	**7252800**	**507710**	**72528**	**3,25,668**
		9113	4679	07-05-2022	ए	सी	178 जी	98.93 व0मी0	एक ओर 25 फीट मार्ग और आवासीय भूखण्ड	₹ 5200 प्रति व0मी0	515000	6%	31000	5150					
		9113	4680	07-05-2022	ए	डी	178 जी	93.33 व0मी0	एक ओर 25 फीट मार्ग और आवासीय भूखण्ड	₹ 5200 प्रति व0मी0	486000	6%	29200	4860					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12ए के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अगले 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 20 प्रतिशत देय होगा ।																	
27	उप निबंधक सदर-I कानपुर	**10072**	**2872**	**21-07-2022**	**ए**	**बी**	**795 व 816**	**0.2212 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,मार्ग से दूर और इस आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 20212500 प्रति हेक्टे0***	**7601000**	**7%**	**532100**	**76010**	**5800**	**12829600**	**898100**	**128300**	**4,18,290**
28		**10014**	**1933**	**25-05-2022**	**सी**	**डी**	**795 व 816**	**0.2133 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,मार्ग से दूर और इस आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 20212500 प्रति हेक्टे0***	**9000000**	**7%**	**630000**	**90000**	**5800**	**12371400**	**866040**	**123720**	**2,69,760**
		9962	1069	25-03-2022	ए	ई	795	341.87 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 7.62 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5800 प्रति व0मी0	1983000	7%	138900	19830					
		9971	1220	02-04-2022	ए	एफ	816	175.58 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 7.62 व 9.14 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5800 प्रति व0मी010%	1121000	6%	68500	11210					
		10131	3869	17-09-2022	डी	जी	816	150.95 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 7.62 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5800 प्रति व0मी0	880000	6%	52800	8800					
		* तिथि 01.01.2018 के सामान्य अनुदेश संख्या 6ए के अनुसार, यदि कृषि भूमि आवासीय आराजी में स्थित है तो सर्किल रेट प्रभावी कृषि दर पर 70 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।																	
29	उप निबंधक सदर-II कानपुर	**11684**	**2356**	**15-03-2022**	**ए**	**बी**	**79 व 136**	**0.4315 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,9 मीटर मार्ग और इस आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 1.00 करोड़ प्रति हेक्टे* एवं 520 व0मी0 के लिए ₹ 7500 प्रति व0मी0**	**8900000**	**7%**	**623000**	**89000**	**7500**	**32362500**	**2265410**	**323630**	**18,77,040**
		11671	2120	07-03-2022	सी	डी	79	53.51 व0मी0	शेष भूमि और 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7500 प्रति व0मी0	402000	6%	24150	4020					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		11778	3992	29-04-2022	सी	ई	79	83.61 व0मी0	शेष भूमि और 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7500 प्रति व0मी0	628000	6%	37700	6280					
		* तिथि 01.01.2018 के सामान्य अनुदेश संख्या 6ए के अनुसार, यदि कृषि भूमि आवासीय आराजी में स्थित है तो सर्किल रेट प्रभावी कृषि दर पर 70 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।																	
30		**11638**	**1527**	**19-02-2022**	**ए**	**बी**	**94 मि0**	**0.1075 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और इस आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 1,80,00,000 प्रति हेक्टे0***	**3290000**	**7%**	**230300**	**32900**	**8500**	**9137500**	**639660**	**91380**	**4,67,840**
31		**11638**	**1528**	**19-02-2022**	**ए**	**सी**	**94 मि0**	**0.1075 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और इस आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 1,80,00,000 प्रति हेक्टे0***	**3290000**	**7%**	**230300**	**32900**	**8500**	**9137500**	**639660**	**91380**	**4,67,840**
32		**11653**	**1801**	**26-02-2022**	**डी**	**ई**	**94 मि0**	**0.1075 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और इस आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 1,80,00,000 प्रति हेक्टे0***	**3290000**	**7%**	**230300**	**32900**	**8500**	**9137500**	**639660**	**91380**	**4,67,840**
		11608	1002	02-02-2022	एफ	जी	94 मि0	116.125 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8500 प्रति व0मी0	1086000	7%	76100	10860					
		11908	6306	01-07-2022	एफ	एच	94 मि0	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8500 प्रति व0मी0	711000	7%	42700	7110					
		* तिथि 01.01.2018 के सामान्य अनुदेश संख्या 6ए के अनुसार, यदि कृषि भूमि आवासीय आराजी में स्थित है तो सर्किल रेट प्रभावी कृषि दर पर 70 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।																	
33		**11824**	**4837**	**25-05-2022**	**ए**	**बी**	**926 मि0 व 849 मि0**	**0.2970 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,लिंक मार्ग के पास और 200 मीटर क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 2,05,00,000 प्रति हेक्टे0***	**8650000#**	**7%**	**605600**	**86500**	**10500**	**31311100**	**2191840**	**313120**	**18,12,860**
		11765	3767	22-04-2022	सी	डी	926 मि0	45.15 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0	475000	7%	28500	4750					
		11765	3766	22-04-2022	सी	ई	849 मि0	182.82 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 24 से 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0+ 10%	2112000	7%	147900	21120					
		14311	12643	28-10-2022	एफ	जी	849 मि0	167.22 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0	1756000	6%	105400	17560					
		25562	15086	07-10-2022	सी	एच	926 मि0	139.35 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 24 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0	1466000	7%	102700	14660					
		* सर्किल रेट प्रभावी तिथि 01.01.2018 के सामान्य अनुदेश संख्या 5 के अनुसार यदि कृषि भूमि आवासीय क्षेत्र से 200 मीटर के निकट स्थित है तो कृषि दर पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।																	
		# बाउंड्री गेट और बोरिंग की लागत 126100 रुपये मूल्यांकन में शामिल किया गया।																	
34	उप निबंधक सदर-चतुर्थ कानपुर नगर	**14179**	**9990**	**24-08-2022**	**ए**	**बी**	**242**	**0.1075 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 75,00,000 प्रति हेक्टे0***	**1371000**	**7%**	**96000**	**13710**	**4200**	**4515000**	**316050**	**45150**	**2,51,490**
		14091	8192	15-07-2022	बी	सी	242	50.166 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और भूमि पर निर्माण और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4200 प्रति व0मी0	601000	7%	42100	6010					
		13378	9052	17-08-2021	डी	ई	242	51.84 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4200 प्रति व0मी0	218000	6%	13100	2180					
35		**13728**	**897**	**25-01-2022**	**ए**	**बी**	**1760**	**0.40825 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 40,00,000 प्रति हेक्टे0***	**2777000**	**7%**	**194500**	**27770**	**2200**	**8981500**	**628740**	**89820**	**4,96,290**
		13716	644	19-01-2022	ए का भाई	सी	1760	255.47 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 20 व 40 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2600 प्रति व0मी010%	731000	6%	43900	7310					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		14128	8936	30-07-2022	ए का भाई	डी	1760	102.18 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2200 प्रति व0मी0	225000	7%	15800	2250					
36		13863	3617	05-04-2022	ए	बी	482	0.3768 हेक्टे0	कृषि भूमि,मार्ग से दूर और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ	₹ 75,00,000 प्रति हेक्टे0*	4805000	7%	336500	48050	4200	15825600	1107820	158260	8,81,530
		13863	3619	05-04-2022	ए	सी	482	76.08 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4200 प्रति व0मी0	320000	7%	22400	3200					
		13863	3620	05-04-2022	ए	डी	482	152.17 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4200 प्रति व0मी0	700000	7%	49000	7000					
		13863	3621	05-04-2022	ए	ई	482	125.42 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 30 व 60 फीट चौड़ा मार्ग	` 4600 प्रति व0मी0+10%	3001000	7%	210100	30010					
37		14016	6641	13-06-2022	ए	बी	165	0.4000 हेक्टे0	कृषि भूमि, मार्ग से दूर और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ	₹ 45,00,000 प्रति हेक्टे0*	5000000	7%	350000	50000	2200	8800000	616000	88000	3,04,000
38		14016	6639	13-06-2022	ए	बी	165 व 195	0.2053 हेक्टे0	कृषि भूमि, मार्ग से दूर और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ	₹ 45,00,000 प्रति हेक्टे0*	2500000	7%	175000	25000	2200	4516600	316190	45170	1,61,360
		13919	4724	28-04-2022	सी	डी	165	50.166 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2200 प्रति व0मी0	111000	7%	7800	1110					
		14133	9046	02-08-2022	सी	ई	165	72.20 व0मी0	आराजी का हिस्सा और दो ओर 20 व 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2200 प्रति व0मी0+10%	175000	7%	12300	1750					
		13902	4402	20-04-2022	एफ	जी	195	250.83 व0मी0	आराजी का हिस्सा और 20 फीट चौड़ा सडक	₹ 2200 प्रति व0मी0	552000	7%	38650	5520					
		* तिथि 01.01.2018 के सामान्य अनुदेश संख्या 6ए के अनुसार, यदि कृषि भूमि आवासीय आराजी में स्थित है तो सर्किल रेट प्रभावी कृषि दर पर 70 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।																	
39		16032	4016	07-03-2022	ए	बी	66 छ	0.247 हेक्टे0	कृषि भूमि, मार्ग के पास और 200 मीटर क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियाँ	₹ 70,00,000 प्रति हेक्टे0*	5000000	7%	350000	50000	2800	6916000	484120	69160	1,53,280
		15721	19729	09-11-2021	बी	सी	66 छ	125.46 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 25 से 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2800 प्रति व0मी0+10%	1650000	6 व 7%	105500	16500					
		16037	4129	08-03-2022	बी	डी	66 छ	55.76 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2800 प्रति व0मी0	600000	6%	36000	6000					
40	उप निबंधक सदर उन्नाव	16278	10202	09-06-2022	ए	बी	937 मि0	0.1135 हेक्टे0	कृषि भूमि,मार्ग से दूर और उसी/पास आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ	₹ 1,20,00,000 प्रति हेक्टे0	1362000	7%	95400	13620	4800	5448000	381360	54480	3,26,820
		16271	10024	07-06-2022	सी	डी	937 मि0	111.52 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4800 प्रति व0मी0	536000	6%	32200	5360					
		16361	12256	06-07-2022	ई	एफ	937 मि0	111.52 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4800 प्रति व0मी0	536000	6%	32160	5360					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
41	उप निबंधक-सदर प्रथम प्रयागराज	**16195**	**8134**	**01-10-2022**	**ए**	**बी**	**1365**	**0.08375 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,मार्ग के पास और 200 मीटर क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 55,00,000 प्रति हेक्टे0***	**692000**	**7%**	**48450**	**6920**	**3800**	**3182500**	**222810**	**31830**	**1,99,270**
		15334	11237	14-07-2021	सी	डी	1365	83.64 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	495000	7%	34700	4950					
		15702	19245	29-10-2021	सी	ई	1365	83.64 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 20 से 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी010%	550000	6%	33100	5500					
42		**16146**	**6844**	**21-04-2022**	**ए**	**बी**	**847 मि0**	**0.0890 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग के पास और 200 मीटर क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 70,00,000 प्रति हेक्टे0***	**750000**	**5%**	**37500**	**7500**	**3700**	**3293000**	**164650**	**32930**	**1,52,580**
		16071	4963	24-03-2022	सी	डी	847 मि0	111.52 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3700 प्रति व0मी0	418000	4%	16800	4180					
		16147	6904	22-04-2022	ई	एफ	847 मि0	111.52 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3700 प्रति व0मी0	413000	4%	16600	4130					
		* सर्किल रेट प्रभावी तिथि 01.08.2017 के सामान्य अनुदेश संख्या 14(2)(3) के अनुसार, यदि कृषि भूमि आवासीय क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में स्थित है तो 30 प्रतिशत अतिरिक्त तथा मार्ग के 200 मीटर की परिधि में स्थित है तो कृषि दर पर 20% अतिरिक्त देय होगा।																	
43		**11926**	**2958**	**09-05-2022**	**ए**	**बी**	**11/.1**	**0.4177 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 3900 प्रति व0मी0***	**74,23,000**	**7%**	**5,19,800**	**74,230**	**3,900**	**1,62,90,300**	**11,40,370**	**1,62,910**	**7,09,250**
		11764	8167	03-12-2021	सी	डी	11/.1	83.65 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 व 40 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5300 प्रति व0मी0+10%	4,88,000	7%	34,200	4,880					
		11937	3135	18-05-2022	सी	ई	11/.1	93.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 28 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4100 प्रति व0मी0	3,82,000	6%	23,000	3,820					
		11926	2965	10-05-2022	सी	एफ	11/.1	84.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4100 प्रति व0मी0	3,45,000	7%	24,200	3,450					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12सी के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य तथा अगले 1500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 50 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत देय होगा।																	
44		**11847**	**1477**	**07-03-2022**	**ए**	**बी**	**93 व 95**	**0.4413 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 6100 प्रति व0मी0***	**1,20,41,000**	**7%**	**8,43,000**	**1,20,410**	**6,100**	**2,69,19,300**	**18,84,400**	**2,69,200**	**11,90,190**
		11782	300	18-01-2022	सी	डी	93	86.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6900 प्रति व0मी0	6,00,000	6%	36,000	6,000					
		11324	199	11-01-2021	ई	एफ	95	117.69 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6900 प्रति व0मी0	8,12,000	7%	57,000	8,120					
		11982	3995	20-06-2022	जी	एच	93	100.33 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6100 प्रति व0मी0	6,13,000	7%	43,000	6,130					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12सी के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य तथा अगले 1500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 50 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत देय होगा ।																	
45		**12103**	**6287**	**08-09-2022**	**ए**	**बी**	**12**	**0.6840 हेक्टे0#**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 3900 प्रति व0मी0***	**92,70,500**	**7%**	**4,08,000**	**92,705**	**3,900**	**2,66,76,000**	**18,67,320**	**2,66,760**	**16,33,375**
		12011	4524	08-07-2022	सी	डी	12	116.66 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4100 प्रति व0मी0	4,79,000	7%	33,600	4,790					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		12011	4525	08-07-2022	सी	ई	12	186.66 व0मी0	भूमि का हिस्सा और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4100 प्रति व0मी0	7,66,000	6%	46,000	7,660					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12सी के अनुसार प्रभावी दर प्रथम 500 वर्ग मी. मूल मूल्य तथा अगले 1500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 50 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत देय होगा ।																	
		# कुल आराजी संख्या, मूल्यांकन, भुगतान किए गए स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के अनुपात में भूमि ली जाती है।																	
46		**11996**	**4237**	**29-06-2022**	**ए**	**बी**	**229**	**0.0961 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 3900 प्रति व0मी0***	**12,30,000**	**6 व 7%**	**76,200**	**12,300**	**3,900**	**37,47,900**	**2,52,360**	**37,479**	**2,01,339**
		11944	3268	23-05-2022	बी का भाई	सी	229	92.00 व0मी0	20 फीट मार्ग और आवासीय भूखण्ड	₹ 4100 प्रति व0मी0	3,78,000	6 व 7%	22,700	3,780					
		12002	4357	04-07-2022	ब का भाई	डी	229	92.00 व0मी0	20 फीट मार्ग और आवासीय भूखण्ड	₹ 4100 प्रति व0मी0	3,78,000	7%	26,500	3,780					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12बी की प्रभावी दर के अनुसार प्रथम 500 व0मी0 मूल मूल्य का 40 प्रतिशत तथा अगले 500 व0मी0 के लिए मूल मूल्य का 25 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र 2000 व0मी0 तक के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत देय होगा ।																	
47		**11884**	**2167**	**05-04-2022**	**ए**	**बी**	**62 स**	**0.089 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 3900 प्रति व0मी0***	**16,27,000**	**7%**	**1,14,000**	**16,270**	**3,900**	**34,71,000**	**2,42,970**	**34,710**	**1,47,410**
		11882	2142	05-04-2022	अ	सी	62 स	156.80 व0मी0	एक ओर 15 फीट मार्ग और आवासीय भूखण्ड	₹ 3900 प्रति व0मी0	6,12,000	6 व 7%	36,800	6,120					
		12049	5239	08-08-2022	सी	डी	62 स	117.10 व0मी0	दो ओर 10 व 15 फीट मार्ग और शेष भूमि का हिस्सा	₹ 3900 प्रति व0मी0+10%	5,03,000	7%	35,300	5,030					
		* तिथि 16.09.2019 सामान्य अनुदेश संख्या 12बी की प्रभावी दर के अनुसार प्रथम 500 व0मी0 मूल मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अगले 500 व0मी0 के लिए मूल मूल्य का 30 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र 2000 व0मी0 तक के लिए मूल मूल्य का 20 प्रतिशत देय होगा।																	
48	उप निबंधक धौलाना हापुड़	**3059**	**10220**	**28-12-2018**	**ए**	**बी**	**1753 ग मि0**	**0.1265 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और आबादी के पास**	**₹ 1.75 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**22,14,000**	**5%**	**1,11,000**	**20,000**	**3960**	**50,09,400**	**2,50,500**	**20,000**	**1,39,500**
49		**3059**	**10221**	**28-12-2018**	**ए**	**बी**	**1753 ग मि0**	**0.1265 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और आबादी के पास**	**₹ 1.75 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**22,14,000**	**5%**	**1,11,000**	**20,000**	**3960**	**50,09,400**	**2,50,500**	**20,000**	**1,39,500**
50		**4736**	**5110**	**23-06-2021**	**स**	**डी**	**1753 ग मि0**	**0.2024 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और आबादी के पास**	**₹ 1.75 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**35,42,000**	**5%**	**1,77,200**	**35,420**	**3960**	**80,15,040**	**4,00,800**	**80,160**	**2,68,340**
		2558	2996	16-04-2018	ई	एफ	1753 ग मि0	64.40 व0मी0	दो ओर 15 फीट मार्ग और आवासीय भूखण्ड	₹ 4400 प्रति व0मी0+10%	3,12,000	4%	12,500	6,240					
		5358	8197	13-07-2022	बी	जी	1753 ग मि0	25.09 व0मी0	एक ओर 15 फीट मार्ग और तीन ओर आवासीय भूखण्ड	₹ 4400 प्रति व0मी0	1,11,000	4%	4,500	1,110					
51		**4942**	**9650**	**30-09-2021**	**ए**	**बी**	**979**	**0.2116 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी एवं मार्ग से दूर**	**₹ 1.80 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**38,20,000**	**7%**	**2,67,500**	**38,200**	**4,500**	**95,33,000**	**6,67,310**	**95,330**	**4,56,940**
		3529	7043	22-08-2019	सी	डी	979	50.18 व0मी0	दो ओर 15 व 20 फीट मार्ग और भूखण्ड	₹ 5000 प्रति व0मी0+10%	2,77,000	6%	16,700	5,540					
		5197	3561	28-03-2022	ई	एफ	979	167.28 व0मी0	एक ओर 15 फीट मार्ग और तीन ओर अवासीय भूखण्ड	₹ 5000 प्रति व0मी0	8,37,000	6%	50,300	8,370					
		धौलाना हापुड़ के सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 29 (1) के अनुसार प्रभावी तिथि 02.08.2018 तथा 01.08.2020 के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 5000 वर्ग मीटर तक की गैर कृषि भूमि पर मूल्यांकन सर्किल रेट से 10 प्रतिशत कम पर गणना किया जाएगा।																	

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
52	**उप निबंधक सदर-II, लखनऊ**	**25283**	**14774**	**13-09-2021**	**ए**	**बी**	**186 स**	**0.3795 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और गैर कृषि गतिविधियों के पास**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 7000 व 500 व0मी0 के लिए ₹ 4900 व 0.2295 हेक्टे0 के लिए ₹ 2.01 लाख**	**1,40,62,950**	**7%**	**9,85,000**	**1,40,629.50**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 7000 व 2795 व0मी0 के लिए ₹ 4900**	**2,06,95,500**	**14,48,720**	**2,06,960**	**5,30,051**
53		**25830**	**3978**	**05-03-2022**	**ए**	**सी**	**199 और 189 स**	**0.379 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और गैर कृषि गतिविधियों के पास**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 7000 व 500 व0मी0 के लिए ₹ 4900 व 0.229 हेक्टे0 के लिए ₹ 2.01 लाख**	**1,40,53,000**	**7%**	**9,84,000**	**1,40,530**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 7000 व 2790 व0मी0 * के लिए ₹ 4900**	**2,06,71,000**	**14,46,970**	**2,06,710**	**5,29,150**
		25261	14307	04-09-2021	डी	ई	186 स	111.524 व0मी0	विक्रेता का बाकी हिस्सा और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7000 प्रति व0मी0	9,00,000	6%	55,000	9,000					
		25594	21213	15-12-2021	एफ	जी	186 स	96.189 व0मी0 भूमि 106.877 व0मी0 निर्माण	दो ओर घर और दो ओर 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ भूमि 7000 प्रति व0मी0+10% व निर्माण 15000 प्रति व0मी0	37,70,000	6 व 7%	2,54,000	37,700					
		25448	18185	01-11-2021	एच	आई	189 स	185.87 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 22 व 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7000 प्रति व0मी0 + 10%	16,00,000	6 व 7%	1,04,000	16,000					
		* सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 18 के अनुसार प्रभावी तिथि 15.12.2015 के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक गैर कृषि भूमि पर मूल्यांकन सर्किल रेट से 30 प्रतिशत कम पर गणना किया जाएगा।																	
54	**उप निबंधक सदर-III लखनऊ**	**14932**	**3906**	**05-04-2022**	**ए**	**बी**	**444 स**	**0.2895 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,मार्ग से दूर गैर कृषि गतिविधियों के पास**	**1000 व0मी0 का ₹ 10000 व 500 व0मी0 का ₹ 7000 व 0.1395 हेक्टे0 का ₹ 3.19 लाख**	**1,79,50,050**	**7%**	**12,56,600**	**1,79,510**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 10000 व 1895 व0मी0 * के लिए ₹ 7000**	**2,32,65,000**	**16,28,550**	**2,32,650**	**4,25,090**
		14801	984	11-02-2022	बी	सी	444 स	99.99 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 7.5 मीटर मार्ग	₹ 12700 प्रति व0मी0	12,70,000	6 व 7%	78,950	12,700					
		15055	6678	08-09-2022	बी	डी	444 स	117.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 7.5 मीटर मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0	11,70,000	6 व 7%	71,950	11,700					
		* सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 18 के अनुसार प्रभावी तिथि 15.12.2015 के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक गैर कृषि भूमि पर मूल्यांकन सर्किल रेट से 30 प्रतिशत कम पर गणना किया जाएगा																	

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
55	उप निबंधक-II मेरठ	**14408**	**3065**	**14-03-2022**	**ए**	**बी**	**305 मि0#**	**0.2120 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर गैर कृषि गतिविधियों के पास**	**₹ 1,35,00,000 प्रति हेक्टे0 +30%**	**38,00,000**	**7%**	**2,67,000**	**38,000**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 7300 व 1120 व0मी0* के लिए ₹ 5475**	**1,34,32,000**	**9,40,240**	**1,34,320**	**7,69,560**
		13635	8523	27-11-2020	बी	सी	305 मि0	151.20 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8800 प्रति व0मी0	13,31,000	6 व 7%	89,000	13,310					
		# खसरा संख्या 305 एमआई को एसडीएम मेरठ द्वारा दिनांक 29.08.2013 वाद संख्या 255/2013 को 143 घोषित किया गया है																	
56		**14612**	**8424**	**06-07-2022**	**ए**	**बी**	**807**	**0.2020 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर गैर कृषि गतिविधियों के पास**	**₹ 2,20,00,000 प्रति हेक्टे0 +60%**	**71,11,000**	**7%**	**4,98,000**	**71,110**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 7300 व 1120 व0मी0* के लिए ₹ 5475**	**1,28,84,500**	**9,01,950**	**1,28,850**	**4,61,690**
		12679	1937	08-03-2019	ए	सी	807	267.56 व0मी0	मार्ग और कृषि भूमि	₹ 5500 प्रति व0मी0	15,00,000	5%	76,000	20,000					
		14621	8673	11-07-2022	ए	सी	807	100.33 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 8400 प्रति व0मी0	843000	6%	50,600	8,430					
		* सामान्य अनुदेश संख्या 24 के अनुसार प्रभावी तिथि 01.08.2016 के अनुसार 1000-2500 वर्ग मीटर तक गैर कृषि भूमि पर मूल्यांकन सर्किल रेट से 25 प्रतिशत कम पर गणना किया जाएगा।																	
57		**14799**	**2608**	**04-02-2022**	**ए**	**बी**	**217**	**0.1375 हेक्टे0**	**मार्ग से दूर और आबादी के पास कृषि भूमि**	**500 व0मी0के लिएs ₹ 7200 शेष 1.70 लाख प्रति हेक्टे0.**	**4231000**	**7%**	**297000**	**42310**	**₹7200*1000 व0मी0 + ₹ 5040* 375 व0मी0#**	**90,90,000**	**6,36,300**	**99,000**	**3,95,990**
		14752	1481	21-01-2022	सी	डी	217	92.90 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7200 प्रति व0मी0	700000	7%	49000	7000					
		15282	14813	08-07-2022	बी	ई	217	195.09 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और मार्ग	₹ 7200 प्रति व0मी0	1405000	7%	99000	14050					
58		**15661**	**24307**	**10-11-2022**	**ए**	**बी**	**1068 एम**	**0.154 हेक्टे0**	**मार्ग से दूर और आबादी के पास कृषि भूमि**	**₹ 48 लाख प्रति हेक्टे0 + 40%**	**1040000**	**5%**	**52000**	**10040**	**₹ 3400*1000 व0मी0 + ₹ 2550*540 व0मी0#**	**47,77,000**	**2,38,850**	**47,770**	**2,24,580**
		14862	4224	26-02-2022	बी	सी	1068 एम	167.22 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 40 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3400 प्रति व0मी0	569000	5%	28500	5690					
		14879	4666	05-03-2022	बी	डी	1068 एम	116.12 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3400 प्रति व0मी०	395000	4%	15800	3950					
59		**14938**	**6112**	**26-03-2022**	**ए**	**बी**	**492**	**0.243 हेक्टे0**	**मार्ग से दूर और आबादी के पास कृषि भूमि**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 450000 तथा शेष 1.45**	**5050000**	**7%**	**353600**	**50500**	**₹4500*1000 व व0मी0 + ₹ 3150*1430**	**90,04,500**	**6,30,350**	**90,050**	**3,16,300**

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
	उप निबंधक बाराबंकी									लाख प्रति हेक्टे0.					व0मी0#				
		14735	1086	18-01-2022	ए	सी	492	116.12 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	524000	6%	34200	5240					
60		**14835**	**3557**	**17-02-2022**	**ए**	**बी**	**569**	**0.1595 हेक्टे0**	**मार्ग से दूर और आबादी के पास कृषि भूमि**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 7200 तथा शेष 1.70 लाख प्रति हेक्टे0.**	**4912000**	**7%**	**344000**	**49120**	**₹ 7200*1000 व व0मी0 + ₹ 5040*595 व0मी0 #**	**1,01,98,800**	**7,13,930**	**1,01,990**	**4,22,800**
		14836	3560	17-02-2022	ए	सी	569	297.28 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 3 ओर 20 व 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7200 प्रति व0मी0	2141000	7%	151000	21410					
		14840	3651	18-02-2022	बी	डी	569	102.19 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7200 प्रति व0मी0	930000	6%	55800	9300					
		# यदि गैर कृषि भूमि 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो गणना 01.07.2018 से प्रभावी सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 14 के अनुसार संपत्ति की दर के 70 प्रतिशत और 01.09.22 से प्रभावी सर्किल रेट के क्रम संख्या 13 के अनुसार 75 प्रतिशत पर होगी।																	
61		**25394**	**11731**	**01-08-2022**	**ए**	**बी**	**1002**	**0.1005 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग के पास और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 85,00,000 प्रति हेक्टे0***	**1453000**	**7%**	**101800**	**14530**	**3500**	**35,17,500**	**2,46,260**	**35,180**	**1,65,110**
62		**25394**	**11728**	**01-08-2022**	**ए**	**बी**	**1002**	**0.1005 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग के पास और गैर कृषि गतिविधियाँ, 200 मीटर क्षेत्रफल में**	**` 85,00,000 प्रति हेक्टे0***	**1453000**	**7%**	**104000**	**14530**	**3500**	**35,17,500**	**2,46,260**	**35,180**	**1,62,910**
		25536	10543	14-07-2022	बी	सी	1002	41.80 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3000 प्रति व0मी0	126000	7%	8850	1260					
		25414	12142	08-08-2022	डी	ई	1002	41.80 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 10 व 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3000 प्रति व0मी0	138000	7%	9700	1380					
		25093	**5624**	**13-04-2022**	**अ**	**बी**	**1225, 1229, 1230, 1232, 1234**	**0.2330 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग के पास और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 1,95,00,000 प्रति हेक्टे0***	**7724000**	**7%**	**540680**	**77240**	**₹10000*2000 व0मी0 + ₹ 7000*330 व0मी0$**	**2,23,10,000**	**15,61,700**	**2,23,100**	**11,66,880**
		24836	489	11-01-2022	बी	सी	1225	116.125 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 7.62 व 9.14 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0+ 10%	1278000	6 व 7%	79500	12780					
63	उप निबंधक सदर-III, कानपुर नगर	24879	1351	27-01-2022	बी	डी	1229	125.415 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 25 व 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0+ 10%	1380000	7%	96600	13800					
		24884	1440	28-01-2022	बी	ई	1230	74.31 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0	744000	7%	52100	7440					
		24997	3700	14-03-2022	बी	एफ	1232	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0	837000	7%	50300	8370					
		14302	12476	20-10-2022	बी	जी	1225	125.41 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 25 व 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0+ 10%	1380000	6 व 7%	89700	13800					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		10158	4359	01-10-2022	बी	एच	1229	74.32 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व०मी०	744000	6%	44700	7440					
		25275	9315	23-06-2022	बी	आई	1230	50.16 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0	502000	6 व 7%	32700	5020					
		25165	7082	13-05-2022	बी	जे	1232	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0	840000	7%	58800	8400					
		12120	10148	12-10-2022	बी	के	1234	88.250 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0	883000	6%	53000	8830					
64		**24683**	**18618**	**23-11-2021**	**ए**	**बी**	**307**	**0.15114 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और एक ही आराजी में गैर कृषि गतिविधियाँ**	**₹ 80,00,000 प्रति हेक्टे0***	**2057000**	**7%**	**144000**	**20570**	**3000**	**45,34,200**	**3,17,450**	**45,350**	**1,98,230**
		24654	18044	15-11-2021	बी	सी	307	41.805 व0मी0	शेष भूमि और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3000 प्रति व0मी0	126000	6%	7600	1260					
		25038	4516	29-03-2022	बी	डी	307	41.805 व0मी0	शेष भूमि और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3000 प्रति व0मी0	126000	7%	8900	1260					
65		**24765**	**20193**	**16-12-2021**	**ए**	**बी**	**1318 व 1307**	**0.1706 हेक्टे0#**	**कृषि भूमि, मार्ग और आवासीय क्षेत्र से दूर**	**₹ 1.95 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**3537480 #**	**6 व 7%**	**240900**	**35375**	**10000**	**1,70,60,000**	**11,84,200**	**1,70,600**	**10,78,525**
		24131	9190	18-06-2021	सी	डी	1318	125.415 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0+10%	1380000	7%	96600	13800					
		24794	20744	27-12-2021	बी	द के पिता	1318	83.61 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 10000 प्रति व0मी0	837000	7%	58600	8370					
		# केवल आराजी संख्या 1318 पर ही आपत्ति ली गई है, अतः क्षेत्रफल, मूल्यांकन, भुगतान किया गया स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क तदनुसार आनुपातिक है। $ 01.01.2018 से प्रभावी सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 32 के अनुसार, यदि गैर कृषि भूमि 2000 वर्ग मीटर से अधिक है तो गणना संपत्ति की दर के 70 प्रतिशत पर की जाएगी। * 01.01.2018 से प्रभावी सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 6ए के अनुसार, यदि कृषि भूमि आवासीय आराजी में स्थित है तो कृषि दर पर 70 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।																	
66		**14027**	**14379**	**19-05-2022**	**ए**	**बी**	**626 मि0**	**0.506 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, चक मार्ग और आबादी के पास**	**₹ 44 लाख प्रति हेक्टे0+ ₹ 2 लाख चहारदीवारी हेतु**	**35,00,000**	**7%**	**2,45,000**	**35,000**	**₹ 5000*1000 व0मी0 + ₹ 3500*4060 व0मी0#**	**1,94,10,000**	**13,58,700**	**1,94,100**	**12,72,800**
		13655	3344	03-02-2022	सी	डी	626 मि0	111.52 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0+10%	12,86,680	0	0	12,870					
		14031	14499	20-05-2022	सी	ई	626 मि0	123.698 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 30 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5500 प्रति व0मी0+10%	12,49,000	6 व 7%	77,500	12,490					
67		**13648**	**3155**	**02-02-2022**	**ए**	**बी**	**464**	**0.2187 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,चक मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 63 लाख प्रति हेक्टे0**	**14,00,000**	**7%**	**98,000**	**14,000**	**₹ 7700*1000 व0मी0+ ₹ 5390*1187 व0मी0#**	**1,40,97,930**	**9,86,860**	**1,40,980**	**10,15,840**

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
68	उप निबंधक, मोहनलालगंज लखनऊ	13322	25622	29-10-2021	बी	सी	464	139.41 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 22 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7700 प्रति व0मी0	10,74,000	7%	70,500	10,740					
		14040	14760	23-05-2022	बी	सी	464	139.405 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 24 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7700 प्रति व0मी0	11,00,000	6 व 7%	67,000	11,000					
		13929	**11466**	**21-04-2022**	**ए**	**बी**	**190 मि0**	**0.3750 हेक्टे0**	**मार्ग से दूर और आबादी के पास कृषि भूमि**	**₹ 44 लाख प्रति हेक्टे0**	**16,50,000**	**5%**	**82,500**	**16,500**	**₹ 5000*1000 व0मी0 + ₹ 3500*2750 व0मी0#**	**1,46,25,000**	**7,31,250**	**1,46,250**	**7,78,500**
		13605	1892	21-01-2022	सी	डी	190 मि0	111.524 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 09 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5500 प्रति व0मी0	8,28,000	4%	33,200	8,280				-	
		13942	11845	25-04-2022	सी	ई	190 मि0	139.41 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 09 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5500 प्रति व0मी0	9,00,000	4%	36,000	9,000					
69		**14096**	**16389**	**03-06-2022**	**ए**	**बी**	**123**	**0.253 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, चक मार्ग और आबादी के पास**	**₹ 44 लाख प्रति हेक्टे0**	**30,00,000**	**7%**	**2,10,000**	**30,000**	**₹ 5000*1000 व0मी0 + ₹ 3500+1530 व0मी0#**	**1,03,55,000**	**7,24,850**	**1,03,550**	**5,88,400**
		14030	14463	20-05-2022	बी	सी	123	111.524 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 22 व 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0+10%	6,14,000	6%	36,900	6,140				-	
		14271	21526	15-07-2022	बी	डी	123	167.750 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 22 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0+10%	9,25,000	7%	64,750	9,250				-	
		# 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 18 के अनुसार, यदि गैर कृषि भूमि 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो गणना संपति की दर के 70 प्रतिशत पर की जाएगी।																	
70		**6214**	**4382**	**25-05-2021**	**ए**	**बी**	**768**	**0.2050 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग से दूर और आबादी के पास**	**₹ 13060000 प्रति हेक्टे0**	**2678000**	**7%**	**187500**	**26780**	**9800**	**2,00,90,000**	**14,06,300**	**2,00,900**	**13,92,920**
		6210	4304	21-05-2021	अ का पुत्र	सी	768	90.40 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 20 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0	950000	6%	57000	9500					
		6240	5064	16-06-2021	अ का पुत्र	डी	768	93.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 25 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 10500 प्रति व0मी0	977000	7%	68400	9770					
71		**6483**	**11502**	**06-12-2021**	**ए**	**बी**	**218**	**0.2451 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, 20 फीट मार्ग और आबादी के पास**	**₹ 2,36,00,000 प्रति हेक्टे0***	**579000**	**6 व 7%**	**34750**	**5790**	**5400**	**1,32,35,400**	**9,16,520**	**1,32,360**	**10,08,340**
		6044	67	05-01-2021	सी	डी	218	93.00 व0मी0	भूमि का हिस्सा और 14 फीट मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	419000	6%	25150	4190					
		6530	157	06-01-2022	सी	ई	218	69.71 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और 14 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	314000	6%	18850	3140					
72	उप निबंधक उरई, जालौन	**7031**	**9786**	**04-09-2019**	**ए**	**बी**	**236**	**0.210 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, उरई रथ मार्ग और आबादी के पास**	**₹ 84.00 लाख प्रति हेक्टे0**	**1740000**	**7%**	**124000**	**20000**	**15600**	**3,27,60,000**	**22,93,20**	**20,000**	**21,69,200**
		6113	350	12-01-2018	ए	बी	236	185.80 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5100 प्रति व0मी0	950000	7%	66600	19000					
		8083	7147	03-07-2021	सी	डी	236	319.57 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और उरई रथ मार्ग	₹ 17200 प्रति व0मी0	55,04,000	6 व 7%	375500	55040					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
73		**8705**	**11701**	**28-09-2022**	**ए**	**बी**	**373**	**1.0295 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग और आबादी के पास**	**₹ 43.20 लाख प्रति हेक्टे0***	**62,01,000**	**7%**	**434100**	**62010**	**3400**	**3,50,03,000**	**24,50,210**	**3,50,030**	**23,04,130**
		8490	5072	11-05-2022	सी	डी	373	432.54 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 13 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2400 प्रति व0मी0	1040000	6 व 7%	63000	10400					
		* सामान्य अनुदेश संख्या 11 के अनुसार प्रभावी तिथि 01.08.2017 प्रथम 0 से 500 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य तथा अगले 500 से 1000 वर्ग मी. के लिए मूल मूल्य का 50% तथा अगले 1000 से 1500 वर्ग मी.के लिए मूल मूल्य का 25% तथा शेष क्षेत्र कृषि दर, सर्किल रेट के अनुसार देय होगा।																	
74		**8485**	**4910**	**09-05-2022**	**ए**	**बी**	**153**	**0.2835 हेक्टे0**	**कृषि भूमि और चक मार्ग**	**₹ 92.40 लाख प्रति हेक्टे0**	**26,25,000**	**7%**	**174000**	**26250**	**5600**	**1,58,76,000**	**11,11,320**	**1,58,760**	**10,69,830**
75		**8485**	**4911**	**09-05-2022**	**ए**	**बी**	**153**	**0.324 हेक्टे0**	**कृषि भूमि और चक मार्ग**	**₹ 92.40 लाख प्रति हेक्टे0**	**30,03,000**	**6 व 7%**	**201000**	**30030**	**5600**	**1,81,44,000**	**12,60,080**	**1,81,440**	**12,10,490**
		8353	759	20-01-2022	डी	ई	153	222.96 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5800 प्रति व0मी0	1294000	6 व 7 %	80600	12940					
76		**17688**	**19842**	**16-09-2022**	**ए**	**बी**	**449 व 450**	**0.5172 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 35.00 लाख प्रति हेक्टे0**	**1811000**	**6 व 7%**	**116800**	**18110**	**2450***	**1,26,71,400**	**8,77,040**	**1,26,720**	**8,68,850**
77		**17688**	**19843**	**16-09-2022**	**ए**	**बी**	**449 व 450**	**0.5172 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 35.00 लाख प्रति हेक्टे0**	**1811000**	**6 व 7%**	**116800**	**18110**	**2450***	**1,26,71,400**	**8,77,040**	**1,26,720**	**8,68,850**
		17445	12385	22-06-2022	सी	डी	449 व 450	250.83 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 06 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 4000 प्रति व0मी0	1004000	6 व 7%	60300	10040					
		* डीएम सर्किल रेट के क्रम संख्या 13 के अनुसार देय होगा, जो दिनांक 26.10.2017, यदि 3000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड की बिक्री की जाती है तो उपरोक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम गैर-कृषि दरों का 70 प्रतिशत प्रभावी होगा।																	
78	उप निबंधक सदर-I, मथुरा	**17174**	**3978**	**03-03-2022**	**ए**	**बी**	**185**	**0.293 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,टेहरा से छरौरा मार्ग और आबादी के पास**	**₹ 2.50 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**73,26,000**	**7%**	**513000**	**73260**	**8500**	**2,49,05,000**	**17,43,350**	**2,49,050**	**14,06,140**
		17131	2653	11-02-2022	बी	सी	185	91.448 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 7000 प्रति व0मी0	641000	6%	38460	6410					
		17432	11963	16-06-2022	डी	ई	185	422.24 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 6 मी0 से अधिक व 6 मी0 चौड़ा मार्ग	₹ 8500 प्रति व0मी0+10%	4000000	6 व 7%	270000	40000					
79		**17369**	**10026**	**24-05-2022**	**ए**	**बी**	**282**	**0.1642 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,एन एच-2 से अटस मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 2.00 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**3285000**	**7%**	**230000**	**32850**	**6000**	**98,52,000**	**6,89,640**	**98,520**	**5,25,310**
80		**17369**	**10027**	**24-05-2022**	**ए**	**बी**	**282**	**0.1642 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,एन0 एच0-2 से अटस मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 2.00 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**3285000**	**7%**	**230000**	**32850**	**6000**	**98,52,000**	**6,89,640**	**98,520**	**5,25,310**
		17365	9907	23-05-2022	बी	सी	282	167.22 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 18 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4500 प्रति व0मी0	776000	6%	46560	7760					
81	उप निबंधक सदर-II आगरा	**15716**	**11643**	**15-12-2021**	**ए**	**बी**	**719**	**0.1152 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,और लिंक मार्ग**	**₹ 1.50 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**17,28,000**	**7%**	**1,21,000**	**17,280**	**5,000**	**57,60,000**	**4,03,200**	**57,600**	**3,22,520**
		13452	2459	27-03-2018	सी	डी	719	167.22 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0	8,37,000	7%	58,600	16,740					
82		**16075**	**8330**	**02-08-2022**	**ए**	**बी**	**398**	**0.1005 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी के पास**	**₹ 85.00 लाख प्रति हेक्टे0**	**11,12,000**	**6 व 7%**	**68,000**	**11,120**	**5,000**	**50,25,000**	**3,41,750**	**50,250**	**3,12,880**

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		15827	2161	04-03-2022	सी	डी	398	216.33 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 15 व 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0	11,90,000	6 व 7%	73,300	11,900					
83		**16011**	**6772**	**29-06-2022**	**ए**	**बी**	**294**	**0.2372 हेक्टे0**	**कृषि भूमि**	**₹ 1.70 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**40,33,000**	**7%**	**2,82,500**	**40,330**	**5,000**	**1,18,60,000**	**8,30,200**	**1,18,600**	**6,25,970**
84		**16012**	**6776**	**29-06-2022**	**ए**	**बी**	**294**	**0.135621 हेक्टे0**	**कृषि भूमि**	**₹ 1.70 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**23,05,600**	**7%**	**1,61,500**	**23,060**	**5,000**	**67,81,050**	**4,74,740**	**67,820**	**3,58,000**
		15907	4153	25-04-2022	ए	सी	294	127.00 व0मी0	आराजी और 16 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0	6,35,000	7%	44,500	6,350					
		16080	8461	04-08-2022	सी	बी	294	127.00 व0मी0	आराजी और 16 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0	6,35,000	7%	44,500	6,350					
85	**उप निबंधक सदर-I बरेली**	**14032**	**795**	**18-01-2023**	**ए**	**बी**	**325 मि0**	**0.1990 हेक्टे0**	**कृषि भूमि आबादी के निकट एवं खसरा नम्बर 325 घोषित-143 (गैर कृषि गतिविधि)**	**0.0500 हेक्टे0 के लिए ₹ 4000 प्रति व0मी0 और शेष भाग ₹ 2 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**49,81,000**	**7%**	**3,48,700**	**49,810**	**4,000**	**79,60,000**	**5,57,200**	**79,600**	**2,38,290**
		13469	9358	10-06-2022	सी	डी	325 मि0	172.80 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और बाई पास मार्ग	₹ 8000 प्रति व0मी0	15,00,000	7%	1,05,100	15,000					
86		**17506**	**4206**	**18-04-2022**	**ए**	**बी**	**273**	**0.118 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, आबादी के पास**	**₹ 1.30 करोड़ + 50% प्रति हेक्टे0**	**23,01,000**	**5%**	**1,15,200**	**23,010**	**6000**	**70,80,000**	**3,54,000**	**70,800**	**2,86,590**
		17403	2033	22-02-2022	बी	सी	273	115.98 व0मी0	आवासीय भूमि और मार्ग	₹ 6900 प्रति व0मी0	8,01,000	5%	40,100	8,010					
		17522	4528	25-04-2022	बी	डी	273	280.29 व0मी0	आवासीय भूमि और मार्ग	₹ 6900 प्रति व0मी0	19,50,000	4 व 5%	87,600	19,500					
87	**उप निबंधक सदर-I, गोरखपुर**	**17753**	**9439**	**21-06-2022**	**ए**	**बी**	**219**	**0.189 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 1.15 करोड़ + 50% प्रति हेक्टे0**	**32,61,000**	**5%**	**1,63,150**	**32,600**	**6000**	**1,13,40,000**	**5,67,000**	**1,13,400**	**4,84,650**
		17735	9057	25-07-2022	ए	सी	219	167.28 व0मी0	आवासीय भूमि और दो मार्ग	₹ 6500+10% प्रति व0मी0	11,97,000	4 व 5%	49,850	11,970					
		17817	10807	17-08-2022	बी	डी	219	103.22 व0मी0	आवासीय भूमि और मार्ग	₹ 6500 प्रति व0मी0	6,71,000	5%	33,550	6,710					
88		**17764**	**9672**	**26-07-2022**	ए	बी	**156 क**	**0.2610 हेक्टे0**	**कृषि भूमि और दो ओर मार्ग**	**₹ 58 लाख + 50% व 10% व0मी0**	**25,00,000**	**5%**	**1,25,000**	**25,000**	**1925**	**50,24,250**	**2,51,250**	**50,250**	**1,51,500**
		17737	9104	16-07-2022	ए	सी	156 क	139.40 व0मी0	आवासीय भूमि और मार्ग	₹ 1750 प्रति व0मी0	2,44,000	5%	12,200	2,440					
		17788	10178	03-08-2022	बी	डी	156 क	132.89 व0मी0	आवासीय भूमि और मार्ग	₹ 1750 प्रति व0मी0	2,33,000	5%	11,650	2,330					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
89		**17791**	**10247**	**04-08-2022**	**ए**	**बी**	**138 क**	**0.4050 हेक्टे0**	**कृषि भूमि**	**₹ 58 लाख +50% प्रति हेक्टे0**	**35,24,000**	**5%**	**1,76,200**	**35,240**	**1750**	**70,87,500**	**3,54,400**	**70,880**	**2,13,840**
		17782	10048	01-08-2022	बी	सी	138 क	121.56 व0मी0	आवासीय भूमि और मार्ग	₹ 1750 प्रति व0मी0	2,13,000	4%	8,600	2,130					
		17803	10492	08-08-2022	बी	डी	138 क	525.27 व0मी0	आवासीय भूमि और दो मार्ग	₹1800 + 20% +10%/ हेक्टे0	12,49,000	4 व 5%	52,950	12,490					
90		**17738**	**9126**	**16-07-2022**	**ए**	**बी**	**293**	**0.101 हेक्टे0**	**कृषि भूमि और तीन ओर मार्ग**	**₹ 2.30 करोड़ +50 % +10% / हेक्टे0**	**38,34,000**	**5%**	**1,91,700**	**38,340**	**10450**	**1,05,54,500**	**5,27,750**	**1,05,550**	**4,03,260**
91		**17738**	**9122**	**16-07-2022**	**ए**	**बी**	**293**	**0.067 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी के पास**	**₹ 2.65 करोड़ + +50%@हेक्टे0**	**26,64,000**	**5%**	**1,33,200**	**26,640**	**9300**	**62,31,000**	**3,11,550**	**62,310**	**2,14,020**
		17718	8689	08-07-2022	सी	डी	293	278.81 व0मी0	आवासीय भूमि और मार्ग	₹ 9300 प्रति व0मी0	26,00,000	4 व 5%	1,13,000	26,000					
		17750	9365	20-07-2022	ए	ई	293	167.28 व0मी0	आवासीय भूमि व दो ओर मार्ग	₹ 9300+10% प्रति व0मी0	17,12,000	4 व 5%	75,600	17,120					
92	उप निबंधक सदर-I, झाँसी	**9564**	**111**	**05-01-2022**	**ए**	**बी**	**99 मि0**	**0.24075 हेक्टे0**	**आबादी के पास और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कृषि भूमि**	**400 व0मी0 के लिए ₹ 19,000 अगले 400 व0मी0 के लिए ₹ 9500 और अगले ₹ 1.10 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**1,31,69,000**	**7%**	**9,22,100**	**1,31,690**	**19,000**	**4,57,42,500**	**32,02,010**	**4,57,430**	**26,05,650**
		6393	9098	31-12-2015	सी	डी	99 मि0	2249.07 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 05 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0	1,12,46,000	7%	7,87,500	20,000					
		9567	198	07-01-2022	डी	ई	99 मि0	929.37 व0मी0	विक्रेता और राजमार्ग की दो ओर भूखण्ड और 5 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 19000 प्रति व0मी0	2,00,50,000	6 व 7%	13,94,000	2,00,500					
93	उप निबंधक सदर-I, मुरादाबाद	**18117**	**16573**	**28-07-2022**	**ए**	**बी**	**327**	**0.1135 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, लिंक मार्ग के पास और आबादी से दूर**	**₹ 31 लाख प्रति हेक्टे0**	**3,52,000**	**7%**	**25,000**	**3,520**	**6,000**	**68,10,000**	**4,76,700**	**68,100**	**5,16,280**
		17973	12207	08-06-2022	सी	डी	327	245.51 व0मी0	दो ओर भूखण्ड का हिस्सा और 5.8 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	14,76,000	7%	93,500	14,760					
94		**18117**	**16560**	**28-07-2022**	**ए**	**बी**	**95**	**0.1384 हेक्टे0**	**कृषि भूमि**	**₹ 87 लाख प्रति हेक्टे0**	**12,27,000 (₹ 22000 बोरिंग एवं पेड़ सहित)**	**7%**	**86,000**	**12,270**	**1700**	**23,74,800**	**1,66,250**	**23,750**	**91,730**
		17776	5978	22-03-2022	सी	डी	95	77.28 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और दो ओर 18 और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 1870 प्रति व0मी0	1,45,000	7%	10,200	1,450					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		18127	16829	30-07-2022	सी	ई	95	70.26 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 1700 प्रति व0मी0	1,20,000	7%	8,500	1,200					
95	उप निबंधक-I, वाराणसी	**13211**	**3847**	**26-04-2022**	**ए**	**बी**	**172**	**0.2525 हेक्टे0**	**मार्ग और आबादी से दूर कृषि भूमि**	**₹ 1.70 करोड़+ प्रति हेक्टे0**	**42,93,000**	**6 व 7%**	**2,91,000**	**42,930**	**6,000**	**1,51,50,000**	**10,50,500**	**1,51,500**	**8,68,070**
		12853	8345	20-10-2021	सी	डी	172	209.47 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	30,00,000	6 व 7%	2,00,000	30,000					
		13339	6112	24-06-2022	सी	ई	172	102.23 व0मी0	तीन ओर आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6000 प्रति व0मी0	7,00,000	6%	42,000	7,000					
96		**13780**	**4910**	**19-04-2023**	**ए**	**बी**	**893 मि0 #**	**0.5760 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, आबादी के पास और मार्ग से दूर**	**₹ 65 लाख प्रति हेक्टे0 + 30%**	**48,70,000**	**7%**	**3,40,900**	**48,700**	**3000 व0मी0 के लिए ₹ 2800 + 2760 व0मी0 * के लिए ₹ 1960**	**1,38,09,600**	**9,66,700**	**1,38,100**	**7,15,200**
		* सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 22 के अनुसार प्रभावी तिथि 01.08.2017, गैर कृषि भूमि 3000 वर्ग मीटर और उससे अधिक की गणना से 30 प्रतिशत कम की जाएगी।																	
97	उप निबंधक, एतमादपुर आगरा	**12527**	**1211**	**27-01-2021**	**सी**	**डी**	**893 मि0 #**	**0.2300 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,मार्ग के पास एवं आबादी से दूर**	**₹ एक करोड़ प्रति हेक्टे0**	**23,00,000**	**6 व 7%**	**1,51,000**	**23,000**	**2,800**	**64,40,000**	**4,40,800**	**64,400**	**3,31,200**
		11403	3174	14-03-2019	ई	एफ	893 मि0 #	650.00 व0मी0	अवशेष भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2800 प्रति व0मी0	18,20,000	7%	1,27,400	20,000					
		13558	16971	02-12-2022	जी	एच	893 मि0	325.00 व0मी0	अवशेष भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2800 प्रति व0मी0	9,10,000	7%	5,000	9,100					
		# उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के अंतर्गत खसरा संख्या 893 एमआई को गैर कृषि भूमि घोषित किया गया।																	
98	उप निबंधक सदर, फतेहपुर	**11995**	**1109**	**25-01-2020**	**ए**	**बी**	**1425 मि0**	**0.1215 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, आबादी से दूर**	**₹58 लाख प्रति हेक्टे0**	**10,94,000**	**7%**	**76,600**	**20,000**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 4800 + अगले 715 व0मी0* के लिए ₹ 3360**	**48,02,400**	**3,36,210**	**20,000**	**2,59,610**
		11472	7558	04-06-2019	सी	डी	1425 मि0	124.00 व0मी0	दो ओर भूखण्ड और एक ओर 6 मीटर से अधिक मार्ग और एक ओर घर	₹ 5500 प्रति व0मी0	6,82,000	6%	40,920	6,820					
		12004	1260	30-01-2020	सी	ई	1425 मि0	85.00 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0	4,25,000	6%	25,500	4,250					
		* सामान्य अनुदेश संख्या 23 के अनुसार प्रभावी तिथि 05.10.2017 के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक गैर कृषि भूमि की गणना सर्किल रेट से 30 प्रतिशत कम पर की जाएगी।																	
99	उप निबंधक सदर-I, फीरोजाबाद	**14164**	**13755**	**02-12-2022**	**ए**	**बी**	**281 अ व 281 ब**	**0.2196599 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 1.06 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**23,29,000**	**6 व 7%**	**1,53,030**	**23,290**	**2,400**	**52,71,838**	**3,59,040**	**52,720**	**2,35,440**
		13983	7911	11-07-2022	सी	डी	281अ	325.50 व0मी0	दो ओर भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 2150 प्रति व0मी0	7,00,000	6%	42,000	7,000					
		14197	14865	28-12-2022	ए	ई	281 अ	558.00 व0मी0	विक्रेता, भूखण्ड और मार्ग का बाकी हिस्सा	₹ 2400 प्रति व0मी0	13,40,000	6 व 7%	83,800	13,400					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
100		**14061**	**10402**	**01-09-2022**	**ए**	**बी**	**1500**	**0.510 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 49 लाख प्रति हेक्टे0**	**25,00,000**	**5%**	**1,27,000**	**25,000**	**1,600**	**81,60,000**	**4,08,000**	**81,600**	**3,37,600**
		13809	2462	08-03-2022	सी	डी	1500	27.90 व0मी0	तीन ओर भूखण्ड और 10 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 1400 प्रति व0मी0	40,000	4%	1,600	400					
		13793	1963	23-02-2022	अ का भाई	ई	1500	139.50 व0मी0	घर और 10 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 1400 प्रति व0मी0	1,96,000	4 व 5%	8,820	1,960					
		14200	14942	31-12-2022	अ का भाई	एफ	1500	74.40 व0मी0	आवासीय भूमि और नौ फीट चौड़ा मार्ग	₹ 1600 प्रति व0मी0	1,20,000	4%	4,800	1,200					
101		**14048**	**9995**	**26-08-2022**	**ए**	**बी**	**319/1#**	**0.1229348 हेक्टे0**	**पक्की सड़क पर कृषि भूमि**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 6900 + अगले 500 वर्ग मीटर के लिए ₹ 3450 + अगले 229.35 व0मी0 के लिए ₹ 1725**	**55,71,000**	**7%**	**3,90,000**	**55,710**	**6,900**	**84,82,501**	**5,93,810**	**84,830**	**2,32,930**
		13285	457	14-01-2021	सी	डी	319/1#	172.64 व0मी0	आवासीय भूमि, 24 फीट चौड़ा मार्ग और औद्योगिक क्षेत्र के पास	₹ 5900 प्रति व0मी0+25%	12,84,000	7 व 6%	83,460	12,840					
		14068	10611	06-09-2022	ए	ई	319/1#	680.88 व0मी0	आवासीय भूमि और 24 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6900 प्रति व0मी0	49,00,000	7 व 6%	3,33,000	49,000					
		# लेखपत्र संख्या 10611/22 के अनुसार खसरा संख्या 319/1 को 04.08.2014 को 143 घोषित किया गया।																	
102	उप निबंधक सदर, गाजीपुर	**5222**	**4790**	**05-07-2019**	**ए**	**बी**	**493**	**0.2080 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,खडंजा मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 4.20 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**87,36,000**	**5%**	**4,37,000**	**20,000**	**9,000**	**1,87,20,000**	**9,36,000**	**20,000**	**4,99,000**
		4917	8033	30-11-2018	सी	डी	493	127.00 व0मी0	घर और 14 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 9000 प्रति व0मी0	11,43,000	5 व 4%	47,150	20,000					
		6414	2109	19-04-2023	ई	एफ	493	139.70 व0मी0	घर और 14 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 9000 प्रति व0मी0	12,60,000	5 व 4%	53,000	12,600					
103		**5535**	**3476**	**13-08-2020**	**ए**	**बी**	**219**	**0.076 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,चकमार्ग 3 मीटर से कम और आबादी के पास**	**₹ 2.80 करोड़ प्रति हेक्टे0+ 25%**	**26,60,000**	**5%**	**1,33,000**	**26,600**	**6,500**	**49,40,000**	**2,47,000**	**49,400**	**1,36,800**
		4770	5243	30-07-2018	ए	सी	219	229.61 व0मी0	राजमार्ग पर आवासीय भूमि	₹ 9000 प्रति व0मी0 +50%	31,00,000	5%	1,55,000	20,000					
		5554	3858	04-09-2020	सी	डी	219	229.61 व0मी0	राजमार्ग पर आवासीय भूमि	₹ 9000 प्रति व0मी0+50%	31,00,000	5%	1,55,000	31,000					
104		**6252**	**6038**	**07-11-2022**	**ए**	**बी**	**263 स**	**0.1520 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,मार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 1.80 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**27,36,000**	**5%**	**1,36,800**	**27,360**	**6,500**	**98,80,000**	**4,94,000**	**98,800**	**4,28,640**
		6248	5959	02-11-2022	सी	डी	263 स	64.00 व0मी0	आवासीय भूमि और नौ फीट चौड़ा खडंजा मार्ग	₹ 6500 प्रति व0मी0	4,16,000	5%	20,800	4,160					

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		6283	6733	06-12-2022	सी	ई	263 स	64.00 व0मी0	आवासीय भूमि और नौ फीट चौड़ा खडंजा मार्ग	₹ 6500 प्रति व0मी0	4,16,000	4%	16,650	4,160					
105		**5784**	**2611**	**28-04-2021**	**ए**	**बी**	**296**	**0.15675 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, खडंजा मार्ग और आबादी से दूर**	**500 व0मी0 का ₹ 7500 + अगले 500 व0मी0 का ₹ 3750 + अगले 567.50 व0मी0 ₹ 1875**	**66,94,000**	**5%**	**3,35,000**	**66,940**	**7,500**	**1,17,56,250**	**5,87,850**	**1,17,570**	**3,03,480**
		5706	780	30-01-2021	सी	डी	296	88.90 व0मी0	आवासीय भूमि और नौ फीट चौड़ा खडंजा मार्ग	**₹ 7500 प्रति व0मी0**	6,67,000	5%	33,500	6,670					
		6360	837	14-02-2023	ई	डी	296	482.50 व0मी0	आवासीय भूमि और आठ फीट चौड़ा खडंजा मार्ग	**₹ 7500 प्रति व0मी0**	36,38,000	5%	1,82,000	36,380					
106		**5744**	**1632**	**04-03-2021**	**ए**	**बी**	**228**	**0.126 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी के पास और 03 मीटर से कम चौड़ा मार्ग**	**₹ 1.80 करोड़ प्रति हेक्टे0 + 50%**	**34,02,000**	**5%**	**1,70,200**	**34,020**	**6,500**	**81,90,000**	**4,09,500**	**81,900**	**2,87,180**
		5561	3980	15-09-2020	सी	डी	228	127.00 व0मी0	आवासीय भूमि और 03 मीटर से कम चौड़ा खडंजा मार्ग	₹ 6500 प्रति व0मी0	8,26,000	4%	33,100	8,260					
		5645	5816	05-12-2020	सी	डी	228	127.00 व0मी0	आवासीय भूमि और 07 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6500 प्रति व0मी0	8,26,000	4%	33,050	8,260					
107		**4992**	**528**	**21-01-2019**	**ए**	**बी**	**225 सा**	**0.1040 हेक्टे0**	**चकमार्ग पर और आबादी से दूर कृषि भूमि**	**₹ 1.80 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**18,72,000**	**5 व 4%**	**83,600**	**20,000**	**6,500**	**67,60,000**	**3,28,000**	**20,000**	**2,44,400**
		4589	1354	23-02-2018	सी	डी	225 सा	406.77 व0मी0	तीन मीटर से कम मार्ग पर आवासीय भूमि	₹ 6500 प्रति व0मी0	26,45,000	5%	1,32,250	20,000					
		5884	5126	28-08-2021	ई	एफ	225 सा	250.00 व0मी0	8 फीट चौड़ा मार्ग पर आवासीय भूमि	₹ 6500 प्रति व0मी0	16,25,000	5%	81,250	16,250					
108	**उप निबंधक अकबरपुर कानपुर देहात**	**6411**	**6282**	**06-07-2021**	**ए**	**बी**	**1,280**	**0.2489 हेक्टे0**	**कृषि भूमि और एनएच पर**	**₹ 2.50 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**62,22,500**	**6 व 7%**	**4,35,610**	**62,225**	**10,000**	**2,48,90,000**	**17,32,300**	**2,48,900**	**14,83,365**
109		**6411**	**6283**	**06-07-2021**	**ए**	**सी**	**1,280**	**0.2489 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, एनएच 2 पर 200 व0मी0 परिधि में**	**₹ 2.50 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**62,22,500**	**6 व 7%**	**4,35,610**	**62,225**	**6,200**	**1,54,31,800**	**10,70,240**	**1,54,320**	**7,26,725**
110		**6411**	**6284**	**06-07-2021**	**ए**	**डी**	**1,280**	**0.2489 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, एनएच 2 पर 200 व0मी0 परिधि में**	**₹ 2.50 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**62,22,500**	**6 व 7%**	**4,35,610**	**62,225**	**6,200**	**1,54,31,800**	**10,70,240**	**1,54,320**	**7,26,725**
111		**6411**	**6285**	**06-07-2021**	**ए**	**ई**	**1,280**	**0.2488 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,एनएच 2 पर 200 व0मी0 परिधि में**	**₹ 2.50 करोड़ प्रति हेक्टे0**	**62,20,000**	**6 व 7%**	**4,35,400**	**62,200**	**6,200**	**1,54,25,600**	**10,69,820**	**1,54,260**	**7,26,480**
		6190	1508	06-02-2021	ई	एफ	1,280	84.00 व0मी0	दो ओर आवासीय भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6200 प्रति व0मी0	521000	6 व 7%	31,260	5,210					
		6736	492	15-01-2022	सी	जी	1280	52.27 व0मी0	भूखण्ड और 15 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 6200 प्रति व0मी0	325000	7%	22,750	3,250					-
112	**उप निबंधक छाता मथुरा**	**9218**	**10756**	**04-06-2022**	**ए**	**बी**	**45/1/2**	**0.405 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी के पास और लिंक मार्ग**	**₹ 75 लाख प्रति हेक्टे0+50%**	**45,57,000**	**7%**	**3,19,500**	**45,570**	**3000 व0मी0 के लिए**	**1,34,46,000**	**9,41,220**	**1,34,460**	**7,10,610**

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
															₹ 3600 + 1050 व0मी0 के लिए ₹ 2520				
		9211	10479	02-06-2022	ए	सी	45/1/2	41.80 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर की मार्ग	₹ 3600 प्रति व0मी0	1,66,000	6%	9,960	1,660					
		9271	13013	29-06-2022	ए	डी	45/1/2	50.16 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और कोशी शाहपुर मार्ग	₹ 3600 प्रति व0मी0	1,81,000	6%	10,860	1,810					
		* सामान्य अनुदेश संख्या 22 के अनुसार प्रभावी तिथि 26.10.2017 के अनुसार 3000 वर्ग मीटर से अधिक गैर कृषि भूमि की गणना सर्किल रेट से 30 प्रतिशत कम पर की जाएगी।																	
113		**9601**	**2823**	**14-03-2022**	**ए**	**बी**	**493 मि0**	**0.895 हेक्टे0**	**मार्ग और आबादी से दूर कृषि भूमि**	**₹ 53 लाख प्रति हेक्टे0**	**47,44,000**	**7%**	**3,32,100**	**47,440**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 4600 + 500 व0मी0 के लिए ₹ 2300 + शेष 7950 व0मी0 के लिए ₹ 1150**	**1,25,92,500**	**8,81,510**	**1,25,930**	**6,27,900**
		8386	490	11-01-2019	सी	डी	493 मि0	316.20 व0मी0	दो ओर भूखण्ड और 10 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 4900 प्रति व0मी0	15,50,000	7%	1,08,500	20,000					
		8394	759	18-01-2019	सी	ई	493 मि0	180.03 व0मी0	दो ओर भूखण्ड और 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5100 प्रति व0मी0	9,19,000	7%	64,350	18,380					
		9855	11362	09-09-2022	बी	जी	493 मि0	253.00 व0मी0	मार्ग एवं भूखण्ड	₹ 5100 प्रति व0मी0	12,91,000	7%	90,400	12,910					
114	उप निबंधक सदर, रायबरेली	**8595**	**7240**	**03-08-2019**	**ए**	**बी**	**1 मि0**	**0.506 हेक्टे0**	**मार्ग और आबादी से दूर कृषि भूमि**	**₹ 20 लाख प्रति हेक्टे0**	**10,12,000**	**5%**	**50,600**	**20,000**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 3100 + 500 व0मी0 के लिए ₹1550 + 4060 व0मी0 के लिए ₹ 775 ***	**54,71,500**	**2,73,600**	**20,000**	**2,23,000**
		8591	7100	31-07-2019	सी	डी	1 मि0	93.00 व0मी0	विक्रेता की बाकी भूमि और 25 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5300 प्रति व0मी0	4,93,000	4%	19,800	9,860					
		9911	13484	20-10-2022	सी	ई	1 मि0	186.00 व0मी0	आवासीय भूखण्ड और दो ओर 25 से 40 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5700 प्रति व0मी0+10%	1167000	4 व 5%	48400	11670					
		* 500 वर्ग मीटर तक की गैर कृषि भूमि / गैर कृषि दर का 100 प्रतिशत + अगले 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर / 50 प्रतिशत + शेष क्षेत्र की गणना प्रभावी तिथि 01.08.2018 और 01-08-2020 के सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 24 के अनुसार संबंधित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत की दर से की जाएगी।																	
115		**10002**	**16518**	**16-12-2022**	**ए**	**बी**	**60**	**0.12645 हेक्टे0**	**कृषि भूमि चकमार्ग और आबादी से दूर**	**₹ 69 लाख प्रति हेक्टे0**	**9,61,000**	**7%**	**67,300**	**9,610**	**1000 व0मी0 के लिए ₹ 4800 + अगले 264.5 व0मी0 के लिए ₹ 3600**	**57,52,200**	**4,02,710**	**57,530**	**3,83,330**

क्र. सं.	इकाई का नाम	खण्ड सं.	लेखपत्र सं.	निबन्धन तिथि	विक्रेता	क्रेता	आराजी सं.	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य/ अन्य विक्रीत विलेख	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिये निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		9900	13133	14-10-2022	सी	डी	60	63.24 व0मी0	सहखातादार की भूमि और 09 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 3700 प्रति व0मी0	2,52,000	7%	17,700	2,520					
		10009	16813	20-12-2022	सी	ई	60	190.00 व0मी0	विक्रेता की शेष भूमि और दो ओर 17 से 20 फीट चौड़ा मार्ग	₹ 5300 प्रति व0मी0+10%	10,07,000	7 व 6%	60,500	10,070					
		*1000 वर्ग मीटर से अधिक गैर कृषि भूमि की गणना प्रभावी तिथि 01.11.2022 के सर्किल रेट के सामान्य अनुदेश संख्या 24 के अनुसार सर्किल रेट से 25 प्रतिशत कम की जाएगी।																	
116		**10234**	**10497**	**25-11-2022**	**ए**	**बी**	**524/2**	**0.1265 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी और मार्ग के पास**	**₹ 65 लाख प्रति हेक्टे0 + 10%**	**9,06,000**	**6 व 7%**	**54,360**	**9,060**	**2,600**	**32,89,000**	**2,20,230**	**32,890**	**1,89,700**
117		**10235**	**10498**	**25-11-2022**	**ए**	**ब की पत्नी**	**524/2**	**0.1265 हेक्टे0**	**कृषि भूमि,आबादी और मार्ग के पास**	**₹ 65 लाख प्रति हेक्टे0 +10%**	**9,06,000**	**7%**	**63,450**	**9,060**	**2,600**	**32,89,000**	**2,30,230**	**32,890**	**1,90,610**
		8764	4299	10-05-2019	ए	सी	524/2	356.76 व0मी0	छः मीटर चौड़ा मार्ग पर आवासीय भूमि	₹ 2000 प्रति व0मी0	7,14,000	7%	50,000	14,280					
		10307	444	17-01-2023	ए	डी	524/2	150.50 व0मी0	तीन ओर भूखण्ड और छः मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 2600 प्रति व0मी0	3,92,000	7%	27,440	3,920					
118		**8681**	**2589**	**12-03-2019**	**ए**	**बी**	**1149**	**0.076 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**₹ 90 लाख प्रति हेक्टे0**	**20,00,000**	**7%**	**1,40,000**	**20,000**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 5000 + अगले 260 व0मी0 के लिए ₹ 3500**	**34,10,000**	**2,38,700**	**20,000**	**98,700**
119	उप निबंधक सदर, रामपुर	**8681**	**2590**	**12-03-2019**	**ए**	**बी**	**1149**	**0.076 हेक्टे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**₹ 90 लाख प्रति हेक्टे0**	**20,00,000**	**7%**	**1,40,000**	**20,000**	**500 व0मी0 के लिए ₹ 5000 + अगले 260 व0मी0 के लिए ₹ 3500**	**34,10,000**	**2,38,700**	**20,000**	**98,700**
		8665	2265	01-03-2019	बी	सी	1149	167.22 व0मी0	तीन ओर भूखण्ड और 9 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 7000 प्रति व0मी0	11,71,000	7%	82,000	20,000					
		8736	3726	20-04-2019	बी	डी	1149	167.22 व0मी0	तीन ओर भूखण्ड और 6 मीटर चौड़ा मार्ग	₹ 5000 प्रति व0मी0	8,37,000	7%	58,600	16,740					
		* 500 वर्ग मीटर तक की गैर-कृषि भूमि गैर-कृषि दर के 100 प्रतिशत पर + अगले 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि 70 प्रतिशत पर + शेष क्षेत्रफल की गणना संबंधित सर्किल रेट के 50 प्रतिशत पर प्रभावी तिथि 02.09.2018 के सर्किल रेट के सामान्य निर्देश संख्या 14 के अनुसार की जाएगी। 16.09.2022 से प्रभावी दर सूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।																	
	योग												**54,43,670**	**8,20,235**			**1,44,76,410**	**19,84,820**	**6,82,76,211**

नोट-परिशिष्ट में बोल्ड विलेख ऐसे विलेख हैं जिनके विरूद्ध स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली कम हुई है। भूमि की क्षमता निर्धारित करने के लिए उसी अराजी संख्या में अन्य विलेखों का उपयोग किया गया है।

परिशिष्ट-2.14

(प्रस्तर 2.3 में संदर्भित)

परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराया जाना दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम		पंजीकृत वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	लेखापरीक्षा तिथि से	लेखापरीक्षा तिथि तक	लेखापरीक्षा अवधि	अवधि जिनके मध्य फिटनेस समाप्त हो गया था	लेखपरीक्षा के समय समाप्त फिटनेस की व्यपगत अवधि	वाहनों की संख्या जिनके फिटनेस की समाप्ति के उपरान्त कर जमा किया गया	प्रवर्तन दल द्वारा पकड़े गये वाहनों की संख्या	भारी वाहनों (एच0वी0) एवं मध्यम वाहनों (एम0वी0) की संख्या (₹ 600 + ₹ 600 + ₹ 200) प्रति वाहन	भारी वाहनों एवं मध्यम वाहनों में सन्निहित धनराशि	हल्के परिवहन वाहनों (एल0वी0) एवं तिपहिया वाहनों (थ्री व्ही0) की संख्या (₹ 400 + ₹ 400 + ₹ 200) प्रति वाहन	हलके परिवहन वाहनों एवं तिपहिया वाहनों (थ्री व्ही0) में सन्निहित धनराशि	कुल वाहन	सभी वाहनों में सन्निहित धनराशि (एच0वी0 + एम0वी0 + एल0वी0 + थ्री व्ही)
1	स0प0अ0	आगरा	3,389	630	15	31.01.2023	10.02.2023	03/2022 से 01/2023	03/2022 से 01/2023	02 से 12	15	10	7	9,800	8	8,000	15	17,800
2	स0स0प0अ0	बहराइच	3,418	1623	1,144	23.09.2023	04.10.2023	11/2017 से 08/2023	11/2017 से 08/023	03 से 72	31	527	1	1,400	1,143	11,43,000	1,144	11,44,400
3	स0प0अ0	बरेली	8289	850	111	23.09.2022	01.10.2022	12/2019 से 08/2022	04/2021 से 08/2022	03 से 19	111	53	26	36,400	85	85,000	111	1,21,400
4	स0स0प0अ0	बुलन्दशहर	10,782	401	178	20.05.2023	29.05.2023	01/2018 से 04/2023	01/2021 से 02/2023	04 से 29	177	80	124	1,73,600	54	54,000	178	2,27,600
5	स0स0प0अ0	हापुड़	8,722	313	62	10.05.2023	19.05.2023	02/2018 से 04/2023	02/2021 से 04/2023	02 से 28	62	30	42	58,800	20	20,000	62	78,800
6	स0प0अ0	झाँसी	2,966	580	29	13.02.2023	23.02.2023	02/2022 से 01/2023	02/2022 से 01/2023	02 से 13	29	16	21	29,400	8	8,000	29	37,400
7	स0प0अ0	कानुपर नगर	13924	782	93	10.10.2022	20.10.2022	12/2019 से 08/2022	04/2021 से 08/2022	03 से 19	93	34	57	79,800	36	36,000	93	1,15,800
8	स0प0अ0	लखनऊ	10,891	740	41	27.03.2023	06.04.2023	02/2022 से 02/2023	02/2022 से 01/2023	04 से 15	41	24	0	0	41	41,000	41	41,000
9	स0प0अ0	मथुरा	3057	650	8	01.08.2022	23.08.2022	01/2020 से 07/2022	01/2020 से 08/2021	13 से 32	7	6	2	2,800	6	6,000	8	8,800
10	स0प0अ0	मेरठ	6753	730	147	12.09.2022	22.09.2022	01/2020 से 08/2022	04/2021 से 03/2022	07 से 18	147	82	43	60,200	104	1,04,000	147	1,64,200
11	स0प0अ0	सहारनपुर	1530	712	44	21.12.2022	28.12.2022	12/2019 से 11/2022	12/2019 से 10/2022	03 से 37	44	16	29	40,600	15	15,000	44	55,600
12	स0प0अ0	वाराणसी	18948	850	138	04.11.2022	16.11.2022	01/2020 से 10/2022	04/2021 से 09/2022	03 से 20	137	56	69	96,600	69	69,000	138	1,65,600
	योग		**92,669**	**8,861**	**2,010**			**11/2017 से 08/2023**	**11/2017 से 08/2023**	**02 से 72**	**894**	**934**	**421**	**5,89,400**	**1,589**	**15,89,000**	**2,010**	**21,78,400**

परिशिष्ट-2.15

(प्रस्तर 2.3 में संदर्भित)

गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न कराया जाना दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम		पंजीकृत वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	लेखापरीक्षा तिथि से	लेखापरीक्षा तिथि तक	लेखापरीक्षा अवधि	अवधि जिनके मध्य फिटनेस समाप्त हो गया था	लेखपरीक्षा के समय समाप्त फिटनेस की व्यपगत अवधि	वाहनों की संख्या जिनके फिटनेस की समाप्ति के उपरान्त कर जमा किया गया	प्रवर्तन दल द्वारा पकड़े गये वाहनों की संख्या	हल्के गैर परिवहन वाहनों की संख्या (₹ 400+ ₹ 400+ ₹ 200) प्रति वाहन	हल्के वाहनो में सन्निहित धनराशि
1	स0प0अ0	आगरा	625	625	93	31.01.2023	10.02.2023	03/2022 से 01/2023	03/2022 से 12/2022	02 से 12	0	15	93	93,000
2	स0स0प0अ0	बहराइच	13,919	846	302	23.09.2023	04.10.2023	11/2017 से 08/2023	11/2017 से 08/2023	03 से 72	0	79	302	3,02,000
3	स0प0अ0	बाँदा	323	323	176	16.08.2023	24.08.2023	01/2020 से 07/2023	01/2020 से 07/2023	02 से 44	0	66	176	1,76,000
4	स0प0अ0	बरेली	3627	478	92	23.09.2022	01.10.2022	12/2019 से 08/2022	06/2021 से 08/2022	03 से 17	0	14	92	92,000
5	स0स0प0अ0	बुलन्दशहर	1,199	508	85	20.05.2023	29.05.2023	01/2018 से 04/2023	03/2018 से 04/2023	02 से 63	0	48	85	85,000
6	स0स0प0अ0	हापुड़	111	111	66	10.05.2023	19.05.2023	02/2018 से 04/2023	02/2018 से 04/2023	02 से 64	0	34	66	66,000
7	स0प0अ0	झाँसी	861	861	29	13.02.2023	23.02.2023	02/2022 से 01/2023	02/2022 से 01/2023	02 से 13	0	10	29	29,000
8	स0प0अ0	कानुपर नगर	2995	630	74	10.10.2022	20.10.2022	12/2019 से 08/2022	06/2021 से 08/2022	03 से 17	0	39	74	74,000
9	स0प0अ0	लखनऊ	3,344	864	31	27.03.2023	06.04.2023	02/2022 से 02/2023	02/2022 से 02/2023	03 से 15	0	15	31	31,000
10	स0प0अ0	मथुरा	751	550	230	01.08.2022	23.08.2022	01/2020 से 07/2022	01/2020 से 07/2022	02 से 32	0	92	230	2,30,000
11	स0प0अ0	मेरठ	16371	860	101	12.09.2022	22.09.2022	01/2020 से 08/2022	06/2021 से 08/2022	02 से 16	0	31	101	1,01,000
12	स0प0अ0	सहारनपुर	268	268	111	21.12.2022	28.12.2022	12/2019 से 11/2022	12/2019 से 11/2022	02 से 37	0	34	111	1,11,000
13	स0प0अ0	वाराणसी	907	907	147	04.11.2022	16.11.2022	01/2020 से 10/2022	05/2021 से 10/2022	02 से 19	0	43	147	1,47,000
योग			**45,301**	**7,831**	**1,537**			**11/2017 से 08/2023**	**11/2017 से 08/2023**	**02 से 72**	**0**	**520**	**1,537**	**15,37,000**

परिशिष्ट-2.16
(प्रस्तर 2.4 में संदर्भित)
बिना परमिट नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क के भुगतान किये बिना संचालित होने वाले वाहनों को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम		वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों की सं0 जिनके परमिट का नवीनीकरण नहीं हुआ	अवधि जिसके मध्य लेखापरीक्षा की गयी (लेखापरीक्षा तिथि)	अवधि जिसके मध्य परमिट समाप्त हो गये थे	लेखापरीक्षा के समय परमिट समाप्ति की व्यपगत अवधि (माह में)	ऐसे वाहनों की संख्या जिनके कर परमिट समाप्ति के उपरान्त जमा हुए	ऐसे वाहनों की सं0 जिनके चालान परमिट समाप्ति के उपरान्त प्रर्वतन दल द्वारा किये गये	प्रति वाहन आवेदन शुल्क	प्रति वाहन परमिट शुल्क	आवेदन शुल्क	परमिट शुल्क	कुल शुल्क
1	स0प0अ0	आगरा	भारी माल वाहन	430	430	42	31.01.2023 से 10.02.2023	04/2022 से 01/2023	02 से 11	42	10	1,200	7,500	50,400	3,1,000	3,65,400
			स्कूल बस	827	827	122	31.01.2023 से 10.02.2023	03/2022 से 12/2022	03 से 12	11	36	1,200	4,500	1,46,400	5,49,000	6,95,400
			टैंकर्स	1349	350	10	31.01.2023 से 10.02.2023	03/2022 से 01/2023	02 से 12	8	2	1,200	7,500	12,000	75,000	87,000
			आटो (तीन पहिया)	2606	530	183	31.01.2023 से 10.02.2023	05/2022 से 12/2022	03 से 10	0	99	600	2,000	1,09,800	3,66,000	4,75,800
2	स0प0अ0	बरेली	भारी माल वाहन	1075	444	64	16.09.2023 से 27.09.2023	04/2021 से 08/2022	14 से 30	64	20	1,200	7,500	76,800	4,80,000	5,56,800
			मैक्सी कैब	124	49	21	16.09.2023 से 27.09.2023	09/2022 से 08/2023	02 से 13	14	6	600	4,500	12,600	94,500	1,07,100
			स्कूल बस	238	238	10	16.09.2023 से 27.09.2023	04/2021 से 08/2022	14 से 30	10	5	1,200	4,500	12,000	45,000	57,000
			स्टेज कैरियर	345	206	3	16.09.2023 से 27.09.2023	08/2021 से 04/2022	18 से 26	3	3	1,200	7,500	3,600	22,500	26,100
			टैंकर्स	570	250	1	16.09.2023 से 27.09.2023	06/2022 से 06/2022	16 से 16	1	1	1,200	7,500	1,200	7,500	8,700
			आटो (तीन पहिया)	4249	852	455	16.09.2023 से 27.09.2023	04/2021 से 08/2023	02 से 30	203	184	600	2,000	2,73,000	9,10,000	11,83,000
3	स0प0अ0	झाँसी	भारी माल वाहन	163	163	43	13.02.2023 से 23.02.2023	02/2022 से 01/2023	02 से 13	43	16	1,200	7,500	51,600	3,22,500	3,74,100
			टैंकर्स	184	6	1	13.02.2023 से 23.02.2023	12/2022 से 12/2022	03 से 02	1	0	1,200	7,500	1,200	7,500	8,700
			आटो (तीन पहिया)	1292	450	117	13.02.2023 से 23.02.2023	02/2022 से 01/2023	02 से 13	0	86	600	2,000	70,200	2,34,000	3,04,200
4	स0प0अ0	मेरठ	भारी माल वाहन	321	321	44	12.09.2022 से 22.09.2022	04/2021 से 08/2022	02 से 18	44	12	1,200	7,500	52,800	3,30,000	3,82,800
			स्कूल बस	250	250	48	12.09.2022 से 22.09.2022	04/2021 से 08/2022	02 से 18	0	13	1,200	4,500	57,600	2,16,000	2,73,600
			टैंकर्स	24	24	4	12.09.2022 से 22.09.2022	04/2021 से 03/2022	07 से 18	4	1	1,200	7,500	4,800	30,000	34,800
			आटो (तीन पहिया)	846	846	233	12.09.2022 से 22.09.2022	04/2021 से 08/2022	02 से 18	0	172	600	2,000	1,39,800	4,66,000	6,05,800
5	स0प0अ0	सहारनपुर	भारी माल वाहन	546	546	54	21.12.2022 से 28.12.2022	01/2021 से 11/2022	02 से 24	54	18	1,200	7,500	64,800	4,05,000	4,69,800
			स्कूल बस	268	268	56	21.12.2022 से 28.12.2022	01/2022 से 11/2022	02 से 12	0	8	1,200	4,500	67,200	2,52,000	3,19,200
			टैंकर्स	270	37	2	21.12.2022 से 28.12.2022	02/2022 से 05/2022	08 से 11	2	0	1,200	7,500	2,400	15,000	17,400
			आटो (तीन पहिया)	1261	625	95	21.12.2022 से 28.12.2022	10/2021 से 05/2022	08 से 15	1	63	600	2,000	57,000	1,90,000	2,47,000

क्र. सं.	इकाई का नाम		वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों की सं0 जिनके परमिट का नवीनीकरण नहीं हुआ	अवधि जिसके मध्य लेखापरीक्षा की गयी (लेखापरीक्षा तिथि)	अवधि जिसके मध्य परमिट समाप्त हो गये थे	लेखापरीक्षा के समय परमिट समाप्ति की व्यपगत अवधि (माह में)	ऐसे वाहनों की संख्या जिनके कर परमिट समाप्ति के उपरान्त जमा हुए	ऐसे वाहनों की सं0 जिनके चालान परमिट समाप्ति के उपरान्त प्रर्बतन दल द्वारा किये गये	प्रति वाहन आवेदन शुल्क	प्रति वाहन परमिट शुल्क	आवेदन शुल्क	परमिट शुल्क	कुल शुल्क
6	स0प0अ0	वाराणसी	भारी माल वाहन	531	531	149	04.11.2022 से 16.11.2022	04/2021 से 10/2022	02 से 20	149	56	1,200	7,500	1,78,800	11,17,500	12,96,300
			स्कूल बस	385	385	162	04.11.2022 से 16.11.2022	04/2021 से 10/2022	02 से 20	1	70	1,200	4,500	1,94,400	7,29,000	9,23,400
			स्टेज कैरेज	502	502	8	04.11.2022 से 16.11.2022	06/2021 से 05/2022	07 से 18	8	8	1,200	7,500	9,600	60,000	69,600
			टैंकर्स	822	822	3	04.11.2022 से 16.11.2022	07/2021 से 01/2022	11 से 17	3	2	1,200	7,500	3,600	22,500	26,100
			आटो (तीन पहिया)	2168	864	278	04.11.2022 से 16.11.2022	04/2021 से 09/2022	03 से 20	0	59	600	2,000	1,66,800	5,56,000	7,22,800
योग				**21,646**	**10,816**	**2,208**	**12.09.2022 से 27.09.2023**	**01/2021 से 08/2023**	**02 से 30**	**666**	**950**					**96,37,900**

परिशिष्ट-2.17
(प्रस्तर 2.6 में संदर्भित)
उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों के अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड न लगाया जाना एवं संग्रहण न किया जाना दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की सं.	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की सं. जिनमें आपत्ति पायी गयी	जमा की गयी धनराशि	अवधि (अतिरिक्त कर पर आरोपणीय अर्थदण्ड)	लेखापरीक्षा अवधि	लेखापरीक्षा तिथि	जमा में विलम्ब माह में	अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर आरोपणीय अर्थदण्ड की कुल धनराशि
1	स0प0अ0 बहराइच	316	316	298	3,51,64,200	01/2020 से 08/2023	11/2017 से 08/2023	23.09.2023 से 04.10.2023	01 से 42	1,85,07,479
2	स0प0अ0 बरेली	156	156	139	1,39,64,466	03/2020 से 08/2022	12/2019 से 08/2022	23.09.2022 से 01.10.2022	01 से 30	88,31,660
3	स0स0प0अ0 बुलंदशहर	174	174	160	92,10,600	11/2018 से 04/2023	01/2018 से 04/2023	20.05.2023 से 29.05.2023	01 से 18	20,38,215
4	स0स0प0अ0 हापुड़	2488	2488	2271	7,48,68,150	06/2010 से 04/2023	02/2018 से 04/2023	10.05.2023 से 19.05.2023	01 से 124	1,69,40,834
5	स0प0अ0 झाँसी	329	329	313	2,79,99,750	03/2019 से 02/2023	02/2022 से 01/2023	13.02.2023 से 23.02.2023	01 से 43	1,74,85,747
6	स0प0अ0 कन्नौज	397	340	318	1,68,18,850	03/2018 से 06/2023	03/2018 से 06/2023	26.07.2023 से 04.08.2023	01 से 25	49,52,883
7	स0प0अ0 कानपुर नगर	402	402	367	10,31,95,430	10/2017 से 09/2022	12/2019 से 08/2022	10.10.2022 से 20.10.2022	01 से 57	4,78,05,483
8	स0प0अ0 लखनऊ	32	32	25	57,19,949	03/2018 से 02/2023	02/2022 से 02/2023	27.03.2023 से 06.04.2023	01 से 61	18,36,353
9	स0प0अ0 मेरठ	256	256	252	77,07,050	02/2020 से 09/2022	01/2020 से 08/2022	12.09.2022 से 22.09.2022	01 से 16	13,69,575
10	स0स0प0अ0 सहारनपुर	1736	1736	1627	7,15,19,776	06/2019 से 07/2023	12/2019 से 11/2022	21.12.2022 से 28.12.2022	01 से 23	1,96,08,754
							12/2022 से 11/2023	20.12.2023 से 01.01.2024		
11	स0प0अ0 वाराणसी	1032	1032	1137	3,64,82,910	03/2020 से 10/2023	01/2020 से 10/2022	04.11.2022 से 16.11.2022	01 से 44	1,42,36,384
							11/2022 से 10/2023	11.12.2023 से 13.12.2023		
								17.12.2023 से 19.12.2023		
योग		**7,318**	**7,261**	**6,907**	**40,26,51,131**	**06/2010 से 10/2023**	**11/2017 से 11/2023**	**09/2022 से 01/2024**	**01 से 124**	**15,36,13,368**

परिशिष्ट-2.18
(प्रस्तर 2.7 में संदर्भित)
क्यूआर कोड की धनराशि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपित न किया जाना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	माह	क्यूआर कोड का उपयोग किए बिना निर्गत की गयी बोतलों की संख्या	क्यूआर कोड की धनराशि प्रति बोतल ₹ 0.15	चालान संख्या व भुगतान का दिनांक	विलम्ब की अवधि		विलम्ब के कुल दिनों की संख्या (एक महीने में 30 दिन के अनुसार)	वसूल की जाने वाली ब्याज की राशि
1	वेव डिस्टिलरीज और ब्रीवरीज अलीगढ़	अप्रैल 2018	44,178,750	6,62,6812.50	दिनांक 06.06.2022 को कार्यालय आबकारी आयुक्त के आदेश के क्रम में भुगतान किया गया।	01.05.2018	05.06.2022	1475	4,887,274.22
		मई 2018	46,958,307	70,43,746.05		01.06.2018	05.06.2022	1445	5,089,106.52
		15 जून 2018 तक	19,168,746	28,75,311.90		16.06.2018	05.06.2022	1430	2,055,848.01
2	उन्नाव डिस्टिलरीज और ब्रीवरीज उन्नाव	अप्रैल 2018	8,866,620	13,29,993.00	एबीके 210320143 दिनांक 08.11.2021 ₹ 2817430.00, एबीके210320165 दिनांक 08.11.21 ₹ 152690.00 और एबीके210322047 दिनांक 11.11.2021 ₹ 10.00	01.05.2018	07.11.2021	1267	842,550.57
		मई 2018	9,917,280	14,87,592.00		01.06.2018	07.11.2021	1237	920,075.65
		15 जून 2018 तक	1,016,955	1,52,543.25		16.06.2018	10.11.2021	1225	93,432.74
3	मोहन मेकिंस लिमिटेड मोहन नगर गाजियाबाद।	अप्रैल 2018	58,440	8,766.00	2003020081 दिनांक 25.05.2021	01.05.2018	24.05.2021	1104	4,838.83
		मई 2018	171,420	25,713.00		01.06.2018	24.05.2021	1074	13,807.88
		15 जून 2018 तक	105,084	15,762.60		16.06.2018	24.05.2021	1059	8,346.30
		अप्रैल 2018	2,194,428	3,29,164.20	2003019311 दिनांक 25.05.2021	01.05.2018	24.05.2021	1104	181,698.64
		मई 2018	2,526,492	3,78,973.80		01.06.2018	24.05.2021	1074	203,508.93
		15 जून 2018 तक	291,600	43,740.00		16.06.2018	24.05.2021	1059	23,160.33
4	एईसी मैसर्स मिलर इंडिया लिमिटेड यूनिट सेंट्रल डिस्टिलरीज एण्ड ब्रीवरीज मेरठ	अप्रैल 2018	4,599,240	6,89,886.00	210215759 दिनांक 15.03.2021	01.05.2018	14.03.2021	1034	425,659.66
		मई 2018	5,223,408	7,83,511.20		01.06.2018	14.03.2021	1004	393,322.62
		15 जून 2018 तक	2,596,884	3,89,532.60		16.06.2018	14.03.2021	989	192,623.87
5	यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड मेरठ कैंट मेरठ	अप्रैल 2018	9,559,164	1,433,874.60	210269918 दिनांक 29.07.2021	01.05.2018	28.07.2021	1168	837,382.77
		मई 2018	5,779,932	866,989.80		01.06.2018	28.07.2021	1138	493,317.20
		15 जून 2018 तक	897,984	119,697.60		16.06.2018	28.07.2021	1123	67,210.20
				15,000.00	दिनांक 16.02.2023 अग्रिम से कटौती	16.06.2018	15.02.2023	1680	12,600.00

क्र. सं.	इकाई का नाम	माह	क्यूआर कोड का उपयोग किए बिना निर्गत की गयी बोतलों की संख्या	क्यूआर कोड की धनराशि प्रति बोतल ₹ 0.15	चालान संख्या व भुगतान का दिनांक	विलम्ब की अवधि		विलम्ब के कुल दिनों की संख्या (एक महीने में 30 दिन के अनुसार)	वसूल की जाने वाली ब्याज की राशि
6	रोजा डिस्टलरी शाहजहाँपुर।	अप्रैल 2018	8,229,900	1,234,485.00	2102299590 दिनांक 29.07.2021	01.05.2018	28.07.2021	1168	720,939.24
		मई 2018	5,434,044	815,106.60		01.06.2018	28.07.2021	1138	463,795.66
		15 जून 2018 तक	1236720	185,508.00		16.06.2018	28.07.2021	1123	104,162.74
7	डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट-दौराला शुगर वर्क्स डिस्टिलरी दौराला मेरठ।	अप्रैल 2018	10,529,736	1,579,460.40	210230891 दिनांक 08.04.2021	01.05.2018	07.04.2021	1057	834,744.82
		मई 2018	8,581,788	1,287,268.20		01.06.2018	07.04.2021	1027	661,012.22
		15 जून 2018 तक	576,564	86,484.60		16.06.2018	07.04.2021	1012	43,761.21
8	नेशनल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड राजा का सहसपुर, मुरादाबाद	अप्रैल 2018	1,291,500	193,725.00	210229939 दिनांक 06.04.2021	01.05.2018	05.04.2021	1055	102,189.94
		मई 2018	3,404,880	510,732.00		01.06.2018	05.04.2021	1025	261,750.15
		15 जून 2018 तक	617,760	92,664.00		16.06.2018	05.04.2021	1010	46,795.32
		योग	**204,013,626**	**30,602,043.90**	**32 माह 29 दिन से 56 माह**				**19,984,916.23**

परिशिष्ट-4.1
(प्रस्तर 4.1.1 एवं 4.1.4 में संदर्भित)
केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत निदेशालय द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत लागत, अवमुक्त धनराशि, किया गया व्यय और पूर्णता की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/परियोजना का नाम	स्वीकृति का माह एवं वर्ष	स्वीकृत/ संशोधित लागत[1]	अवमुक्त धनराशि (भारत सरकार)	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	नमूने के लिए चयनित
स्वदेश दर्शन योजना, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार							
1.	बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अंतर्गत बौद्ध सर्किट-श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास	09/2016	87.89	72.56	68.44	100%	हाँ
2.	रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का विकास	09/2016	69.45	64.09	56.03	100%	हाँ
3.	रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत अयोध्या का विकास	09/2017	127.21	115.46	113.22	100%	नहीं
4.	आध्यात्मिक सर्किट थीम के अन्तर्गत गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपाटन मंदिर (बलरामपुर) एवं वटवासिनी मंदिर (डुमरियागंज) का विकास	01/2019	18.30	16.81	18.12	100%	नहीं
5.	आध्यात्मिक थीम के अन्तर्गत जेवर-दादरी-सिकंदराबाद-नोएडा-खुर्जा-बांदा का पर्यटन विकास	07/2018	12.03	11.43	11.69	100%	नहीं
	योग		**314.88**	**280.35**	**267.50**		
प्रसाद योजना, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार							
6.	वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण, जिला मथुरा	03/2015	9.36	9.78	9.78	100%	नहीं
7.	मथुरा-वृंदावन का मेगा पर्यटन सर्किट के रूप में विकास (द्वितीय चरण)	03/2015	14.93	10.98	10.98	100%	नहीं
8.	वाराणसी का विकास (प्रथम चरण)	03/2016	20.40	18.73	18.73	100%	नहीं
9.	वाराणसी में रिवर क्रूज़ का विकास	11/2017	10.72	9.02	9.02	100%	हाँ
10.	वाराणसी का विकास (द्वितीय चरण)	02/2018	44.60	31.77	37.12	100%	हाँ
11.	गोवर्धन, मथुरा का विकास	01/2019	39.74	31.19	30.73	100%	हाँ
	योग		**139.75**	**111.47**	**116.36**		
संग्रहालय अनुदान योजना, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार							
12.	रामायण डिजिटल गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन) अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी का विकास, अयोध्या, फैजाबाद	02/2019	12.35[2]	4.00[3]	8.54	95%	हाँ
	योग		**12.35**	**4.00**	**8.54**		
	सभी परियोजनाओं का महायोग		**466.98**	**395.82**	**392.40**		
	नमूना परियोजनाओं का महायोग		**264.75**	**212.63**	**209.88**		

स्रोत: निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर

[1] इसमें मूल लागत, वास्तुकला शुल्क और आकस्मिक व्यय सम्मिलित हैं जिसका वहन भारत सरकार द्वारा किया जाना है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के अतिरिक्त भूमि लागत, सेंटेज, जीएसटी और श्रम उपकर का वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना था।

[2] भारत सरकार का अंश ₹ आठ करोड़ तक सीमित। शेष लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

[3] भारत सरकार द्वारा अब तक ₹ चार करोड़ अवमुक्त। परियोजना में राज्य का योगदान तालिका में सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-4.2
(प्रस्तर 4.1.4 में संदर्भित)
राज्य योजनाओं के अंतर्गत कुल परियोजनाओं एवं नमूना परियोजनाओं का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल प्रकरण				चयनित नमूना				नमूना प्रकरण का कुल प्रकरण से प्रतिशत	नमूना परियोजना में व्यय का कुल प्रकरण से प्रतिशत
		परियोजनाओं की संख्या			व्यय की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या			व्यय की गई धनराशि		
		पूर्ण	प्रगति	योग		पूर्ण	प्रगति	योग			
1	राज्य योजना	139	328	467	534.98	9	15	24	158.30	5.14	29.59
2	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित परियोजनाएँ	18	7	25	70.95	2	3	5	44.38	20.00	62.55
3	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना (75 जिलों में से चयनित आठ जिलों में क्रियान्वित सभी परियोजनाएँ)	361	21	382	161.27	35	0	35	14.90	9.16	9.24
4	जिला योजना (47 जिलों में से चयनित आठ जिलों में क्रियान्वित सभी परियोजनाएं अर्थात् 8.33 प्रतिशत)	73	23	96	7.06	11	2	13	0.77	13.54	10.91
महायोग (1 से 4)		**591**	**379**	**970**	**774.26**	**57**	**20**	**77**	**218.35**	**7.94**	**28.20**

स्रोत: निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर

परिशिष्ट-4.3

(प्रस्तर 4.1.8.4 में संदर्भित)

सेंटेज और श्रम उपकर की धनराशि पर जीएसटी का प्रावधान न करने से सम्बन्धित विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था और इकाई का नाम	परियोजना का नाम	कार्य की मूल लागत	प्राक्कलन के अनुसार कार्यों की मूल लागत पर जीएसटी का प्रावधान		जिस पर जीएसटी का प्रावधान नहीं किया गया			प्रभारित न किये गए जीएसटी की धनराशि (कॉलम 9 x कॉलम 5/100)
				दर (प्रतिशत में)	जीएसटी की धनराशि (कॉलम 4 x कॉलम 5/100)	सेंटेज	श्रम उपकर	योग कॉलम (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	यूपीआरएनएन, गोरखपुर	नौसड़ से कालेसर तक समानांतर सड़क का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण	818.77	12	98.25	102.35	8.19	110.54	13.26
2	सी एण्ड डी एस, अयोध्या	महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण और चित्तौर झील, बहराईच का विकास	2820.06	12	338.41	352.51	28.20	380.71	45.69
3	यूपीपीसीएल अलीगढ़	सूकर क्षेत्र कासगंज का पर्यटन विकास	735.37	12	88.24	91.92	7.35	99.27	11.91
4	यूपीपीसीएल अलीगढ़	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, सोरों, कासगंज का पर्यटन विकास	609.76	12	73.17	76.22	6.10	82.32	9.88
5	यूपीपीसीएल आगरा	आगरा में बटेश्वर धाम का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण	704.75	12	84.57	88.09	7.05	95.14	11.42
6	यूपीपीसीएल लखनऊ	नैमिषारण्य,सीतापुर के निकट राजघाट का विकास कार्य	674.82	12	80.98	84.35	6.75	91.1	10.93
7	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	महादेव झारखंडी मंदिर, गोरखपुर	35.36	12	4.24	4.42	0.35	4.77	0.57
8	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बरगदही शिव स्थल, गोरखपुर	37.27	12	4.47	4.66	0.37	5.03	0.60
9	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बांसगांव शिव स्थल, बसौली, गोरखपुर	36.92	12	4.43	4.62	0.37	4.99	0.60
10	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बन पोखर माँ दुर्गा मंदिर, गोरखपुर	36.86	12	4.42	4.61	0.37	4.98	0.60
11	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	मोती मंदिर, चौरी चौरा, मुंडेरा बाजार, गोरखपुर	37.38	12	4.49	4.67	0.37	5.04	0.60
12	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	समय माता स्थल, चिल्लू पार, गोरखपुर	37.26	12	4.47	4.65	0.37	5.02	0.60
13	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	राम जानकी स्थल, पिपरौली, गोरखपुर	35.41	12	4.25	4.43	0.35	4.78	0.57
14	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बनवासी आश्रम एवं हनुमान स्थल, खजनी, गोरखपुर	36.49	12	4.38	4.56	0.36	4.92	0.59

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था और इकाई का नाम	परियोजना का नाम	कार्य की मूल लागत	प्राक्कलन के अनुसार कार्यों की मूल लागत पर जीएसटी का प्रावधान		जिस पर जीएसटी का प्रावधान नहीं किया गया			प्रभारित न किये गए जीएसटी की धनराशि (कॉलम 9 x कॉलम 5/100)
				दर (प्रतिशत में)	जीएसटी की धनराशि (कॉलम 4 x कॉलम 5/100)	सेंटेज	श्रम उपकर	योग कॉलम (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बाबा पथलहवा शिव स्थल, कुशीनगर	35.21	12	4.23	4.40	0.35	4.75	0.57
16	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बांसी घाट पडरौना, कुशीनगर	35.51	12	4.26	4.44	0.36	4.80	0.58
17	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	सूर्य मंदिर स्थल तुर्कपट्टी, कुशीनगर	36.94	12	4.43	4.62	0.37	4.99	0.60
18	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	प्राचीन शिव मंदिर, कुशीनगर	37.85	12	4.54	4.73	0.38	5.11	0.61
19	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	मंझरिया देवी स्थान, सोहरौना, कुशीनगर	38.24	12	4.59	4.78	0.38	5.16	0.62
20	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	कुलकुला धाम, रामकोला, कुशीनगर	35.56	12	4.27	4.44	0.36	4.80	0.58
21	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	हनुमान मंदिर एवं शिव स्थल, गौरी श्री राम चौराहा, कुशीनगर	36.32	12	4.36	4.54	0.36	4.90	0.59
22	सी एण्ड डी एस यूनिट-20, संत कबीर नगर	महेश्वरपुर मन्दिर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य, घनघटा, संत कबीर नगर	37.51	12	4.50	4.69	0.38	5.07	0.61
23	सी एण्ड डी एस यूनिट-20, संत कबीर नगर	धर्मसिंहवा स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य, मेहदावल, संत कबीर नगर	35.86	12	4.30	4.48	0.36	4.84	0.58
24	यूपीपीसीएल यूनिट-13, बांदा	प्राचीन शिव मन्दिर (मड़फा किला) का विकास कार्य, कर्वी, जनपद-चित्रकूट	35.36	12	4.24	4.42	0.35	4.77	0.57
25	यूपीपीसीएल यूनिट-13, बांदा	शिव कुटी मंदिर का विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य, टिकुरी मंडोर, जनपद-चित्रकूट	36.75	12	4.41	4.59	0.37	4.96	0.60
26	यूपीपीसीएल यूनिट-13, बांदा	सूरजकुंड का पर्यटन विकास का कार्य, जिला- चित्रकूट	17.07	18	3.07	2.13	0.17	2.30	0.41
		योग	**7074.66**		**849.97**	**884.32**	**70.74**	**955.06**	**114.74**

स्रोत: निदेशालय एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर आधारित

परिशिष्ट-4.4
(प्रस्तर 4.1.9.1 (क) में संदर्भित)
परामर्शदाता और ठेकेदारों को किए गए जीएसटी के भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	क्लोज़र रिपोर्ट में दर्शाया गया कुल व्यय	जीएसटी सहित व्यय के अंश	व्यय में सम्मिलित जीएसटी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
परामर्श शुल्क							
1	स्वदेश दर्शन	रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	चित्रकूट का विकास	यूपीआरएनएन	65.85	38.39	5.86
कार्य का क्रियान्वयन							
2	प्रसाद	वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास	वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास	यूपीआरएनएन	878.50	878.50	77.48
3	प्रसाद	वाराणसी का विकास (द्वितीय चरण)	वाराणसी में घाट की फसाड लाइटिंग	सीपीडब्ल्यूडी	1936.27	1936.27	207.46
योग					**2880.62**	**2853.16**	**290.80**

स्रोत: निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर

परिशिष्ट-4.5
(प्रस्तर 4.1.9.1 ख (i) में संदर्भित)
निविदा आवंटित किये जाने से पूर्व किश्त निर्गत करने का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय स्वीकृति की तिथि	वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	किश्त निर्गत करने की तिथि	निर्गत की गई धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा आवंटित करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	यूपीआरएनएन, गोरखपुर	हरनही मार्ग, खजनी, गोरखपुर स्थित जयेश्वरनाथ मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	7.64 (जीएसटी रहित)	29-03-2022	2.00	30-03-2022	2.00	08-09-2022
2.	यूपीपीसीएल गोरखपुर इकाई	नारायणपुर, फाजिलनगर, कुशीनगर स्थित चरया माई स्थल का पर्यटन विकास	54.01 (जीएसटी रहित)	31-03-2023	10.00	31-03-2023	10.00	30-05-2023
3.	यूपीपीसीएल, इकाई-23, बस्ती	समय माता शक्ति स्थल शक्ति धाम आश्रम घनघटा ,हैसर बाजार, जिला-संत कबीर नगर का पर्यटन विकास कार्य	36.93 (जीएसटी रहित)	15-06-2022	32.00	18-06-2022	32.00	05-08-2022
4.	यूपीएसटीडीसी, लखनऊ	14 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर फसाड ट्रीटमेंट एवं पर्यटन अवसंरचना सुविधाएं	1920 (जीएसटी रहित)	24-03-2023	14.00	28-03-2023	14.00	25-08-2023
5.	यूपीएसटीडीसी, लखनऊ	लक्ष्मण किला में फसाड ट्रीटमेंट एवं पर्यटन अवसंरचना सुविधाएं	235.39 (जीएसटी रहित)	30-03-2023	0.50	30-03-2023	0.50	25-07-2023
		योग			**58.50**		**58.50**	

स्रोत: निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख

परिशिष्ट-4.6

(प्रस्तर 4.1.9.1 ख (ii) में संदर्भित)

डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) हेतु धनराशि को रोके बिना अंतिम किश्त निर्गत करने का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	कार्य की निविदा धनराशि	12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज (कॉलम 4 x 12.5%)	श्रम उपकर (एक प्रतिशत की दर से कॉलम (4+5) x 1%	कार्य की कुल लागत जीएसटी रहित कॉलम (4+5+6)	परियोजना के पूर्ण होने/ हस्तानान्तरण की तिथि	अंतिम किश्त निर्गत करने की तिथि	कुल निर्गत की गई धनराशि	निर्गत धनराशि में जीएसटी की धनराशि	जीएसटी रहित निर्गत की गई धनराशि कॉलम (10-11)	रोकी गयी धनराशि कॉलम (7-12)	रोकी जाने वाली धनराशि (निविदा लागत का पांच प्रतिशत) (कॉलम 4 x 5%)	डीएलपी के लिए कम रोकी गयी धनराशि कॉलम (14-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	यूपीपीसीएल अलीगढ़	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, सोरों, कासगंज का विकास	580.44	72.56	6.53	659.53	28-06-2023	30-06-2023	755.22	96.41	658.81	0.72	29.02	28.30
2	यूपीपीसीएल आगरा	बटेश्वर धाम, आगरा का पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण	686.30	85.79	7.72	779.81	30-07-2023	28-04-2023	912.56	133.61	778.95	0.86	34.32	33.46
3	यूपीपीसीएल वाराणसी	रमैला, चिरईगांव, वाराणसी में डीह बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण	17.11	2.14	0.19	19.44	19-02-2024	14-10-2022	19.42	0.00	19.42	0.02	0.86	0.84
4	सी एण्ड डी एस, मथुरा	ग्राम- डडिसरा, जिला- मथुरा में नारद कुंड का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य	317.97	39.75	3.58	361.30	31-05-2023	31-03-2024	404.97	36.34	368.63	-7.33	15.90	15.90
5	सी एण्ड डी एस, गाजियाबाद	ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ में पर्यटन विकास कार्य	674.71	84.34	7.59	766.64	30-09-2023	29-03-2023	900.00	134.20	765.80	0.84	33.74	32.90
	योग		**2276.53**	**284.58**	**25.61**	**2586.72**			**2992.17**	**400.56**	**2591.61**		**113.84**	**111.40**

स्रोत: निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर

परिशिष्ट-4.7
(प्रस्तर 4.1.9.1 ख (iii) में संदर्भित)
कार्यदायी संस्था द्वारा कम जमा की गई जीएसटी की राशि और निदेशालय द्वारा जीएसटी के निर्गत करने के आधार का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	निदेशालय द्वारा निर्गत आदेश की तिथि	निर्गत की गई धनराशि	खरीदी गई वस्तुओं पर किया गया व्यय	वह धनराशि जिस पर जीएसटी देय है कॉलम (6-7)	जीएसटी जमा करने की देय तिथि	जीएसटी की लागू दर (प्रतिशत में)	जीएसटी की देय धनराशि (कॉलम 8 x कॉलम 10/100)	कार्यदायी संस्था द्वारा दावा की गई एवं निदेशालय द्वारा निर्गत की गई जीएसटी की धनराशि	निदेशालय द्वारा जीएसटी निर्गत करने का आधार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सी एण्ड डी एस, अयोध्या	बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौर झील का विकास	3949.06 (जीएसटी सहित)	13-02-2021	593.00	0.00	593.00	20-03-2021	12	63.54	0	कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार को किए गए जीएसटी भुगतान के आधार पर
				08-11-2021	654.93	0.00	654.93	20-12-2021	12	70.17	0	
				24-03-2022	900.38	0.00	900.38	20-04-2022	12	96.47	0	
				03-08-2022	900.38	0.00	900.38	20-09-2022	18	137.35	0	
				09-12-2022	349.69	0.00	349.69	20-01-2023	18	53.34	0	
				16-03-2023	281.31	0.00	281.31	20-04-2023	18	42.91	281.31	
				30-03-2024	98.33	0.00	98.33	20-04-2024	18	15.00	98.33	
		उप योग 1			**3778.02**					**478.78**	**379.64**	
2	सी एण्ड डी एस, गाजियाबाद	ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ में पर्यटन विकास कार्य	900	06-10-2021	181.00	0.00	181.00	20-11-2021	12	19.39	108.85	कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार को किए गए जीएसटी भुगतान के आधार पर
				16-03-2022	100.00	0.00	100.00	20-04-2022	12	10.71		
				19-05-2022	33.00	0.00	33.00	20-06-2022	12	3.54		
				23-08-2022	67.00	0.00	67.00	20-09-2022	18	10.22		
				28-02-2023	384.80	0.00	384.80	20-03-2023	18	58.70		
				29-03-2023	134.20	0.00	134.20	20-04-2023	18	20.47		
		उप योग 2			**900.00**					**123.03**	**108.85**	
3	यूनिट-17, सी एण्ड डी एस मथुरा	नारद कुंड, ग्राम-डडिसरा, जिला-मथुरा का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य	368.63 (जीएसटी रहित)	25-10-2021	50.00	0.00	50.00	20-11-2021	12	5.36	48.50	गणना के आधार पर
				23-08-2022	133.98	0.00	133.98	20-09-2022	18	20.44		
				04-01-2023	133.99	0.00	133.99	20-02-2023	18	20.44		

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	निदेशालय द्वारा निर्गत आदेश की तिथि	निर्गत की गई धनराशि	खरीदी गई वस्तुओं पर किया गया व्यय	वह धनराशि जिस पर जीएसटी देय है कॉलम (6-7)	जीएसटी जमा करने की देय तिथि	जीएसटी की लागू दर (प्रतिशत में)	जीएसटी की देय धनराशि (कॉलम 8 x कॉलम 10/100)	कार्यदायी संस्था द्वारा दावा की गई एवं निदेशालय द्वारा निर्गत की गई जीएसटी की धनराशि	निदेशालय द्वारा जीएसटी निर्गत करने का आधार
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
				08-02-2023	49.00	0.00	49.00	20-03-2023	18	7.47		
				31-03-2024	38.00	0.00	38.00	20-04-2024	18	5.80		
		उप योग 3			**404.97**					**59.51**	**48.50**	
4	यूनिट-17, सी एण्ड डी एस मथुरा	जनपद-मथुरा में मथुरा और वृंदावन के बीच प्रेक्षागृह का विकास एवं निर्माण का कार्य	2700.45	31-03-2021	800.00	0.00	800.00	20-04-2021	12	85.71	236.56	गणना के आधार पर
				02-01-2023	800.00	0.00	800.00	20-02-2023	18	122.03		
				30-03-2023	700.00	0.00	700.00	20-04-2023	18	106.78		
		उप योग 4			**2300.00**					**314.52**	**236.56**	
5	सी एण्ड डी एस, संत कबीर नगर	धर्मसिंघवा, मेहदावल, जनपद संत कबीर नगर का पर्यटन विकास कार्य	48.11	04-02-2021	24.05	3.10	20.95	20-03-2021	12	*2.24*	**4.20**	गणना के आधार पर
				06-10-2021	12.03	0.00	12.03	20-11-2021	12	*1.29*		
				04-01-2022	0.89	0.00	0.89	20-02-2022	12	*0.10*		
				दिनांक उपलब्ध नहीं है	8.69	0.00	8.69		12	*0.93*		
				30-03-2023	1.69	0.00	1.69	20-04-2023	18	*0.26*		
		उप योग 5			**47.35**					**4.82**	**4.20**	
6	सी एण्ड डी एस, संत कबीर नगर	महेश्वरपुर मंदिर, घनघटा, जनपद-संत कबीर नगर का पर्यटन विकास कार्य	47.55	04-02-2021	23.77	0.48	23.29	20-03-2021	12	*2.50*	**4.45**	गणना के आधार पर
				06-10-2021	11.89	0.00	11.89	20-11-2021	12	*1.27*		
				04-01-2022	1.40	0.00	1.40	20-02-2022	12	*0.15*		
				दिनांक उपलब्ध नहीं है	8.62	0.00	8.62		12	*0.92*		
				30-03-2023	1.67	0.00	1.67	20-04-2023	18	*0.25*		
		उप योग 6			**47.35**					**5.10**	**4.45**	

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	निदेशालय द्वारा निर्गत आदेश की तिथि	निर्गत की गई धनराशि	खरीदी गई वस्तुओं पर किया गया व्यय	वह धनराशि जिस पर जीएसटी देय है कॉलम (6-7)	जीएसटी जमा करने की देय तिथि	जीएसटी की लागू दर (प्रतिशत में)	जीएसटी की देय धनराशि (कॉलम 8 x कॉलम 10/100)	कार्यदायी संस्था द्वारा दावा की गई एवं निदेशालय द्वारा निर्गत की गई जीएसटी की धनराशि	निदेशालय द्वारा जीएसटी निर्गत करने का आधार
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
7	सी एण्ड डी एस, संत कबीर नगर	विशयाहन्नू /विशरापार जनपद- संत कबीर नगर में प्राचीन तालाब का सौंदर्यीकरण	49.9	26-03-2021	24.95	1.97	22.98	20-04-2021	12	*2.46*	**4.34**	गणना के आधार पर
				30-12-2021	14.79	0.00	14.79	20-01-2021	12	*1.58*		
				दिनांक उपलब्ध नहीं है	4.83	0.00	4.83		12	*0.52*		
				30-03-2023	1.95	0.00	1.95	20-04-2023	18	*0.30*		
		उप योग 7			**46.52**					**4.86**	**4.34**	
महायोग (1+2+3+4+5+6+7)					**7524.21**					**990.62**	**786.54**	
कम जमा की गयी जीएसटी (₹ 990.62 लाख - ₹ 786.54 लाख)											**204.08**	

स्रोत: निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर

परिशिष्ट-4.8
(प्रस्तर 4.1.9.1 (ग) में संदर्भित)
गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	यूसी जमा करने की तिथि	यूसी प्रस्तुत करने की तारीख तक निर्गत धनराशि	यूसी के अनुसार उपयोग की गई निधि	वास्तविक व्यय	अंतर कॉलम (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्रीय योजना								
1	इलेक्ट्रिकल इकाई-18, यूपीआरएनएन	अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन) का विकास	1234.96 (जीएसटी रहित)	29-11-2022	750.00	750.00	574.36	175.64
राज्य योजनाएं								
2	यूपीआरएनएन विंध्याचल	विंध्यवासिनी मंदिर, मिर्जापुर के परकोटा और परिक्रमा पथ का निर्माण	4545.87 (जीएसटी सहित)	08-11-2023	3751.00	3726.11	3538.32	187.79
3	यूपीआरएनएन विंध्याचल	विंध्यवासिनी मंदिर, मिर्जापुर की ओर पहूँच रोड और मुख्य द्वारों का निर्माण, विकास और सुधार	4018.53 (जीएसटी सहित)	08-11-2023	3669.00	3656.88	2597.10	1059.78
4	यूपीपीसीएल गोरखपुर इकाई	खनवर, बकलोही, पडरौना, कुशीनगर में स्थित दुर्गा मंदिर का पर्यटन विकास	26.85 (जीएसटी रहित)	28-03-2022	5.00	3.75	0.00	3.75
5	यूपीआरएनएन बांदा	जिला महोबा में गोरखगिरी मंदिर का निर्माण और विकास कार्य	1024.32 (जीएसटी रहित)	23-03-2022	75.00	37.68	0.00	37.68
				14-11-2022	125.00	101.25	0.00	101.25
6	यूपीपीसीएल इकाई-13 बाँदा	बंदुईन माता मंदिर, जिला-चित्रकूट का पर्यटन विकास कार्य	19.56 (जीएसटी सहित)	11-03-2022	5.00	5.00	0.00	5.00
7	सी एण्ड डी एस, गाजियाबाद	ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ में पर्यटन विकास कार्य	900.00 (जीएसटी सहित)	30-11-2021	181.00	181.00	88.20	92.80
8	सी एण्ड डी एस, गाजियाबाद	गढ़मुक्तेश्वर, जिला-हापुड़ में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर और गंगा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	19.62 (जीएसटी रहित)	08-03-2022	5.00	5.00	0.00	5.00

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	यूसी जमा करने की तिथि	यूसी प्रस्तुत करने की तारीख तक निर्गत धनराशि	यूसी के अनुसार उपयोग की गई निधि	वास्तविक व्यय	अंतर कॉलम (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	यूपीएसटीडीसी लखनऊ	लक्ष्मण किला में फसाड ट्रीटमेंट एवं पर्यटन बुनियादी ढांचा सुविधाएं	235.39 (जीएसटी रहित)	06-03-2024	117.50	117.50	30.13	87.37
योग					**8608.50***	**8546.49****	**6828.11**	**1718.38****

स्रोत: निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर

नोट: * **इसमें क्रम संख्या 5 पर दिनांक 23-03-2022 के उपयोगिता प्रमाण पत्र में दिखाए गए ₹ 75 लाख सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह दिनांक 14-11-2022 के अगले उपयोगिता में दिखाए गए ₹ 125 लाख के अवमुक्त धनराशि में सम्मिलित है।**

** **इसमें क्रम संख्या 5 पर दिनांक 23-03-2022 के उपयोगिता प्रमाण पत्र में दिखाए गए ₹ 37.68 लाख की उपयोगिता नहीं हैं क्योंकि यह दिनांक 14-11-2022 के अगले उपयोग में दिखाए गए ₹ 101.25 लाख के उपयोग में सम्मिलित है।**

परिशिष्ट-4.9
(प्रस्तर 4.1.9.2 में संदर्भित)
ई-निविदा के बिना परियोजनाओं के कार्यान्वयन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना स्थल	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का विवरण	ठेकेदार/परामर्शदाता का नाम	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्रीय योजना							
1	स्वदेश दर्शन	बौद्ध सर्किट	श्रावस्ती	यूपीआरएनएन बहराइच, सिविल यूनिट	दो ओवरहेड टैंक के साथ आधुनिक शौचालय सुविधा	विभागीय निर्माण इकाई (डीसीयू) पैटर्न पर कार्यान्वित	0.66
2	स्वदेश दर्शन	रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	चित्रकूट	सिविल यूनिट बांदा, यूपीआरएनएन	फर्श सफाई मशीन का क्रय , राम घाट का विकास, आरती स्थल का निर्माण, परिक्रमा पथ का चौड़ीकरण	डीसीयू पैटर्न पर कार्यान्वित	2.62
3	स्वदेश दर्शन	रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	श्रृंगवेरपुर	यूनिट 14, यूपीपीसीएल लिमिटेड	संध्या घाट, राम शयन वीर आसन, सीताकुंड, पर्यटक सुविधा केंद्र, सौर रोशनी, साइनेज और अंतिम मील कनेक्टिविटी का विकास	डीसीयू पैटर्न पर कार्यान्वित	9.73
4	स्वदेश दर्शन	बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अंतर्गत बौद्ध सर्किट-श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास	श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर	यूपीआरएनएन बहराइच, बस्ती और देवरिया, सिविल यूनिट	परामर्श कार्य	दाराशॉ एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	1.00
5	स्वदेश दर्शन	रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	चित्रकूट	सिविल यूनिट, बांदा, यूपीआरएनएन	परामर्श कार्य	दाराशॉ एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.65
राज्य योजना							
6	राज्य योजना	यूपीबीटीवीपी कार्यालय भवन का विकास/निर्माण	मथुरा	एमवीडीए	अग्निशमन कार्य, सौर कार्य, भवन के सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य (अतिरिक्त कार्य के रूप में कार्यान्वित जो कि निविदा की धनराशि ₹ 6.99 करोड़ का 38 प्रतिशत है जिसे निविदा के लिए प्रस्तावित बिल ऑफ क्वांटिटी सम्मिलित नहीं किया गया था)	पुंडरीकाक्ष प्राइवेट लिमिटेड	2.63
योग							**17.29**

स्रोत: कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख

परिशिष्ट-4.10

(प्रस्तर 4.1.9.3 में संदर्भित)

केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब का विवरण

क्र. सं.	योजना/परियोजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अवधि (माह में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि /31-05-2024 तक प्रगति पर	विलम्ब (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना						
1	बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अंतर्गत बौद्ध सर्किट -श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास	29-09-2016	24	28-09-2018	01-06-2022	44
2	रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	29-09-2016	36	28-09-2019	31-10-2021	25
3	रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत अयोध्या का विकास	27-09-2017	36	26-09-2020	25-05-2022	20
4	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपाटन मंदिर (बलरामपुर) और वटवाशनी मंदिर (डुमरियागंज) का आध्यात्मिक सर्किट थीम के अंतर्गत विकास	15-01-2019	18	14-07-2020	01-06-2023	35
5	आध्यात्मिक थीम के अंतर्गत जेवर-दादरी-सिकंदराबाद-नोएडा-खुर्जा-बांदा का पर्यटन विकास	27-07-2018	18	26-01-2020	01-03-2023	37
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रसाद योजना						
6	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण	31-03-2015	18	30-09-2016	31-12-2018	27
7	मथुरा-वृंदावन का मेगा टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकास (चरण- II)	08-06-2016	18	07-12-2017	30-04-2019	16
8	वाराणसी का विकास (चरण-I)	17-03-2016	18	16-09-2017	06-04-2018	6
9	वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास	16-11-2017	10	15-09-2018	27-10-2021	37
10	वाराणसी का विकास (द्वितीय चरण)	08-02-2018	24	07-02-2020	31-03-2022	26
11	गोवर्धन, मथुरा का विकास	08-01-2019	24	07-01-2021	31-05-2024	41
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की म्यूजियम ग्रांट योजना						
12	अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी, अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन) का विकास	19-02-2019	36	18-02-2022	31-05-2024 तक प्रगति पर	27

स्रोत: निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वीकृति पत्र, क्लोज़र रिपोर्ट और अन्य अभिलेख

परिशिष्ट-4.11
(प्रस्तर 4.1.9.3 में संदर्भित)
राज्य योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब का विवरण

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	परियोजना की स्वीकृति की तिथि	निदेशालय के आदेश दिनांक 18-01-2024 के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमन्य अवधि (माह में)	निदेशालय के आदेशानुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	यूपीआरएनएन विंध्याचल	विंध्यवासिनी मंदिर, मिर्ज़ापुर के परकोटा और परिक्रमा पथ का निर्माण	4545.87	16-11-2021	24	15-11-2023	12-04-2024	4
2	यूपीआरएनएन विंध्याचल	विंध्यवासिनी मंदिर, मिर्ज़ापुर की ओर पहूँच मार्ग और मुख्य द्वारों का निर्माण, विकास और सुधार	4018.53	03-11-2021	24	02-11-2023	12-04-2024	5
3	एमवीडीए, मथुरा	जिला- मथुरा में बलदेव कस्बा में मेला ग्राउंड, परिक्रमा मार्ग, सड़कों और खडेरा घाट का विकास	1574.25	31-03-2021	18	30-09-2022	15-10-2023	12
4	यूपीआरएनएन, गोरखपुर	नौसाढ़ से कलेसर तक समानांतर मार्ग का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण	1027.58	31-03-2021	18	30-09-2022	31-01-2024	16
5	यूनिट-31, सी एण्ड डी एस गाजियाबाद	ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ में पर्यटन विकास कार्य	900.00	23-11-2020	18	22-05-2022	30-09-2023	16
6	एमवीडीए, मथुरा	जनपद मथुरा में यूपीबीटीवीपी कार्यालय भवन का विकास/निर्माण कार्य	860.28	30-03-2021	18	29-09-2022	15-06-2023	8
7	यूपीपीसीएल वाराणसी	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग (पड़ाव-II) का विकास	858.40	07-01-2022	18	06-07-2023	20-02-2024	7
8	यूपीपीसीएल आगरा	आगरा में बटेश्वर धाम का पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण	799.89	24-11-2021	18	23-05-2023	30-07-2023	2
9	यूपीपीसीएल वाराणसी	वाराणसी में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग (पड़ाव-I) का विकास	722.83	07-01-2022	18	06-07-2023	21-02-2024	7
10	यूपीपीसीएल वाराणसी	काशी के चार धाम का पावन पथ, काशी के विष्णु एवं द्वादश आदित्य यात्रा का विकास	676.72	29-12-2021	18	28-06-2023	18-02-2024	7
11	यूपीपीसीएल मिर्ज़ापुर	अदलपुरा, शीतला माता मंदिर, चुनार में गंगा नदी के तट पर पक्के घाट का निर्माण	638.01	09-02-2021	18	08-08-2022	29-06-2023	10

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	परियोजना की स्वीकृति की तिथि	निदेशालय के आदेश दिनांक 18-01-2024 के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमन्य अवधि (माह में)	निदेशालय के आदेशानुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	यूनिट-17, सी एण्ड डी एस मथुरा	ग्राम-डडिसरा, जिला-मथुरा में नारद कुंड का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य	368.63	25-10-2021	12	24-10-2022	30-04-2023	6
13	यूपीआरएनएनएस लखनऊ	बुद्धेश्वर, लखनऊ का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास	347.68	26-11-2020	12	25-11-2021	04-01-2022	1
14	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बुढ़िया माई मंदिर, गोरखपुर में पर्यटन विकास कार्य	160.02	27-01-2021	12	26-01-2022	31-08-2022	7
15	यूपीपीसीएल वाराणसी	जौनपुर में शास्त्री पुल के पास स्थित हनुमान मंदिर और शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	116.20	13-12-2021	12	12-12-2022	08-01-2024	12
16	यूनिट 34, सी एण्ड डी एस, बस्ती	जनपद-बस्ती, हर्रैया में थाना खास शिव मंदिर, का पर्यटन विकास कार्य।	50.00	06-03-2021	9	05-12-2021	15-06-2022	6
17	यूनिट 34, सी एण्ड डी एस, बस्ती	जनपद बस्ती, भानपुर रुदौली में सेवई डीह शिव स्थल का पर्यटन विकास	50.00	06-03-2021	9	05-12-2021	15-06-2022	6
18	यूनिट 34, सी एण्ड डी एस, बस्ती	जनपद बस्ती, महादेवा में स्थित मरही माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.98	06-03-2021	9	05-12-2021	15-06-2022	6
19	यूपीसिडको, हापुड़	जिला हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर में श्री नक्का कुआं मंदिर का जीर्णोद्धार	49.94	06-03-2021	9	05-12-2021	08-08-2022	8
20	यूनिट 34, सी एण्ड डी एस, बस्ती	जनपद बस्ती के पाण्डेय पोखरा में स्थित मरवटिया बालाजी महाराज मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.78	06-03-2021	9	05-12-2021	15-06-2022	6
21	यूपीसिडको, हापुड़	जिला हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर में मीनाक्षी मार्ग पर स्थित महामाई माता मंदिर का जीर्णोद्धार	49.35	06-03-2021	9	05-12-2021	31-07-2022	7
22	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	प्राचीन शिव मंदिर, कुशीनगर	49.04	17-02-2021	9	16-11-2021	31-12-2021	1
23	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	मंझरिया देवी स्थल, सोहरौना कुशीनगर	48.91	17-02-2021	9	16-11-2021	30-12-2021	1
24	यूपीपीसीएल, अलीगढ़	छाता, मथुरा में कल्लू की छांन से प्यारेलाल के घर तक, गुलाब के घर से रज्जो के घर तक और जीतमाल के घर से लीला सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य	48.65	27-01-2021	9	26-10-2021	06-01-2022	2
25	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	कुलकुला धाम, रामकोला, कुशीनगर	48.56	19-03-2021	9	18-12-2021	30-11-2022	11

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	परियोजना की स्वीकृति की तिथि	निदेशालय के आदेश दिनांक 18-01-2024 के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमन्य अवधि (माह में)	निदेशालय के आदेशानुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बरगदही शिव स्थल, गोरखपुर	48.53	27-01-2021	9	26-10-2021	30-12-2021	2
27	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	सूर्य मंदिर स्थल तुर्कपत्ती, कुशीनगर	48.52	17-02-2021	9	16-11-2021	31-12-2021	1
28	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	राम जानकी स्थल, पिपरौली, गोरखपुर	48.16	27-01-2021	9	26-10-2021	31-08-2023	22
29	यूनिट-20, सी एण्ड डी एस, संत कबीर नगर	संत कबीर नगर के मेहदावल में धर्मसिंघवा स्थल का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य	48.11	27-01-2021	9	26-10-2021	12-01-2022	2
30	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बांसगांव शिव स्थल, बसौली, गोरखपुर	48.10	27-01-2021	9	26-10-2021	30-12-2021	2
31	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	महादेव झारखंडी मंदिर, गोरखपुर	48.09	27-01-2021	9	26-10-2021	30-12-2021	2
32	यूपीपीसीएल अलीगढ़	बल्देव, मथुरा में मेन बाजार से चौरासी खंबा की ओर मार्ग का निर्माण	48.08	27-01-2021	9	26-10-2021	06-01-2022	2
33	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बन पोखर मां दुर्गा मंदिर, गोरखपुर	48.02	27-01-2021	9	26-10-2021	30-12-2021	2
34	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बनवासी आश्रम एवं हनुमान स्थल, खजनी, गोरखपुर	48.01	27-01-2021	9	26-10-2021	30-12-2021	2
35	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	समय माता स्थल, चिल्लू पार, गोरखपुर	47.98	16-03-2021	9	15-12-2021	30-11-2022	11
36	यूपीपीसीएल अलीगढ़	गोवर्धन, मथुरा में शांतनु कुंड की ओर पहूँच मार्ग और अन्य विकास कार्य	47.57	27-01-2021	9	26-10-2021	06-01-2022	2
37	यूनिट-20, सी एण्ड डी एस, संत कबीर नगर	संत कबीर नगर के घनघटा में महेश्वरपुर मंदिर का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य	47.55	27-01-2021	9	26-10-2021	21-06-2022	7
38	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बाबा पथलहावा, शिव स्थल, कुशीनगर	47.16	17-02-2021	9	16-11-2021	30-05-2022	6
39	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	मोती मंदिर, चौरी चौरा, मुंडेरा बाजार, गोरखपुर	47.09	27-01-2021	9	26-10-2021	30-12-2021	2
40	सी एण्ड डी एस, यूनिट -20, संत कबीर नगर	खलीलाबाद, संत कबीर नगर में विषाहन्नु/विशरापार का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	46.52	19-03-2021	9	18-12-2021	21-06-2022	6
41	यूपीपीसीएल अयोध्या	इसौली किला, इसौली, सुल्तानपुर का पर्यटन विकास	46.46	19-03-2021	9	18-12-2021	31-03-2022	3
42	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बंसी घाट, पडरौना, कुशीनगर	46.28	17-02-2021	9	16-11-2021	30-12-2021	1

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	परियोजना की स्वीकृति की तिथि	निदेशालय के आदेश दिनांक 18-01-2024 के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमन्य अवधि (माह में)	निदेशालय के आदेशानुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
43	यूनिट-23, यूपीपीसीएल, बस्ती	समय माता शक्ति स्थल शक्ति धाम आश्रम घनघटा, हैसर बाजार का पर्यटन विकास कार्य जिला-संत कबीर नगर	36.93	15-06-2022	9	14-03-2023	19-08-2023	5
44	यूपीपीसीएल गोरखपुर	खनवर, बकलोही, पडरौना, कुशीनगर में स्थित दुर्गा मंदिर का पर्यटन विकास	26.85	04-01-2022	9	03-10-2022	22-02-2023	4
45	यूपीपीसीएल वाराणसी	रमैला, चिरईगांव, वाराणसी में डीह बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण	19.85	14-03-2022	9	13-12-2022	19-02-2024	14
46	यूपीसिडको, सुल्तानपुर	जिला सुल्तानपुर में पारिजात वृक्ष परिसर (कल्पवृक्ष) का पर्यटन विकास कार्य	9.32	30-10-2021	9	29-07-2022	28-06-2023	11

स्रोत: निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर

परिशिष्ट-4.12
(प्रस्तर 4.1.9.5 में संदर्भित)
उन परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण जहाँ समिति का पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति की तिथि	समिति को पंजीकृत न मानने का आधार	क्या संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया है	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राज्य योजना	यूपीपीसीएल, वाराणसी	जौनपुर में शास्त्री पुल के पास स्थित हनुमान मंदिर एवं शिव मंदिर का पर्यटन विकास	116.20	13-12-2021	26 बिंदु प्रोफार्मा में समिति की प्रकृति के सम्बन्ध में परम्परागत का उल्लेख किया गया है	नहीं	-	-
2	राज्य योजना	यूपीपीसीएल, वाराणसी	रमैला, चिरईगांव, वाराणसी में डीह बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण	19.85	14-03-2022	26 बिंदु प्रोफार्मा में समिति की प्रकृति के सम्बन्ध में परम्परागत का उल्लेख किया गया है	नहीं	-	-
3	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	महादेव झारखंडी मंदिर, गोरखपुर	48.09	27-01-2021	सहमति के लेटर हेड पर पंजीकरण सं का उल्लेख नहीं है	नहीं	-	-
4	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बरगदही शिव स्थल, गोरखपुर	48.53	27-01-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	17-05-2024	शौचालय बंद
5	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बांसगांव शिव स्थल, बसौली, गोरखपुर	48.10	27-01-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	नहीं	-	-
6	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	राम जानकी स्थल, पिपरौली, गोरखपुर	48.16	27-01-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	नहीं	-	-
7	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	सी एण्ड डी एस, गोरखपुर	बनवासी आश्रम एन्ड हनुमान स्थल, खजनी, गोरखपुर	48.01	27-01-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	17-05-2024	परियोजना के अंतर्गत निर्मित धर्मशाला में अनाज का संग्रहण

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति की तिथि	समिति को पंजीकृत न मानने का आधार	क्या संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया है	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूपीपीसीएल अयोध्या	पांडेय बाबा मंदिर, सदर का पर्यटन विकास कार्य	46.02	24-02-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	01-05-2024	शौचालय बंद
9	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूपीपीसीएल अयोध्या	धोपाप, लंभुआ का पर्यटन विकास कार्य	44.16	24-02-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	01-05-2024	-
10	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूपीपीसीएल अयोध्या	इसौली किला, इसौली, सुल्तानपुर का पर्यटन विकास कार्य	46.46	19-03-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	01-05-2024	-
11	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-13, यूपीपीसीएल बाँदा	ऐतिहासिक शिव मंदिर (मडफा किला) कर्वी, जिला-चित्रकूट का पर्यटन विकास कार्य	50.00	24-03-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	30-05-2024	शौचालय बंद
12	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-23, यूपीपीसीएल, बस्ती	घनघटा हैसर बाजार जिला- संत कबीर नगर में समय माता शक्ति स्थल शक्ति धाम आश्रम एटा का पर्यटन विकास कार्य	36.93	15-06-2022	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	02-04-2024	-
13	जिला योजना	यूपीसीएलडीएफ, लखनऊ	जिला सुल्तानपुर में स्थित भोलेश्वर नाथ मंदिर एवं तालाब का पर्यटन विकास कार्य	7.61	02-12-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	नहीं	-	-
14	जिला योजना	यूपीएसआईडीसीओ, सुल्तानपुर	जिला- सुल्तानपुर में पारिजात वृक्ष परिसर (कल्पवृक्ष) में पर्यटन विकास कार्य	9.32	30-10-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	नहीं	-	-
15	राज्य योजना	यूपीएसटीडीसी लखनऊ	फसाड ट्रीटमेंट एवं 14 धार्मिक पर्यटन स्थलों में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं का विकास	1780.65	24-03-2023	सहमति के लेटर हेड पर पंजीकरण सं का उल्लेख नहीं है	हाँ (14 मंदिरों में से 7 मंदिर)	11-03-2024	-

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति की तिथि	समिति को पंजीकृत न मानने का आधार	क्या संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया है	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	राज्य योजना	यूपीएसटीडीसी लखनऊ	फसाड ट्रीटमेंट एवं लक्ष्मण किला में पर्यटन अवसंरचना ढांचा सुविधाओं का विकास	235.39	30-03-2023	सहमति के लेटर हेड पर पंजीकरण सं का उल्लेख नहीं है	हाँ	11-03-2024	-
17	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-34 सी एण्ड डी एस, बस्ती	बस्ती जिले के महादेवा में स्थित मरही माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.98	06-03-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	10-04-2024	शौचालय बंद
18	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-20, सी एण्ड डी एस, संत कबीर नगर	जिला संत कबीर नगर के घनघटा में महेश्वरपुर मंदिर में सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	47.55	27-01-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	12-06-2024	शौचालय बंद
19	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-34 सी एण्ड डी एस, बस्ती	थाना खास शिव मंदिर, हर्रिया, जिला-बस्ती का पर्यटन विकास कार्य।	50.00	06-03-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	10-04-2024	शौचालय बंद
20	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-34 सी एण्ड डी एस, बस्ती	बस्ती के सेवई डीह स्थल में पर्यटन विकास कार्य	50.00	06-03-2021	सहमति के लेटर हेड पर पंजीकरण सं का उल्लेख नहीं है	हाँ	10-04-2024	परियोजना के अंतर्गत निर्मित धर्मशाला में सीमेंट की बोरियां का संग्रहण
21	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-13, यूपीपीसीएल, बांदा	जिला चित्रकूट के मऊ में स्थित शिवकुटी स्थान (मानिकपुर) का पर्यटन विकास कार्य।	50.00	24-02-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	30-05-2024	शौचालय बंद

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति की तिथि	समिति को पंजीकृत न मानने का आधार	क्या संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया है	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-34, सी एण्ड डी एस, बस्ती	बस्ती के पांडे पोखरा स्थित मरवटिया बालाजी महाराज मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	49.78	03-06-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	10-04-2024	शौचालय बंद
23	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	यूनिट-20, सी एण्ड डी एस, बस्ती	ऐतिहासिक तालाब विश्यहान्नु/ विशारापार, खलीलाबाद, संत कबीर नगर का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण	49.90	19-03-2021	सादे कागज पर प्राप्त सहमति में पंजीकरण सं. का उल्लेख नहीं है	हाँ	12-06-2024	शौचालय बंद
		योग		**2980.69**					

स्रोत: निदेशालय एवं निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान की गई टिप्पणियों के आधार पर

परिशिष्ट-4.13
(प्रस्तर 4.1.9.8 में संदर्भित)
लिक्विडेटेड डैमेजेज आरोपित करने में विफलता का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	निविदा मूल्य	कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य दिए जाने की तिथि	कार्य पूर्ण होने के लिए अनुमन्य समय (माह में)	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	ठेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब (माह में)	लागू लिक्विडेटेड डैमेजेज	निविदा लागत/अपूर्ण कार्य का मूल्य	ठेकेदार[4] पर आरोपित न किया गया लिक्विडेटेड डैमेजेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केन्द्रीय योजनाएं											
1	यूपीआरएनएन इलेक्ट्रिकल यूनिट,लखनऊ	स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध सर्किट के विकास के अंतर्गत कपिलवस्तु में विद्युत कार्य (साउण्ड एण्ड लाइट शो)	789.00	27-08-2018	4	26-12-2018	13-06-2022	41	0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह जो अपूर्ण भाग के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित	615.91	30.80
		स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध सर्किट के विकास के अंतर्गत कपिलवस्तु में विद्युत कार्य (सीसीटीवी एवं वाईफाई)	273.00	26-06-2018	6	25-12-2018	23-03-2022	39	0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह जो अपूर्ण भाग के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित	65.79	3.29
2	यूपीआरएनएन सिविल यूनिट, भदोही	प्रसाद योजना के अंतर्गत वाराणसी फेज-2 में विकास कार्य (राजघाट से सेतु)	202.77	05-11-2018	12	04-11-2019	23-11-2021	24	6 महीने से अधिक के विलम्ब के लिए निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत	202.77	20.28

[4] लिक्विडेटेड डैमेजेज का निर्धारण कॉलम 9,10 एवं 11 के सूचना के आधार पर किया गया है।

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	निविदा मूल्य	कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य दिए जाने की तिथि	कार्य पूर्ण होने के लिए अनुमन्य समय (माह में)	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	ठेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब (माह में)	लागू लिक्विडेटेड डैमेजेज	निविदा लागत/अपूर्ण कार्य का मूल्य	ठेकेदार[4] पर आरोपित न किया गया लिक्विडेटेड डैमेजेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		प्रसाद योजना (पंचकोसी परिक्रमा मार्ग) के अंतर्गत वाराणसी फेज-2 में विकास कार्य में सिविल कार्य	630.29	05-11-2018	12	04-11-2019	10-12-2021	25	6 महीने से अधिक के विलम्ब के लिए निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत	630.29	63.03
		प्रसाद योजना के अंतर्गत वाराणसी फेज-II में विकास कार्य में सिविल कार्य (गोदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट)	655.52	12-12-2019	12	11-12-2020	29-04-2022	16	6 महीने से अधिक के विलम्ब के लिए निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत	655.52	65.55
3	यूपीआरएनएन सिविल यूनिट, भदोही	प्रसाद योजना के अंतर्गत वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास कार्य	895.67	14-02-2019	8	13-10-2019	27-10-2021	24	0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह जो अपूर्ण भाग के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित	619.16	30.96
योग (अ)											**213.91**
राज्य की योजनाएं											
1.	यूपीपीसीएल वाराणसी	वाराणसी में पंचकोशी परिक्रमा मार्ग (पड़ाव-I) का विकास	508.66	15-07-2022	12	14-07-2023	21-02-2024	7	6 महीने से अधिक के विलम्ब के लिए निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत	508.66	50.87
2.	यूपीपीसीएल वाराणसी	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग (पड़ाव-II) का विकास	637.83	18-08-2022	12	17-08-2023	20-02-2024	6	6 महीने से अधिक के विलम्ब के लिए निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत	637.83	63.78

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	निविदा मूल्य	कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य दिए जाने की तिथि	कार्य पूर्ण होने के लिए अनुमन्य समय (माह में)	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	ठेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब (माह में)	लागू लिक्विडेटेड डैमेजेज	निविदा लागत/अपूर्ण कार्य का मूल्य	ठेकेदार[4] पर आरोपित न किया गया लिक्विडेटेड डैमेजेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	यूपीपीसीएल वाराणसी	काशी के चार धाम का पावन पथ, काशी के विष्णु एवं द्वादश आदित्य यात्रा का विकास	529.99	02-07-2022	12	01-07-2023	18-02-2024	7	6 महीने से अधिक के विलम्ब के लिए निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत	529.99	53.00
4	सी एण्ड डी एस गोरखपुर	राम जानकी स्थल, पिपरौली, गोरखपुर	34.99	15-12-2021	3	14-03-2022	31-08-2023	17	प्रारंभिक अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत	34.99	3.50
5	यूपीसिडको, शास्त्री नगर गाजियाबाद	जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में मीनाक्षी मार्ग पर महामाई माता मंदिर का जीर्णोद्धार	37.98	19-06-2021	5	18-11-2021	31-07-2022	8	प्रति सप्ताह 1.5 प्रतिशत जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित	37.98	3.80
6	यूपीसिडको, शास्त्री नगर गाजियाबाद	जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में श्री नक्का कुआं मंदिर का जीर्णोद्धार	38.42	20-08-2021		22-01-2022	08-08-2022	6	प्रति सप्ताह 1.5 प्रतिशत जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित	38.42	1.92
7	सी एण्ड डी एस -34, बस्ती	जनपद बस्ती के पाण्डेय पोखरा में स्थित मरवटिया बालाजी महाराज मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	38.65	14-06-2021	3	13-09-2021	15-06-2022	9	प्रारंभिक अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत	38.65	3.86
8	सी एण्ड डी एस -34, बस्ती	जनपद बस्ती, महादेवा में स्थित मरही माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	37.17	13-07-2021		12-10-2021	15-06-2022	8	प्रारंभिक अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत	37.17	3.72

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना का नाम	निविदा मूल्य	कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य दिए जाने की तिथि	कार्य पूर्ण होने के लिए अनुमन्य समय (माह में)	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	ठेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब (माह में)	लागू लिक्विडेटेड डैमेजेज	निविदा लागत/अपूर्ण कार्य का मूल्य	ठेकेदार[4] पर आरोपित न किया गया लिक्विडेटेड डैमेजेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	सी एण्ड डी एस यूनिट -31 गाजियाबाद	जिला-हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर एवं गंगा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	15.11	06-01-2022		05-04-2022	05-07-2022	3	प्रारंभिक अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत	15.11	1.51
योग (ब)											**185.96**
महायोग (अ+ब)											**399.87**

स्रोत: कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर

परिशिष्ट-4.14
(प्रस्तर 4.1.10.2 में संदर्भित)
परिसम्पत्तियों के संचालन में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

परियोजना का नाम	स्थान	निर्मित परिसम्पत्तियों का नाम	परिसम्पत्तियों का मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्माण पूरा होने की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	परिसम्पत्तियों के संचालन की तिथि / स्थिति	पूर्ण होने की तिथि से संचालन की वास्तविक तिथि/ संयुक्त भौतिक सत्यापन[5] तक विलम्ब (माह में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अंतर्गत बौद्ध सर्किट-श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु का विकास	श्रावस्ती	साउण्ड एण्ड लाइट शो (एसईएल)	6.89	जून 2022	10.08.2023	संचालन में नहीं	13	साइट पर स्थापित ट्रांसफार्मर फीडर लाइन से जुड़ा नहीं था। भारत में बौद्ध धर्म के गहरे संबंध के बारे में आगंतुकों एवं पर्यटकों के ज्ञान एवं समझ को अद्यतन करने के लिए प्रस्तावित संग्रहालय संचालित नहीं था। जलपान गृह, गार्ड रूम एवं एसईएल शो के लिए टिकट काउंटर मानव रहित थे एवं गैर- संचालित पाए गए थे।
		बुद्ध थीम पार्क, पर्यटक सुविधा केंद्र (टीएफसी), आधुनिक शौचालय के साथ पार्किंग	16.93					
		सीसीटीवी एवं वाई-फाई	2.33					

[5] परिसम्पत्तियाँ जिनका संचालन नहीं किया गया उनके सम्बन्ध में विलम्ब की गणना संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक की गई है।

परियोजना का नाम	स्थान	निर्मित परिसम्पत्तियों का नाम	परिसम्पत्तियों का मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्माण पूरा होने की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	परिसम्पत्तियों के संचालन की तिथि / स्थिति	पूर्ण होने की तिथि से संचालन की वास्तविक तिथि/ संयुक्त भौतिक सत्यापन[5] तक विलम्ब (माह में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कपिलवस्तु	सम्पूर्ण परियोजना	27.86	जून 2022	29.08.2023	संचालन में नहीं	14	सभी संपत्तियां एक ही परिसर के भीतर बनाई गई थीं। परिसम्पत्ति का प्रवेश द्वार बंद पाया गया। सोलर लाईट की बैटरियों को खंभे के साथ क्लैंप नहीं किया गया था एवं अलग से संग्रहीत किया गया था। साउण्ड एण्ड लाइट शो के स्पीकर संबंधित खम्भों पर नहीं लगाए गए थे एवं अलग से संग्रहीत किए गए थे। टिकट काउंटर मानव रहित था। वाटर कूलर चालू नहीं था। भारत में बौद्ध धर्म के गहरे संबंध के बारे में आगंतुकों एवं पर्यटकों के ज्ञान एवं समझ को अद्यतन करने के लिए प्रस्तावित संग्रहालय संचालित नहीं था।
रामायण सर्किट थीम के अंतर्गत चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का	चित्रकूट	आधुनिक शौचालय सुविधा रामघाट टैक्सी स्टैंड	0.16	31.10.2021	13.09.2023	संचालन में नहीं	22	-
		पर्यटक सुविधा केंद्र	3.43					टीएफसी के संचालन के लिए विद्युत्

परियोजना का नाम	स्थान	निर्मित परिसम्पत्तियों का नाम	परिसम्पत्तियों का मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्माण पूरा होने की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	परिसम्पत्तियों के संचालन की तिथि / स्थिति	पूर्ण होने की तिथि से संचालन की वास्तविक तिथि/ संयुक्त भौतिक सत्यापन[5] तक विलम्ब (माह में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
विकास								संयोजन प्राप्त नहीं किया गया था।
	श्रृंगवेरपुर	पर्यटक सुविधा केंद्र	4.14	17.01.2020	13.10.2023	जनवरी-22	23	पर्यटक सुविधा केंद्र को जनवरी 2022 में संचालक संस्था को सौंप दिया गया था
		पार्किंग	1.63			संचालन में नहीं	44	पार्किंग संचालक संस्था को नहीं सौंपी गई थी
		सीता कुंड में शौचालय	0.30					शौचालय को संचालक संस्था को नहीं सौंपे जाने के कारण बंद पाया गया
कुल			**63.67**				**13 से 44**	

***स्रोत:** निदेशालय एवं निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर*

परिशिष्ट-4.15

(प्रस्तर 4.1.10.4 में संदर्भित)

संचालन एवं अनुरक्षण के लिए भारत सरकार की निधियों के अनियमित उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोज़र रिपोर्ट के अनुसार संचालन एवं अनुरक्षण सहित कार्य का कुल मूल्य	संचालन एवं अनुरक्षण का मूल्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	स्वदेश दर्शन योजना में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत श्रावस्ती का विकास	यूपीआरएनएन	साउण्ड एण्ड लाइट (एसईएल) शो एवं सीसीटीवी/वाई-फाई कार्य	921.38	118.83
2	स्वदेश दर्शन योजना में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कपिलवस्तु का विकास	यूपीआरएनएन	साउण्ड एण्ड लाइट (एसईएल) शो एवं सीसीटीवी/वाई-फाई कार्य	947.63	128.16
3	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के अंतर्गत चित्रकूट का विकास	यूपीआरएनएन	रामायण गैलरी, चित्रकूट में डिजिटल इंटरवेंशन	683.93	65.00
4	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के अंतर्गत चित्रकूट का विकास	यूपीआरएनएन	रामघाट, चित्रकूट में लेजर शो	659.73	65.00
	योग			**3212.67**	**376.99**

स्रोत: निदेशालय एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख

परिशिष्ट-4.16
(प्रस्तर 4.2 में संदर्भित)
अधिक क्रस्ट ओवरले के कारण परिहार्य व्यय की गणना दर्शाता विवरण

खण्ड के अनुसार गणना

यातायात गणना के अनुसार दोनों दिशाओं में सीवीपीडी की संख्या = 330

खण्ड ने सीवीपीडी की इस संख्या को मानक एक्सेल में निम्नानुसार परिवर्तित किया है-

मानक एक्सेल गणना:

क्र. सं.	वाहन की प्रकार	मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार लोड (टन)	यातायात गणना (औसत)	समतुल्यता कारक	(मानक एक्सेल)
1.	प्रत्येक तरफ पर दो एक्सेल दो टायर	12	70	1.47	103
2.	फ्रंट एक्सेल पर दो एक्सेल दो टायर और रियर एक्सेल पर चार टायर	16	104	1.99	206
3.	फ्रंट एक्सेल पर तीन एक्सेल दो टायर और रियर एक्सेल पर आठ टायर	25	72	3.06	221
4.	बस	-	84	1	84
	योग		**330**		**614**

मिलियन मानक एक्सेलों (एमएसए) में 80 केएन के समतुल्य मानक एक्सेल लोड की संचयी संख्या के संदर्भ में डिजाइन यातायात की गणना करने के लिए, खण्ड ने पुनः आईआरसी: 37-2012 के प्रस्तर 4.4.6 के अनुसार वीडीएफ का सांकेतिक मूल्य प्रयोग किया:

डिजाइन गणना:

निर्माण के पूर्ण होने के वर्ष में वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी) के संदर्भ में प्रारंभिक यातायात

$$A = P\ (1+r)^x$$

$$\text{इसलिए, } A = 614(1+0.05)^2 = 676.94$$

10 वर्षों के डिजाइन लाइफ में चलाने के लिए एमएसए के संदर्भ में मानक एक्सेल की संचयी संख्या:

$$N = \frac{365[(1+r)^n-1]}{r} \times A \times D \times F$$

$$N = \frac{365[(1+0.05)^{10}-1]}{0.05} \times 676.94 \times 0.5 \times 3.50$$

= 5.45 एमएसए

इस प्रकार, 3 प्रतिशत सीबीआर के लिए आईआरसी-37-2012 के पेवमेंट डिजाइन तालिका प्लेट-1 के अनुसार आवश्यक क्रस्ट मोटाई 680 मिमी (बीसी = 30 मिमी, डीबीएम = 60 मिमी, डब्ल्यूएमएम = 250 मिमी और जीएसबी = 340 मिमी) है।

लेखापरीक्षा के अनुसार गणना

यातायात गणना के अनुसार दोनों दिशाओं में प्रारंभिक सीवीपीडी की संख्या = 330

आईआरसी: 37-2012 के प्रस्तर 4.4.3 के अनुसार, नीचे दिए गए एकल, टेंडेम और ट्राइडेम एक्सल के लिए समतुल्यता कारकों की गणना के लिए समीकरणों का उपयोग विभिन्न एक्सल लोड पुनरावृत्तियों को समकक्ष मानक एक्सल लोड पुनरावृत्तियों में परिवर्तित करने के लिए किया जाना चाहिए; और

आईआरसी: 37-2012 के प्रस्तर 4.4.6 के अनुसार, जहाँ एक्सल लोड पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है और परियोजना के लघु आकार के कारण एक्सल लोड सर्वे की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तालिका 4.2 में वर्णित वाहन क्षति कारक के पूर्व निर्धारित मानों का उपयोग किया जा सकता है।

सांकेतिक वीडीएफ मूल्य (आईआरसी:37-2012 की तालिका 4.2)

वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन के सन्दर्भ में प्रारंभिक यातायात मात्रा	टेरेन	
	रोलिंग/प्लेन	पहाड़ी
0-150	1.5	0.5
150-1500	3.5	1.5
1500 से अधिक	4.5	2.5

चूँकि खण्ड ने आईआरसी: 37-2012 के प्रस्तर 4.4.6 को प्रयोग किया है, जिसमें यह उल्लेख है कि जहां एक्सेल लोड पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है और परियोजना के लघु आकार के कारण एक्सल लोड सर्वे की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ वाहन क्षति कारक के डिफ़ॉल्ट मूल्य तालिका 4.2 में वर्णित हैं। इस प्रकार, मानक एक्सेल गणना लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

आईआरसी: 37-2012 के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा की गई डिजाइन गणना निम्नवत है:

निर्माण के पूर्ण होने के वर्ष में, वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी) के संदर्भ में प्रारंभिक यातायात:

$$A = P\ (1+r)^{x}$$

$$\text{इसलिए, } A = 330\ (1+0.05)^{2} = 363.82$$

10 वर्षों के डिजाइन लाइफ में चलाने के लिए एमएसए के संदर्भ में मानक एक्सेल की संचयी संख्या:

$$N = \frac{365[(1+r)^{n}-1]}{r} \times A \times D \times F$$

$$N = \frac{365[(1+0.05)^{10}-1]}{0.05} \times 363.82 \times 0.5 \times \mathbf{3.50}$$

$$= 2.92 \text{ एमएसए} \sim 3 \text{ एमएसए}$$

इस प्रकार, लेखापरीक्षा के अनुसार आवश्यक क्रस्ट मोटाई 3 प्रतिशत सीबीआर के लिए, आईआरसी-37-2012 की पेवमेंट डिजाइन तालिका प्लेट -1 के अनुसार 670 मिमी (बीसी = 25 मिमी, डीबीएम = 60 मिमी, डब्ल्यूएमएम = 250 मिमी और जीएसबी = 335 मिमी) है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बिटुमिनस कंक्रीट की अधिक मात्रा डालने के परिणामस्वरूप ₹1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जिसका विवरण निम्नवत है:

विवरण	निष्पादित		आवश्यक वास्तविक मात्रा		परिहार्य मात्रा (घन मीटर में)	दर (₹)	धनराशि (₹)
	मोटाई (मिमी में)	मात्रा (घन मीटर में)	मोटाई (मिमी में)	मात्रा (घन मीटर में)			
बिटुमिनस कंक्रीट(बीसी)	30	8469.33	25	7057.78[6]	1411.55	9757	13772542
अनुबंध के अनुसार 4.25 प्रतिशत प्रीमियम जोड़े							585333
कुल परिहार्य व्यय							**14357875**

[6] 8459.33 घन मीटर x 25 मिमी/30 मिमी = 7057.78 घनमीटर।

शब्द-संक्षेप सूची

शब्द-संक्षेप सूची

शब्द संक्षेप	पूर्ण विस्तार
एसी बिल	सार आकस्मिकता विधेयक
एसीएस	अपर मुख्य सचिव
एईसी	सहायक आबकारी आयुक्त
एजी	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय
एआईएसजी	सहायक महानिरीक्षक
एआरटीओ	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
एएसआई	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
एटीएस	वार्षिक तकनीकी सहायता
बीसीओ	बजट नियन्त्रण अधिकारी
सीएएटी	कम्प्यूटर सहायता प्राप्त ऑडिट तकनीकें
सीसीएल	नकद क्रेडिट सीमा
सी एण्ड डी एस	उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ विंग
सीईआरटी-इन	कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम-भारत
सीजीए	महालेखा नियन्त्रक
सीजीएसटी	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर
सीएल	देशी मदिरा
सीएमवी	केन्द्रीय मोटर वाहन
सीपीडब्लूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीवीपीडी	वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन
सीटीओ	मुख्य कोषागार अधिकारी
सीटीएस	केन्द्रीय कोषागार प्रणाली
डीसी बिल	विस्तृत आकस्मिक विधेयक
डीसीएल	जमा क्रेडिट सीमा
डीईसी	उप आबकारी आयुक्त
डीओटी	कोषागार निदेशालय
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डीजी	महानिदेशक
डीआईजी	उप महानिरीक्षक
निदेशालय	पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार
डीएलपी	डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड
डीओटी	कोषागार निदेशालय
डीपीपी	विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजना
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआर केन्द्र	आपदा पुनर्प्राप्ति केन्द्र
डीआरपी	आपदा पुनर्प्राप्ति योजना
डीटीसी	उप परिवहन आयुक्त
ई-केवाईसी	इलेक्ट्रॉनिक नो योर कंज़ुमर
ईसी	आबकारी आयुक्त
एफसी	वित्तीय नियन्त्रक
एफएचबी	वित्तीय हस्तपुस्तिका
एफआरएस	कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश
एफएस	किण्वनीय शर्करा

शब्द संक्षेप	पूर्ण विस्तार
एफएसडी	वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
जीएसटी	माल और सेवा कर
जीएसटीआईएन	जीएसटी पहचान
एचआरए	मकान किराया भत्ता
एचटीसी	घरेलू यात्रा रियायत
आईडिया	इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैकशन एण्ड एनालिसिस
आईएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली
आईजीएएस	भारतीय सरकार के लेखांकन मानक
आईजीआर	महानिरीक्षक निबन्धन
आईएमएफएल	भारत में बनी विदेशी शराब
आईआरएलए	व्यक्तिगत चालू खाता बही
आईआरसी	इण्डियन रोड कांग्रेस
आईटीजीसी	सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियन्त्रण
आईवीआरएस	इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम
जेईसी	संयुक्त आबकारी आयुक्त
जेएनएनयूआरएम	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
एलडी	लिक्विडेटेड डैमेजेज
एलएमएमएच	मुख्य और लघु सेवा शीर्षों की सूची
एलटीसी	अवकाश यात्रा रियायत
एमइआईटीवाई	इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएफए	बहुकारक प्राधिकरण
एमआईएस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
एमएमपी	मिशन मोड प्रोजेक्ट
एमएसए	मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स
एमवीडीए	मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण
एमवी	मोटर वाहन
एनईजीपी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनपीए	गैर-अभ्यास भत्ता
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
पीसीयू	पैसेंजर कार यूनिट
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली
पीएफएडी	परियोजना निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग
पीएलए	व्यक्तिगत खाता बही
प्रसाद	तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान
पीडब्लूडी	लोक निर्माण विभाग
क्यूआर कोड	त्वरित प्रतिक्रिया कोड
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरटीओ	सम्भागीय परिवहन अधिकारी
एसएलएमसी	राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति
एसएमएस	लघु संदेश सेवा

शब्द संक्षेप	पूर्ण विस्तार
एसएनए	एकल नोडल खाते
एसआरएस	सिस्टम आवश्यकताँए विनिर्देश
एसटीओ	वरिष्ठ कोषागार अधिकारी
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
यूसी	उपयोगिता प्रमाणपत्र
यूपी	उत्तर प्रदेश
टीसी	परिवहन आयुक्त
टीएफसी	पर्यटक सुविधा केन्द्र
टीआरएस	टोटल रिडयूसिंग शुगर
यूपीबीटीवीपी	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद
यूपीडेस्को	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड
यूपीएल	अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड
यूपीएमवीटी	उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान
यूपीपीसीएल	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड
यूपीआरएनएन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
यूपीसिडको	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड
यूपीएसआरटीसी	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
यूपीएसटीडीसी	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
यूआरएस	उपयोगकर्ता आवश्यकताँए विनिर्देश
यूएसएसडी	असंरचनात्मक पूरक सेवा डेटा
वीडीएफ	वाहन क्षति कारक
वामिस	कार्य और लेखा प्रबन्धन सूचना प्रणाली
एक्सएमएल	एक्स्टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh/hi